खण्ड-393, अंक-5
शनिवार, 8 आश्विन, शक संवत् 1911
(30 सितम्बर, 1989 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(नौवी विधान सभा, द्वितीय सत्र 1989)

खण्ड 393 में 5 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)

1989

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	न—झ
ग्रामीण अभियंत्रण सेवा लखनऊ खण्ड के अधिशासी अभियन्ता के भ्रष्टाचार के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	1
जनपद हरदोई के पिहानी क्षेत्र में आवश्यक वस्तुओं की कमी के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	2
महर्षि बाल्मीकि के जन्म दिन पर सार्वजनिक अवकाश किये जाने की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	2
प्रदेश में वर्ष 1984 से असहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों को अनुदान सूची के अन्तर्गत लिए जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	3
इन्दिरा नगर, लखनऊ के अनधिकृत बाजार को हटाये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	3
उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् के भवनों का लीज रेन्ट एक मुश्त किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	3—4
राज्य सम्पत्ति विभाग द्वारा पूर्व आवंटित कर्मचारियों के आवासों को दूसरे व्यक्तियों को आवंटित किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	4
जनपद ललितपुर में सूखे की स्थिति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	4
अलीगढ़ जनपद के धुलई आदि ग्रामों को पक्के मार्गों से जोड़ने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	5
अंशकालिक होम्योपैथिक डाक्टरों को सेवा में विनियमित किए जाने की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	5
जनपद बांदा की कर्वी तहसील में सूखे की स्थिति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	6
जनपद बस्ती की दुबौलिया बाजार तक घाघरा के कटान के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	6
जिला सहारनपुर के थाना सरसवां में बाल्मीकि लोगों की हत्या के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	7
जनपद बलरिया के भटनी ब्लाक की ग्राम सभा मजरी करौंसा में खड़ंजा की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	7

जिला देवरिया की देवरिया रजबहा नहर की अनुपयुक्तता के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	7—8
उप श्रमायुक्त गाजियाबाद द्वारा भवनों के आवंटन के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	8
आजमगढ़ शहर में शौचालय एवं सफाई की व्यवस्था दुरुस्त किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	8—9
जनपद आजमगढ़ की सगड़ी तहसील में घाघरा नदी की कटान से हुए नुकसान के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	9
जनपद गोंडा के उतरौला क्षेत्र के सैलाबी क्षेत्र में अनुदान वितरण में धांधली के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	9
जनपद मुरादाबाद की हसनपुर तहसील में गंगा बांधों के ऊपर खड़ंजा लगाये जाने की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	10
प्रदेश के बीड़ी मजदूरों की दयनीय स्थिति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	10
प्रदेश के राजस्व संग्रह अमीनों को प्रोन्नति वेतनमान दिये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	10—11
डाक्टर नगेन्द्र नाथ श्रीवास्तव, चिकित्साधिकारी की प्रोन्नति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	11
वाराणसी जनपद के आराजी लाइन्स ब्लाक व सेवापुरी ब्लाक में मंहगीपुर नाले पर पुल निर्माण के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	11
जनपद बांदा के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के जन-स्वास्थ्य रक्षकों को मानदेय व दवाइयां न मिलने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	12
जनपद बहराइच के हुजूरपुर ब्लाक में भानपुर–चिलवरिया मार्ग के निर्माण के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	12
जनपद फतेहपुर को सूखाग्रस्त घोषित किये जाने की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	12—13
जनपद देवरिया में गण्डक नहरों में पानी आपूर्ति रुकने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	13
उन्नाव नगर महापालिका द्वारा सफाई व्यवस्था ठीक न रखने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	13
गांधी आश्रम के कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन दिये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	14
जनपद इलाहाबाद में स्व0 नेहरू की प्रतिमा लगाये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	14
जनपद सिद्धार्थ नगर में राप्ती नदी में नाव दुर्घटना के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	14—15
जनपद मऊ के मधुबन बाजार की जल निकासी व्यवस्था के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	15

पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों को उनके गृह जनपद के निकट न नियुक्त किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना 15—16

जनपद फैजाबाद में राग की पैड़ी के निर्माण में घपले के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना 16

आगरा व फिरोजाबाद जनपद के ग्रामीण अंचलों में इण्टर व डिग्री कालेज खोलने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना 17

जनपद झांसी के समथर कस्बे में विद्युत् उपकेन्द्र खोलने की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना 17

जनपद हरदोई के कस्बा माधोगंज के स्व0 श्री शिव रत्न लाल शर्मा टाटधारी को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी दिखाये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना 17

इलाहाबाद विकास प्राधिकरण में व्याप्त भ्रष्टाचार के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना 18

जिला फिरोजाबाद में सूखे की स्थिति में नलकूपों की विद्युत् व्यवस्था के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना 18—19

जिला अल्मोड़ा में द्वाराहाट ब्लाक में जवाहर योजना अनुदान वितरण में धांधली के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना 19

अलीगढ़ जनपद के खैर क्षेत्र में पीने के पानी की कमी के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना 19—20

जनपद लखनऊ के थाना अलीगंज में शेखूपुरा कालोनी में श्रीमती विमला नामक महिला को जलाकर मारने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना 20

हरिश्चन्द्र इण्टर कालेज लखनऊ की प्रबंध समिति के भ्रष्टाचार के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना 20—21

इलाहाबाद नगर में जल भराव की स्थिति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना 21

वन विभाग के वन रक्षकों की पदोन्नति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना 21

लखनऊ के ग्राम बैदा खेड़ा में तारकोल के धुएं से प्रदूषण के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना 21—22

क्षेत्रीय विकास विभाग के अन्तर्गत भूगर्भ जल विभाग में प्रथम श्रेणी के रिक्त पदों पर नियुक्तियां न किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना 22

सहायक आबकारी आयुक्तों की नियुक्तियों में पक्षपात के संबंध में नियम नियम 301 के अन्तर्गत सूचना 22—23

जिला सिद्धार्थनगर में कोहडौरा-त्रिलोकपुर मार्ग पर बनी पुलिया टूट जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना 23

जिला आगरा की तहसील किरावली में बांध में पानी न होने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना 23—24

महात्मा गांधी मेमोरियल डिग्री कालेज, सम्भल, जिला मुरादाबाद में एम0 ए0 उर्दू व हिन्दी की कक्षाएं खोले जाने की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	24
गन्ना सहकारी समिति मसौधा, जनपद फैजाबाद में लाखों के घोटाले के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	24
जनपद झांसी की तहसील मोंठ पर राजकीय कन्या हाई स्कूल खोले जाने की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	25
सहकारी कताई मिल, अमरोहा, जिला मुरादाबाद में भ्रष्टाचार के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	25
बलिया जनपद के पूर्वांचल में गंगा की कटान से क्षति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	25—26
जनपद फैजाबाद की टांडा तापीय शक्ति परियोजना से प्रभावित परिवारों के सदस्यों को सेवा में न लेने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	26—27
नियम 311 के अन्तर्गत सूचनाएं	27—31
उत्तर प्रदेश विनियोग (1989-90 का अनुपूरक) विधेयक, 1989 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	31
सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति का सत्रहवां प्रतिवेदन (पटल पर रखा गया)	32
सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति का सोलहवां प्रतिवेदन (पटल पर रखा गया)	32
सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति का सत्रहवां प्रतिवेदन (पटल पर रखा गया)	32
सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति का अठ्ठारवां प्रतिवेदन (पटल पर रखा गया)	32
सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति का उन्नीसवां प्रतिवेदन (पटल पर रखा गया)	32
सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति का बीसवां प्रतिवेदन (पटल पर रखा गया)	32
सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति का इक्कीसवां प्रतिवेदन (पटल पर रखा गया)	32
सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति का बाइसवां प्रतिवेदन (पटल पर रखा गया)	33
अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा विमुक्त जातियों संबंधी संयुक्त समिति का अठ्ठाइसवां प्रतिवेदन (पटल पर रखा गया)	33
आश्वासन समिति (1989-90) का 16वां विशेष प्रतिवेदन (पटल पर रखा गया)	33

लोक लेखा समिति (1988-89) का पष्ठ प्रतिवेदन (कार्यान्वयन) 33

(पटल पर रखा गया)

लोक लेखा समिति (1988-89) का सप्तम् प्रतिवेदन (सिविल) 33

(पटल पर रखा गया)

लोक लेखा समिति (1988-89) का अष्टम् प्रतिवेदन (कार्यान्वयन) 33

(पटल पर रखा गया)

ग्राम अहमदपुर, जनपद इलाहाबाद की पावन से मन्दर तक सम्बद्ध सड़क पक्की करने विषयक याचिका 33—34

(उपस्थित की गई)

राजकीय बालिका दीक्षा विद्यालय, मुरादाबाद (शहर) को काण्ड क्षेत्र में ले जाने विषयक याचिका 34

(उपस्थित की गई)

कार्य मंत्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव 34—35

(स्वीकृत)

विधान सभा 1988 के प्रथम सत्र के तीसरे सोमवार हेतु निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या-12 के उत्तर के संबंध में शोधन वक्तव्य 35—36

वर्तमान मंत्रि-परिषद् में अविश्वास का प्रस्ताव 37—39

(अनुज्ञा नहीं दी गई)

जनपद बदायूं में हुई हिंसा में अनेक व्यक्तियों की मृत्यु हो जाने तथा सैकड़ों व्यक्तियों के घायल हो जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में चर्चा 39—86

गन्ने का मूल्य तय न किये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न 86—89

(जारी)

दिनांक 28-9-89 को सदन की दर्शक दीर्घा से नारे लगाने वाले व्यक्तियों के सम्बन्ध में लिये गये निर्णय की सूचना 89

(सदन की सहमति)

आज सदन में पर्चे फेंकने व नारे लगाने वाले व्यक्तियों व महिलाओं की रिहाई का प्रस्ताव (स्वीकृत) 89—93

विशेषाधिकार हनन एवं औचित्य के प्रश्नों पर श्री अध्यक्ष द्वारा लिये गये निर्णयों की सूचना 93

श्री सुखपाल पाण्डे द्वारा स्वास्थ्य मंत्री के विरुद्ध दी गई विशेषाधिकार हनन की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय 93—94

श्री अफसर यू0 अहमद द्वारा स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के विरुद्ध दी गई विशेषाधिकार हनन की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय 94—95

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी द्वारा तत्कालीन गृहमंत्री श्री गोपी नाथ दीक्षित व तत्कालीन गह राज्य मंत्री श्री सरेन्द्र सिंह चौहान के विरुद्ध दी गई विशेषाधिकार हनन की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय 95—97

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी द्वारा तत्कालीन शिक्षा मंत्री श्री सैयद सिब्ते रजी व तत्कालीन शिक्षा राज्य मंत्री श्री संकठा प्रसाद शास्त्री के विरुद्ध दी गई विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय 97

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा द्वारा क्षेत्राधिकारी पुलिस, श्याम देउरवा, श्री वर्मा के विरुद्ध दी गई विशेषाधिकार हनन की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय 98

श्री हर्षवर्धन द्वारा डाक्टर ओम प्रकाश, जिलाधिकारी, गोरखपुर के विरुद्ध दी गयी विशेषाधिकार हनन की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय 99

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी द्वारा स्वास्थ्य मंत्री के विरुद्ध दी गई विशेषाधिकार हनन की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय 100

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी द्वारा उर्जा मंत्री के विरुद्ध उठाये गये विशेषाधिकार की अवहेलना एवं सदन की अवमानना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय 100—101

श्री महेन्द्र भाटी द्वारा राजस्व मंत्री के विरुद्ध दी गई विशेषाधिकार हनन की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय 101—102

श्री बदन सिंह द्वारा श्री जावीद अहमद, एस0 पी0, आगरा (देहात) के विरुद्ध दी गयी विशेषाधिकार हनन की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय 102—103

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी द्वारा ऊर्जा मंत्री के विरुद्ध दी गई विशेषाधिकार हनन की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय 103—104

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी द्वारा परिवहन राज्य मंत्री के विरुद्ध दिये गये विशेषाधिकार की अवहेलना एवं सदन की अवमानना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय 104—105

श्री बुनियाद हुसैन अंसारी आदि द्वारा सचना राज्य मंत्र: के विरुद्ध दी गई हनन की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय 105—106

श्री जवाहर सिंह यादव द्वारा श्रम मंत्री के विरुद्ध दी गई विशेषाधिकार हनन की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय 106

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त द्वारा अपट्रान के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक के विरुद्ध दी गयी विशेषाधिकार हनन की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय 106—107

श्री राम चन्द्र दख्श सिंह आदि की कृषि मंत्री के विरुद्ध दी गयी विशेषाधिकार हनन तथा सदन की अवमानना के प्रश्न की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय 107—108

श्री नरेन्द्र देव द्वारा पाक्षिक पत्रिका 'माया' के प्रधान सम्पादक आदि के विरुद्ध दी गई विशेषाधिकार हनन की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय 108

श्री राजकिशोर सिंह द्वारा कृषि मंत्री के विरुद्ध दी गई विशेषाधिकार हनन एवं सदन की अवमानना के प्रश्न की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय 108—109

श्री हनुमान प्रसाद कुरील द्वारा न्यायालय के विरुद्ध दी गई विशेषाधिकार हनन की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय 109—110

श्री शारदा प्रताप द्वारा शासन के विरुद्ध दी गयी सदन की अवमानना के प्रश्न की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय 110

श्री मैनेजर सिंह द्वारा श्री सुरेन्द्र मोहन, तत्कालीन प्रमुख सचिव, पर्यटन एवं सांस्कृतिक कार्य विभाग के विरुद्ध दी गई विशेषाधिकार हनन एवं अवमानना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय 111

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त द्वारा श्री सत्यदेव त्रिपाठी, प्रशासन उ0 प्र0 कोआपरेटिव यूनियन के विरुद्ध दी गई विशेषाधिकार हनन की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय 111—112

श्री जयदीप सिंह बरार एवं श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी द्वारा ग्राह्य प्रश्नों को निरस्त करने की प्रक्रिया के सम्बन्ध में उठाये गये औचित्य के प्रश्नों पर श्री अध्यक्ष का निर्णय 112—113

गन्ने का मूल्य न किये जाने के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न 113—114

श्री जयदीप सिंह बरार का सदन से निष्कासन एवं वापसी 114—118

प्रदेश में सूखे एवं बाढ़ की विषम स्थिति में सरकारी नीति से दिन प्रतिदिन बढ़ रही महंगाई के सम्बन्ध में चर्चा 118—131

मद संख्या 42 से पूर्व मद संख्या 24 से 38 तक लिये जाने का प्रस्ताव (स्वीकृत) 131—134

उत्तर प्रदेश सहकारी (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1989 (पारित) 135—137

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) संशोधन विधेयक, 1989 (पारित) 138—139

उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1989 (पारित) 139—140

उत्तर प्रदेश आबकारी नियमावली (संशोधन) विधेयक, 1989 (पारित) 141—143

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) विधेयक, 1989 (पारित) 144—147

इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ की स्थापना के सम्बन्ध में जसवन्त सिंह आयोग की संस्तुति के विषय में चर्चा 147—161

प्रदेश के नवसृजित जिले एवं तहसीलों से संबंधित अधिसूचना की जानकारी 161

प्रदेश के कास्तकारों पर समस्त बकाया ऋणों तथा बिजली के बकाया बिलों के देयों की वसूली के सम्बन्ध में नियम 103 के अन्तर्गत प्रस्ताव (अस्वीकृत) 161—164

सदन के अनिश्चित काल के लिए स्थगन का प्रस्ताव (स्वीकृत) 164

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शनिवार, दिनांक 30 सितम्बर, 1989

विधान सभा की बैठक, सभा मण्डप लखनऊ में 11 बजे दिन में उपाध्यक्ष श्री त्रिलोक चन्द्र की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे :—

अमर चन्द, श्री	आगरा	मोती राम सागुड़ी, श्री	नैनीताल
अमिताभ लवानियां, श्री	आगरा	मोहम्मद वसीम अन्सारी, श्री	रायबरेली
अमीर आलम खां, श्री	मुजफ्फरनगर	राकेशधर त्रिपाठी, श्री	इलाहाबाद
अवनीश कुमार सिंह,	बदायूं	राज बहादुर, श्री	जौनपुर
अशरफ इमाम, श्रीमती	मिर्जापुर	राजीव कुमार सिंह, श्री	बाराबंकी
अशोक बाजपेयी, श्री	हरदोई	राजेन्द्र सिंह, श्री	अलीगढ़
अहिवरन, श्री	शाहजहांपुर	राजेन्द्र सिंह, श्री	फर्रुखाबाद
इन्द्र प्रताप सिंह, श्री	बहराइच	राम गोविन्द चौधरी, श्री	बलिया
इम्तियाज मोहम्मद खां, श्री	बुलन्दशहर	राम सागर, श्री	बाराबंकी
उदयवीर सिंह राठौर, श्री	एटा	राय लक्ष्मी नारायण सिंह, श्री	जौनपुर
औसान सिंह, श्री	इटावा	लक्ष्मी नारायण, श्री	मथुरा
कमलेश कुमार पाठक, श्री	इटावा	विक्रमादित्य पाण्डेय, श्री	बलिया
कल्याण सिंह, श्री	अलीगढ़	विजय लक्ष्मी, श्रीमती	बलिया
काजी मोहिउद्दीन, श्री	सहारनपुर	विजय सिंह, श्री	मिर्जापुर
कान्ती सिंह विसेन, श्रीमती	खीरी	विमला राकेश, श्रीमती	सहारनपुर
किशोरी लाल सकलानी, श्री	देहरादून	वीरेन्द्र प्रताप शाही, श्री	गोरखपुर
कुंवर बहादुर मिश्र, श्री	हमीरपुर	शिव नारायण मिश्र, श्री	सुल्तानपुर
दया प्रसाद वर्मा, श्री	इटावा	शिवनाथ सिंह कुशवाहा, कुंवर,	कानपुर
गौरी शंकर भइया, श्री	बलिया	शिव बालक पासी, श्री	रायबरेली
चन्द्र सेन, श्री	जौनपुर	श्रीप्रकाश, श्री	आजमगढ़
चेतराम गंगवार, श्री	बरेली	संकठा प्रसाद शास्त्री, श्री	वाराणसी
जगदीश नरायन, श्री	हमीरपुर	संजय सिंह, डा0	सुल्तानपुर
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री	गोरखपुर	सतीश अजमानी, श्री	खीरी
त्रियुगी नारायण मिश्र, श्री	गोरखपुर	सरदार सिंह, श्री	मथुरा
दिनेश जौहरी, डा0	बरेली	सुखदा मिश्रा, श्रीमती	इटावा
नरेश पाल सिंह यादव, श्री	बदायूं	सुरेन्द्र कपिल, श्री	सहारनपुर
निर्भय पाल शर्मा, श्री	सहारनपुर	सुरेन्द्र बहादुर सिंह, श्री	रायबरेली
परमाई लाल, श्री	हरदोई	सुरेन्द्र सिंह चौहान, श्री	अलीगढ़
प्रेमवती तिवारी, श्रीमती	लखनऊ	सुरेश प्रताप सिंह गांधी, श्री	अलीगढ़
बलदेव सिंह, कैप्टेन	अलीगढ़	सैयद अली अशरफी, श्री	पीलीभीत
महाराज सिंह, चौधरी	इटावा	हरिशंकर तिवारी, श्री	गोरखपर
महेन्द्र भाटी, श्री	गाजियाबाद	हीरा सिंह बिष्ट, श्री	देहरादून
मुलायम सिंह यादव, श्री	इटावा		

उत्तर प्रदेश विधान सभा

ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, लखनऊ खण्ड के अधिशासी अभियन्ता के भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री उपाध्यक्ष—

आज दिनांक 30-9-80 को नियम 301 के अन्तर्गत 61 सूचनायें प्राप्त हुयी हैं जिन में से श्री यदुनाथ सिंह, श्री राम सिंह तथा श्री मोहम्मद उमर की सूचनाओं को नियमानुसार न होने के कारण अग्राह्य किया गया है । शेष सभी सूचनायें स्वीकृत की गयी हैं ।

(सदन की सहमति से स्वीकृत सभी सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गईं ।)

श्री राम सिंह—

[मान्यवर, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में एक अति लोक महत्व की सूचना लाना चाहता हूं ।

प्रदेश के ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा के अधिशासी अभियन्ताओं द्वारा अपने अधीनस्थ अभियन्ताओं को अपमानित करना तो नित्य का खेल हो गया है । इस शुगल में वर्तमान अधिशासी अभियन्ता, लखनऊ खण्ड, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा श्री दी0 के0 भट्टाचार्य की सनक तो खुल कर सामने आ रही है । इस सम्बन्ध में कतिपय उदाहरण देना पर्याप्त होगा । उक्त अभियन्ता महोदय जब सहायक अभियन्ता के रूप में रायबरेली जनपद में कार्यरत थे तो इनकी उपरोक्त क्रियाकलापों के चलते सत्यनिष्ठा प्रमाणित नहीं की गयी थी । उक्त अधिकारी अभियन्ता ने अपने झांसी प्रखण्ड के कार्यकाल के दौरान टी0 एण्ड पी0 खरीद की जिसमें इन्हें टी0 ए0 सी0 में दोषी पाया गया । यही नहीं, इन्होंने जनपद ललितपुर में नानपुर कुआं सम्पर्क मार्ग का अधोमानक निर्माण कराया और सरकारी सम्पत्ति का घोटाला किया । इनके तकनीकी निर्देशन के बने ललितपुर के अर्जुनपुर के खेरिया का जूनियर स्कूल एवं जनपद जालौन में उरई में बना स्टेडियम की बाउन्डरी वाल तथा उरई के ही काना खेड़ा प्राइमरी, पाठशाला धराशायी हो गये हैं । इन्हीं कारणों से इनका जिलाधीश झांसी द्वारा वर्ष 84-85 में चरित्र पंजिका में प्रतिकूल प्रविष्टि कर दी गई थी ।

यही नहीं वरन् इनकी शातिर कार गुजारियों में इनका अपना कम से कम 10 लाख रुपया की लागत का आवास भी आता है जो इन्होंने मात्र 1 लाख रुपया सरकारी अग्रिम लेकर बनवाया है । यह कैसे सम्भव हुआ । यह इनकी सरकार दोहन की स्पष्ट कारगुजारी है । वर्तमान में लखनऊ प्रखण्ड में अपनी तानाशाही के कारण जनाक्रोश का कारण बने हुए हैं । नित्यप्रति इनसे सामान्य जन को दूर कार्यालय जनों एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं को अपमानित होना पड़ता है । ये अपने शातिर क्रिया कलापों के खिलाफ एक शब्द भी सुनना पसन्द नहीं करते हैं ।

अतः मेरी स्पष्ट मांग है कि उक्त अभियन्ता महोदय के समस्त प्रकरणों की तकनीकी सेल एवं सतर्कता अधिष्ठान से जांच करायी जाय जिससे सरकार की छवि उज्जवल हो सके ।]

नोट :—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

जनपद हरदोई के पिहानी क्षेत्र में आवश्यक वस्तुओं की कमी के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अशोक बाजपेयी—

[मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र पिहानी जनपद हरदोई में आवश्यक वस्तुओं का घोर संकट उत्पन्न हो गया है ग्रामीण क्षेत्रों में चीनी का वितरण नगण्य है । 13 रुपए किलो चीनी खरीदने के लिए पूरा क्षेत्र मजबूर है 50 फीसदी लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है । राशन कार्ड के अभाव में चीनी का मिल पाना असम्भव है । पिहानी नगर एवं क्षेत्र की जनता ने राशन कार्ड बनवाने हेतु बड़ी संख्या में फार्म भरकर सभी औपचारिकताएं पूरी करके परगनाधिकारी शाहाबाद एवं जिला पूर्ति अधिकारी हरदोई को आवेदन-पत्र दे रखे हैं परन्तु अभी तक उनके कार्ड नहीं बन सके हैं शासनादेशों के अनुरूप फार्म जमा होने के 15 दिन के अन्दर कार्ड का बन जाना आवश्यक है अधिकारियों की उपेक्षा पूर्ण नीतियों के कारण लाखों जनता चीनी एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं के लिए परेशान हो रही है इसके विरोध में जनता ने प्रदर्शन एवं सभाएं की जनता में निरन्तर रोष व्याप्त है, किसी भी समय यह रोष विस्फोटक हो सकता है ।

अतः लोक महत्व के इस सुनिश्चित एवं सात्कालिक अविलम्बनीय विषय की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करने की अनुज्ञा चाहता हूं तथा सरकार से मांग करता हूं कि पिहानी क्षेत्र के विचाराधीन आवेदन-पत्र शीघ्र कार्यवाही करके जनता को राशन कार्ड दिलाने के स्पष्ट आदेश देने की कृपा करें ।]

महर्षि बाल्मीकि के जन्म दिन पर सार्वजनिक अवकाश किये जाने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री नरेन्द्र सिंह—

[मान्यवर, सन्त बाल्मीकि के जन्म दिवस पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किये जाने के संबंध में मैंने एक निवेदन पत्र दिया था जिसके उत्तर में अर्द्ध-स0 वि0 स0-18/तीन-89 क्यू/81/89 के द्वारा सूचित किया है कि भारत सरकार भी अपने कार्यालयों में महर्षि बाल्मीकि के जन्म दिवस पर निर्बन्धित अवकाश देती है अतः राज्य सरकार भी 14 अक्तूबर को गत वर्षों की भांति निर्बन्धित अवकाश ही स्वीकृत किया है ।

मान्यवर, उक्त विषय में मुझे निवेदन करना है कि बाल्मीकि उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यक हैं और उनकी भावनाओं को मद्देनजर रखते हुये महर्षि बाल्मीकि के जन्म दिवस को राजपत्रित अवकाश घोषित किया जाना अपेक्षित है चूंकि राज्य सरकार अपने आप में राजपत्रित अवकाश करने में स्वतंत्र है, बाल्मीकि जाति का अपने आप में उत्तर प्रदेश में अलग अस्तित्व है ।

अतः महर्षि बाल्मीकि के जन्म दिवस को निर्बन्धित अवकाश की बजाय राजपत्रित अवकाश घोषित करें ।]

नोट :—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

प्रदेश में वर्ष 1984 से असहायताप्राप्त जूनियर हाई स्कूलों को अनुदान सूची के अन्तर्गत लिये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अंतर्गत सूचना

श्री हर्षवर्धन—

[मान्यवर, पूरे प्रदेश में वर्ष 1984 से असहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों को अनुदान सूची पर नहीं लिया जा रहा है जिसके परिणामस्वरूप उन विद्यालयों में सेवारत 50 हजार से अधिक शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों का शोषण हो रहा है और उनके परिवारों के सम्मुख भुखमरी की विकट समस्या पैदा हो गयी है ।

अतः लोक महत्व के उक्त विषय को सदन के संज्ञान में लाकर मैं सरकार से मानवीय आधार पर अविलम्ब कार्यवाही की मांग करता हूं ।]

इन्दिरा नगर लखनऊ के अनधिकृत बाजार को हटाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री श्याम बिहारी सिंह—

[मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से आदरणीय सदन के संज्ञान में एक अतिमहत्वपूर्ण तथ्य लाना चाहता हूं इन्दिरा नगर, लखनऊ में एच0 ए0 एल0 से चर्च को ओर जाने वाली सड़क पर तथा समीप ही स्थित गंगा मार्ग पर एक बहुत बड़ा अनधिकृत बाजार लगता है । इस बाजार के कारण वहां के हजारों निवासियों का जीना दूभर हो रहा है । हालत यह हो गयी है कि अनियंत्रित तथा अव्यवस्थित दूकानों के सामने भीड़ लगी होने के कारण लोग अपने घरों में घुस नहीं पाते हैं और पटरी दूकानदारों से तथा मकान मालिकों से आये दिन झगड़े होते हैं । सरकार के अथक प्रयासों के बावजूद यह बाजार अभी तक हटाया नहीं जा सका है । गंदगी, शोरगुल, धूल से भीषण प्रदूषण होता है और घरों में बच्चे रात के 11 बजे तक पढ़ नहीं पाते हैं । अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को आपके संज्ञान में लाते हुए सरकार से मांग करता हूं कि अविलम्ब इस बाजार को हटवाने की व्यवस्था की जाय । यह भी मांग की जाती है कि यदि इस बाजार को सरकार न हटवा सके तो इस मार्ग पर पड़ने वाले घरों के मकान मालिकों को भी अपने-अपने घरों को व्यवसायिक तौर पर प्रयोग करने की अनुमति दी जाय ।]

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् के भवनों का लीज रेंट एकमुश्त लिये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री नंगाराम—

[मान्यवर, मैं आपके संज्ञान में एक महत्वपूर्ण तथ्य को लाते हुये यह निवेदन करना चाहता हूं कि उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद् अपने भवन एवं भूखंडों को जन साधारण को 90 वर्षीय लीज पर आवंटित करती है कुछ वर्षों पूर्व जिन भवनों और भूखंडों को आवंटित किया गया है उनके स्वामियों से एकमुश्त 10 वर्ष का लीज रेंट ले लिया जाता है और फिर 90 वर्ष तक लीज रेंट माफ कर दिया जाता है तथा 90 वर्षों तक भवन भूखंडों के लीज को नवीनीकृत कराने की आवश्यकता नहीं पड़ती है । परन्तु आवास एवं विकास परिषद् के वह भवन भूखंड जो सन् 84 के पहले परिषद् द्वारा आवंटित किये गये हैं । उनके संबंध में उक्त नियम लागू नहीं है और उनकी लीज प्रत्येक 30 वर्षों के बाद भी

नोट :—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

नवीनीकृत कराने की व्यवस्था कायम ह । न्याय की दृष्टि यह उचित नहीं है । शासन को चाहिए कि वह 1984 के पहले आवंटित भूखण्डों, भवनों के स्वामियों के लिये वही शर्तें रखें जो अब लागू है । उनमें भी 20 वर्ष का लीज रेंट एकमुश्त लेकर शेष 90 वर्षों का लीज रेंट माफ किया जाना चाहिये तथा प्रत्येक 30 वर्ष के बाद जो लीज को नवीनीकृत करने का जो प्राविधान रखा है उसको समाप्त किया जाना चाहिये ।

अस्तु आदरणीय सदन के संज्ञान में उक्त तथ्य लाकर आवश्यक कार्यवाही की मांग करता हूं ।]

राज्य सम्पत्ति विभाग द्वारा पूर्व आवंटित कर्मचारियों के आवासों को दूसरे व्यक्तियों को आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती विमला राकेश—

[मान्यवर, उत्तर प्रदेश शासन के राज्य सम्पत्ति विभाग सरकारी आवासों में धांधली कर सरकारी कर्मचारियों में भय एवं आतंक की स्थिति पैदा कर रहा है । अभी सचिवालय कालोनी महानगर स्थित आवास संख्या बी-65 के आवंटी का आवंटन बिना उसकी सहमति से डेढ़ वर्ष पूर्व किये आवंटन को दूसरे कर्मचारी को आवंटित कर दिया गया जो अनुचित है । राज्य सम्पत्ति विभाग मनमाने ढंग से सचिवालय कालोनी महानगर में अपनी इच्छा से ऐसे कर्मचारियों को हटाने की कार्यवाही नहीं कर रहा है जो सचिवालय में कार्यरत नहीं है जैसे मकान नं0 बी-46, बी-47 तथा बी-48 आदि ।

इसी प्रकार उक्त विभाग आश्रित विधवाओं को परम्परानुसार एक वर्ष तक भी नहीं रहने दे रहे हैं और किसी को वर्षों तक रहने की सुविधा दिये हुये है ।

अतः उक्त अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय को सदन के संज्ञान में लाते हुये निवेदन करना है कि उपर्युक्त विषय की जांच कराई जाये तथा सचिवालय कालोनी महानगर में कौन प्राधिकृत रूप से रह रहे हैं और कौन राज्य सम्पत्ति विभाग के अधिकारियों की इच्छा से इसकी जांच कराई जाय ऐसी मनमानी एवं अन्याय करने से राज्य सम्पत्ति विभाग के अधिकारियों को रोका जाये ।]

जनपद ललितपुर में सूखे की स्थिति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री देवेन्द्र कुमार—

[मान्यवर, जनपद ललितपुर की जनता पिछले 3 वर्षों से लगातार सूखे की स्थिति से भूझ रही है इस वर्ष भी औसत वर्षा 931 मिली0 के विरुद्ध मात्र 410 वर्षा होने से इस जनपद में सूखा की स्थिति पैदा हो गयी है । जनपद के समस्त कुयें तालाब नदी एवं बांध भी लगभग खाली पड़े हुये हैं । किसानों की रबी की फसल सूख गयी है । खरीफ की फसल को पानी न मिलने की पूर्ण सम्भावना है । गांवों में पेयजल की समस्या अभी से उत्पन्न हो गयी है । जनपद का मजदूर किसान अभी से जनपद छोड़ कर मध्य प्रदेश के जनपदों में अपना पेट भरने को भाग रहा है । स्थिति विस्फोटक हो रही है ।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के सुनिश्चित प्रश्न पर मैं मांग करता हूं कि जनपद ललितपुर को सूखा ग्रस्त घोषित किया जावे ।]

नोट :—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

अलीगढ़ जनपद के धुलई आदि ग्रामों को पक्के मार्गों से जोड़ने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुरेश प्रताप सिंह गांधी—

[मान्यवर, जनपद अलीगढ़ में सार्वजनिक निर्माण विभाग अस्थायी खण्ड, हाथरस के अन्तर्गत आने वाले ग्रामों नगरिया पहीदेवरी व दूसरे ग्राम धुलई की जनसंख्या 1971 की जनगणना के अनुसार तीन हजार से अधिक है । सार्वजनिक निर्माण विभाग ने धुवई ग्राम को जोड़ने के लिए सिर्फ 2.0 किमी0 मार्ग का निर्माण किया है जबकि रीतिका नगला हसायन मार्ग से धुवई की दूरी 4.0 किमी0 है । इस प्रकार मार्ग का निर्माण अपूर्ण परन्तु विभाग में इस ग्राम को पक्के मार्ग से जुड़ा हुआ दिखा दिया है । इसी प्रकार ग्राम नगरिया पहीदेवरी के नाम से एक मार्ग कटाई ग्राम की तरफ निर्मित किया गया है । जनपद में आयोजित जिला प्लान की बैठक में सा0 नि0 वि0 के अधिशासी अभियन्ता ने स्वीकार कर लिया है कि ग्राम नगरिया पहीदेवरी पक्के मार्ग से नहीं जुड़ा है । ग्राम नगरिया पहीदेवरी के लिए पी0 बी0 मार्ग पर स्थित ग्राम नगला बिजन से कच्चा मार्ग लगभग दो सौ वर्ष पराना बना हुआ है इसकी चौड़ाई भी 12 मी0 है यह नगरिया पहीदेवरी के अतिरिक्त 5 अन्य ग्रामों को भी जोड़ेगा ।

सा0 नि0 वि0 द्वारा बिना मार्ग निर्माण पूर्ण किये ग्राम जुड़े हुए अभिलेखों में प्रदर्शित कर देने से क्षेत्रीय जनता में क्षोभ व आक्रोश है ।

अत: उक्त अविलम्बनीय लोक महत्व का विषय सदन के संज्ञान में लाकर सरकार से मार्ग निर्माण शीघ्र कराने की मांग करता है ।]

अंशकालिक होम्योपैथिक डाक्टरों की सेवायें विनियमित किये जाने की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती शारदा देवी एवं चौधरी लालता प्रसाद निषाद—

[मान्यवर, प्रदेश के पर्वतीय जनपदों के ग्रामीण अंचलों में विगत लगभग 3 वर्षों से 30 होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी अंशकालिक चिकित्साधिकारियों के रूप में सेवारत हैं । प्रदेश सरकार गरीब जनता को सस्ती चिकित्सा उपलब्ध कराने की दृष्टि से 400 होम्योपैथिक चिकित्सालयों में डाक्टरों की नियुक्ति करने जा रही है । ऐसी स्थिति में उक्त 30 अंशकालिक सेवारत चिकित्सकों की सेवाओं को विनियमित करना मानवीय और नैतिक दृष्टि से नितान्त आवश्यक है ।

अत: जनहित में 400 होम्योपैथिक चिकित्सालयों में चिकित्साधिकारियों की तुरन्त नियुक्ति और उक्त 30 अंशकालिक सेवारत चिकित्साधिकारियों की सेवाओं के विनियमितीकरण के प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाकर सरकार से तुरन्त कार्यवाही की मांग करते हैं ।]

नोट :—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

जनपद बांदा की कर्वी तहसील में सूखे की स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम सजीवन—

[मान्यवर, बांदा जिले की कर्वी तहसील में सोनेपुर लिफ्ट नहर बनकट लिफ्ट नहर, ओरा पम्प कैनाल, राजापुर पम्प कैनाल और चिल्लोमल पम्प कैनाल तथा पयस्वनी डाइवर्ज की नहरों में पूरी क्षमता के साथ पर्याप्त मात्रा में नियमित रूप से पानी नहीं मिलता जिससे सूखा पीड़ित क्षेत्र के किसानों की धान आदि की फसलें पूरी तरह बरबाद हो रही है। बिजली की आपूर्ति व पानी की मात्रा को फर्जी तौर पर बढ़ा कर दिखाया जाता है। बंद व खराब मोटर पम्प को चालू हालत में दिखाया जाता है कागज में जो हेरा फेरी करके नहरों में पानी दिखाया जाता है जबकि किसानों के खेतों में पानी पहुंचता ही नहीं है। लिफ्ट सिंचाई विभाग के झांसी मंडल व जिले के अधिकारी क्षेत्र का फर्जी निरीक्षण दिखाते हैं। मोटर पम्प खराब, नहरें टूटी, नहरों की सिंचाई नदारद ट्रांसफारमर कम पावर के अथवा जले होने से किसानों की दुर्दशा हो रही है। किसानों में बेहद रोष व असंतोष व्याप्त है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर सदन और सरकार का ध्यान आकर्षित करता हूं तथा समस्याओं के तुरन्त निदान की मांग करता हूं।]

जनपद बस्ती की दुबौलिया बाजार तक घाघरा के कटान के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुखपाल पाण्डे—

[मान्यवर, आपके माध्यम से माननीय सदन एवं सरकार का ध्यान एक अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूं।

जनपद बस्ती के विक्रमजोत से दुबौलिया बाजार तक घाघरा के कटान से भयावह स्थिति उत्पन्न हो गई है। माननीय सिंचाई मंत्री के आश्वासन के बावजूद भी बाढ़ सुरक्षा कार्य समय से नहीं प्रारम्भ कराया गया जबकि मंत्री जी ने आश्वासन दिया था नवम्बर, 88 से घाघरा के कटान का बाढ़ सुरक्षा कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा। परन्तु बाढ़ सुरक्षा कार्य जून से शुरू किया गया जिसके कारण बधुआपार, अर्जुनपुर आदि दर्जनों ठोकरे ध्वस्त होकर घाघरा की गोद में समा गई हैं। फर्जी बांस के क्रेटस डालकर अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा खुली लूट की जा रही है। नकटा से मड़सी तथा चपवा से एण्डरघाट बन्धे पर करोड़ों रुपया खर्च करने के बावजूद भी पूरा नहीं हुआ है। रेगुलेटर अधूरे व घटिया किस्म के ह्यूम पाइप खरीद कर लूट की गई है तथा कार्य अभी तक पूरा नहीं किया। बाढ़ खण्ड प्रथम बस्ती के अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा घाघरा के कटान तथा बंधे में लूट करने से जनता में काफी रोष व आक्रोश की स्थिति उत्पन्न हो गई। यही नहीं जो स्थानीय ठेकेदारों ने कार्य किया उनका भुगतान भी दो-दो वर्षों से नहीं किया गया जिसके कारण बाढ़ सुरक्षा कार्य ठप पड़ा है। अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा स्वयं ठेकेदारी की जा रही है।

अतः मैं आपके माध्यम से सदन से अनुरोध करता हूं कि जांच कराकर दोषी अधिकारियों व कर्मचारियों को दण्डित किया जाय तथा बाढ़ सुरक्षा कार्य युद्ध स्तर पर कराया जाये।]

नोट :—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जिला सहारनपुर के थाना सरसावां में बाल्मीकि लोगों की हत्या के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम शरण दास—

[मान्यवर, दिनांक 10 सितम्बर, 1989 को ग्राम असदपुर थाना सरसावां जनपद सहारनपुर के एक गिरोह ने रात्रि के करीब 8 बजे पुलिस सरसवां और क्षेत्रीय विधायक की साजिश से ग्राम में रहने वाले 6 बाल्मीकियों की हत्या कर दी और कई को घायल कर दिया, उक्त ग्राम में दो पार्टियां हैं । एक का संबंध क्षेत्रीय विधायक से है और दूसरी पार्टी जिसमें बाल्मीकि व हरिजन लोग हैं का सम्बन्ध ग्राम प्रधान श्री रामपाल से है । क्षेत्रीय विधायक की पार्टी बाल्मीकियों से रंजिश रखती है और मकदमे बाजी भी है । चूंकि इन दोनों पार्टियों में फैसले की बातें चल रही थी जो क्षेत्रीय विधायक और उसके गुन्डों को पसंद नहीं थी । इसी कारण क्षेत्रीय विधायक और सरसवां पुलिस ने घूस लेकर यह घीनौना काण्ड करा दिया है गरीब बाल्मीकियों की हत्या से पूरे जनपद ही नहीं आस-पास के जनपदों में भी जन आक्रोश व्याप्त है जनता आन्दोलित है ।

अत: मैं सरकार का ध्यान सदन के माध्यम से आकर्षित करता हूं कि इस काण्ड से संबंधित मुल्जिमों को सख्त से सख्त सजा दिलाई जाय और मृतकों को एक-एक लाख रुपया तथा घायलों को 25-25 हजार रुपया दिया जाये और बाल्मीकियों की सुरक्षा का प्रबन्ध किया जाय ।]

जनपद देवरिया के भटनी ब्लाक की ग्राम सभा खजूरी करौता में खड़ंजा की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

चौधरी महाराज सिंह—

[मान्यवर, आपका ध्यान जनपद देवरिया विकास खण्ड भटनी के अन्तर्गत ग्राम सभा खजूरी करौता में नाबदान की पानी की निकासी व गांव में खड़ंजा कराये जाने की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं ।

ग्राम सभा खजूरी करौता में नाबदानों की पानी का कोई निकास की व्यवस्था नहीं है जिससे नाबदान का पानी बराबर ग्राम में ही जमा रहता है और लोगों को आने व जाने में बड़ी असुविधा होती है । पानी के जमाव से अनेकों बीमारियां फैलती हैं और लोग बीमारी के शिकार होते हैं जिससे लोग अपनी अंतिम दम भी तोड़ देते हैं । इस गांव में अभी तक खड़ंजा भी नहीं कराया गया है । गांव में नाबदानों का पानी नालियां द्वारा व गांव में खड़ंजा न कराये जाने से लोगों में रोष एवं क्षोभ व्याप्त है विशेषकर खजरी टोले में यह समस्या है ।

अत: इस अति अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले को मा0 सदन के संज्ञान में लाकर यह मांग करता हूं कि उपरोक्त ग्राम सभा खजुरी करौता में नाबदानों के पानी की पक्की नाली द्वारा समुचित व्यवस्था व गांव में तत्काल खड़ंजा कराया जाय ।]

जिला देवरिया की देवरिया रजबहा नहर की अनुपयुक्तता के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रमाकान्त—

[मान्यवर, आपका ध्यान देवरिया जनपद के देवरिया रजबहा में से ग्राम सभा माड़ीपार के सामने से बभनी ग्राम सभा होते हुए ग्राम सभा खजरी करौता को जाने वाली माइनर की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं ।

नोट :—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

यह माइनर किसी भी स्थिति में जहां से निकाली गयी है और जहां तक गयी है। उसके आस-पास के भूमि की सिंचाई नहीं कर सकती है। वह बड़ा ही अनुपयोगी माइनर है। जिसकी वजह से किसानों की बहुत क्षति हो रही है यातायात की असुविधाएं हैं, रोगी को ले जाने व ले आने में बड़ी असुविधा होती है फलस्वरूप रोगी रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं। ऐसी घटनाएं अक्सर होती रहती है। बच्चों को स्कूल आने व जाने में भी बड़ी कठिनाई होती है। अगर इस माइनर को निरस्त कर सड़क बना दिया जाय तो यातायात की सुविधाएं उपलब्ध हो सकती हैं। इस सड़क के न होने से लोगों में आक्रोश व्याप्त है।

अतः इस अति अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले को मा0 सदन व सरकार के संज्ञान में लाकर मांग करता हूं कि उपरोक्त माइनर को तत्काल निरस्त कर सोनघाट से बभनी ग्राम सभा को आने वाली सड़क से लेकर ग्राम सभा खजुरी करौता होते हुए बैकण्ठपुर से खुखुन्द को जाने वाली सड़क में मिलाकर यातायात की सुविधा उपलब्ध कराई जाय।]

उप श्रमायुक्त, गाजियाबाद द्वारा भवनों के आवंटन के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री महेन्द्र भाटी—

[मान्यवर, सन् 1980 में केन्द्र सरकार द्वारा एक करोड़ चालीस लाख रुपया में 1972 भवन निर्मित कराकर उप श्रमायुक्त, गाजियाबाद के माध्यम से मजदूरों को आवंटित 650 भवनों का आवंटन फैक्ट्री मजदूर राज्य एवं केन्द्रीय अल्पवेतन भोगी कर्मचारी दैनिक मजदूर रिक्शा चालक आदि जिनकी संख्या तीन हजार है, आवास हेतु दे दिये गये। यह लोग पिछले 10 वर्ष से भवन में आबाद हैं। उनसे न तो कोई किराया लिया जा रहा है और न ही वैधानिक रूप से इनका आवंटन हुआ। इन भवनों पर पानी, बिजली के स्थायी कनेक्शन नाम कर दिये गये हैं। सारे निवासियों के क्वार्टर अधर में लटके हुए हैं। अपने को अस्वस्थ एवं असुरक्षित महसूस करते हैं। ऐसी परिस्थिति में जीवन अन्धकारमय है। काफी रोष व आक्रोश व्याप्त है।

अतः आपसे मेरा अनुरोध है कि इन भवनों का आवंटन विधिवत् कर कब्जेदार के नाम कर दिया जाये।]

आजमगढ़ शहर में शौचालय एवं सफाई की व्यवस्था दुरुस्त किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री दुर्गा प्रसाद यादव—

[मान्यवर, जनपद आजमगढ़ की आबादी लगभग एक लाख हो गयी है। नगर-पालिका क्षेत्र आजमगढ़ में शौचालय, पेशाबघर की व्यवस्था बस स्टैण्ड को छोड़ कर किसी मोहल्ले में नहीं है। जिससे जनता को अपार कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। नगरपालिका स्थित नालों एवं नालियों की सफाई प्रतिदिन नहीं की जाती है, फलस्वरूप गन्दगी होने के कारण समस्त वातावरण दूषित हो जाता है। लोग अक्सर बीमार हो जाते हैं। शहर आजमगढ़ के मोहल्ला हर्रा की चुंगी, जोधीपुरा पाण्डे बाजार, पहाड़पुर मुकरी गंज, गुलामीपुरा, रैदोपुर मड़या, चकला, एलवल आदि इन मोहल्लों में शौचालय न होने से औरतों व बच्चों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। इन मुहल्लों में शौचालय की व्यवस्था आवश्यक है। रोड लाइट व गली में हमेशा अंधेरा बना रहता है अक्सर औरतों

नोट :—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

की सिकड़ी व औरतों के साथ छेड़-छाड़ की घटनाएं होती रहती हैं। बिजली की व्यवस्था ठीक प्रकार से नहीं है।

अतः आपके माध्यम से शासन से मांग करता हूं कि शहर आजमगढ़ में प्रत्येक मोहल्ले में एक शौचालय का निर्माण कराया जाय तथा रोड तथा गली में लाइट व्यवस्था करायी जाय जिससे जनता को राहत मिल सके।]

जनपद आजमगढ़ की सगड़ी तहसील में घाघरा नदी की कटान से हुए नुकसान के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम जनम—

[मान्यवर, आपकी आज्ञा से अविलम्बनीय लोक महत्व की तरफ माननीय सदन का ध्यान आकृष्ट करते हुये कहना चाहता हूं कि जनपद आजमगढ़ की सगड़ी तहसील के ग्राम रोशनगंज, उदाँहा, देवाराखस राजा आदि ग्रामों को घाघरा नदी के कटान के कारण लगभग 200 मकान नदी की धारा में विलीन हो गये और कटाव भयंकर रूप से जारी है, अगर सरकार कटाव रोकने के लिये प्रभावी कदम नहीं उठायेगी तो निकट भविष्य में लगभग पचासों हजार की आबादी वाले गांव नदी में हो जायेंगे।

अतः मैं आपकी आज्ञा से सरकार से मांग करता हूं कि कटाव से प्रभावित लोगों के बसाने की व्यवस्था आर्थिक सहायता, जानवरों को चारा की व्यवस्था तथा तुरन्त कटाव रोकने के निर्देश देने की कृपा करें।]

जनपद गोण्डा के उतरौला क्षेत्र के सैलाबी क्षेत्र में अनुदान वितरण में धांधली के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री फसीउर्रहमान उर्फ मुन्नन खां—

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से एक अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर माननीय सदन एवं सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि जिला गोण्डा विधान सभा क्षेत्र उतरौला के तीन विकास खण्डों में सैलाबी क्षेत्र का जो अनुदान के रूप में गेहूं बंटने का 21-9-80 को प्रारम्भ हुआ है उसमें पचास प्रतिशत पत्थर की कंकड़ी की मिलावट है। यह भण्डा, उक्त तिथि को ग्राम सभा फतेहपुर के लोगों को जब दिया गया तो यह भण्डाफोड़ मिलावट का उस समय हुआ। श्री मसरूर जाफरी, पूर्व विधायक ने गडास बुजुर्ग में पुरैना बुलन्द स्टोर पर भी मिलावट पकड़ी जिसकी सूचना शासन व प्रशासन को दिया। यह पत्थर की मिलावट मार्केटिंग के एस0 एम0 आई व राजस्व के वितरण करने वालों ने मिलजुल कर किया है तथा कम तौल भी की जा रही है। यह सारा मिलावट का काम एस0 एम0 आई0 उतरौला और राजस्व के वितरण कर्मचारियों ने मिल-जुल कर किया है। इससे जनता में असंतोष व्याप्त है। इस बढ़ती हुई मंहगाई में सैलाबी क्षेत्र के किसानों और मजदूरों के साथ घोर अन्याय है।

अतः मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि उपरोक्त सभी दोषी अधिकारी व कर्मचारियों के विरुद्ध मुकदमा कायम कर कार्यवाही की जाय तथा पुनः उक्त क्षेत्र में शुद्ध गेहूं बंटवाया जाय।]

नोट :—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद मुरादाबाद की हसनपुर तहसील में गंगा बांध के ऊपर खड़ंजा लगाये जाने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री कौशिक रमाशंकर—

[मान्यवर, गंगा नदी की बाढ़ से बचाव हेतु तहसील हनसपुर, जिला मुरादाबाद में गंगा बांध का निर्माण किया गया है उक्त बांध का वह भाग, जो सिगरी ग्राम से शेरपुर ग्राम तक है, हर वर्ष बरसात में बहुत ही असुरक्षित हो जाता है। गंगा बाढ़ में उसके टूटने की आशंका बनी रहती है। उसके बचाये रखने के लिए प्रति वर्ष अतिरिक्त धन व्यय किया जाता है। इसके अतिरिक्त 4-5 किमी0 गंगा बांध का भाग बीसों ग्रामों के लिए सम्पर्क मार्ग बना हुआ है। बांध को सुरक्षा, प्रति वर्ष के अतिरिक्त रख-रखाव खर्च को बचाने तथा बीसों गांवों के निवासियों की सुविधा देखते हुए बांध के संदर्भित भाग के ऊपर खड़न्जे का निर्माण अति आवश्यक है।

अतः श्रीमान् जी, इस सदन के माध्यम से मैं मांग करता हूं कि सिगरी ग्राम से शेरपुर ग्राम तक गंगा बांध पर खड़ंजा का निर्माण अविलम्ब कराया जाये।]

प्रदेश के बीड़ी मजदूरों की दयनीय स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मुहम्मद आजम खां—

[मान्यवर, उत्तर प्रदेश में लगभग 20 लाख बीड़ी मजदूरों के जीवन से सरकार ने खिलवाड़ करके उन्हें जबरन मरने पर मजबूर कर दिया है, बीड़ी बनाने का पत्ता तीन महीने पूर्व केवल चार रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से मिलता था सरकार ने पत्ते के जंगलात का निगम बना कर पत्ते की कीमत को आसमान तक पहुंचा दिया और पत्ता इस समय 20 रुपया प्रति किलोग्राम मुश्किल से मिल पा रहा है। इसमें 16 प्रतिशत की सेल टैक्स अलग से लग रहा है। बीड़ी के उद्योगपतियों ने बीड़ी का काम बन्द कर दिया है जिसका नतीजा यह है कि बीड़ी बनाने का काम नाममात्र रह गया है।

समाज के इस शान्तिपूर्ण वर्ग को, जो न काम रोक सकता है और न हड़ताल कर सकता है, सरकार बरबाद करने पर उतारू है।

जल्द से जल्द निगम तोड़ा जाये और बीड़ी उद्योग को बचाया जाये अन्यथा भूखा मर रहा बीड़ी श्रमिक सड़कों पर आन्दोलित होकर आ जायेगा।]

प्रदेश के राजस्व संग्रह अमीनों को प्रोन्नति वेतनमान देने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री बलराम यादव—

[मान्यवर, आपकी आज्ञा से इस निश्चित अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश राजस्व संग्रह अमीन संवर्ग को 6 वर्ष सेलेक्शन ग्रेड के वेतन मान प्राप्त करने के पश्चात् प्रोन्नति वेतनमान देने का प्रावधान किया गया है। प्रदेश के सारे राजस्व अमीनों को प्रोन्नति वेतन मान का लाभ अभी तक नहीं दिया गया तथा इसे न दिये जाने का कोई औचित्य भी नहीं दर्शाया गया है जिसके कारण यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि कितने समय तक शासन इस कार्य को पूरा करेगी। इस अन्यायपूर्ण कार्य से प्रदेश के समस्त अमीनों में क्षोभ व्याप्त है।

नोट—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अत: इस अविलम्बनीय लोक महत्व के निश्चित विषय को सदन के संज्ञान में लाकर कार्यवाही की मांग करता हूं ।]

डाक्टर नगेन्द्र नाथ श्रीवास्तव, चिकित्साधिकारी की प्रोन्नति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

डाक्टर बंगाली सिंह—

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सम्मानित सदन का ध्यान इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न की ओर आकर्षित करना चाहता हूं ।

डाक्टर नगेन्द्र नाथ श्रीवास्तव, चिकित्साधिकारी, मेडिको लीगल सेल, उ0 प्र0 की सतर्कता विभाग एवं विभागीय जांच के कारण पदोन्नति वर्ष 1981 से लम्बित है । डाक्टर श्रीवास्तव दोनों जांचों में निर्दोष पाये गये हैं इसलिये इनके विरुद्ध चल रही सम्पूर्ण कार्यवाही जनवरी, 1989 में समाप्त कर दी गयी है परन्तु अभी तक न तो इनको बकाया वेतन का भुगतान किया है और न ही इनकी पदोन्नति की गयी है । जब कि डाक्टर श्रीवास्तव लोक सेवा आयोग द्वारा वर्ष 1977 में क्रमांक 1012 पर अनुमोदित हैं । इनसे कनिष्ठ लगभग 1,000 चिकित्साधिकारियों की पदोन्नति की जा चुकी है जिनमें से अब कुछ मुख्य चिकित्साधिकारी के पद पर भी प्रोन्नति पाने वाले हैं । डाक्टर श्रीवास्तव को 4 वर्षों तक निलम्बित रखने तथा इनको आठ वर्षों से पदोन्नत न किया जाना अन्याय का प्रतीक है क्योंकि इनका लिफाफा बन्द करके नहीं रखा गया है ।

अत: आपके माध्यम से शासन से मांग करता हूं कि डाक्टर श्रीवास्तव को बकाया वेतन का भुगतान करने एवं लोक सेवा आयोग की वरिष्ठता सूची के अनुसार पदोन्नति अविलम्ब की जाय ।]

वाराणसी जनपद के अराजी लाइन्स व सेवापुरी ब्लाक में महंगीपुर नाले पर पुल निर्माण के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राजकिशोर सिंह—

[मान्यवर, वाराणसी जनपद के आराजी लाइन्स व सेवापुरी ब्लाक अन्तर्गत स्थित भाऊपर-मत्तनपुर मार्ग पर गिट्टी सोलिंग व खड़ंजा का कार्य हुआ है । सड़क दुर्दशाग्रस्त हो गयी है । गिट्टी उखड़ कर बिखर रही है और खड़ंजा टूट-फूट रहा है जिससे सड़क की हालत दयनीय हो गयी है । सड़क पर आवागमन व यातायात कठिन व कष्टदायक हो गया है । इस मार्ग पर कचहरी से हाथी मत्तनपर तक सवारी वाहन चलते हैं तथा रिक्शा, आटो रिक्शा आदि भी चलते हैं । सड़क खराब हो जाने से सवारी गाड़ियों के लिये हर क्षण खतरा बना रहता है । क्षेत्र के विकास के लिये पिच (पक्का) करना अत्यन्त आवश्यक है ।

उक्त मार्ग पर ग्राम मंहगीपुर के पहले पड़ने वाले नाले पर पुल न होने से सवारी गाड़ियों व पैदल चलने वालों को नाना प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ।

अतएव इस अविलम्बनीय लोकमहत्व की सूचना सदन के संज्ञान में लाकर शासन से प्रश्नगत मार्ग को पिच (पक्का) करने तथा उक्त नाले पर पुल निर्माण की मांग करता हूं ।]

नोट—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

जनपद बांदा के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के जनस्वास्थ्य रक्षकों को मानदेय व दवाइयां न मिलने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा—

[मान्यवर, बांदा जनपद के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नरैनी तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, महुवा के अन्तर्गत कार्यरत जन-स्वास्थ्य रक्षकों को 20 माह से मानदेय व दवाइयां न मिलने से जन-स्वास्थ्य रक्षकों में भीषण असन्तोष एवं आक्रोश व्याप्त है । कई बार सैकड़ों जन-स्वास्थ्य रक्षकों ने अधिकारियों के समक्ष प्रदर्शन भी किया है । स्थिति गंभीर होती जा रही है, साथ ही जनता को दवाइयों का लाभ न मिलने से गरीब जनता में भीषण रोष एवं असंतोष व्याप्त है । दवाइयां न वितरित होने से गरीब जनता को दवाइयों का लाभ न मिलने से सैकड़ों लोगों में बीमारियां लगातार बढ़ती जा रही है और असमय मृत्यु जारी है ।

अत: मांग करता हूं कि इस अविलम्बनीय लोकमहत्व के प्रश्न पर तुरन्त कार्यवाही करते हुए जन-स्वास्थ्य रक्षकों को मानदेय एवं दवाइयां वितरित कराई जायें ।]

जनपद बहराइच के हुजूरपुर ब्लाक में मानपुर-चिलबरिया मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मयंकर सिंह—

[मान्यवर, बहराइच जनपद में हुजूरपुर ब्लाक के अन्तर्गत अत्यन्त लोकमहत्व तथा भारी यातायात की सड़क रमवापुर से सिसैय्या वाया हरिहरपुर रैकवारी तथा भानपुर से चिलबरिया रेलवे स्टेशन तक पक्की सड़क का अभी तक निर्माण न कराये जाने से उस पर चलने वाले लाखों यात्रियों, भारी वाहनों को घोर असुविधा होती है । हुजुरपुर ब्लाक की सबसे महत्व व भारी यातायात की यह एकमात्र सड़क है ।

अत: आदरणीय सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि इस लोकमहत्व की सड़क का अविलम्ब निर्माण कराया जाय ।]

जनपद फतेहपुर को सूखाग्रस्त घोषित किये जाने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अचल सिंह—

[महोदय, मैं सदन का ध्यान इस लोकमहत्व के प्रश्न की ओर आकर्षित करते हुये अनुरोध करना चाहूंगा कि जनपद फतेहपुर में पिछले दो सालों में बराबर सूखा पड़ रहा है । इस वर्ष भी पूरे जनपद में बरसात का 20 प्रतिशत भी पानी नहीं बरसा है जिससे पूरे जनपद में धान की रोपाई नहीं हो पाई है । किसान परेशान है और रोजी-रोटी के लिये मोहताज है । ग्रामीण मजदूर भी बेरोजगार हो गया है जिससे लोग काम की तलाश में शहरों की ओर भाग रहे है । जनपद में अधिकतर सरकारी नलकूप बन्द पड़े है । इनका सही रख-रखाव न होने के कारण सिंचाई का भी कोई प्रबन्ध नहीं है । केवल फर्जी आंकड़ों के आधार पर सिंचाई जनपद के अधिकारी दिखा रहे है । नहरों में भी समय से पानी नहीं आता है और यदि आता है भी तो कुलाबा के नीचे बहता रहता है । जिससे सिंचाई नहीं हो पाती यदि किसी नलकूप का ट्रान्सफारमर जल गया है तो दो-तीन महीने से पहले उसे बदलने का

नोट—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

नम्बर ही नहीं आता है । सितम्बर के दो तीन सप्ताह में अचानक भारी बरसात हो जाने से गंगा नदी और पाण्डव नदी की कटरी में तथा पूरे जनपद में जो तिलों की फसल थी वह भी पूरी तरह से नष्ट हो गयी है । इस तरह से जनपद का सम्पूर्ण किसान भूखमरी के कगार पर है ।

अत: मैं सदन से मांग करता हूं कि जनपद फतेहपुर को अविलम्ब सूखाग्रस्त घोषित किया जाय, बन्द नलकूप चलवाये जायं, नहरों में समय से पानी दिलाया जाय, ट्रांसफार्मर की समुचित व्यवस्था की जाय, पूरे जनपद में सूखा राहत कार्य अविलम्ब शुरू कराया जाय तथा किसानों के कर्ज माफ किये जायें ।]

जनपद देवरिया में गण्डक नहरों में पानी आपूर्ति रुकने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सूर्य प्रताप शाही—

[मान्यवर इस वर्ष देवरिया तथा गोरखपुर जनपद में मई, जून, जुलाई के महीने में गंडक नहरों में पानी की आपूर्ति सूर्यपुरा पावर हाउस के निकट नहर टूट जाने के कारण नहीं की जा सकी जिससे किसानों की खरीफ के फसल की सिंचाई के लिये गंभीर संकट का सामना करना पड़ा । सभी किसानों ने वर्षा के पानी से अथवा निजी पम्पिंग सेटों को चलाकर अपने धान और खरीफ के फसल की बोवाई की । किसानों के फसल हो जाने के बाद नहरें चालू हुईं और फिर बन्द हो गईं जिससे किसानों को पूर्णतया बरसात के पानी पर निर्भर रहना पड़ा । इस तथ्य से सिंचाई विभाग और सरकार भी अवगत है किन्तु किसानों द्वारा निजी साधनों के सिंचाई करने के बावजूद सिंचाई विभाग के पतरौल किसानों के खेतों का जबरिया सिंचाई पड़ताल कर रहे हैं जिससे किसानों में रोष व क्षोभ व्याप्त है । एक तरफ तो नहरों में पानी न दिये जाने से किसानों को भारी परेशानी हुई और दूसरी तरफ बिना पानी दिये सिंचाई पड़ताल किया जाना उनके साथ सरासर अन्याय और बेइन्साफी है ।

अत: इस अविलम्बनीय लोकमहत्व के तात्कालिक विषय को सदन के संज्ञान में लाकर किसानों पर जबरिया किये जा रहे सिंचाई पड़ताल को तत्काल रोकने की मांग करता हूं और सरकार से मांग है कि देवरिया, गोरखपुर जिले में गंडक नहरों के अनियमित चलने के कारण खरीफ के फसल के लिये यदि सिंचाई हुई हो तो उसे माफ करने की कार्यवाही करें ।]

उन्नाव नगर पालिका द्वारा सफाई व्यवस्था ठीक न रखने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मनोहर लाल—

[मान्यवर, जनपद उन्नाव में उन्नाव नगरपालिका द्वारा उन्नाव शहर की सड़कों का रखरखाव सही ढंग से न रखने के कारण सभी सड़कें जर्जर हैं । शहर में नालियां है ही नहीं, जो हैं वह कीचड़ों से भरी हुई हैं । पेयजल की व्यवस्था उन्नाव नगरपालिका अभी तक नहीं कर पाई है । जो भी धन शासन ने सड़कों के बनने में दिया है उसका सही उपयोग न करके नगरपालिका, उन्नाव अधिशासी अभियन्ता ने अपनी खाऊ-कमाऊ नीति के तहत मनचाहे लोगों से काम कराकर धन का दुरुपयोग किया है । उन्नाव शहर की सड़के टूटी होने के कारण निकलना मुश्किल है । पूरे उन्नाव शहर में गन्दगी होने से बीमारी फैल रही है ।

अत: सदन का ध्यान आकर्षित कराते हुए उन्नाव नगरपालिका द्वारा सफाई, पेयजल व्यवस्था व सड़कों के बनवाने, नालियों के बनवाने और उनके रखरखाव हेतु अधिक से अधिक धन दिये जाने की मांग करता हूं ।]

नोट—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

गांधी आश्रम के कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन दिये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अकबर हुसैन बाबर—

[मान्यवर, उ0 प्र0 में 25,000 गांधी आश्रम के कार्यकर्ताओं को 5.00 रु0 से भी कम मजदूरी मिल रही है और इस प्रकार उन्हें बंधुवा मजदूर की श्रेणी में रखा जा रहा है । अकबरपुर तथा मेरठ आदि के श्री गांधी आश्रम फैक्ट्री कारखाना एक्ट के अन्तर्गत आते हैं लेकिन अब तक इन गांधी आश्रमों पर फैक्ट्री एक्ट लागू नहीं है । इस प्रदेश के 6 लाख कत्तिनों और बुनकरों को इतनी कम मजदूरी दी जा रही है जो इस प्रदेश के किसी भी कारखाने में नहीं दी जाती है, श्रमिकों का शोषण किया जा रहा है और श्रम नियम लागू नहीं है । शासन से मिलने वाली 25 करोड़ छूट की धनराशि फर्जी हिसाब दिखाकर लूटा-खाया जा रहा है । स्वतंत्रता संग्राम में विदेशी साम्राज्य से लड़ने के लिए बनाई गई संस्था के श्रमिकों को साधारण रूप से श्रमिकों को मिलने वाली सुविधाओं से वंचित कर दिया गया है जिससे इस विभाग के कर्मचारियों में भारी असंतोष है और श्रमिक अशांति पैदा होने का गम्भीर खतरा पैदा होने का भय बन चुका है । मैं मा0 अध्यक्ष की अनुज्ञा से इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाते हुए शासन से मांग करता हूं कि श्री गांधी आश्रमों पर समस्त फैक्ट्री अधिनियमों को लागू किया जाय और कार्यकर्ताओं को न्यूनतम वेतन तथा अन्य सुविधाएं तुरन्त प्रदान की जाय तथा इस विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त किया जाय ।]

जनपद इलाहाबाद में स्व0 नेहरू की प्रतिमा लगाये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी—

[मान्यवर, देश की आजादी और विकास के प्रतीक स्व0 प्रधान मंत्री श्री जवाहर लाल नेहरू की अपनी जन्मभूमि में स्मृति के रूप में कोई चीज नहीं है । जहां पूरे देश में अब नेहरू शताब्दी वर्ष बड़े ही उत्साह से मना रहे हैं वहीं पर उनके स्मृति में हम आज भी चूक जायं तो सारा नेहरू शताब्दी वर्ष का कार्य अधूरा रह जायगा । इस सम्बन्ध में लगातार जन-भावनाओं द्वारा इलाहाबाद में उनकी प्रतिमा लगाने की मांग की जा रही है ।

अत: मैं मांग करता हूं कि आनन्द भवन जहां से नेहरू जी पैदल निकला करते थे, बालसन चौराहे पर नेहरू जी की एक आदमकद प्रतिमा लगाकर करोड़ों जन-भावनाओं का आदर होगा तथा राष्ट्र का गौरव बढ़ेगा ।]

जनपद सिद्धार्थ नगर में राप्ती नदी में नाव दुर्घटना के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री हरिशचन्द्र, हरीश जी—

[मान्यवर, सिद्धार्थ नगर जिले में राप्ती नदी पर स्थित गोठवा घाट एक नियमित घाट है । जहां से प्रतिदिन ग्राम-बांसी-बासीनगर को आते जाते हैं । दिनांक 25 सितम्बर को, जबकि ग्रामवासी, किसान, मजदूर, अध्यापक एवं विद्यार्थी नाव पर बैठकर नदी पार कर रहे थे, दिन के लगभग 9 व 10 बजे के बीच नाव डूब गयी, अभी तक दो लोगों की मृत्यु प्रमाणित हो सकी है तथा शेष कई लोग लापता हैं । इस दुर्घटना से आसपास के बहुत

नोट—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

बड़े क्षेत्र में लोगों में भय व्याप्त हो गया है । उल्लेखनीय है कि आवागमन के लिए मख्य सड़क बांसी–इटवा मार्ग पर इस घाट के निकट जिगिनिहवा के पास विगत बाढ़ में कटकर कण्ड हो गया है । शेष बचा नदी का यही एक मार्ग आवागमन के लिये सुलभ था । जिस पर यह दुर्घटना हो जाने के कारण लोगों का आवागमन अवरुद्ध हो गया है ।

अत: इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाकर मैं मांग करता हूं कि :—

1—प्रत्येक मृतकों के आश्रितों को 20-20 हजार रु0 की सहायता दी जाय ।

2—लापता लोगों का पता लगाया जाय ।

3—दुर्घटना के कारणों की जिलाधिकारी द्वारा जांच कराई जाय और शेष व्यक्तियों को दंडित किया जाये ।

4—इस घाट पर बड़ी नाव चलाने का निर्देश दिया जाय ।

5—बांसी–इटवा मार्ग के जिगिनिहवा पर होने वाले कटान को शीघ्र ठीक करवाया जाय ।]

जनपद मऊ के मधुबन बाजार की जल निकासी व्यवस्था के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री विष्णु देव—

[मान्यवर, दिनांक 18-10-88 को जनपद आजमगढ़ की ग्राम विकास अभिकरण की प्रबन्धकारिणी समिति की बैठक में मधुबन बाजार (शहीद नगर) में गन्दे जल निकासी हेतु पक्की नाली के लिये सर्वसम्मति से 6,64,000 रुपया स्वीकृत हुआ और विधायकों को लिखित सूचना में बताया कि उक्त पक्की नाली निर्माण हेतु 1,66,000 रुपया प्रान्तीय खंड को देकर निर्देश दिया गया कि दिये गये धन का उपभोग कर अगली मांग करें । परन्तु अब तक एक पैसा नहीं दिया गया । इस कार्य के लिए स्वीकृत पैसा मनमाने ढंग से व्यय कर दिया गया है, जिससे स्थानीय जनता में बहुत ही आक्रोश एवं असन्तोष पैदा हो गया है ।

अतएव इस अविलम्बनीय लोकमहत्व के प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाकर उक्त पक्की नाली निर्माण हेतु स्वीकृत धन दिये जाने की मांग करता हूं ।]

पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों को उनके गृह जनपद के निकट न नियुक्त किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अंतर्गत सूचना

श्री हरदेव—

[मान्यवर, मैं आपका ध्यान लोकमहत्व के महत्वपूर्ण विषय की ओर जनहित में लाना आवश्यक समझता हूं । उत्तर प्रदेश शासन के गृह विभाग में यह कानून पास किया है कि

नोट—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

सीमावर्ती जनपद या सीमावर्ती प्रांत सरहदी क्षेत्र में किसी भी पुलिस अधिकारी, थानाध्यक्ष एस0 पी0, डी0 आई0 जी0 को सरहदी जनपद और प्रान्त के सटे प्रान्त के निवासी की सीमा से लगे प्रान्त में या जनपद में नियुक्ति नहीं की जायगी और तीन वर्ष से ज्यादा एक स्थान पर नहीं रखा जाएगा, क्योंकि जनपद प्रान्त से लगे हुए बार्डर से प्राय: अपराध और चोरी डकैती तस्करी अन्तरप्रान्तीय तथा अन्तर जिला में अपराध बढ़ते हैं और इस प्रकार तैनात पुलिस अधिकारी अपराधों की तथा तस्करों को रोकने में विफल हो गये हैं ।

मैं मंडल वाराणसी गोरखपुर में तैनात सीमावर्ती प्रान्त बिहार के नियुक्त सभी पुलिस कर्मी और डी0 आई0 जी0 आदि को तत्काल हटाने की मांग करता हूं क्योंकि इन लोगों के यहां रहने की अवधि तीन वर्ष से अधिक हो गयी है तथा इनके कारण तस्करी, डकैती, हत्या, कत्ल आदि जुर्म मध्य प्रदेश, बिहार, नैपाल से रोकने के बजाय काफी बढ़ गया है ।

अत: लोकमहत्व के प्रश्न को स्वीकार करते हुए इन सभी को तत्काल सरहदी सीमा उत्तर प्रदेश से वाराणसी मण्डल से हटाने की मांग करता हूं ।]

जनपद फैजाबाद में राम की पौड़ी के निर्माण में घपले के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अवधेश प्रसाद—

[माननीय अध्यक्ष जी, मेरे जनपद फैजाबाद में अयोध्या में सरजू नदी के तट पर राम की पौड़ी का निर्माण हुआ है जिसका उद्घाटन मुख्य मंत्री जी ने अभी हाल ही में किया है । तीन महीना भी नहीं बीतने पाया कि यह नव निर्मित राम की पौड़ी की समस्त सीढ़ियां धंस गयी, बन्धे टूट गये और समस्त राम की पौड़ी छिन्न-भिन्न हो गयी । जहां पर इस समय स्नान करना खतरनाक हो गया है ।

विडम्बना है कि इस राम की पौड़ी के निर्माण के लिए प्रधान मंत्री सचिवालय से (आर्कीटैक्ट) वास्तुविद् अनुमोदित होकर आया था, जिसने लगभग दो करोड़ रुपये लिया था और यह परियोजना का अनुमानित लागत पहले दो करोड़ की थी, लेकिन तैयारी लागत 10 करोड़ 56 लाख 772 रुपये आया । राम की पौड़ी धंस जाने से प्रदेश व देश के तमाम श्रद्धालु स्नान करने आते हैं, तो स्नान से वंचित रह जाते हैं और उन्हें बहुत ही निराशा एवं सरकार के प्रति अविश्वास पैदा होता तथा स्थिति विस्फोटक होती जा रही है । निश्चित रूप से इसके निर्माण में बड़े स्तर से लेकर नीचे तक घपला किया गया है । यह मामला अविलम्बनीय लोकमहत्व का है ।

मैं मांग करता हूं कि आयोग गठित करके इसकी जांच की जाय और दोषी पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलाया जाय ।]

नोट—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

आगरा व फिरोजाबाद जनपद के ग्रामीण अंचलों में इण्टर व डिग्री कालेज खोलने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री चन्द्रभान मौर्य—

[मान्यवर, आगरा तथा फिरोजाबाद जनपदों से चंबल, जमुना, डंटगन, करबन तथा सिरसा नदियां गुजरती हैं--इन नदियों के किनारे बसे हजारों गांव के विद्यार्थी पढ़ते हैं । जूनियर हाईस्कूल तक पढ़ने की करीबन सुविधायें उपलब्ध हैं किन्तु माध्यमिक तथा स्नातक स्तर की सुविधायें आगरा, फिरोजाबाद, शिकोहाबाद जैसे को छोड़कर ग्रामीण अंचलों में नितांत अभाव के कारण और इन बड़े शहरों में छात्रों की दिन प्रति दिन बढ़ती हुई अधिक संख्या के कारण ग्रामीण क्षेत्रों के हजारों गरीब छात्र प्रवेश के अभाव में उच्च शिक्षा से वंचित रहने के कारण इनका जीवन विकासहीन हो गया है ।

अतः मान्यवर, इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय को सदन के संज्ञान में लाकर मैं एक राजकीय इण्टर कालेज खंदौली में, एक डिग्री कालेज पचोखरा में, एक राजकीय कन्या इण्टर कालेज एतमादपुर में, एक राजकीय इण्टर कालेज नगलाबीच में, एक डिग्री कालेज सिरसागंज में, एक डिग्री कालेज बाह तथा एक डिग्री कालेज जगनेर में तथा एक राजकीय कन्या इण्टर कालेज समशाबाद में खोलने की मांग करता हूं ।]

जनपद झांसी के समथर कस्बे में विद्युत् उपकेन्द्र खोलने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

कुंवर मानवेन्द्र सिंह—

[मान्यवर, झांसी जिले के समथर कस्बे में 33 के0 बी0 का विद्युत् सब-स्टेशन बनना स्वीकृत किया जा चुका है जिसकी अत्यधिक आवश्यकता थी परन्तु अभी तक उसके निर्माण का कार्य प्रारम्भ नहीं किया जा सका है, विद्युत् की क्षेत्र भर में अबाधित आपूर्ति के कारण क्षेत्रीय जनता में भयंकर रोष व क्षोभ व्याप्त है ।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर शासन से आवश्यक कार्यवाही कर समथर में 33 के0 बी0 का विद्युत् सब-स्टेशन अतिशीघ्र स्थापित किये जाने की मांग करता हूं ।]

जनपद हरदोई के कस्बा माधोगंज के स्व0 श्री शिवरत्न लाल शर्मा टाटधारी को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी दिखाये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री काशी सिंह ऐरी—

मान्यवर, जनपद हरदोई के कस्बा माधोगंज निवासी स्व0 श्री शिवरत्न लाल शर्मा टाटधारी को फर्जी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी दिखाकर उनके स्मारक के नाम पर एक लाख रुपया मुख्य मंत्री द्वारा अगस्त, 1989 में स्वीकृत किया गया है । उनके स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सम्बन्धी तथ्य को प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही कर स्वीकृत धनराशि वापस लिये जाने की मांग करता हूं ।]

नोट—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

इलाहाबाद विकास प्राधिकरण में व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राज बहादुर—

[महोदय, इलाहाबाद विकास प्राधिकरण में इस समय व्यापक भ्रष्टाचार व्याप्त है भ्रष्टाचार की स्पष्ट शिकायतों के बावजूद वरिष्ठ अधिकारी कान में तेल डाले पड़े हैं जिससे उसमें उनकी भी मिलीभगत की बू आती है । इस सम्बन्ध में विधायक जवाहर सिंह यादव ने नीम सराय कसारी मसारी तथा देवघाट लवा आवास योजनाओं में बिना टेंडर, बिना स्वीकृति के घटिया, निम्न स्तर का कार्य सारे नियमों को ताक पर रखकर कराये जाने की शिकायत की । 26-8-89 को मुख्य अभियन्ता द्वारा जांच किये जाने पर नीम सराय में लगभग 50 लाख रुपये की सड़कों, नालियों का निर्माण बिना टेंडर कराये ही पूर्ण पायी गयी जो स्वयं में घटिया स्तर की थीं । इसी प्रकार कसारी मसारी में बिना स्वीकृति के अल्प आय वर्ग तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हेतु निर्माणाधीन 74 भवनों में भी निम्न और घटिया स्तर के मसालों का प्रयोग पाया गया । यह अपने आप में संबंधित अधिकारियों के प्रति घोर अनियमितता तथा भ्रष्टाचार का उदाहरण होने के बावजूद अभी तक इनको निलम्बित न किया जाना आश्चर्य-जनक है ।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय को सदन के संज्ञान में लाकर तत्काल दोषी अभियंताओं को निलम्बित करके कार्यवाही किये जाने की मांग करता हूं ।]

जिला फिरोजाबाद में सूखे की स्थिति में नलकूपों को विद्युत् व्यवस्था के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रघुबर दयाल वर्मा—

[मान्यवर, माननीय सदन के संज्ञान में लाते हुए खेद है कि वर्ष 1985 में सूखा की विशेष परिस्थितियों में फिरोजाबाद तहसील में निजी नलकूपों के लिये काश्तकारों ने कनेक्शन स्वीकृत कराये, जिसमें मार्च, 1988 तक 246 काश्तकार ऐसे बचे जिनके नलकूपों के अनुबन्ध होने के बाद लाइन आर्डर मिलने के बाद खम्भा तार आदि नहीं मिला । जून, 1988 में 30 अनुबन्धित नलकूपों को तार खम्भा दिये गये और अब इस समय सितम्बर, 1989 में 106 अनुबन्धित नलकूप काश्तकार ऐसे हैं जिन्हें तार खम्भा प्राप्त नहीं हो रहे हैं और उन्हें बिजली के मोटर पम्प और बोरिंग के लिये उधार रकम पर ब्याज अदा करनी पड़ रही है जिससे किसानों की कमर टूटती है ।

[मान्यवर, वर्ष 1988 और 1989 काश्तकारों को निजी नलकूपों के लिये कोई कनेक्शन नहीं दिये गये जबकि उद्योगों में बिजली के कनेक्शन निरन्तर दिये जा रहे हैं । काश्तकारों के साथ यह सौतेला व्यवहार सहनीय नहीं है । इतना ही नहीं वर्ष 1987, 1988 और 1989 में विद्युतीकरण के लिये फिरोजाबाद में चयनित ग्रामों में से एक का भी विद्युतीकरण अभी तक नहीं हुआ है क्योंकि तार खम्भा विभाग के पास नहीं है । इस स्थिति में भी 20 सूत्रीय कार्यक्रम में प्रथम स्थान प्राप्त कर लेना एक सोचनीय पहलू है ।

नोट—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

अस्तु माननीय सदन से आग्रह करता हूं और आपसे यह अनुरोध है कि आप सरकार को आदेश दें कि वह वर्ष 1987 के अनुबन्धित काश्तकारों के नलकूपों को तत्काल बिजली मुहैया कराये और वर्ष 1986 से 1989 तक फिरोजाबाद में विद्युतीकरण कराया जाय और अनुबन्ध के बाद बिजली न देने के सम्बन्ध में विद्युत् परिषद् के खिलाफ कार्यवाही की जाय ।]

जिला अल्मोड़ा के द्वाराहाट ब्लाक में जवाहर योजना अनुदान वितरण में धांधली के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ—

[मान्यवर, निवेदन है कि मैं आपके माध्यम से नियम 301 के अन्तर्गत इस सदन के संज्ञान में एक महत्वपूर्ण सूचना देना चाहता हूं ।

महोदय, ग्राम डोटल गांव, ब्लाक द्वाराहाट जनपद अल्मोड़ा के अधीन निर्धन वर्ग आवास जवाहर योजना के अन्तर्गत भवन निर्माण हेतु अनुदान स्वीकृत किये जाने के संबंध में किशन राम पुत्र स्व0 श्री भौनराम जो कि एक हरिजन अभ्यर्थी व ग्रीन कार्ड धारक है को उक्त योजना में लाभान्वित करना सर्वथा उचित था लेकिन वहां पर ग्राम प्रधान व कुछ प्रभावशाली व्यक्तियों द्वारा उक्त योजना का लाभ ग्रामसभा की मीटिंग में पास कर, किसी अनुपयुक्त अभ्यर्थी को देना शासन की नीतियों तथा नियमों का पूर्णतया उल्लंघन है । इस सम्बन्ध में कई पत्र मा0 नेता विरोधी दल, उ0 प्र0 विधान सभा द्वारा भेजे जा चुके हैं लेकिन इसका लाभ समुचित व्यक्ति को नहीं दिया जा रहा है जो कि हरिजनों के लिये खुले आम नीतियों के खिलाफ है ।

अतः मैं इस महत्वपूर्ण लोक अविलम्बनीय महत्व के प्रश्न को, जो कि सरकार की नीति के खिलाफ हरिजनों की पूर्णतया उपेक्षा है, को इस माननीय सदन के संज्ञान में आपके माध्यम से इस सूचना के तहत लाना चाहता हूं ताकि यह माननीय सदस्य इस विषय पर अपना सही निर्णय देकर उचित अभ्यर्थी को नियमानुसार इस योजना से लाभान्वित कर सकें ।]

अलीगढ़ जनपद के खैर क्षेत्र में पीने के पानी की कमी के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जगवीर सिंह—

[मान्यवर, अलीगढ़ जनपद के खैर क्षेत्र विधान सभा में जल निगम की जल आपूर्ति की व्यवस्था अपूर्ण एवं दोषपूर्ण होने के कारण जनता पेयजल संकट से ग्रस्त है मालव ग्राम की पानी की टंकी से आस पास के ग्राम जैदपुरा में मेकागढ़ी, रामगढ़ी, ऊंटासन उदयवारा, जल्दगढ़ी बड़ी मालवा, थौथोली, दोवऊबाका, दाजिदपुर, गौरव्ला, फैजाबाक आदि गांवों की जल आपूर्ति होती है परन्तु पाइप लाइनों की खराबी प्रेशर कम होने के कारण पानी समुचित मात्रा में मिल नहीं पा रहा है । इसी प्रकार जरतोला ग्राम स्थित पानी की टंकी से मावक गांव शाहनगर, सोरोला, खेरियाखुर्द, सलेमापुर, बैरमर्ग, कानपुर, कल्याणपुर, हरसुख की नगलिया की जल आपूर्ति नहीं हो पा रही है तथा बाजौत ग्राम स्थित पानी की टंकी से ग्राम रसूलपुर, मामलपुर डाडानगला, निगुहा, सिगुहा खेड़ा किशून चमर नगरिया, मांट नगला आदि से जल आपूर्ति नहीं हो रही है । सुजानपुर की टंकी से चमन विश्यातगढ़ी नगरिया, गौतम, सुजानपुर, दमकोला, बांकने विसायत गढ़ी आदि गांवों को पानी नहीं पहुंच रहा है उक्त सभी गांवों में गंभीर पेयजल का संकट है ।

नोट—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

अतः उक्त अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर सरकार का ध्यान आकर्षित कर कार्यवाही की मांग करता हूं ।]

जनपद लखनऊ के थाना अलीगंज में शेखपुरा कालोनी में श्रीमती विमला नामक महिला को जलाकर मारने के संबंध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम चन्द्र शर्मा—

[महोदय, दिनांक 9 सितम्बर, 1989 की रात में लगभग 11 बजे अलीगंज लखनऊ स्थित शेखपुरा कालोनी में राधेश्याम चौधरी नामक व्यक्ति जो शक्ति भवन लखनऊ में जूनियर क्लर्क के रूप में कार्यरत है ने अपनी पत्नी श्रीमती विमला को मिट्टी का तेल छिड़क कर आग लगा दी । इस कार्य में श्री राधेश्याम चौधरी का बहनोई, जो जवाहर भवन स्थित ग्राम्य विकास निदेशालय में अधिकारी है सहभागी थे । जलती हुई विमला जब कमरे से निकलकर भागी और चीखने लगी तो मुहल्ले के सैकड़ों लोगों ने उसे देखा और आग बुझाई । विमला ने उपस्थित सैकड़ों लोगों के सामने अनेक बार यह कहा कि उसके पति ने अपने बहनोई और पिता की मदद से उसे आग लगाई है ।

इस घटना की जानकारी तुरन्त फोन पर पुलिस को दी गई तथा बाद में दो बार आदमी भी अलीगंज थाने भेजे गये और बावजूद इसके पुलिस लगभग 1 घंटे के बाद घटना-स्थल पर पहुंची जबकि थाना 1/2 फर्लांग पर है । पहुंचने के बाद भी पुलिस विमला को तुरन्त अस्पताल ले जाने का प्रयत्न नहीं किया वरन् पूछ-ताछ और जांच की आड़ में समय बरबाद करती रही । अस्पताल पहुंचकर पुलिस ने विमला का मृत्यु पूर्व बयान लेने हेतु भी शीघ्रतापूर्वक सूचना नहीं दी संबंधित मजिस्ट्रेट भी सूचना के बावजूद प्रातः 8 बजे के बाद अस्पताल पहुंचे जबकि विमला की मृत्यु हो चुकी थी । इस प्रकार विमला की मृत्यु में पुलिस, डाक्टर तथा मजिस्ट्रेट समान रूप से भागीदार हैं ।

यह भी उल्लेखनीय है कि अभियुक्त श्री राधेश्याम का एक निकट संबंधी पुलिस विभाग में है और अलीगंज में ही तैनात है । वह पूरी शक्ति से घटना के साक्ष्यों को मिटाने तथा गवाहों को डराने-धमकाने तथा हत्या को आत्महत्या का रूप देने में लगा है । ऐसे में अलीगंज पुलिस द्वारा इस घटना की निष्पक्ष जांच सम्भव नहीं है ।

अतः प्रार्थना है कि इस घटना की जांच सी0 आई0 डी0 को दे दिया जाए तथा दोषी पुलिस अधिकारियों, मजिस्ट्रेट तथा चिकित्सकों को कठोर दण्ड दिया जाय ।]

666हरिश्चन्द्र इण्टर कालेज, लखनऊ की प्रबन्ध समिति के भ्रष्टाचार के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री शारदा प्रताप—

[माननीय अध्यक्ष जी, हरिश्चन्द्र इन्टर कालेज लखनऊ की प्रबन्ध समिति/प्रधानाचार्य विभागीय नियमों की अवहेलना कर निहित स्वार्थों में संलग्न है, विद्यालय के विभिन्न लेखों की जांच स्थानीय निधि लेखा संगठन की लखनऊ इकाई ने वर्ष 1984 से 1987 में लाखों रुपयों का घपला पकड़ा है जिसमें शुल्क, आय वेतन वितरण खाते में जमा नहीं है, अंशदान निधि का अपहरण कर लिया, विज्ञान निधि से लाखों रुपये का दुरुपयोग किया । मण्डलीय आडिट इकाई ने जुलाई 1989 में विद्यालय के विभिन्न लेखों का आडिट किया जिसमें प्रबन्धक/प्रधानाचार्य धन के गोलमाल के दोषी पाये गये । मंडलीय आडिट इकाई

नोट—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

की विभिन्न खातों की पास बुकें नहीं दिखाई और सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि किसी भी खाते की रोकड़ बही आज तक भरी नहीं गयी, जिसका स्पष्ट उल्लेख आडिट आख्याओं में है । विद्यालय का शिक्षण कार्य ठप है, छात्रों/हरिजन छात्रों से जबरन फीस लेना, बोर्ड परीक्षा 1990 के फार्मों की चोर बाजारी, कानपुर विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में गत वर्ष खुले आम नकल, अध्यापकों को दो-दो माह वेतन मिलना, वरिष्ठ अध्यापक श्री भगवान शंकर त्रिवेदी को हत्या की साजिश के बावजूद भी शिक्षा विभाग मौन है । यदि सरकार तत्काल शिक्षा संहिता के नियम 16-डी-8 के अन्तर्गत साधिकार नियंत्रक ने नियुक्त किया तो किसी भी समय कोई अप्रिय घटना हो सकती है । अतः इस लोक महत्व के प्रश्न को माननीय सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं ।]

इलाहाबाद नगर में जलभराव की स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अंतर्गत सूचना

श्री अनुग्रह नारायण **सिंह**—

[महोदय, इलाहाबाद नगर में भीषण जल भराव की समस्या से नागरिक त्रस्त है । अल्लापुर, तिलकनगर, जार्जटाउन, टैगोर टाउन, नया बैरहना, मलाकराज आदि मोहल्ले में साधारण वर्षा से भी जल प्लावन की स्थिति हो जाती है । जल निगम ने इन क्षेत्रों में जल भराव की समस्याओं को दूर करने हेतु एक करोड़ 83 लाख की योजना तैयार की थी जो कि लगता है कि कूड़े के ढेर में फेंक दी गयी है । मार्च 87 तथा अभी 89 में भी शासन स्तर पर समस्या समाधान हेतु योजना केन्द्रीय बाढ़ नियंत्रण बोर्ड को भेजी गयी जिस पर कोई कार्यवाही नहो हो सकी । नगर महापालिका से अल्लापुर क्षेत्र में नालों का निर्माण कराया जा रहा है किन्तु बाकी उसी तरह अछूते हैं । अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व की सूचना को सदन के संज्ञान में लाकर तत्काल उपरोक्त क्षेत्रों के जल भराव समस्या को दूर किये जाने की मांग करता हूं]

वन विभाग के वन रक्षकों की पदोन्नति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री कनक सिंह—

[महोदय, मैं आपकी अनुमति से सदन के संज्ञान में यह तथ्य लाना चाहता हूं कि वन विभाग में सहायक वन रक्षकों के पद पर डी0 डी0 आर0 वन रेंजरों की पदोन्नति एवं स्थायीकरण विगत दस वर्षों से नहीं किया गया है । इस संबंध में शासनादेश संख्या 1576 (1) 14-1-15/79 टी0 सी0 वन अनु0 1 दिनांक 28-2-85 द्वारा वन विभाग में कार्यरत डी0 डी0 आर0 वन रेंजरों की सहायक वन संरक्षकों के 50 प्रतिशत पदों पर नियुक्त किये जाने के आदेश हैं । इसके बावजूद प्रोन्नति न दिये जाने के कारण सैकड़ों कर्मचारियों में भयंकर असंतोष व्याप्त है, इससे एक ओर जहां कर्मचारियों का मनोबल गिरा है वहीं उनकी कार्य क्षमता पर भी प्रभाव पड़ रहा है । स्थिति दिनों दिन विस्फोटक होती जा रही है । अतः अनुरोध है कि इस संबंध में तरंत आवश्यक कार्यवाही कराये जाने का कष्ट करें ।]

लखनऊ के ग्राम दौंदा खेड़ा में तारकोल के धुयें से प्रदूषण के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती प्रेमवती तिवारी—

[मान्यवर, ग्राम दौंदा खेड़ा, मानकनगर राजाजीपुरम वार्ड में स्थित श्री कंवर सिंह आत्मज श्री बलखण्डी प्रसाद ठेकेदार के पास इन्हीं का एक बड़ा हाता है जिसमें इनकी ठेकेदारी

नोट—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

का सामान इकट्ठा रहता है, इसी में इनका हाट मिक्स प्लांट का भी सारा सामान इकट्ठा रहता है, रोज ही तारकोल फूंका जाता है और उसमें मिट्टी मिक्स की जाती है ।

जब तारकोल जलाया जाता है उस समय पूरे क्षेत्र में दुर्गंध फैल जाती है और धूआं भी फैलता है । इसका प्रभाव वहां के निवासियों पर बुरी तरह से पड़ रहा है और उनका स्वास्थ्य भी खराब हो रहा है । वहां के निवासियों की आंखों पर प्रभाव पड़ने पर जब डाक्टर के पास गये तो उन्होंने बताया कि तारकोल के धुयें के कारण आंखों पर प्रभाव पड़ रहा है ।

नियमानुसार घनी बस्ती के अंतर्गत इस प्रकार से दुर्गन्ध और धुयें का फैलाला जाना न केवल नियम से परे है बल्कि अपराधनीय है ।

सरकार से साग्रह निवेदन करना चाहूंगी कि लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये और वहां के निवासियों की आंखों को ध्यान में रखते हुये तुरंत रोक लगा दें ।]

क्षेत्रीय विकास विभाग के अन्तर्गत भूगर्भ जल विभाग में प्रथम श्रेणी के रिक्त पदों पर नियुक्तियां न किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती उमा त्रिपाठी—

[महोदय, मैं आपके माध्यम से ग्राम्य विकास मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहती हूं कि क्षेत्रीय विकास विभाग के अंतर्गत भूगर्भ जल विभाग में यांत्रिक संवर्ग के द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों का प्रथम श्रेणी के पद रिक्त होते हुए भी प्रोन्नति नहीं की जा रही है जिससे उत्तर प्रदेश में छिद्रण का कार्य रुका हुआ है । विभाग में तीन यांत्रिक खण्ड होते हुये कोई भी यांत्रिक संवर्ग का अधीक्षण अभियन्ता कार्यरत नहीं है । जबकि दो अधीक्षण अभियंता ज्योलाजी संवर्ग के पद न होते हुए भी कार्यरत हैं । अतः विभाग के कार्य को सुचारु रूप से चलाने हेतु तथा केन्द्रीय परिषद् की तरह डीप रिंगों की भी आवश्यकता है जिससे उ0 प्र0 में गहरे नलकूप लगवाये जा सकें । उनको भी केन्द्रीय सरकार तथा उ0 प्र0 सरकार द्वारा बजट का आवंटन कर क्रय किया जाना अति आवश्यक है जिससे उथले नलकूप के असफल होने पर गहरे नलकूप कार्यरत रहें तथा उ0 प्र0 में सूखे की समस्या का निदान हो सके ।]

सहायक आबकारी आयुक्तों की नियुक्तियों में पक्षपात के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री गौरी शंकर भइया—

[महोदय, प्रदेश के आबकारी विभाग में 24 सहायक आबकारी आयुक्तों का चयन लोक सेवा आयोग ने अपने आदेश सं0 614/3 पी0/एस-3/88-89 दिनांक 14-8-89 द्वारा किया और आबकारी सचिव ने अपने आदेश सं0 2249-ई0-1/तेरह-145/88 दिनांक 22-8-89 द्वारा सभी 24 सहायक आबकारी आयुक्तों की पोस्टिंग की । इन 25 सहायक आबकारी आयुक्तों में से 7 आबकारी सचिव की जाति के हैं और आबकारी सचिव ने दूसरी जाति एवं धर्मों के योग्य, अनुभवी तथा वरिष्ठ एवं सरकार को अधिक राजस्व दिलाने वाले सहायक आबकारी आयुक्तों की अवहेलना कर अपनी जाति के 6 सहायक आयुक्तों की महत्वपूर्ण जनपदों में जिला आबकारी अधिकारी एवं एक को मुख्यालय में ई0 आई0 बी0 का इंचार्ज बना दिया । आबकारी सचिव के संबंध में आज यह आम चर्चा है कि वे जातिवाद का नंगा नाच कर रहे हैं तथा अपनी बिरव्दरी के कर्मचारियों को नियम कानून तोड़कर प्रोत्साहन दे रहे हैं । इस वर्ष नीलामी में जिन तीन जिलों में सर्वाधिक राजस्व वृद्धि का प्रतिशत

नोट—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

रहा, वहां के जिला आबकारी अधिकारियों को पुरस्कृत करने की जगह तीनों की प्रवर्तन एवं सीरा में पोस्ट किया गया जबकि अपनी बिरादरी के लोगों को कम राजस्व एवं घाटे पर नीलामी करने पर अच्छी जगहों पर पोस्ट किया ।

अतः इस अविलम्बनीय लोकमहत्व पर शासन से मांग करता हूं कि इस धांधली की जांच सर्तकता विभाग से करायी जाय ।]

जिला सिद्धार्थनगर में कोहडौरा-त्रिलोकपुर मार्ग पर बनी पुलिया टूट जाने के संबंध में नियम 301 के अंतर्गत सूचना

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

[मान्यवर, जनपद सिद्धार्थनगर के कोहडौरा-त्रिलोकपुर मार्ग व किशुनपुर के बीच में एक पुलिया जो लगभग 5 लाख की लागत को सा0 नि0 वि0 ने 30 जून तक बनायी थी वह 17 जुलाई 1989 की बाढ़ में टूट कर गिर गयी जब कि और बहुत से पुल व जो पहले वह पुल नहीं टूटे । बताया जाता है कि इस पुलिया का निर्माण मानक के आधार पर नहीं किया गया । सा0 नि0 वि0 अधिकारियों व कर्मचारियों ने इसमें निम्न स्तर का मसाला प्रयोग किया । इसके गिरने के बाद ही जिलाधिकारी सिद्धार्थनगर व उच्च अधिकारियों को इन तथ्यों से अवगत कराया किन्त आज तक न तो किसी कर्मचारी के प्रति कोई कार्यवाही की गयी और न पुल के निर्माण की कोई दूसरी व्यवस्था की जा रही है । इसी तरह से सा0 नि0 विभाग द्वारा सिकरी नाले पर गाडेडीह के पासव आकडारी नाले पर पुल का निर्माण तीन जून तक करा देने का निर्देश उच्च अधिकारियों ने दिया था किन्तु वह भी आज तक नहीं पूरा हुआ । इसी तरह इटावा बिसकोहर मार्ग पर 85-86 की स्वीकृत पुलिया भी आज तक नहीं बन पायी है ।

अतएव इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर आपका ध्यान आकर्षित करते हुये मांग करता हूं कि तत्काल इस कार्य को पूरा कराया जाय तथा दोषी अधिकारियों व कर्मचारियों को दण्डित कराया जाय ।]

जिला आगरा की तहसील किरावली में बांध में पानी न होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री बदन सिंह—

[मान्यवर, जनपद आगरा के तहसील किरावली के ग्राम सहेनपुर में नवीनिर्मित बांध भवन को पानी से न भरे जाने के कारण सहेनपुर, मोहम्मदपुर, जालौली, मदनपुरा, मंडी मिर्जा खां, समारा, कुत्त घुरौली सोनोठी, पाली पतसाल व गेलोई आदि ग्रामों की हजारों हेक्टेयर भूमि असिंचित कर किसानों के जीवन से सिंचाई विभाग खिलवाड़ कर रहा है । बांध में जल रोकने पर शीर्ष टूटने के भय से नवनिर्मित बांध निर्माण काल से आज तक रोका ही नहीं गया है वह पानी भरते ही टूट सकता है । चकदारापुर की साइड में बांध अधूरा छोड़ दिया गया है रोलर चला कर उसकी पटरियां मजबूत नहीं बनायी गयी हैं । मजदूरों को मिलने वाला सस्ता गल्ला बाजारों में बेचकर डकार लिया गया है । ऊंचे पैमाने पर बांध निर्माण में हुए भ्रष्टाचार का पर्दा डालने के कारण गत सूखा काल में बांध न भरकर किसानों

नोट—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

को मिलने वाले वांछित लाभ से सिंचाई विभाग ने वंचित कर रखा था। दो वर्षों से होने वाली इस प्रत्यक्ष हानि से किसान दुखी व क्षुब्ध है। उसकी दुर्गति हो रही है। उच्च सिंचाई अभियन्ता भ्रष्टाचार में भागीदारी होने के कारण किसानों की बर्बादी, मूकदर्शी बना कर देख रहे हैं।

इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय को शासन के संज्ञान में लाकर नवनिर्मित बांध के निर्माण की सतर्कता विभाग से जांच तथा दो वर्षों से हुई किसान हानि का मुआवजा दिये की मांग करता हूं।]

महात्मा गांधी मेमोरियल डिग्री कालेज, सम्भल जिला मुरादाबाद में एम0 ए0 उर्दू व हिन्दी की कक्षायें खोले जाने की मांग के संबंध में नियम 301 के अंतर्गत सूचना

श्री शफीकुर्रहमान बर्क—

[मान्यवर, महात्मा गांधी मेमोरियल डिग्री कालेज, सम्भल की प्रबन्ध समिति ने निर्णय लिया था कि उर्दू व हिन्दी में एम0 ए0 कक्षायें खोली जायेंगी जिसके लिये सारी शर्तें भी पूरी कर दी हैं और आवश्यक धनराशि भी जमा है। सन् 1984 से आज तक शासन का ध्यान आकर्षित कराने के बावजूद इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया और न ही कक्षायें खोलने की इजाजत दी गयी। कई बार छात्र धरने पर बैठ चके हैं जनता एवं छात्रों में बेहद रोष व्याप्त है किसी वक्त भी स्थिति खराब हो सकती है।

अतएव इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को सदन व सरकार के ध्यान में लाकर मांग करता हूं कि तुरन्त उर्दू एवं हिन्दी की एम0 ए0 कक्षायें महात्मा गांधी मेमोरियल डिग्री कालेज, सम्भल जिला मुरादाबाद में खुलवाई जायें।]

गन्ना सहकारी समिति, मसौदा जनपद फैजाबाद में लाखों के घोटाले के संबंध में नियम 301 के अंतर्गत सूचना

श्री मित्रसेन—

[मान्यवर, गन्ना सहकारी समिति मसौदा, फैजाबाद में जनवरी 1988 से अब तक विभिन्न मदों में गम्भीर वित्तीय अनुशासनहीनता की गयी है। अध्यक्ष गन्ना समिति ने अपने पद और प्रभाव का दुरुपयोग कर मनमाने ढंग से आर्थिक घोटालों की लीपापोती की है, और निजी स्वार्थ में उन्हें छिपाने के लिए अभिलेखों में बड़े पैमाने पर हेरा फेरी की है अनियमित सामानों की खरीद, गोदामों की चोरी के घोटाले में बड़े पैमाने पर लेन देन और बन्दरबंट करके मामले को रफा-दफा कर दिया है। अपने पद और प्रभाव के दबाव में सारे अपराधों पर पर्दा डाल दिया है। इस प्रकार गन्ना किसानों के लाखों की गाढ़ी कमाई का गन्ना सहकारी समिति मसौदा फैजाबाद में भारी घोटाला किया है और धन का दुरुपयोग कर किसानों को उनकी सुविधाओं से वंचित कर दिया गया।

अतएव मैं आपके माध्यम से इस महत्वपर्ण प्रश्न पर सरकार से जांच की मांग करता हूं।]

नोट—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद झांसी की तहसील मॉठ पर राजकीय कन्या हाई स्कूल खोले जाने के मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अवनीश कुमार सिंह—

[मान्यवर, झांसी जिले के मॉठ तहसील केन्द्र पर राजकीय कन्या हाई स्कूल खोले जाने की अत्यन्त आवश्यकता है । कन्या विद्यालय न होने से बहुत से अविभावक छात्रों के साथ पढ़ाना ठीक नहीं समझते और ऐसे परिवारों की छात्रायें जूनियर हाई स्कूल से आगे शिक्षा जारी नहीं रख पाती है । झांसी में पहले से चल रहे राजकीय महिला दीक्षा विद्यालय बन्द कर दिया गया है । मॉठ की जनता की मांग पर एवं वहां की आवश्यकता को देखते हुए अपर शिक्षा निदेशक महिला ने महिला दीक्षा विद्यालय झांसी को राजकीय कन्या हाई स्कूल मॉठ के रूप में स्थानान्तरित किये जाने की संस्तुति की है मॉठ कन्या हाई स्कूल न होने के कारण वहां की जनता में अत्यधिक रोष व क्षोभ व्याप्त है ।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर शासन से आवश्यक कार्यवाही कर राजकीय महिला दीक्षा विद्यालय झांसी को राजकीय कन्या हाई स्कूल मॉठ के रूप में स्थानान्तरित किये जाने की मांग करता हूं ।]

सहकारी कताई मिल अमरोहा जिला मुरादाबाद में भ्रष्टाचार के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

हाजी मोहम्मद हयात—

[मान्यवर, सहकारी कताई मिल, अमरोहा में वर्तमान महाप्रवन्धक के आने से स्थिति तनावपूर्ण बनती जा रही है । क्योंकि मुख्य महाप्रबन्धक प्रशासनिक उत्तर प्रदेश सहकारी कताई मिल, संघ कानपुर और महाप्रबन्धक, कताई मिल, अमरोहा मिलकर कताई मिल, अमरोहा में भाई-भतीजावाद को बढ़ावा दे रहे हैं तथा स्थानीय लोगों के स्थानान्तरण कर रहे हैं, और अपने रिश्तेदारों को उक्त कताई मिल में नियुक्त करके स्थानीय कर्मचारियों, मजदूरों व जनता का शोषण व असन्तोष पैदा कर रहे हैं ।

मैं नियम 301 के माध्यम से सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए शासन से उचित कार्यवाही की मांग करता हूं ।]

बलिया जनपद के पूर्वांचल में गंगा की कटान से क्षति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मैनेजर सिंह—

[मान्यवर, आपकी आज्ञा से निम्नलिखित लोक महत्व के प्रश्न पर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं ।

नोट—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

बलिया जनपद का पूर्वान्चल प्रत्येक वर्ष गंगा की भीषण कटान से पीड़ित होता आ रहा है । गत वर्ष गंगा का कटान से माजा कुड़हरा स्थित आबादी (मजरा) टिपुरी, सडिया, भगवान टोला आदि बुरी तरह प्रभावित हुयें ये आबादी गंगा की मख्य धारा के ऊपर पड़ा हुआ है । इस आबादी को वहां के हटाकर अन्यत्र बसाने के लिये शासन ने आश्वासन दिया था किन्तु खेद है कि आज तक इस आबादी को बसाने की कोई कार्यवाही नहीं की गयी है न ही कोई सक्रिय कदम उठाया गया है । इसके लिये भूमि अधिग्रहण करने की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी किन्तु बलिया के पूर्व परगनाधिकारी श्री सिन्हा और उनके कई सहयोगियों ने संबंधित काश्तकारों की साठ-गांठ से रिश्वत लकर अधिग्रहीत भूमि में ग्रामीणों को बसाने में आनाकानी की और हीलाहवाली की आज तक आबादी को स्थानान्तरित नहीं किया जा सका है । सर्वप्रथम टिकुरी की आबादी को बसाने के लिए एक स्थान अधिकारियों द्वारा चयन किया गया उसे बाद कानून के तहत भूमि अधिग्रहण करने की कार्यवाही की गयी किन्तु परगनाधिकारी श्री सिन्हा ने पैसा लेकर अनावश्यक रूप से काश्तकारों को नोटिस दिया और नोटिस समय बीतने के बाद गांव के काश्तकार विवश होकर हाईकोर्ट गये और स्थगन आदेश श्री सिन्हा की मिलीभगत से हुआ पुनः दूसरी भूमि अधिग्रहीत की गयी लेकिन अधिकारियों ने कार्यवाही रोक दिया । इसके अतिरिक्त गंगा के किनारे नदंरा गांव भी कटान से खतरा पैदा हो गया है । उसे बचाने के लिये कोई कार्यवाही नहीं की गयी जिला अधिकारी के आदेशों की अवहेलना हो रही है और आदेश का पालन नहीं करवा पा रहे हैं ।

अतः आपके संज्ञान में लाते हुए शासन का ध्यान आकृष्ट है कि टिपुरी और नदंरा गांव के लोगों को अन्यत्र बसाने की कार्यवाही करें और विलम्ब की कार्यवाही के लिए दोषी अधिकारियों को दण्डित करें ।]

जनपद फैजाबाद की टांडा तापीय शक्ति परियोजना से प्रभावित परिवारों के सदस्यों को सेवा में न लेने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री गोपीनाथ वर्मा—

[मान्यवर, जनपद फैजाबाद की टान्डा तापीय शक्ति परियोजना हेतु लगभग 1400 एकड़ भूमि अर्जित की गयी जिससे लगभग 5000 परिवार प्रभावित हुआ । परियोजना में अब तक मात्र 1300 परिवार के लोगों को ही सेवा का अवसर दिया गया तथा ग्राम भखडम नगर सहित अनेक ग्रामों की वर्जित भूमि का प्रतिकर अभी तक नहीं दिया गया है, सेवा का अवसर देने में भेदभाव किया जा रहा है । 50 प्रतिशत से कम प्रभावित किसान परिवार के लोगों को नहीं लिया जा रहा है । पिछड़े वर्ग तथा हरिजन अभ्यर्थी को शासन द्वारा निर्धारित आयु सीमा में छूट नहीं दी जा रही है । आई0 टी0 आई0 तथा डिप्लोमा धारकों एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों पूर्व सैनिकों को प्राथमिकता व आयु सीमा में छूट नहीं दी जा रही है ।

साक्षात्कार करा लेने, पुलिस का चरित्र प्रमाण-पत्र ले लेने तथा मेडिकल चेकअप ले लेने के बाद भी चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्तियां बरसों से रुकी पड़ी है । बाहरी व्यक्तियों की नियुक्तियां की जा रही है । परियोजना के अधिकारियों द्वारा प्रभावित परिवारों की सूची नहीं बनायी गयी है और न ही बनाये जाने का प्रयास किया जा रहा है ।

ऐसी स्थिति में हजारों हजार प्रभावित किसान परिवार के लोगों में सरकार के उदासीन रवैये के विरुद्ध गम्भीर रोष और कुण्ठा व्याप्त है । धीरे-धीरे किसानों में बढ़ रहा असंतोष

नोट—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

आन्दोलन की ओर अग्रसर होता जा रहा है और स्थिति विस्फोटक है । किसान किसी भी समय परियोजना का घेराव कर सकते हैं ।

मैं चाहता हूं कि किसानों की उपरोक्त मांगों को पूरा कराकर किसानों में बढ़ रहे असंतोष को समय रहते समाप्त किया जाना चाहिए ।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को सदन और सरकार के संज्ञान में लाते हुए तत्काल कार्यवाही किये जाने की मांग करता हूं ।]

नियम 311 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री राम शरण दास—

माननीय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं आपकी ही बात पर आ रहा हूं ।

श्री उपाध्यक्ष—

आज नियम 311 के अंतर्गत सर्वश्री राम शरण दास, बदन सिंह, विजय सिंह राणा, रघुवर दयाल वर्मा, अनुग्रह नारायण सिंह, मूल चन्द्र और श्री गोपी नाथ वर्मा की सूचनायें प्राप्त हुयी हैं । श्री राम शरण दास ने हाई कोर्ट की बेंच के मामले में सूचना दी है ।

*श्री राम शरण दास—

माननीय, मेरी बात एक मिनट सुन लें । यह जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खंड पीठ स्थापित किये जाने का मामला है यह इतना उलझ रहा है कि हमारे यहां रोज कचहरी बंद रहती है ।

श्री उपाध्यक्ष—

मेरी बात आप सुन लें, मैं इस पर निर्णय दे रहा हूं ।

यह गोपी नाथ वर्मा जी की जो सूचना है, साम्प्रदायिक सौहार्द्र की, इस पर चर्चा लगी है । माननीय मूल चन्द्र की जो अध्यापकों की हड़ताल के बारे में सूचना है उस पर कल ही कार्यवाही के निर्देश दे दिये गये हैं । 311 में जितनी सूचनायें आयी हैं उनको मैं अग्राह्य करता हूं ।

(व्यवधान)

311 में मैं सभी सूचनाओं को अग्राह्य करता हूं । यह तो हाई कोर्ट की बेंच स्थापित किये जाने संबंधी मामला है इस पर मैं एक घंटे की चर्चा करा दूंगा । आज ही चर्चा करा दूंगा ।

श्री राम शरण दास—

ठीक है चर्चा में भाग लेंगे ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

नोट :—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

श्री बुनियाद हुसैन अंसारी—

मैंने एक सूचना 311 में दी है ।

श्री उपाध्यक्ष—

बदायूं वाले मामले पर चर्चा लगी है ।

श्री बुनियाद हुसैन अंसारी—

मान्यवर, आप नियमों को निलंबित करके चर्चा करायें ।

श्री उपाध्यक्ष—

उस पर चर्चा लगी है ।

*श्री मुहम्मद आजम खां—

मान्यवर, कल जो 311 और नियम 56 में हमारी नोटिस थी उस पर आज आपने 2 घंटे की चर्चा लगायी है । कल जो सूचना थी उस पर आपने कल निर्णय दे दिया था लेकिन जो आज नोटिस दी है उस पर व्यवस्था दें ।

(व्यवधान के मध्य)

श्री उपाध्यक्ष—

वह तो मैंने अग्राह्य कर दिया ।

(व्यवधान)

श्री मुहम्मद आजम खां—

उस चर्चा में मुझको वक्त नहीं मिल पायेगा ।

श्री उपाध्यक्ष—

वक्त मिलेगा ।

श्री मुहम्मद आजम खां—

मान्यवर, वहां के हालात एबनार्मल है । वहां के लोग बहुत बुरे हालात से गुजर रहे हैं । अगर हम आंखों पर चश्मा लगा कर इसे टाल देंगे, तो ठीक नहीं है . . . (व्यवधान)

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े हो जाने से घोर व्यवधान)

श्री राम शरण दास—

मान्यवर, मेरा नियम 300 में गन्ने पर है . . . .

(व्यवधान)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री बुनियाद हुसैन अन्सारी—

मान्यवर, मैंने नियम 311 में दिया था, उसका क्या हुआ ?

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

311 मैंने अस्वीकार कर दिया ।

श्री बुनियाद हुसैन अन्सारी—

मान्यवर, उसे क्यों अस्वीकार कर दिया, वहां पर लाशें पड़ी हुई हैं ।

(व्यवधान)

(सर्वश्री बुनियाद हुसैन अन्सारी, गोपी नाथ वर्मा, बलराम यादव, मुहम्मद आजम खां और शफीकुर्रहमान वर्क आदि सदस्य सदन के फ्लोर पर आ गये जिससे घोर व्यवधान हो गया)

श्री उपाध्यक्ष—

आप सदन को आराम से चलाइये ।

श्री बुनियाद हुसैन अन्सारी—

मान्यवर, वहां पर लाशें पड़ी हुई हैं और आप कह रहे हैं कि सदन को आराम से चलाइये ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

फिर मैं हाउस एडजर्न कर दूंगा ।

श्री बुनियाद हुसैन अन्सारी—

कर दीजिए एडजर्न, इस तरह से हाउस नहीं चलेगा ।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं हाउस को 12 बजे तक के लिए एडजर्न करता हूं ।

(इस समय 11 बजकर 7 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी । 12 बजे मार्शल ने सदन को सूचित किया कि माननीय उपाध्यक्ष ने सदन का स्थगन 15 मिनट के लिए और बढ़ा दिया है ।

12 बजकर 15 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री उपाध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई ।)

(समय 12 बजकर 15 मिनट)

श्री रामचन्द्र बख्श सिंह—

मान्यवर, बदायूं के इतने बड़े नरसंहार पर सरकार से वक्तव्य दिलवा दें । पूरे प्रदेश में आग लगी है और सरकार उसको इग्नोर कर रही है . . . .

(घोर व्यवधान)

(सर्वश्री मोहम्मद आजम खां, शफीकुर्रहमान वर्क, अकबर हुसैन बाबर, गोपी नाथ वर्मा, अब्दुल वहीद कुरेशी और श्री शारदा नन्द अंचल, आदि अनेक सदस्य सदन के फ्लोर पर आ गये जिससे घोर व्यवधान हो गया ।)

*नेता विरोधी दल (श्री सत्यपाल सिंह)—

उपाध्यक्ष जी, मेरी आपसे अनुरोध है कि इस बदायूं के मसले पर सरकार से वक्तव्य दिलवा दें, सदन की कार्यवाही तभी चल सकती है । चूंकि आज सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव है, इसलिये मैं चाहता हूं कि पहले ही यह दो दिन से टल रहा है, मैं चाहता हूं कि इस प्रस्ताव पर आज चर्चा हो सके और सदन व्यवस्थित रूप से चल सके, इसलिये मेरा अनुरोध है कि बदायूं के साम्प्रदायिक दंगे के सम्बन्ध में सरकार से वक्तव्य दिलवा दें ।

(घोर व्यवधान)

संसदीय कार्यमंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

मान्यवर, आज के एजेंडे में जिस क्रम में सारी चीजें दी गयी हैं, मेरा अनुरोध है कि उसी क्रम में काम चले । जहां तक बदायूं पर चर्चा का प्रश्न है, अविश्वास प्रस्ताव में किसी भी बात की चर्चा हो सकती है । आज के एजेंडे को उसी तरह से लिया जाय, इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन उचित नहीं है ।

(घोर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

मैं सबकी बात सुनूंगा । पहले वापस जाइये । फ्लोर से कहते रहेंगे तो काम नहीं चलेगा, हाउस को व्यवस्थित कीजिये, तब सुनूंगा ।

(सदन के फ्लोर पर आए सभी सदस्य अपने स्थान पर वापस चले गये ।)

*श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

श्रीमन्, मेरा निवेदन है कि मा0 सदस्यगण बदायूं पर चर्चा नहीं मांग रहे हैं, केवल अविश्वास प्रस्ताव पर अनुज्ञा मांग रहे हैं । मा0 नेता सदन मौजूद हैं, केवल यह बता दें कि वहां पर मृतकों की संख्या कितनी है, वहां की मौजूदा स्थिति क्या है, इन सबकी संक्षेप में सूचना दे दें ताकि उसके बाद अविश्वास प्रस्ताव की चर्चा में वह बात आ जाय ।

*श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

अविश्वास प्रस्ताव तो बाद में आएगा । इस समय पूरे प्रदेश में साम्प्रदायिक आग लगी है, लेकिन पूरी बात आज तक संज्ञान में नहीं आयी है कि क्या स्थिति है । हम यह जानना चाहते हैं कि बदायूं की स्थिति क्या है । पूरे प्रदेश में बदायूं के सिलसिले में शांति व्यवस्था की क्या स्थिति है, उसकी जानकारी पहले दे दें । हम और कोई दूसरी बात नहीं रखना चाहते हैं ।

*श्री रघुवर दयाल वर्मा—

मान्यवर, मेरा निवेदन है कि इस सरकार के खिलाफ यही अविश्वास की बात है कि यह साम्प्रदायिक दंगों को रोकने में अक्षम रही है । यह सरकार नरसंहार को रोक नहीं पा रही है और साम्प्रदायिक दंगों को बढ़ावा दे रही है, इसलिये अविश्वास प्रस्ताव जो लाया गया है, हम लोगों को उसको पटलप कराने की अनुज्ञा दें । हम यही चाहते हैं ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

(सर्वश्री बुनियाद हुसैन अन्सारी, मुहम्मद आजम खां, शफीकुर्रहमान वर्क एवं अन्य अनेक सदस्य पुनः सदन के फ्लोर पर आ गये ।)

श्री उपाध्यक्ष—

यहां पर कुछ व्यवस्था हो तो मैं अपनी बात कहूं । अभी कुछ भी तो मैंने शुरू नहीं किया है । आप लोग अपने-अपने आसन पर वापस जायें ।

(घोर व्यवधान)

मैं माननीय नेता विरोधी दल से निवेदन करूंगा कि सदन को चलाने में मदद करें, माननीय सदस्यों को अपने-अपने आसन पर वापस जाने के लिये कहें ।
(सर्वश्री बुनियाद हुसैन अन्सारी, मुहम्मद आजम खां, अकबर हुसैन बाबर, शफीकुर्रहमान बर्क, मित्रसेन, गोपी नाथ वर्मा, सुरेन्द्र पाल वर्मा आदि अनेक सदस्य सदन के फ्लोर पर खड़े रहकर बार-बार मांग करते रहे कि पहले बदायूं वाले मामले में चर्चा कराये, जिससे घोर व्यवधान हो गया ।)

मैं सदन को 1 बजे तक के लिये स्थगित करता हूं ।

(इस समय 12 बजकर 21 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 1 बजे तक के लिए स्थगित कर दी ।

1 बजे सदन की कार्यवाही श्री उपाध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई ।)

(श्री उपाध्यक्ष के पुनः आसन ग्रहण करते ही विपक्ष के सारे सदस्य एक साथ खड़े होकर शोर करने लगे ।)

श्री उपाध्यक्ष—

मद संख्या 1 से 17 तक की सूचना प्रतिवेदन तथा याचिकाएं सदन के पटल पर रखी हुयी मानी जायेंगी ।

(उपरोक्त मदें पढ़ी हुयी मानी गयीं)

उत्तर प्रदेश विनियोग (1989-90 का अनुपूरक) विधेयक, 1989

सचिव, विधान सभा—

[मान्यवर, उत्तर प्रदेश विनियोग (1989-90 का अनुपूरक) विधेयक, 1989 जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 28 सितम्बर, 1989 को पारित किया गया था तथा श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और दिनांक 28 सितम्बर, 1989 को विधान परिषद् सचिवालय में प्राप्त हुआ था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 29 सितम्बर, 1989 को वापस प्राप्त हो गया ।]

नोट:—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति का पन्द्रहवां प्रतिवेदन†

श्रीमती पद्मा सेठ—

[मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति का पन्द्रहवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करती हूं ।]

सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति का इक्कीसवां प्रतिवेदन†

श्रीमती पद्मा सेठ—

[मान्यवर, आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति का सोलहवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करती हूं ।]

सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति का सत्रहवां प्रतिवेदन†

श्रीमती पद्मा सेठ—

[मान्यवर, आपकी आज्ञा से मैं उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम निगम संयुक्त समिति का सत्रहवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करती हूं ।]

सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति का अठ्ठारहवां प्रतिवेदन†

श्रीमती पद्मा सेठ—

[मान्यवर, आपकी आज्ञा से मैं उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं नियम संयुक्त समिति का अठारहवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करती हूं ।]

सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति का उन्नीसवां प्रतिवेदन†

श्रीमती पद्मा सेठ—

[मान्यवर, आपकी आज्ञा से मैं उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति का उन्नीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करती हूं ।]

सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति का बीसवां प्रतिवेदन†

श्रीमती पद्मा सेठ—

[मान्यवर, आपकी आज्ञा से मैं उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति का बीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करती हूं ।]

सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति का इक्कीसवां प्रतिवेदन

श्रीमती पद्मा सेठ—

[मान्यवर, आपकी आज्ञा से मैं उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति का इक्कीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करती हूं ।]

नोट—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

†छापा नहीं गया ।

सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति का बाइसवां प्रतिवेदन†

श्रीमती पद्मा सेठ—

[मान्यवर, आपकी आज्ञा से मैं उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति का बाइसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करती हूं ।]

अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा विमुक्त जातियों सम्बन्धी संयुक्त समिति का अठ्ठाइसवां प्रतिवेदन†

श्री गोपाल राम दास—

[मान्यवर, आपकी आज्ञा से मैं उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा विमुक्त जातियों संबंधी संयुक्त समिति का अठ्ठाइसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।]

आश्वासन समिति (1988-89) का 16वां विशेष प्रतिवेदन†

श्री राम आसरे वर्मा—

[मान्यवर, आपकी आज्ञा से मैं उत्तर प्रदेश नवम् विधान सभा की आश्वासन समिति (1988-89) का 16वां विशेष प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।]

लोक लेखा समिति (1988-89) का षष्ट प्रतिवेदन (कार्यान्वयन)†

श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

[मान्यवर, आपकी आज्ञा से मैं उत्तर प्रदेश नवम् विधान सभा की लोक लेखा समिति (1988-89) का षष्ट प्रतिवेदन (कार्यान्वयन) प्रस्तुत करता हूं ।]

लोक लेखा समिति (1988-89) का सप्तम् प्रतिवेदन (सिविल)

श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

[मान्यवर, आपकी आज्ञा से मैं उत्तर प्रदेश नवम् विधान सभा की लोक लेखा समिति (1988-89) का सप्तम् प्रतिवेदन (सिविल) प्रस्तुत करता हूं ।]

लोक लेखा समिति (1988-89) का अष्टम् प्रतिवेदन (कार्यान्वयन)†

श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

[मान्यवर, आपकी आज्ञा से मैं उत्तर प्रदेश नवम् विधान सभा की लोक लेखा समिति (1988-89) का अष्टम् प्रतिवेदन (कार्यान्वयन) प्रस्तुत करता हूं ।]

ग्राम अहमदपुर, जिला-इलाहाबाद की पावन से मन्दर तक सम्बद्ध सड़क पक्की करने विषयक याचिका‡

श्री फजले मसूद—

[मान्यवर, आपकी आज्ञा से मैं ग्राम-अहमदपुर, पावन, परगना चायल, जिला इलाहाबाद की अहमदपुर, पावन से मन्दर तक सम्बद्ध सड़क पक्की करने विषयक सर्वश्री अली

---

†छापा नहीं गया ।

नोट—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

‡छापी नहीं गई ।

अहमद सिद्दीकी, फैजानुल हक, मैकूलाल, खलीक अहमद तथा इजहारूल हक, निवासी अहमदपुर, पावन, परगना चायल, जिला इलाहाबाद द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं ।]

राजकीय बालिका दीक्षा विद्यालय, मुरादाबाद (शहर) को काण्ड क्षेत्र में ले जाने विषयक याचिका††

श्रीमती पुष्पा सिंघल—

[मान्यवर, आपकी आज्ञा से मैं राजकीय बालिका दीक्षा विद्यालय, मुरादाबाद (शहर) को कांड क्षेत्र में ले जाने विषयक श्री रामगोपाल शर्मा, मालती नगर, मुरादाबाद श्री पीयूष बंसल, डिप्टीगंज, डी0 सी0 एफ0 मार्केट, दुकान नं0 8, मुरादाबाद मेजर कैलाश नाथ कौशल (अवकाश प्राप्त), खालसागंज, मुरादाबाद तथा श्री राधेश्याम दुबे, श्याम भवन, राम तलैया, लाइनपार, मुरादाबाद द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करती हूं ।]

कार्य मंत्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव

श्री उपाध्यक्ष—

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 29 सितम्बर, 1989 की बैठक में सदन के दिनांक 30 सितम्बर, 1989 के कार्यक्रम के सम्बध में यह सिफारिश की है कि दिनांक 30 सितम्बर, 1989 के उपवेशन में उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 51 और 56 के अन्तर्गत सूचनायें न ली जायें तथा उक्त उपवेशन में निम्नलिखित कार्य लिये जायें :—

1—प्रदेश में सूखे एवं बाढ़ की विषम स्थिति में सरकारी नीति से दिन-प्रति-दिन बढ़ रही महंगाई के सम्बन्ध में श्री मुलायम सिंह यादव, श्री बेनी प्रसाद वर्मा एवं कतिपय अन्य सदस्यों की सूचनाओं पर एक घंटे की चर्चा ।

2—जनपद बदायूं में हुयी हिंसा की घटना में अनेक व्यक्तियों की मृत्यु हो जाने तथा सैकड़ों व्यक्तियों के घायल हो जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री अवधेश प्रसाद, श्री रामचन्द्र बक्श सिंह एवं कतिपय अन्य सदस्यों की सूचनाओं पर दो घंटे की चर्चा ।

3—निम्नलिखित विधेयकों पर विचार एवं उनका पारण :—

(1) उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1989, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ,

(2) उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1989 जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ,

(3) उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1989 जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ,

(4) उत्तर प्रदेश आबकारी नियमावली (संशोधन) विधेयक, 1989 जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ,

---

नोट—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।
††छापी नहीं गयी ।

(5) उत्तर प्रदेश लोक सेवा (पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) विधेयक, 1989 जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ,

4—उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों में सूखे से हुयी क्षति के संबंध में श्री जयदीप सिंह बरार द्वारा नियम 52 के अन्तर्गत दी हुयी सूचना पर चर्चा-एक घंटा ।

5—श्री रघुवर दयाल वर्मा द्वारा नियम 103 के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रस्ताव का प्रस्तुतिकरण एवं उस पर विचार :—

"इस सदन का सुविचारित मत है कि प्रदेश के काश्तकारों पर समस्त बकाया ऋणों तथा बिजली के बकाया बिलों के देयों की वसूली के संबंध में राज्य सरकार द्वारा लिये जाने वाला दस प्रतिशत का तहसील वसूली व्यय समाप्त किया जाय" ।]

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन के कार्यक्रम के संबंध में कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश की जो सूचना माननीय उपाध्यक्ष द्वारा सदन को दी गयी है, उससे यह सदन सहमत है ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश के संबंध में जो प्रस्ताव रखा है, उससे यह सदन सहमत है ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

विधान सभा के 1988 के प्रथम सत्र के तीसरे सोमवार हेतु निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या-12 के उत्तर के संबंध में शोधन वक्तव्य

श्री उपाध्यक्ष—

मद संख्या-20 पर आज की कार्यसूची के नत्थी "ख" में, जो शोधन वक्तव्य दिया गया है, उसे पढ़ा हुआ माना जाय ।

(निम्न शोधन वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

*शिक्षा मंत्री (श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी)—

[माननीय, दिनांक 16-3-88 को माननीय श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी द्वारा विशेषाधिकार की अवहेलना तथा सदन की अवमानना के प्रश्न की सूचना देते हुये यह कहा गया था कि विधान सभा के प्रथम सत्र 1988 के तीसरे सोमवार हेतु निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या-12 का उत्तर तत्कालीन शिक्षा मंत्री जी द्वारा गलत एवं तथ्यों के सर्वथा विपरीत दिया गया था ।

नोट :—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।
*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

इस संबंध में तत्कालीन शिक्षा मंत्री जी द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने उक्त सूचना को अस्वीकार करते हुये यह आदेश दिया है कि करण संख्या-219 के अनुसार शोधन वक्तव्य दिया जाय ।

(1) माननीय सदस्य श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी का पत्र दिनांक 17-11-87 तत्कालीन शिक्षा मंत्री जी को प्राप्त हुआ था जिसके साथ श्रीमती मालती देवी श्रीवास्तव का प्रार्थना-पत्र संलग्न था । इस प्रार्थना-पत्र में श्रीमती श्रीवास्तव ने अपने पति श्री गिरीश चन्द्र श्रीवास्तव की सेवाओं का स्थायीकरण किये जाने का अनुरोध किया था ।

(2) उक्त तथ्य को दृष्टि में रखते हुये माननीय सदस्य द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या-12 का संशोधित उत्तर निम्न प्रकार है :—

प्रश्न	उत्तर
12. क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्रीमती मालती देवी श्रीवास्तव का प्रार्थना-पत्र जिसमें शिक्षा विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार और पक्षपातपूर्ण रवैये की शिकायत की गयी है प्रश्नकर्ता के 17 नवम्बर, 1987 के पत्र के साथ उन्हें मिल गया है ?	माननीय सदस्य के पत्र दिनांक 17-11-87 के साथ श्रीमती मालती देवी श्रीवास्तव का एक प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ है, जिसमें उन्होंने अपने पति श्री गिरीश चन्द्र श्रीवास्तव का स्थायीकरण किये जाने का अनुरोध किया है किन्तु उक्त पत्र में शिक्षा विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार का उल्लेख नहीं है ।
यदि हां तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी है ?	उक्त पत्र शिक्षा निदेशक (मा0) के पास आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित कर दिया गया है ।

(3) जहां तक गलत उत्तर दिये जाने के लिये उत्तरदायित्व निर्धारित करने एवं दोषी कर्मचारी को दण्ड दिये जाने का प्रश्न है, इस संबंध में यह निवेदन करना है कि तत्कालीन शिक्षा मंत्री जी के निजी स्टाफ ने यह स्पष्ट रूप से सूचित किया था कि माननीय सदस्य का प्रश्नगत पत्र दिनांक 17-11-87 प्राप्त हुआ प्रतीत नहीं होता, किन्तु उनके द्वारा इस प्रकार की सूचना दिये जाने का कारण संभवत: यह था कि प्रश्न में जिस विषय का उल्लेख किया गया था, वह उक्त पत्र तथा उसके साथ संलग्न प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित विषय से भिन्न था जिसके कारण संबंधित सहायक यह नहीं समझ सका कि प्रश्नगत पत्र वही था जिसकी प्राप्ति माननीय मंत्री जी द्वारा स्वीकार की गयी थी । ऐसी परिस्थिति में संबंधित कर्मचारी को दोषी मानकर दण्ड दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता ।

(4) इस संबंध में यह भी उल्लेखनीय है कि श्री गिरीश चन्द्र श्रीवास्तव के मामले में आवश्यक कार्यवाही की जा चुकी है और उन्हें जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, फैजाबाद के आदेश संख्या प्रबन्ध/2696—98/88-89, दिनांक 4-11-88 द्वारा जे0 टी0 सी0 वेतनक्रम में दिनांक 1-7-87 से स्थायी कर दिया गया है ।]

वर्तमान मंत्रि परिषद् में अविश्वास का प्रस्ताव

नेता विरोधी दल (श्री सत्यपाल सिंह)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से निम्नलिखित प्रस्ताव को प्रस्तुत करने के लिये सदन की अनुज्ञा मांगता हूं ।

"यह सदन वर्तमान मंत्रि परिषद् में अविश्वास प्रकट करता है" ।

श्री उपाध्यक्ष—

जो माननीय सदस्य इसके पक्ष में हों, वह कृपया खड़े हो जायें । जो माननीय सदस्य वेल में खड़े हुये हैं, वह गिनती में नहीं आयेंगे ।

(गिनती के उपरान्त कुल 78 सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में खड़े पाये गये)

श्री सत्यपाल सिंह—

मान्यवर, पुनः गणना करायी जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

फिर से गिनिये ।

(श्री प्रमोद कुमार व श्री नरेन्द्र देव के खड़े होने पर शोर/व्यवधान ।)

गेट बन्द कर दें ।

श्री सत्यपाल सिंह—

मान्यवर, नियमानुसार पहले घण्टी बजवाइये । अभी घण्टी नहीं बजाई गई है ।

श्री उपाध्यक्ष—

इसमें घण्टी नहीं बजती है । गेट खुलवा दे रहा हूं । मैम्बर्स को आने दीजिए ।

(इस बीच गिनती चल रही थी)

गणना में 81 सदस्य ही हुए हैं, अनुज्ञा के लिए 84 सदस्यों की आवश्यकता होती है, इसलिए अनुज्ञा नहीं दी गई ।

(विपक्ष के सभी सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर शोर/व्यवधान)

श्री सत्यपाल सिंह—

मान्यवर, गणना गलत हुई है, इसलिए मैं अपने दल के साथ बहिष्कार करता हूं ।

(श्री सत्यपाल सिंह अपनी कुर्सी छोड़कर थोड़ी दूर तक गये, फिर वापस आ गये । इसी बीच श्री उपाध्यक्ष द्वारा मद संख्या-23 पुकारे जाने पर ।)

श्री सत्यपाल सिंह—

मान्यवर, आप मतदान करवायें ।

परिवहन राज्य मंत्री (श्री प्रमोद कुमार)—

मान्यवर, इनके माननीय सदस्य प्रस्ताव रखकर दिल्ली चले जाते हैं । आपने इस पर निर्णय कर दिया है । आप जो निर्णय करेंगें, उसका सम्पूर्ण सदन पालन करेगा ।

श्री उपाध्यक्ष—

मैंने तो अनुज्ञा नहीं दी है । अब वह विषय समाप्त हो गया है ।

(समय 1 बजकर 10 मिनट)

(सत्ता पक्ष के सदस्यों द्वारा मेजों की थपथपाहट से घोर व्यवधान ।)

मद संख्या-23 ले रहे हैं अब ।

श्री सत्यपाल सिंह—

मेरा आपसे अनुरोध है कि हमारी संख्या पूरी है । आप मतदान करा लीजिये । इस कुर्सी पर बैठकर अन्याय न करिये । सरकार चाहती है कि उसकी नाकामयाबी का पर्दाफाश न हो सके । मेरा आपसे अनुरोध है कि आप मतदान करा लीजिये ।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं इस पर निर्णय दे चुका हूं । अब आप बदायूं पर चर्चा प्रारम्भ करें मैंने मद संख्या-23 पुकारा है ।

श्री सत्यपाल सिंह—

आप लाबी में मतदान करा लीजिये ।

(सत्ता पक्ष के सदस्यों द्वारा अपनी-अपनी सीटों पर खड़े होकर "अपने दल की फूट बचाओ, मुलायम सिंह को सदन में लाओ" नारा दिया गया ।)

मेरा आपसे अनुरोध है कि लांबी में मतदान करा लीजिये । संख्या पूरी नही होगी तो हम "प्रेस" नहीं करेंगे ।

(घोर व्यवधान)

श्री प्रमोद कुमार—

यह सदन नियम कानून से चलेगा, मान्यवर ।

(सम्पूर्ण विपक्ष के लगातार खड़े रहने से उत्पन्न घोर व्यवधान के मध्य ।)

श्री उपाध्यक्ष—

मैं हाउस को 3 बजे तक के लिये स्थगित करता हूं ।

(इस समय 1 बजकर 12 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी । सदन की कार्यवाही 3 बजे श्री उपाध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई ।)

जनपद बदायूं में हुई हिंसा में अनेक व्यक्तियों की मृत्यु हो जाने तथा सैकड़ों व्यक्तियों के घायल हो जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में चर्चा

श्री उपाध्यक्ष—

मद संख्या 23, बदायूं पर चर्चा शुरू करें ।

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, आप कौन सी मद ले रहे हैं ? जो एजेण्डे में क्रम दिया हुआ है क्या उसी क्रम से आप लेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष—

मैंने मद संख्या 22 को छोड़ दिया है, उसे बाद में लूंगा पहले मद संख्या 23 को ले रहा हूं ।

श्री मित्रसेन—

क्या आप बदायूं वाला प्रकरण ले रहे हैं ?

श्री उपाध्यक्ष—

जी हां, पहले वही ले रहा हूं ।

श्री शारदा प्रताप—

क्या आप पहले महंगाई वाला ले रहे हैं ?

श्री मित्रसेन—

मैं चाहता हूं कि पहले आप बदायूं वाली चर्चा लें ।

श्री उपाध्यक्ष—

इस चर्चा में पहले श्री अवधेश प्रसाद का नाम है इसलिये पहले मैं उनको मौका दे रहा हूं बोलने के लिये ।

*श्री अवधेश प्रसाद—

माननीय उपाध्यक्ष जी, बदायूं में जो दुखद घटना हुई उसके बाद पूरे प्रदेश में यह सबसे दुखद घटना है यह कहने में कोई अतिश्योक्ति नहीं होगी । श्रीमन्, बदायूं के संबंध में जो जानकारी मिली है कि अब तक कम से कम 100 लोग वहां मौत के घाट उतार दिये गये हैं । यह घटना उस समय हुई जबकि तमाम यात्री रेलगाड़ियों से यात्रा कर रहे थे उन यात्रियों में से कम से कम 25 यात्री भून दिये गये । आज यह सरकार जिसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की अभी चर्चा हो रही थी और इसके प्रति अविश्वास की बात आयी थी, आज इतनी बड़ी घटना के बाद मैं समझता हूं कि माननीय नारायण दत्त तिवारी

*प्रवक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

की सरकार को एक क्षण भी बने रहने का कोई अधिकार नहीं है । आज यह सत्र का आखिरी दिन है और मैं कहता हूं कि आज माननीय तिवारी जी की सरकार का, उनके मंत्रिमण्डल का और उधर के बैठने वालों का भी यह आखिरी दिन है क्योंकि इतनी बड़ी घटना के बाद, बदायूं में जो खून-खराबा हुआ है, इस सरकार ने जो साम्प्रदायिक दंगा कराया है, उसके बाद उनको यहां बैठने का कोई अधिकार नहीं रह जाता है । श्रीमन्, इतनी बड़ी दर्दनाक घटना के बाद यह आश्चर्य की बात है कि वहां के किसी भी अधिकारी के खिलाफ आज तक कोई कार्यवाही नहीं हो पायी है । प्रदेश में तमाम खुफिया विभाग है और उसके अधिकारी हैं, पुलिस है और पुलिस के अधिकारी हैं, इतनी बड़ी घटना घटित हुई जिसकी जानकारी शासन में बैठे हुए लोगों को, मुख्य मंत्री को, गृह मंत्री को न हो पाये माननीय मुख्य मंत्री को न हो पावे, गृह मंत्री को न हो पावे तो इनको हुकूमत के निकम्मेपन का इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है । मान्यवर इस सरकार को सत्ता में आए हुए लगभग साढ़े चार वर्ष हो रहे हैं, लेकिन इन साढ़े चार वर्षों के अन्दर यदि देखा जाए तो साम्प्रदायिक दंगे इतने अधिक हुए हैं कि आजादी के पहले भी इतने दंगे कभी नहीं हुए । मान्यवर 1977 में जनता पार्टी की सरकार थी और यहां पर स्वर्गीय बनारसी दास जी मुख्य मंत्री थे । और एक छोटी सी घटना यहां प्रदेश में घट गयी थी, इस छोटी सी घटना को लेकर जनता पार्टी की सरकार को बर्खास्त किया गया और आज मैं इन लोगों से पूंछना चाहता हूं कि बदायूं में जो नर-संहार हुआ है, खून-खराबा हुआ है और इस दुर्घटना से आज प्रदेश के अन्दर एक ऐसी शंका बनी हुयी है और इस प्रकार की लगातार कई घटनाओं से आज प्रदेश की साढ़े 13 करोड़ जनता के सामने एक अजीब भयावह स्थिति बनी हुयी है कि प्रदेश के अन्दर कब और कौन सी घटना घट जाए कुछ कहा नहीं जा सकता है, ऐसा वातावरण बन गया है । इसके लिए कौन जिम्मेदार है ? इसमें मान्यवर किसी पार्टी का सवाल नहीं है क्या जनता दल के लोग क्या अन्य बल्कि पूरे प्रदेश के लोगों की जिन्दगी आज दूभर हो गयी है और इस बदायूं की घटना ने तो इन बातों को सोचने पर मजबूर कर दिया है, यह इस सरकार के लिए बड़ी ही शर्मनाक बात है और इस सम्पूर्ण वातावरण के जिम्मेदार आज यह सरकार है, माननीय मुख्य मंत्री जी हैं । इसलिए हम सब यह मांग करते हैं कि माननीय मुख्य मंत्री जी आज ही अपने इस पद से इस्तीफा दें और इसी समय इस बात की घोषणा करें तो मैं समझता हूं कि एक अच्छी बात होगी, लेकिन यह सत्ता में बैठे हुए लोग बहुत ही निकम्मे लोग हैं, मैं जानता हूं कि यह ऐसे नैतिकता के काम को नहीं करेंगे और आज इनके इसी निकम्मेपन के कारण पूरे प्रदेश में खून-खराबा हो रहा है और जगह-जगह पर इसका वातावरण सा बन गया है और इनकी यह सोची समझी सुनियोजित षड़यंत्र है, चाल है ताकि आने वाले चुनाव तक ऐसा वातावरण बना दिया जाए कि कि लोग घबराकर अपने जन-मत को खो बैठें और इनको इसका लाभ मिल जाए, इसी वजह से इनकी इस नीति के कारण प्रदेश का हर वर्ग चाहे वह किसान हो, व्यापारी हो, विद्यार्थी हो, सभी अपने-अपने स्थान पर परेशान हैं और यही यह चाहते हैं कि ऐसा करके वह पूरा-पूरा फायदा डिवाईड एण्ड रूल के जरिए उठा लें ।

मान्यवर इस बदायूं की घटना पर 2-3 चीजों की मांग करता हूं कि इस बदायूं की घटना जो हुयी है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है और उसके प्रति तत्काल आवश्यक कार्यवाही की जाए, और इस मौके पर जिला अधिकारी, खुफिया विभाग के अधिकारी तथा वहां के संबंधित अन्य वरिष्ठ अधिकारी क्या करते रहे, इस नर-संहार की रोक-थाम उन लोगों ने किन कारणों से नहीं की और इस पर कोई प्रिकाशन क्यों नहीं पहले से ही बरता ?

इससे साफ जाहिर है कि उन्होंने बदायूं के अन्दर जो दंगा कराया है, जिसमें सैकड़ों लोगों की जानें गयीं है, हजारों लोग अस्पताल में है, इनके कुकर्मों का और सुनियोजित षडयंत्र का यह परिणाम है । मान्यवर, इस घटना को रोका जा सकता था । जब यह जानते थे कि प्रदेश में उर्दू विधेयक लाया जा रहा है, तो इनको अपने प्रशासन को सतर्क रखना चाहिये था । उर्दू विधेयक चुनावी स्टंट है । उर्दू विधेयक अच्छी चीज है, मैं उसकी सराहना करता हूं, लेकिन जिस उद्देश्य से यह बिल लाया गया है, वह केवल प्रचार करने के लिये लाया गया है । अगर इनको हिम्मत होती, तो उर्दू को सहूलियतें देना चाहिये था । जिस प्रकार से एक बड़ी और छोटी बहिन का रिश्ता होता है, उसी प्रकार की सहूलियत इनको हिन्दी और उर्दू को देनी चाहिये थी । यह जो घटना हुई है, वह इन्हीं की सरकार के रवैये के कारण हुई है । इन्होंने इसको इसलिये कराया है, जिससे इनको चुनाव में मदद मिल सके । मुझे पूरा विश्वास है कि आज प्रदेश की जनता का इन पर आशा, उम्मीद और यकीन बिलकुल नहीं रह गयी है और वह दिन दूर नहीं है, जैसा कि मैंने निवेदन किया है कि आज सत्र का इनके लिये अंतिम दिन है । तिवारी जी की सरकार के लोगों का आज आखिरी दिन है और जो यह कान्ड हुआ है, यह इनको ले जायेगा । मैं प्रदेश की जनता से अपील करता हूं कि वह सौहार्द्रपूर्ण वातावरण बनाये, जिससे इनके जो मनसूबे है वह पूरे न हों । यह मैं अपील करता हूं । मैं आप के माध्यम से मांग करता हूं कि इन्हें इसके लिये क्षोभ प्रकट करना चाहिये, अगर यह सरकार एसा नहीं करती है, तो 6 महीने के अन्दर जनता इनसे इस्तीफा ले लेगी । इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष—

संक्षेप में मंत्री जी का वक्तव्य हो जाये, फिर आप लोग बोलेंगे ।

श्री मुहम्मद आजम खां—

मान्यवर, नियम 311 और 56 के अन्तर्गत जो मैंने नोटिस दिया था, उसके बारे में आप का ही लिखित आया है कि चर्चा में मेरा पहला नाम है ।

श्री उपाध्यक्ष—

नियम 54 के अनुसार उनका वक्तव्य होगा । आपका नाम है ।

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । एक बहुत ही गम्भीर मसले पर चर्चा हो रही है और यह एक एसा विषय है जिस पर पूरे प्रदेश की जनता नजर लगाये है और एसे मौके पर माननीय मुख्य मंत्री जी का सदन में न होना खटक रहा है । अगर वह हों तो उनको आप बुलवा लें ।

श्री उपाध्यक्ष—

संक्षेप में गृह मन्त्री जी वक्तव्य दे दें ।

*गृह मन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी)—

मान्यवर, इसमें कोई दो राय नहीं है कि यह अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण घटना है । मैं इसके बारे में संक्षेप में कहना चाहूंगी । मान्यवर, प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 27.9.89 को स्थानीय एस0 के0 इन्टर कालेज के विद्यार्थियों ने उर्दू को दूसरी राज्य

*वक्ता ने अपने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

भाषा बनाने के विरोध में अपना एक ज्ञापन जिला प्रशासन को दिया । इसके विरोध में दिनांक 28.9.89 को प्रातः लगभग 9.00 बजे स्थानीय इस्लामिया इन्टर कालेज के लगभग 200-300 विद्यार्थियों ने एक जुलूस निकाला तथा एस0 के0 इन्टर कालेज गये, जहां दोनों विद्यालयों के विद्यार्थियों के मध्य भारी पत्थर बाजी हुई । सूचना मिलने पर प्रशासनिक अधिकारी तथा पुलिस मौके पर पहुंच गयी । हिंसात्मक भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को पहले लाठी चार्ज तथा बाद में हवाई फायरिंग करनी पड़ी । शनैः-शनैः यह समाचार शहर में फैलने के कारण प्रतिक्रिया स्वरूप शहर के अन्य आठ-दस स्थानों पर पत्थर-बाजी तथा आगजनी की घटनायें हुईं । उसी दिन बदायूं के निकट एक रेल को रोक कर उसके यात्रियों पर भी आक्रमण किया गया । अब तक प्राप्त सूचनानुसार इन सब हिंसक घटनाओं में 23 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है ।

(व्यवधान)

श्री शारदा नन्द अंचल—

आज की पोजीशन बताइये यह तो कल की बात है ।

श्री उपाध्यक्ष—

आपको बाद में मौका मिलेगा ।

(व्यवधान)

श्री मुहम्मद आजम खां—

यह गलत है ।

श्री उपाध्यक्ष—

आपको अपनी बात कहने का मौका मिलेगा पहले उनको सुन लें ।

(व्यवधान)

श्रीमती सुशीला रोहतगी—

इनमें से 12 मृतक वह हैं जो रेलगाड़ी पर हुए आक्रमण की घटना से सम्बन्धित हैं । कुल घायलों की संख्या 148 होने की सूचना प्राप्त हुई है जिसमें 106 को प्राथमिक चिकित्सा के उपरान्त अवमुक्त कर दिया गया है । शेष का स्थानीय अस्पतालों में उपचार हो रहा है । यह भी सूचना मिली है कि एक सिनेमा हाल, एक पेट्रोल पम्प तथा लगभग 20-22 दुकानें भी आगजनी में क्षतिग्रस्त हो गयी हैं जिला प्रशासन द्वारा स्थिति को नियंत्रित करने के उपरान्त दिनांक 28.9.89 को अपराह्न 4.00 बजे से सम्पूर्ण शहर में थाना कोतवाली एवं सिविल लाइंस के अन्तर्गत कर्फ्यू लगा दिया गया है ।

(व्यवधान)

(उस समय 3 बजकर 17 मिनट पर दर्शक दीर्घा से नारे बाजी की गई एवं पर्चे फेंके गये ।)

दिनांक 28.9.89 को हुई उक्त हिंसक घटनाओं के उपरान्त लागू किया गया कर्फ्यू यथावत् जारी है । कर्फ्यू लगाने के उपरान्त अब तक किसी अप्रिय घटना का समाचार प्राप्त नहीं हुआ है । केवल कुछ स्थानों पर फायरिंग का सुना जाना बताया गया है परन्तु इसकी पुष्टि नहीं हो पायी है ।

नगर में पर्याप्त मात्रा में पी0 ए0 सी0 भेज दी गयी है और पुलिस व्यवस्था को और सुदृढ़ कर दिया गया है । पुलिस/पी0 ए0 सी0 द्वारा फ्लैग मार्च भी किया गया है और शहर को विभिन्न सेक्टरों में विभाजित करके प्रभावी गश्त किया जा रहा है । अब तक प्राप्त सूचनानुसार 76 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है । कर्फ्यू क्षेत्र में आवश्यक वस्तुओं के वितरण की व्यवस्था की जा रही है । शान्ति समितियों की बैठक भी आयोजित की गयी है । स्थिति तनावपूर्ण परन्तु नियन्त्रण में है ।

प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों/पुलिस अधीक्षकों को पूर्ण सावधानी बरतने के लिए सतर्क कर दिया गया है ।

(व्यवधान)

श्री विजय सिंह राणा—

मान्यवर, एक स्पष्टीकरण चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष—

अभी तो चर्चा हो रही है स्पष्टीकरण का सवाल कहां आता है, वह बाद में कर लें (व्यवधान) चर्चा के बाद स्पष्टीकरण होगा ।

श्री विजय सिंह राणा—

चर्चा में स्पष्टीकरण होना आवश्यक है ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

अभी नहीं बाद में ।

श्री राम आसरे वर्मा—

क्या पूरा वक्तव्य हो गया है या रह गया है ।

श्री उपाध्यक्ष—

अपना संक्षिप्त वक्तव्य दे रहे हैं, उसके बाद, बाद में बोलेंगी ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

श्रीमान आज जिस गम्भीर विषय पर चर्चा हो रही है...

श्री काशी सिंह ऐरी—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री उपाध्यक्ष—

चर्चा में कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री काशी सिंह ऐरी—

चर्चा के ही सम्बन्ध में है । मान्यवर, यह जो अत्यन्त दुखद घटना हुई है इससे न केवल प्रदेश की जनता बल्कि देश का सम्पूर्ण जनमानस उद्वेलित है । मैं कहना चाहता हूं कि इसी प्रकार की एक घटना पिछले दिनों हल्द्वानी में हुई, वहां पर भी दर्जनों लोग मारे गये हैं उस पर भी मैं चाहूंगा सरकार वक्तव्य दे । पिछले दिनों सदन में व्यवधान के कारण वह नहीं आ पाया है । इसके अलावा दूसरी बात एक और है कि इस प्रदेश के 40 हजार राजकीय शिक्षक हड़ताल पर हैं उस पर भी चर्चा नहीं हुई . . . ।

---

*वक्ता ने अपने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री उपाध्यक्ष—

उस पर कार्यवाही के निर्देश कर दिये हैं । यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

मान्यवर, अभी एक दुखद घटना पर यहां पर चर्चा हो रही है । इस प्रकार की गम्भीर घटनायें न केवल बदायूं में हुई हैं बल्कि सम्पूर्ण प्रदेश और देश में पिछले दो सालों से अपनी चर्मोत्कृष्ठ सीमा पर पहुंच गयी है । मान्यवर, दुःख इस बात का है कि आजादी मिले 42 वर्ष हो गये हैं और इन वर्षों में जिनका शासन रहा उसने हिन्दुस्तान के लोगों को हिन्दुस्तानी बनने का, भारतीय बनने का, इंडियन बनने का कोई प्रयास नहीं किया । इन 42 वर्षों में ब्राह्मन, ठाकुर, यादव और दूसरी जातियों में लोगों को बांटने का काम किया गया है जिसका कारण है कि हिन्दू-मुस्लमान इन 42 वर्षों में हिन्दुस्तानी नहीं बना और हिन्दू मुसलमान को बांटते रहे जिसका परिणाम बदायूं और अन्य जगहों पर उभर कर सामने आया है । मान्यवर, यह घटना बदायूं में जो हुई, उसमें प्रदर्शन कर अपनी मांग-पत्र देना जनतांत्रिक अधिकार है लेकिन जुलूस हिंसक हो जाये उसके लिये जितनी हमारी जिम्मेदारी है कि जुलूस हिंसक न होने पाये उतनी ही सरकार की भी जिम्मेदारी है कि उस हिंसक जुलूस को हिंसा करने से बचाये । मान्यवर, सरकार को पहली बार विद्यार्थी परिषद् के लोगों ने जाकर ज्ञापन दिये तो सरकार को खुफिया रिपोर्ट पुलिस की मिली होगी और उच्च अधिकारियों को जानकारी दी गयी होगी कि दूसरे सम्प्रदाय के लोग भी ज्ञापन देने जा रहे हैं । मैं जानना चाहता हूं कि दूसरा पक्ष ज्ञापन देने गया तो पर्याप्त पुलिस बल क्यों नहीं लगाया गया जिससे कालेज के पास आक्रामक रुख अख्तियार कर लिया ? यदि सरकार वहां पुलिस बल लगा देती और पहले से चौकसी बरतती तो यह घटना बदायूं में होने से बच जाती । मान्यवर, पिछले 2-3 वर्षों में सरकार ने प्रदेश को साम्प्रदायिकता की चिंगारी पर खड़ा कर दिया और जब चिंगारी जली, उर्दू विधेयक के बारे में यहां नहीं कहना चाहता हूं, आपको पहले से आभास होना चाहिए था कि कहीं न कहीं घटना हो सकती है, इसलिये आपको इसकी व्यवस्था करनी चाहिए थी । मान्यवर, एक जुलूस पहले गया, दूसरा जुलूस बाद में गया, आपकी सबसे बड़ी कमजोरी रही कि पुलिस बल का वहां पर्याप्त व्यवस्था नहीं किया जिससे यह घटना घटी ।

मान्यवर, दूसरी बात 1947 में मैंने सुना था, देखा नहीं था, 1947 में जब देश आजाद हुआ और देश का बंटवारा हुआ तो जब उधर से इधर लोग आये तो रेल से लोगों को खींच-खींच कर मारा गया । उसी तरह 1947 की स्थिति अब आ गयी है तो इसको बचाने का उपाय क्या सरकार को पर्याप्त पुलिस बल लगाकर नहीं करना चाहिए था । मैं कहना चाहता हूं कि सरकार ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जिससे बदायूं में यह स्थिति पैदा हुई ।

मंत्री जी इसका समुचित जवाब दें कि वहां मरने वाले और मारने वाले एक ही सम्प्रदाय के नहीं बल्कि हिन्दू और मुसलमान दोनों ही मिले होंगे । वहां पूरे शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया है तो जो मंत्री जी ने मृतकों की संख्या बतायी है वह असत्य है । कर्फ्यू लगा है तब तक कैसे पता चलेगा ? कर्फ्यू समाप्त होने पर ही पता लगेगा कि कितने लोग मरे हैं । मेरी जानकारी है कि वहां सैकड़ों लोग मरे हैं । कितने ही लोग अस्पताल से अपने लोगों की लाशें उठा ले गये जिनका पोस्टमार्टम तक नहीं किया गया क्योंकि इससे मृतकों की संख्या बढ़ जाती ।

मान्यवर, साम्प्रदायिकता समाज में हो जाये तो उतनी हानिकारक नहीं होगी जितनी कि सरकार जब साम्प्रदायिक हो जाये । इसलिये मैं आरोप लगाता हूं कि यह सरकार स्वयं साम्प्रदायिक हो गयी है क्योंकि उसको अल्पसंख्यकों के वोट अपनी झोली में डलवाने हैं । इसलिये मैं मान्यवर, आपके माध्यम से मांग करता हूं कि यह जो विवादित मामला है राम जन्म भूमि और बाबरी मस्जिद का जो संघर्ष चल रहा है और दूसरा संघर्ष प्रारम्भ हो गया है उसमें सरकार से निवेदन करता हूं कि अब हिन्दुस्तान में प्रदेश में प्रदेश को ऐसी साम्प्रदायिकता की कगार पर इस तरह वोट के लालच में, सत्ता के लालच में न ले जायं और साम्प्रदायिकता से बचने के लिये देश और प्रदेश में रहने वालों को हिन्दू मुसलमान न बनाकर उन्हें हिन्दुस्तानी बनायें । इस तरह का शासन स्तर पर जब तक निर्णय नहीं लिया जायगा तब तक साम्प्रदायिकता को नहीं रोका जा सकता है । इसलिये एक बार पुनः मैं आरोप लगाता हूं कि यह सरकार साम्प्रदायिक हो गयी है और साम्प्रदायिकता को बढ़ावा दे रही है उसको रोकने का प्रयास यदि नहीं किया गया, पुलिस बल नहीं लगाया गया तो आज सैकड़ों लोग मारे गये हैं कल गांव-गांव में इसकी चिंगारी पहुंचेगी और हजारों लोग मारे जायेंगे । इसलिये मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि सरकार इस ओर ध्यान दे । इसी के साथ मैं यह भी मांग करता हूं कि बदायूं की घटना के संबंध में सरकार इस्तीफा दे ।

श्री मोहम्मद अबरार अहमद—

मान्यवर, मैं बदायूं का हूं, मुझे आप पहले बोलने का इसमें मौका दीजिए । इधर से भी बोलने दीजिए ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

ऐसा है माननीय आजम खां साहब का नाम मैंने पुकार दिया था । उनको बोलने दीजिये । उसके बाद आपको समय दे दूंगा ।

श्री मुहम्मद आजम खां—

मान्यवर, घटना दुखद है । यह तो सबको एहसास है कि सरकार ने इसको बहुत हल्केपन से लिया है । इस चीज को आप भी देख रहे हैं कि माननीय मुख्य मंत्री जी ऐसे अहम मसले पर चर्चा के समय यहां नहीं हैं । गृह मंत्री ने जो बयान दिया है, वह सारे का सारा हम लोग तीन दिन पहले अखबार में पढ़ चुके हैं । उसमें कोई भी नयापन नहीं है । कोई ताजगी नहीं है । कोई ऐसी बात नहीं है जो नई हो । कोई लेटेस्ट हालात हमें मंत्री जी ने नहीं दिये हैं । इस वक्त वहां पर क्या हालात है, इसको मंत्री जी नहीं बता सकी है । इसके दो कारण है एक तो यह कि मंत्री जी को खुद वहां के ताजे हालात मालूम नहीं है कि वहां पर इस समय क्या हालत है या दूसरे फिर यहां पर सही जानकारी हम नहीं करना चाहती है । दोनों सूरतों में यह एक गम्भीर बात है । यदि यह सही है कि उनको नहीं मालूम है तो यह संगीन बात है और आप सदन के साथ एखलाकी और सामाजिक जुल्म कर रही हैं । हम अपने-अपने क्षेत्र में जाकर आम जनता से कह देंगे कि हमने वहां पर अपनी बात कह दी लेकिन हमने देश और समाज के सामने अपना हक कितना अदा किया है, यह हमारा दिल ही जानता है । कहा यह जाता है कि पहले कुछ लोग उर्दू भाषा के विरोध में अपना मेमोरेण्डम देने गये थे और देकर वह चले आए । यह बात मंत्री जी ने बहुत मुंह दबाकर और सच्चाई को छिपाकर कही है । दाकई में यह गलत बात है और असलियत तो यह है कि एक बहुत बड़े हजूम में जुलूस की शक्ल में यह लोग वहां गये

थे । यह जुलूस उस दिन निकला था और उसमें 'हिन्दी हिन्दू हिन्दुस्तान, मियां जाओ पाकिस्तान' जैसे जहरीले नारे लगाये गये थे । वही जुलूस पहले निकला था बाराबंकी में । मैंने सदन में कहा था, क्योंकि मेरी छठी हिस पुकारती थी कि आग लगने वाली है । सदन का जो माहौल है और बाहर का जो ऐसा माहौल है, उसके चलते नफरत इतनी बढ़ेगी कि इंसानियत लहू लुहान हो जाएगी । इसीलिए मैंने कहा था कि मालूम होना चाहिए कि कौन सा ऐसा तब्का है जो प्रदेश और देश में जुल्म, नफरत और साम्प्रदायिकता की आग लगाना चाहता है, किसने अनेक जगह इस तरह के खतरनाक नारे लगाये हैं । यह मेमोरेण्डम देने वाला 5-10 व्यक्तियों का डेलीगेशन नहीं था । यह जुलूस यह नारे लगाते हुए निकला बाबर की संतान को भारत में नहीं रहने दिया जाएगा । मैं कहना चाहता हूं कि एक मशाल पूरे देश को जला सकती है, लेकिन मशाल को जलाने के लिए केवल एक चिंगारी की जरूरत होगी । वह चिंगारी कौन है, इसका आपको पता लगाना होगा । उस दिन भी मैंने इस बात को कहा था और आज फिर उस बात को कहना चाहता हूं, मैं हिन्दू-मुसलमान की कोई बात नहीं कह रहा हूं । जो दर्द हमारे दिलों में है, उसे मैं बयान करना चाहता हूं । मैं इल्जाम के तौर पर कुछ नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन हमारे सत्तापक्ष के लोग उस दर्द का एहसास नहीं करते हैं । अगर इस दर्द को महसूस किया गया होता तो हमें यहां सही सूचना दी गई होती, इस जुलूस को रोका गया होता, जिन्होंने सामाजिक अमन-चैन को नुकसान पहुंचाने वाले नारे लगाये, उन पर कार्यवाही की गयी होती और इस पर गहराई से विचार किया गया होता कि यह जो मशाल जली इसकी इब्तदा कहां से हुई । लेकिन इस सरकार ने इस रुबके बजाए, इसको बढ़ावा दिया है । दो दिन तक जो हालात रहे प्रदेश में, यही हालत यदि रहेंगे प्रदेश में और सरकार इस पर अंकुश नहीं लगाएगी और उससे सियासी फायदा उठाने की कोशिश करेगी तो हमें यह सोचना पड़ेगा । इधर के लोग उधर चले जाएं, उधर के लोग इधर चले आएं, लेकिन मुल्क का क्या होगा, इस देश के रहने वाले 70-75 करोड़ लोगों का क्या होगा ? कोई रंग, धर्म या नस्ल के नाम पर जुल्म करता है, फिरकादाराना फसादात कराता है । एक फर्क एक फर्द कत्ल नहीं हुआ है लहू-लुहान हुआ है, इंसानियत के नाम पर उसे खून में बहा दिया गया है । वह लोग जो किसी रंग से, किसी नाम से मजहब से नफरत करते हैं उन्हें यह हमेशा याद रखना चाहिए कि इन नफरतों के आधार पर इस मुल्क की तबाही के अलावा कोई रास्ता नहीं है । दुनिया की जमीन बहुत बड़ी है । नफरत करने वाले लोग इस देश को छोड़कर जा सकते हैं । लेकिन जो इसे अपना मादरे-वतन कहते हैं वह इस मुल्क को छोड़कर हरगिज नहीं जायेंगे, न कोई नारा लगायेंगे कि पाकिस्तान चले जाओ लेकिन अब ऐसा नहीं है, ऐसी कोशिश करने वालों को हमेशा याद रखना चाहिए कि हिन्दुस्तान की सरहदों के बाहर हमारे लिए कोई जगह नहीं है । हिन्दुस्तान में रहने वाली अकलियतों ने यह मान लिया है कि यह मुल्क हमारा है । हिन्दुस्तान में रहने वाले मुसलमान, हिन्दू, सिख का है । न यहां से मुसलमान चला जाएगा, न हिन्दू और न सिख चला जाएगा । आपको याद होगा मैंने इसी सदन में कहा था कि एक वर्ग है जो नफरत फैला रहा है जो घास के ढेर पर खड़े होकर शान्ति की बात करता है जो आग की फूंस से ढककर गर्मी को छिपाना चाहता है । मान्यवर, बदायूं की सूरतेहाल इन्तहाई नाजुक और अफसोसनाक है । हमारे साथी माननीय माता प्रसाद पाण्डेय जी ने कहा कि सन् 1947 को दोहराया गया है । यह सही है । सन् 1947 में ट्रेनें रोककर लोग कत्ल किये गये । वही बदायूं में हुआ । हमें देखना यह है कि पंजाब में ट्रेनें रोकने वालों को आतंकवादी कहा गया । इन्दिरा गांधी के कत्ल पर हिन्दू और सिख को कत्ल की कीमत अदा करनी पड़ी । हिन्दुस्तान को कत्ल की कीमत अदा करनी पड़ी । पंजाब जैसे हालात यह उत्तर प्रदेश में पैदा करना चाहते हैं । जो एक नये पाकिस्तान की तस्वीर दिखाकर हिन्दुस्तान में नफरत का माहौल पैदा करना चाहते हैं वह इस देश

के दुश्मन हैं आप जानते हैं शासन हमारे पास नहीं है पी0 ए0 सी0 हमारे पास नहीं है सी0 आर0 पी0 हमारे पास नहीं है । शासन का चलाने वाला सारा तन्त्र आपके पास है । नफरत फैलाने वालों ट्रेनें रोकने वालों के खिलाफ कार्यवाही करने की पूरी ताकत आपके पास है । शासन का सारा तन्त्र आपके पास है लिहाजा इन्जाम भी आपको सहना होगा । आप जानते हैं पी0 ए0 सी0 के बारे में सिर्फ मुसलमान की खराब राय नहीं है । पन्त नगर यूनिवर्सिटी में फायरिंग हुई । जिसमें सिर्फ और सिर्फ हिन्दू मजदूर मारे गये । वहां कोई मुसलमान नहीं था । हल्द्वानी में जो हुआ वह किसी से छिपा नहीं है पी0 ए0 सी0 ने हिन्दुओं को मारकर महिलाओं की इज्जत लूटकर अपने चरित्र का सुबूत दिया है । हमारी मांग है मैंने आज ही मुख्य मंत्री जी से कहा है कि पी0 ए0 सी0 फौरन वहां से हटाई जाए सी0 आर0 पी0 वहां लगाई जाए इस मुल्क के लिये यह बात भी इत्मीनानबख्श है जुल्म सहने वाले लोग सी0 आर0 पी0 की फौज पर भरोसा करते हैं मैं यह भी जानना चाहता हूं कि बदायूं में मरने वालों की सही तादाद क्या है । क्योंकि कोई ट्रेन रोकी या काटी जाती है तो सिर्फ 13 लोग ही नहीं मारे जाते हैं लाशें गायब की गईं मरने वालों की सही संख्या छिपा ली गई आप हमें बतायें कि अस्पतालों में घायलों की संख्या क्या है । वहां पर नार्मलाइजेशन लाने केलिये आप क्या कर रहे हैं । हम चाहते हैं कि सदन की एक समिति गठित की जाए जिसमें दोनों तरफ के मेम्बर हों । हम चाहते हैं कि यहां से एक वफ्द जाए जो वहां के सूरतेहाल को देखे और लोगों को समझाने की कोशिश करे । जिस सम्प्रदाय के लोग होंगे वह अपना असर इस्तेमाल करके समझाने की कोशिश करेंगे लिहाजा सदन का एक ऐसा डेलीगेशन आज ही बदायूं जाना चाहिये जो हालात का सही अन्दाजा लगाए । अमन कायम करने में मदद कर सके ।

*श्री मोहम्मद अबरार अहमद—

मान्यवर, मैं जनपद बदायूं से एम0 एल0 ए0 हूं । जब यह दंगा हुआ मैं यहां मौजूद था दो दिन से लगातार प्रयास किया बदायूं में क्या हुआ है मैंने अपने निजी तौर पर मालूम किया । सबसे पहले बताना चाहता हूं । मेरा जो अपना पेट्रोल पम्प जो सिविल लाइन में है डी0 एम0 एस0 पी0 के बराबर में है, वह फूंक डाला गया । मान्यवर, जो हंगामा वहां पर हुआ है उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं, सरकार को बताना चाहता हूं । अपने पक्ष के लोगों और विपक्ष के लोगों को बताना चाहता हूं कि यह दंगा आकस्मिक नहीं है, बाकायदा इस दंगे की नींव पहले से रखी गयी है । मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं । जब प्रधान मंत्री बदायूं आये थे तो उससे दो दिन पूर्व . . .

श्री भगवानदीन कुशवाहा—

आप कहना क्या चाहते हैं । (शोर)

श्री उपाध्यक्ष—

आप लोग शांति बनाये रखें, यह ठीक नहीं है ।

श्री मोहम्मद अबरार अहमद—

वहां पर अस्पताल में दंगा हुआ । यह दंगा क्यों हुआ यह मैं बताना चाहता हूं । बी0 जे0 पी0 पार्टी ने वहां पर धरना दिया था और उनका डाक्टरों से झगड़ा हुआ था । उन्होंने शासन से कहा था कि हम लोग अस्पताल के सामने धरना देना चाहते हैं. अपनी बात

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

रखना चाहते हैं । उसके बाद जुलूस के रूप में डी0 एम0, एस0 पी0 के पास जाकर अपना ज्ञापन देंगे । वहां के प्रशासन न इसका इंतजाम किया । उन्होंने वहां भाषण दिया, सरकार को गालियां दीं, डाक्टरों को गालियां दी उसके बाद वह लोग वहां से कलेक्टर की तरफ चले गये । यहां पर शासन की कमी रही । ज्ञापन देने से पहले पुलिस हटा ली गयी । उसके बाद दूसरा गोल आया जिसने अस्पताल पर हमला किया, डाक्टरों पर हमला किया, नर्सों पर हमला किया और कर्मचारियों पर हमला किया और खूब पिटाई की, तनाव तो वहां से शुरू हो गया था । यह मैं मानता हूं कि हमारे जिला प्रशासन ने इसको गंभीरता से नहीं लिया । अगर इसको गंभीरता से लिया जाता तो आगे यह दंगा न होता । मैं यह पूछना चाहता हूं यह विपक्ष के लोग जो अपनी रैलियां निकाल सकते हैं, अपने जुलूस निकाल सकते हैं तो क्या सत्तापक्ष के लोग अपने जुलूस नहीं निकाल सकते, क्या उनको अपना जुलूस निकालने का हक नहीं है । आप अपनी बात कहना चाहते हैं तो हमारी बात क्यों नहीं सुनना चाहते हैं । मैं पूछना चाहता हूं कि जुलूस पर हमला क्यों किया गया । और उसके विरोध में आप अपना जुलूस निकाल सकते हैं तो अगर उसके समर्थन में कोई जुलूस निकालता है तो उसका विरोध क्यों हुआ । आपने जुलूस निकाला, डी0 एम0 तक पहुंचे किसी ने हमला नहीं किया । लेकिन जब उन्होंने जुलूस निकाला तो उस पर ईंटें क्यों चलाये गये । यह जुल्म क्यों किया गया यह हमें सोचना पड़ेगा । आप अपनी बात रखना चाहते हैं तो दूसरे की बात क्यों नहीं सुनना चाहते हैं । मैं कहना चाहता हूं कि यह सरकार वाकई में कमजोर है । जो गड़बड़ी आप करते हैं उसकी आपको सजा मिलनी चाहिए । विपक्ष को जो सजा मिलनी चाहिए थी वह सजा नहीं मिल पायी । हम इस सदन में भी देख रहे, सजा नहीं दे पा रहे हैं । यह कमजोरी जब तक रहेगी शासन नहीं चलेगा । गलती करने वाला मुजरिम है, चाहे वह पक्ष का है या विपक्ष का है, चाहे आपका लड़का है या मेरा लड़का है । जो कानून को अपने हाथ में लेगा, चाहे वह जनता दल का है या कांग्रेसी है, उसको सजा देनी ही पड़ेगी और सजा नहीं देंगे, तो यह देश टुकड़े-टुकड़े हो जायगा । मैं यह बताना चाहता हूं कि आप उस वर्ग को खत्म कीजिए, हमें तो दोनों से शिकायत है, चाहे वे इस दल के हों या उस दल के हों । मैं तो यह कह रहा हूं कि जिन्होंने अपराध किया है, जिन्होंने बैठ कर साजिश की है और दंगा कराया है, उनको सजा अगर नहीं देंगे, तो आग भड़क जायेगी, चाहे इधर का एम0 एल0 ए0 हो या उधर का एम0 एल0 ए0 हो, अगर आप सजा नहीं देंगे, तो हमको सफलता नहीं मिल पायेगी । जहां पर ट्रेन रोकी गयी, जनता दल का एक पदाधिकारी उसी गांव का रहने वाला है, उसके नेतृत्व में ट्रेन रोकी गयी । एक जनता दल का पदाधिकारी है बदायूं में जिले स्तर का, उसने अपने आदमियों को ले जाकर ट्रेन को रोकवायी । यह दंगा विरोधियों ने करवाया है ।

(शोर-गुल)

नता विरोधी दल (श्री सत्यपाल सिंह)—

उपाध्यक्ष जी, अबरार साहब को मालूम होना चाहिए कि जनता दल का कोई भी जिला संगठन नहीं बना है, इसलिए जनता दल का कोई पदाधिकारी हो ही नहीं सकता । आप कांग्रेसी को जनता दल का कह रहे हैं ।

(घोर व्यवधान)

श्री मोहम्मद अबरार अहमद—

इसकी इन्क्वायरी कराइये ।

श्री राम आसरे वर्मा—

एक व्यवस्था का सवाल है । मान्यवर, माननीय सदस्य बदायूं ने जिस व्यथा के साथ अपनी बात रखी है, वह हरएक आदमी को खलने वाली है, लेकिन जो यह बात सारे विपक्ष को लेकर कही है, यह बात स्पष्ट होनी चाहिए । गुनहगार चाहे विपक्ष का हो या पक्ष का हो उस पर उंगली उठनी चाहिए, मान्यवर, सारे विपक्ष पर उंगली उठाना ठीक नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष—

वह इसको स्पष्ट कर रहे हैं । (व्यवधान)

श्री मोहम्मद अबरार अहमद—

मान्यवर, मैं कह रहा हूं कि इसकी इन्क्वायरी की जाय । यह दंगा बी0 जे0 पी0 के पदाधिकारियों ने कराया है ।

(व्यवधान)

*श्री मित्रसेन—

माननीय उपाध्यक्ष जी, साम्प्रदायिकता के जहर से जो नरसंहार हुआ है और बदायूं का जो नर-संहार का मसला हमारे सामने है, उस पर अगर विपक्ष और पक्ष के लोग शेम-शेम कह कर संतोष कर लेते हैं, तो यह हमारे लिए शोभा की बात नहीं है । मान्यवर, आज शासन को देखना चाहिए विगत सालों (साल भर) से हमारी पार्टी लगातार इस बात का प्रयास करती चली आ रही है और पूरे प्रदेश और देश में क्रान्ति का जहर पैदा किया जा रहा है और इस साम्प्रदायिकता के जहर को पैदा करने वाले लोगों पर कोई अंकुश नहीं लगाया जा रहा है । लगातार प्रशासन और शासन ढिलाई बरतता जा रहा है, आज यही हुआ है बदायूं के मामले में भी । मान्यवर, जो समाचार आया है उसमें यह है कि जिला प्रशासन की ढिलाई है और सबसे बड़ी ढिलाई यह है कि तीन दिन हो गये घटना हुए जिन परिवारों के लोग, नौजवान मार दिये गये, जिन माताओं की गोद खाली हो गयी, जिनकी मांगों के सिंदूर धुल गये, जिनके बुढ़ापे की लकड़ी टूट गयी, जिनकी लाखों की सम्पत्तियां जल गयीं उनको शेम-शेम के नारों से संतोष नहीं होगा । मान्यवर, यह साम्प्रदायिकता की आग पूरे प्रदेश में फैजाबाद को केन्द्र मानकर फैलाई जा रही है । मान्यवर, जैसा माननीय सदस्य सत्तापक्ष कह रहे हैं यह आकस्मिक घटना नहीं है, सुनियोजित है । वैसे ही मैं कह रहा हूं कि यह साम्प्रदायिकता की आग पूरे प्रदेश में सुनियोजित तरीके से भड़कायी जा रही है । कुछ ऐसे उग्रवादी साम्प्रदायिक संगठन हैं जो सुनियोजित तरीके से जब चाहते हैं तब सड़कों पर प्रदर्शन करते हुए नारे लगाते हैं 'हिन्दू हिन्दी हिन्दुस्तान, कटुआ जाओ पाकिस्तान । राम जन्म भूमि का बदला लेंगे बाबर की औलाद से' । यह नारे लगाये जाते हैं तो कैसे नहीं साम्प्रदायिकता की आग लगेगी । पंडित नारायण दत्त तिवारी में कुछ नैतिकता होती तो इनको इस्तीफा दे देना चाहिए था, अगर नहीं देते तो हमारी मांग है कि उनको इस्तीफा देना चाहिए । पूरे देश में जिस तरीके से साम्प्रदायिकता की आग भड़क रही है उसके लिए अभी आप फैजाबाद को देखें, अभी हमारे माननीय सदस्य कह रहे थे कि फैजाबाद, बाराबंकी, बस्ती, सुल्तानपुर, जौनपुर, गोंडा, दहराइच में सुनियोजित तरीके से दंगा करने की कोशिश की जा रही है । मान्यवर, पूरा अखबार भरा पड़ा है । 25 तारीख का अखबार है "गये लोग" फैजाबाद का है इसमें है कि उत्तेजनात्मक नारों के विरोध पर भगदड़ मची, पुलिस सतर्क ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री उपाध्यक्ष—

आप फैजाबाद पर पहुंच गये वहां बदायू की बात हो रही है ।

श्री मित्रसेन—

मान्यवर, प्रश्न है कि फैजाबाद में माहौल गरमाया जा रहा है । दूसरा अखबार है नवभारत टाइम्स 27 तारीख का है, इसमें है कि शिला पूजन के तनाव से निपटने की बड़ी तैयारी । इसके बाद फैजाबाद का अखबार "हम आप" इसमें है कि फैजाबाद में माहौल गरमाया जा रहा है । 26 तारीख का अखबार "नये लोग" इसमें है कि प्रशासन की ढुलमुल नीति से नागरिकों में रोष । मान्यवर, हम लोगों ने लगातार शासन और प्रशासन में प्रयास किया है कि साम्प्रदायिक तनाव पर रोक लगाई जाय । माननीय मुख्य मंत्री से, पार्लियामेन्ट के जो कम्युनिस्ट पार्टी के नेता हैं इन्द्रजीत गुप्ता जी उन्होंने केन्द्र के गृहमंत्री बूटा सिंह से बात करने के बाद मुख्य मंत्री से बात की तो मुख्य मंत्री ने कहा कि हम किसी किस्म का तनाव फैजाबाद में नहीं होने देंगे । फैजाबाद में उग्रवादी संगठनों ने प्रदर्शन निकालकर कसावबाड़ा और सब्जीमंडी में पत्थरबाजी की और अश्लील संवेदनशील नारे लगाये, 26 तारीख को यही हुआ, 27, 28 और 29 तारीख को सुनियोजित तरीके से यह हुआ । मान्यवर, मैं बार-बार मांग करता हूं कि 8 और 9 नवम्बर को फैजाबाद में जो होने वाला है उसके पहले आप साम्प्रदायिक उग्रवादी तत्वों पर प्रतिबन्ध लगायें लेकिन जानबूझकर सरकार अपनी विफलताओं पर पर्दा डाल रही है और यह उर्दू विधेयक चुनाव के मुद्दे को नजर में रखकर लाया गया है और विरोध करने वालों ने भी इसके इसी मुद्दे को नजर में रखकर विरोध किया है । मान्यवर, जब कुछ लोगों ने रथ-यात्रा निकाली तो सरकार ने बाबरी मस्जिद का दरवाजा खोल दिया, यह दोनों मिलकर यह काम कर रहे हैं । साम्प्रदायिकता की आग लगाने में कांग्रेस पीछे नहीं है । इनमें उनमें होड़ लगी है कि हिन्दुओं के वोट कौन लेगा । अगर साम्प्रदायिकता को रोकना है तो साम्प्रदायी उग्रवादी संगठनों का देश और प्रदेश में प्रतिबन्ध लगाना पड़ेगा और उनसे सख्ती से निपटना पड़ेगा । मान्यवर, आज सदन उठ रहा है सदन के उठने के पहले माननीय मुख्य मंत्री को और हमारे सत्तापक्ष को यह विश्वास दिलानी चाहिए और पूरे प्रदेश की जनता को यह बताना चाहिए कि आगे प्रदेश के किसी कोने में साम्प्रदायिकता की आग नहीं लगेगी और जब तक इसको रोकने का प्रयास नहीं करेंगे तब तक उन्हें सत्ता पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है । मान्यवर, हमारी मांग है कि सरकार इसको रोकने का प्रयास करे और इस्तीफा दे ।

*श्री अफसर यू0 अहमद—

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया । उसके लिये शुक्रिया अदा करते हुए अर्ज करना चाहता हूं कि यहां पर जो बातें कही गयीं कि कौन हंगामा कराता है, दंगे कराता है, यह मेरा प्रतीक है, हटेगा नहीं, माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं इस सम्मानित सदन के सामने, आपके, सत्तापक्ष, विपक्ष, दर्शक दीर्घा और पत्रकार बंधुओं के सामने, आपको याद होगा कि इसी सदन के अन्दर कुछ लोगों ने ऐलान किया था, चैलेंज किया था, कुछ लोगों ने धमकी दी थी कि अगर इसी तरह से किया गया तो पूरे हिन्दुस्तान में 1947 को रिपीट करवा देंगे । यह बात झूठी नहीं है । अगर आप लोगों में इतनी अखलाकी जरूरत है, चरित्र मजबूत है हिन्दुस्तान को अपना कहते हैं तो उन तमाम लोगों से अपील करता हूं कि वे हिम्मत करके सामने आएं जिन्होंने इस सम्मानित सदन के अन्दर नारा दिया था कि 1947 को रिपीट करवा

*कक्षा ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

दंगे । अगर विधान सभा में ऐसी बात कही जाती है कि दंगा फसाद या खून-खराबा करायेंगे, अगर इनको यहां पर नहीं रोका जा सकता है तो निश्चित रूप से मैं कहूंगा कि बाहर जाकर यही लोग कहेंगे कि उर्दू विधेयक लाया जा रहा है । इन्होंने न जाने कितने जिलों में बदायूं की तरह हंगामा किया है या इस तरह का हंगामा करने की साजिश की है । सम्मानित सदस्य इधर के हों या उधर के, यह मान लें कि हिन्दुस्तान में जो भी है, हमारा अपना है, कहीं कोई कमी है तो सुधार करने की जरूरत है, उसको फेंक नहीं देना है । जहां ले का इलाका जहां हमेशा बर्फ पड़ती है, उसके लिए हम आखिरी दम तक लड़ाई लड़ रहे हैं । इस देश में रहने वालों में कोई कमी है तो उसमें सुधार कीजिये, लेकिन यह मतलब नहीं है कि उनको जान से मार दीजिये । कोई नारा लगा रहा है तो उसको मार दीजिये । मैं कहना चाहूंगा कि जो साम्प्रदायिक हैं, जो लोग नहीं चाहते हैं कि एक वर्ग विशेष के लोग यहां रहें, इसलिए सन् 1947 से मांग करते रहे हैं कि, ऐसे लोग हैं जिन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या करा दी, ऐसे लोगों के खिलाफ पूरी तरह से कड़ी नजर रखी जानी चाहिए । जो लोग देश की तरक्की में बराबर का हिस्सा लेते हैं, हम सब उसमें शामिल हैं, हमें चाहिए कि जिन्होंने सदन में साम्प्रदायिक दंगा फैलाने की कोशिश की, यहां पर धमकी दी, उनके खिलाफ कार्यवाही की जाय और जांच की जाए कि उनके मंसूबे उत्तर प्रदेश को जलाने के लिये कहां-कहां बने हैं ? अगर ऐसा नहीं होगा तो उत्तर प्रदेश जलने लगेगा और लोग मरते रहेंगे । इसलिये ऐसी साम्प्रदायिक शक्तियों को कन्ट्रोल कीजिये और इनको आगे बढ़ने से रोकिये, वरना उत्तर प्रदेश जलेगा तो देश में कुछ भी नहीं बच सकेगा ।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

माननीय उपाध्यक्ष जी, बदायूं में जो नरसंहार हुआ, उस पर जितनी चिंता प्रकट की जाय, कम है । मान्यवर, मानव खन का रंग सबका लाल होता है । मैं और मेरी पार्टी, हम इस मत के नहीं हैं कि खोपड़ी गिनें कि कितने हिन्दू मारे गये या मुसलमान, जो भी मारे गये, हमारे लिये अत्यंत दुःख और चिंता की बात है, लेकिन स्थिति बहुत ही गम्भीर होती जा रही है । स्थिति की गम्भीरता यह है कि ट्रेन रोकी गयी और एक ही उपासना पद्धति के लोगों को छांट-छांट कर मौत के घाट उतार दिया गया ।

यह साम्प्रदायिक उन्माद, यह हमारे देश में चिन्ता की बात है । मान्यवर, मेरी मान्यता है कि हमारा देश एक इन्द्रधनुषी संस्कृति है । हम सर्वधर्म समभाव में विश्वास रखते हैं । हर आदमी को उपासना करने का अपने तरह से व्यवहार करने का अधिकार है । चन्द नोटों की लालच में यह सरकार जानबूझकर एक ऐसा तनावपूर्ण वातावरण पैदा करना चाहती है जिससे हमारे प्रदेश की शांति व्यवस्था नष्ट हो जाय । जहां तक मेरी जानकारी है उसके अनुसार बदायूं में 1947 के बाद कभी दंगे नहीं हुये । यह प्रशासन पूरी तरह से फेल हुआ है । बदायूं के माननीय सदस्य अभी बोल रहे थे, उनसे भी जानना चाहता हूं कि हास्पिटल में धरना देने के बाद दूसरा गैंग कौन पहुंचा था ? किन लोगों ने मार-पीट की थी । जिलाधिकारी, एस0 पी0 को ज्ञापन देने का अधिकार सबको है । इस बात की जांच होनी चाहिये कि वे लोग कौन थे । मान्यवर, वे लोग सत्तारूढ़ दल के ही लोग थे ।

श्री मोहम्मद अबरार अहमद—

बिल्कुल नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आपकी जानकारी गलत है । आपने मुझसे ही जानना चाहा था, इसीलिये मैं बोलने के लिये खड़ा हुआ । सब बी0 जे0 पी0 के लोग थे ।

---

*वक्ता ने भाषण का पनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

शासन पूरी तरीके से फेल है हम तो आरोप लगाना चाहते हैं कि इनके द्वारा शासन के अधिकारियों को निर्देश है कि आप दंगों को मत रोकिये, दंगे होने दीजिये । जिसका बदायूं उदाहरण है, एस0 के0 कालेज और इस्लामिया कालेज इन दोनों के बीच की दूरी डेढ़ कि0मी0 है । जुलूस ज्ञापन दे चुका था । अधिकारियों को एल0 आई0 यू0 ने रिपोर्ट नहीं दी या क्या हुआ डेढ़ कि0 मी0 तक जुलूस कैसे चला गया, पुलिस उनके साथ क्यों नहीं थी । मारपीट होने लगी । मान्यवर, मैंने पहले भी कहा मारे निर्दोष लोग जाते हैं । एक सतीश चन्द्र पाण्डेय, सेल्स टैक्स आफिसर मारे गये, न वे एस0 के0 कालेज के विद्यार्थी थे और न इस्लामिया कालेज के विद्यार्थी थे । निर्दोष मारे जा रहे हैं सड़कों पर लाशें पड़ी रहीं । जिस विशेष मुद्दों की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय सदस्य शांति बनाये रखें ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

हमें इस पर चिन्ता करनी पड़ेगी, यह जो साम्प्रदायिक उन्माद की आग को भड़काया जा रहा है इसका जो लोग फायदा उठा रहे हैं, उठाना चाहते हैं, उनके खिलाफ हम सबको दोनों पक्षों को सोचना पड़ेगा । यह भारत माता हमारी है, यह देश हमारा है, पार्टी से ऊपर है, वोटों से ऊपर है, यह बात पैदा करनी है । आजम साहब की स्पीच के एक अंश को कहना चाहता हूं, "हिन्दी हिन्दू हिन्दुस्तान, मुस्लिम जाओ पाकिस्तान" यह नारे गलत हैं । लेकिन आजम साहब से जानना चाहूंगा कि जिन लोगों ने नारा लगाया था भारत माता डायन है, यह नारे लगाये, उनके खिलाफ क्या कार्यवाही वे करेंगे ? फूलबाग के मैदान में यह उन्मादी बातें कैसे हो गयी भारत माता को डायन कहने वाला हिन्दुस्तान का सपूत कभी नहीं रहेगा । मान्यवर, जब हाउस में उर्दू विधेयक पेश हो रहा था, मैंने हाथ जोड़कर बड़ी विनम्रतापूर्वक मुख्य मंत्री जी से कहा था कि इस विधेयक के बारे में पुनर्विचार कर लें । तब तक शायद यह घटना हो चुकी थी, शासन को जानकारी मिल गयी होगी, या शासन की जानकारी मिली न हो क्योंकि उस दिन पूरे 40 जिलों की हाट लाइन खराब थी । 10-11 बजे यह घटना हो चुकी थी । आज प्रातः कालीन मुख्य मंत्री जी से मुलाकात हुई, कहने लगे विद्यार्थी परिषद् के लोगों को मिलवा दें मुझसे, मैंने कहा क्यों कहने लगे कुछ सफाई देना चाहता हूं उनको । जो जजमेंट हुआ था हाई कोर्ट का उसकी 4 पंक्तियों को पढ़ लिया गया होता । जिसमें स्वतः स्पष्ट था । उस जजमेन्ट का हिन्दी अनुवाद बताना चाहता हूं, पैराग्राफ 40 है "वस्तुतः उपर्युक्त प्रयोजनों में या उनमें से किसी के लिये विशेष विधिक प्राधिकार की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि ये सभी प्रयोजन ऐसे हैं जिनके लिये राज्य में उर्दू का प्रयोग पहले से अनुज्ञात था ।" उन्होंने आगे जो कहा है, वह बहुत ही महत्वपूर्ण है ।

श्री प्रदीप माथुर—

आप जो पढ़ रहे हैं, उसकी एक प्रति आपने पीठ को दी है ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मैं कापी भिजवा दूंगा । वैसे मैं शब्दशः नहीं पढ़ रहा हूं केवल भाव कह देना चाहता हूं । हिन्दी समर्थकों की आशंका यह है कि यह अध्यादेश खूंटे की पतली नोक की भांति है और अन्त में सरकारी काम काज भी दो भाषाओं में किया जायगा, जिसका

परिणाम यह होगा कि सभी हिन्दी जानने वाले सरकारी सेवकों को तथा सरकारी सेवा के अभ्यर्थियों को विवश किया जायगा कि फारसी लिपि में लिखी उर्दू भी सीखें और विद्यालयों में भी फारसी लिपि में उर्दू पढ़ाना आवश्यक हो जायगा । हम ऊपर व्यक्त कर चुके हैं कि इस प्रकार की आशंका के लिये अवसर नहीं है और उर्दू के समर्थकों की भावनाओं की तुष्टि के लिये सरकार अधिकतम जो कुछ कर सकती थी वह अध्यादेश के उपबन्धों में कर दिया गया है और इस राज्य में उससे आगे बढ़ना अनुज्ञेय न होगा क्योंकि यह राज्य भारत सरकार की अनुच्छेद 347 के अधीन नीति-घोषणा के अनुसार स्पष्टतः एक भाषा-भाषी है ।

मान्यवर, इस प्रकार की विवादास्पद बात चुनाव के तत्काल पहले ले लेने की कोई जरूरत नहीं थी । राम जन्म भूमि और बाबरी मस्जिद का विवाद पहले ही चल रहा है, जिसको यह सरकार अभी तक हल नहीं कर पाई है, यह बात बिल्कुल साफ है और इसमें कोई गाली देने वाली बात नहीं है । लेकिन आज हर एक देशभक्त नागरिक को यह नहीं सोचना चाहिये कि हिन्दुस्तान की पहचान राम से होगी या बाबर से होगी । इसके बाद मान्यवर, यह अब दूसरे विवाद को ले आये । इन्होंने आज से 5 साल पहले अपने घोषणा-पत्र में कहा था कि उर्दू के बारे में कुछ सोचेंगे । लेकिन इन्होंने 5 साल तक तो कुछ नहीं किया और जब चुनाव आने वाला है, तो यह उर्दू विधेयक ले आये । मैं कहना चाहता हूं कि इस सरकार के लोग चंद वोटों की खातिर हिन्दुस्तान को बांटने में संकोच नहीं करेंगे । आप देखिये मिजोरम में चुनाव हुये, उसके बाद वहां के मुख्यमंत्री श्री राजीव गांधी से मांग करते हैं कि मिजोरम की सरकार को भंग कर दीजिये और फिर से चुनाव करा दीजिये क्योंकि वहां पर ईसाई मतानुसार सरकार बनायी जायगी, जो घोषणा-पत्र का अंश है । इसको लेकर आज वहां हाई कोर्ट में याचिका दाखिल हुई और यह याचिका खारिज होने वाली है । अब उत्तर प्रदेश में चुनाव होने जा रहे हैं, तो यह ऐसे विधेयक को ले आये, जो बिल्कुल अस्पष्ट और विवादास्पद है । इसमें कोई नई बात नहीं है । मैंने बिहार का विधेयक पढ़ा है, उसमें जो-जो बातें कही गयी है, वह आप भी पढ़ चुके हैं । लेकिन एक उन्माद आपको पैदा करना है । मैं आग लगाने की बात नहीं कहता क्योंकि आग लगने पर हमारा सबसे पहला काम है कि पहले आग पर पानी डाला जाय, जो घाव हो गया है, उस घाव पर मलहम लगाया जाय । मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को साफ-साफ बता देना चाहता हूं कि जो भी बदायूं में घटना हुयी है, उसकी पूरी जिम्मेदार यह सरकार है और मैं आरोप लगाना चाहता हूं कि चुनाव के मौके पर चंद वोटों के लिये आपने साम्प्रदायिक सौमनस्य को नष्ट करने के लिये, भाषाई उन्माद खड़ा करने के लिये, भाषा को एक सम्प्रदाय के साथ जोड़ने के लिये इस विधेयक को पास किया है । आप इस विधेयक को वापस ले लें और मुख्यमंत्री जी आप इस्तीफा दे दें तथा हल्द्वानी की तरह मृत लोगों के आश्रितों को 1-1 लाख रुपया दिया जाय । यह सरकार तो बिल्कुल फेल है, अभी 5 दिन पहले मुजफ्फरनगर में 5 हरिजनों को मौत के घाट उतार दिया गया । वहां एक हरिजन को पकड़कर पुलिस ले गयी थी, जिसको कुछ आदमियों ने जाकर छुड़ा लिया, रास्ते में मन्दिर के पास और हरिजन खड़े थे और वहीं पर यह घटना हो गयी । मैं जानना चाहता हूं कि जब एक आदमी को पुलिस ने पकड़ा और उसको लोग छुड़ाकर ले जा रहे थे तो ऐसे उन्मादी जुलूस के साथ पुलिस क्यों नहीं थी ? अगर पुलिस साथ में होती, तो शायद यह घटना आज न होती । इस घटना में ओम प्रकाश नामक एक हरिजन भी मारा गया । इसी प्रकार 6 दिन पहले हल्द्वानी में कांड हुआ, उसके

बाद हमारे यहां सीतापुर में टी0 वी0 टावर के पास आपके ही लोगों ने पुलिस से तमाम संभ्रान्त लोगों को पिटवाया, लेकिन आपने पुलिस के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की, यदि आपने कार्यवाही की होती, तो यह बात नहीं होती । आज यह जो अल्पसंख्यकवाद पैदा हो रहा है, यह सरकार खुद उसकी जिम्मेदार है । अगर आप देश की एकता, अखंडता, देशभक्ति में विश्वास करते हैं तो आज प्रतिज्ञा करने की जरूरत है कि एक बार तो पाकिस्तान बन गया, लेकिन अब दुबारा भारत को बंटने नहीं दिया जायगा और यह सरकार जो अशांति पैदा करना चाहती है, उसके खिलाफ हमें आवाज उठाना होगा । मैं समझता हूं कि हम सब लोगों को एक साथ मिलकर इस समस्या से जूझना चाहिए । इन शब्दों के साथ मैं यह भी मांग करता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी को त्याग-पत्र देना चाहिए, उर्दू विधेयक को वापस लेना चाहिए, इस मामले की न्यायिक जांच करानी चाहिए और जिन लोगों की मौतें हुई हैं, उन्हें एक-एक लाख रुपया देना चाहिए । मैं पुनः कहना चाहता हूं कि सरकार कट्टरपंथी साम्प्रदायिकता का उन्माद पैदा करने वालों के खिलाफ कड़े कदम नहीं उठायेगी तो उत्तर प्रदेश में शांति-व्यवस्था रखना सम्भव नहीं हो पायेगा । इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

(इस समय 4 बजकर 5 मिनट पर महिला दर्शक दीर्घा से नारे लगाये गये व पर्चे फेंके गये ।)

(श्री हरदेव के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष—

मैं आपको इजाजत नहीं दे रहा हूं । कृपा करके आप बैठ जायं ।

श्री भोला शंकर मौर्य—

मान्यवर, यह बदायूं का मामला है । इस पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया । यह घटना बंदायू के लिए ही नहीं अपितु सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश के लिए एक शर्मनाक घटना है । इसके तथ्य जो अभी सरकार की ओर से दिये गये और हमारे अन्य सम्मानित सदस्यों ने यहां पर दिये, मैं समझता हूं कि उसमें अभी पूरे तथ्य सामने नहीं आये । इस घटना को मैं सुनियोजित मानता हूं । इसका बीज, जब भारत बन्द हुआ था, तभी से पड़ गये थे और जो शख्स इस घटना के पीछे है, वे छुपे नहीं हैं । मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि वह अपने खुफिया तंत्र से यह मालूम करवायें कि सरकार ने जिन दो शैडों को दे रखे हैं, उसने जबरियां बन्द का आह्वान किया और जबरियां दुकानों को बन्द करवाया, वही लोग 9 तारीख को अस्पताल में जमा हुए और एक उत्तेजनात्मक नारे लगाते हुए डाक्टरों के साथ पथराव किया और उसके बाद एक पूरा कांड हुआ और इस पर प्रशासन की आखें नहीं खुली और यह घटना घटी । यह बहुत ही दुखद घटना है । कितने लोग मारे गये हैं, हम परसों से प्रयास कर रहे हैं, परन्तु सही स्थिति मालूम नहीं हो पा रही है । एक सबसे बड़ी दुखद घटना यह है कि एक साल पहले एक कांड अस्पताल से ही शुरू हुआ था और वह एक दल विशेष के लोगों ने करवाया । बी0 जे0 पी0 के जो वहां वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने उसको करवाया । सी0 एम0 ओ0 के साथ मार-पीट की गयी और उसे कमरे से निकाल बाहर किया गया । सितम्बर में यह घटना फिर हुई इसका विवरण बड़ा शर्मनाक है । जब प्रशासन का जलूस निकल रहा था तो

जलूस के साथ न पहले दिन पुलिस थी और न प्रशासन के अधिकारी साथ में थे । जब ज्ञापन दिया गया, उस समय कौन-कौन लोग मौजूद थे और किस-किस ने क्या बात कही और सौहार्दपूर्ण वातावरण में रह रहे थे, कभी किसी ने किसी के लिए कोई नफरत की बात नहीं है, हमारे बदायूं जनपद में आजादी के बाद से चाहे वे हिन्दू हों या मुसलमान हों, बड़े सौहार्दपूर्ण वातावरण में रह रहे थे, कभी किसी ने किसी के लिए कोई नफरत की बात नहीं कही । चाहे वह मुहर्रम हुआ हो, चाहे होली हो, दिवाली हो, कभी किसी ने ऐसा उन्मादी वातावरण पैदा नहीं किया । लेकिन यह जानबूझकर उत्तेजनात्मक जुलूस को जो बढ़ने दिया गया और वहां पर सबसे बड़ी खेद की बात यह है कि जब जुलूस निकल रहा था, उसके लिए जिला प्रशासन को कोई ज्ञान न हो, सूचना न हो, पुलिस उसके साथ न हो, यह अत्यंत खेदजनक है । जहां पर ट्रेन रोकी गयी है वह एक ऐसे समुदाय का गांव है, जहां पर हमेशा 1947 से पहले भी जब दंगा हुआ था, वहां पर कत्ले आम हुआ था । इस संवेदनशील गांव की निगरानी न की गयी हो, प्रशासन की नाक के नीचे यह सब कुछ होता रहा हो, ट्रेन को रोककर जैसे लोग मारे गये हैं, मैं इससे बहुत दुखी हूं और संवेदना के साथ सरकार से मांग करूंगा कि जितने बदायूं जनपद के लोग मारे गये हैं . . . .

(श्री उपाध्यक्ष द्वारा श्री राम शरण दास को बोलने की अनुमति देने एवं उनके खड़े होने से व्यवधान)

उनको मुआवजा दिया जाय । इस सदन के सम्मानित सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वहां पर प्रकरण शान्त करने के लिये ताकि कोई उत्तेजना न फैले, इस सदन के कुछ वरिष्ठ सदस्यों को वहां पर भेजा जाय जो कि सौहार्द का वातावरण पैदा करें ।

(श्री राम शरण दास के खड़े होने पर व्यवधान)

परिवहन राज्य मंत्री (श्री प्रमोद कुमार)—

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है, माननीय राम शरण दास जी की पगड़ी . . .
(व्यवधान) (समय—4 बजकर 10 मिनट)

श्री राम शरण दास—

मान्यवर, यह कोई ढंग नहीं है माननीय सदस्य का कमेण्ट करने का ।

मैं इस बेशर्म सरकार को क्या कहूं । इनके दो एम0 एल0 ए0 बोले हैं बदायूं के और दोनों ने प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया है । माननीय मुख्यमंत्री जी, जो चौबीसों घण्टे हंसते रहते हैं, उन्हें पता है कितने लोगों की मृत्यु हुई है । यह श्रीमती जी मन्त्री जी जो यहां बैठी हैं, इन्होंने मृतकों की संख्या 23 बतायी है । 60 से ज्यादा हत्यायें वहां पर हुई हैं और ये हंसते हैं, तालियां बजाते हैं और दोष दूसरों पर मढ़ते हैं । मैं पूरा दोष इस सरकार पर मढ़ता हूं । इस सरकार के रहते इस देश में शान्ति पैदा नहीं हो सकती । अम्मार रिजवी जी बैठे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि वहां पर कलेक्टर अभी है ? एस0 पी0 और एस0 एस0 पी0 अभी हैं ? अगर अभी वहीं पर हैं, तो इस्तीफा दे दो और डूब कर मर जाओ अगर वही एस0 पी0 और कलेक्टर वहां पर मौजूद हैं । इस देश को आजादी दिलायी थी, इसीलिये नहीं कि इसे टुकड़ों में बांट दो । हिन्दू, मुसलमान, सिख और ईसाई सब हमारे भाई हैं । हमें मन्दिर, मस्जिद, चर्च और गुरुद्वारे की एक समान ही इज्जद करनी होगी । अगर आप इस देश को मन्दिर, मस्जिद, चर्च और गुरुद्वारे में बांटना चाहते हो तो इस देश का क्या होगा । यह खेत और खलिहान का देश है । मेरे लिये

सारे धाम बराबर हैं । मुख्यमंत्री जी ने कहा कि उन्होंने बहुत बड़ा तीर मार लिया आज । उन्होंने कहा कि उनकी बड़ी हवा बन गयी । काहे से बन गयी कि ''नो कान्फीडेन्स'' में हम हार गये । ये जनता से वोट लेंगे हमारे ''नो कान्फीडेन्स'' में हारने पर । क्या करेंगे इस देश का ? मैं विनम्र निवेदन करता हूं कि सख्ती करिये । किसी में भी कमी हो, कोई भी मुलजिम हो चाहे वह हिन्दू हो या मुसलमान, आप उसके प्रति सख्ती से काम कीजिये इसमें हिचकिचाने की जरूरत नहीं है । धार्मिक झगड़ा हुआ है, अगर ऐसी घटना घटित होती है तो इसे सख्ती के साथ निपटाइये । झगड़ा हुआ है, अगर धार्मिक झगड़ा हुआ है तो मुझे नहीं मालूम कि आपके लिये यह बात कैसी होगी लेकिन मेरे लिये यह बहुत ही शर्म की बात है । हमारे लिये देश का प्रदेश का कोई भी आदमी इन्सान है चाहे कहीं का वह हो, हमारे लिये सब बराबर हैं, मैं मुसलमान के साथ भी खाना खाता हूं, उनकी इज्जत करता हूं लेकिन बदायूं की जो घटना हुई है इससे हमारे प्रदेश के आदमियों का सिर झुक गया है । आप लोग महात्मा गांधी की तस्वीर के नीचे बैठे हो कम से कम उनसे कुछ प्रेरणा लो । धर्म के नाम पर वोट मांगते हो ? बड़े-बड़े कत्ल और बड़ी-बड़ी डकैतियां हमने सुनी लेकिन धर्म के नाम पर वोट मांगते हुए नहीं देखा । ये लोग क्या कर रहे हैं ? चुनाव को मद्देनजर रखकर काम कर रहे हैं और अधिकारियों की पोस्टिंग उसी हिसाब से कर रहे हैं । क्या इस तरह से झगड़ा करा कर वोट मिलेगा ? बदायूं की घटना ऐसी बड़ी घटना नहीं है कि जिसे रोका न जा सके । जो एम0 एल0 ए0 अभी बोल रहे थे, उनसे मेरी बात हुई तो मुझसे उन्होंने कहा कि यह प्रशासन का निकम्मापन है प्रशासन अगर सचेत होता तो यह घटना न होती । यह नारायण दत्त तिवारी की सरकार है जिसमें एक जिले में 60-60 हत्यायें हो जाती हैं, इस समय सदन में मुख्य मंत्री जी हैं, नहीं, होते तो सुनते कि उन्हें इसके बाद एक मिनट क्या एक सेकेन्ड के लिये नहीं बने रहना चाहिये । वैसे कल असेम्बली नहीं होगी लेकिन फिर भी मैं देखना चाहूंगा कि उन्होंने जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ क्या किया है और क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं । आप सचेत हो जाइये और इस प्रकार का झगड़ा आइन्दा न हो और सरकार सख्त से सख्त कदम उठाये ।

*पर्यटन उप मंत्री (श्रीमती प्रेमिला बद्धवार मेहरा)—

माननीय उपाध्यक्ष जी, आज मुझे बोलना पड़ रहा है कि जो यह दुर्घटना हुई है यह मेरे क्षेत्र में हुई है । यह मेरे क्षेत्र में ही नहीं बल्कि मेरे घर में हुई है । यह जो दुर्घटना हुई है यह मेरे ही भाई-बहिनों के साथ हुई है । ऐसी घटना कभी पहले बदायूं में नहीं घटित हुई थी जबकि सन् 1947 में भी राइट्स हुआ था तब भी बदायूं में ऐसा कभी नहीं हुआ था । हमेशा वहां के लोग शान्तिपूर्वक रहते रहे हैं । आज जो झगड़े की सूचना मिल रही है मुझे स्वयं आश्चर्य है कि यह सब कैसे हुआ ? कब हुआ और क्यों हुआ ?

मैं आपको बतलाना चाहती हूं कि आप बतला रहे हैं इस विषय में थोड़ा दिन पहले जनता दल के नेता की एक मीटिंग हमारे क्षेत्र में हुई थी वहां उन्होंने बड़ी बुरी तरह से बयान दिया और उन्होंने साबित कर दिया कि बहुत खराब यानि की उससे खराब स्पीच हो नहीं सकती है । यहां तक कहा कि बहिनों और बेटियों को कि जब वे इलेक्शन में वोट मांगने आयें तो महिला से इस तरह पेश आओ कि उनकी साड़ी खींचो और उनका पल्लू खींचो पकड़ करके । आप बतलाइये कि इस तरह लोगों को उकसाया जायेगा, इस तरह से लोग स्पीच में बोलने लगेंगे तो इसका क्या नतीजा निकलेगा ? इस तरह की स्पीच लोगों को उसकाने के लिये, उनका जोश मारने के लिये दी गयी । जिस तरह से लोगों को उकसाया जा रहा है, मुझे उम्मीद है कि लोग साम्प्रदायिकता को लोगों में पैदा कर रहे हैं और किस तरह

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

से कदम उठाये जा रहे हैं, हम लोग चाहते हैं कि इस तरह की बातें न हों। इस प्रदेश में यह सब बातें पैदा न हों उसके प्रति पूरी तरह से देखने की जरूरत है कि क्षेत्र में साम्प्रदायिकता न बढ़े। जो भी हुआ है, यह जिस तरह की दुर्घटना घटित हुई है, मैं उस के प्रति बतलाना चाहूंगी कि यह जो भी हुआ आइन्दा इसको रोकने के लिये प्रयास किये जायेंगे।

*श्री रामचन्द्र बखश सिंह—

माननीय उपाध्यक्ष जी, बदायूं में जो नर-संहार हुआ है, वह अपने में अत्यन्त ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है, यह घटना इस सरकार के लिये बहुत ही शर्मनाक है। हमारे देश के संविधान निर्माताओं ने इस देश को एक धर्म-निरपेक्ष्य राज्य की संज्ञा दी थी क्योंकि यहां पर भांति-भांति जाति के लोग एक दूसरे के साथ निवास करते हैं, इसीलिये इसे सेकुलर स्टेट कहा गया। इस लिये मैं बड़े स्पष्ट शब्दों में कहना चाहूंगा यहां पर बैठे सभी माननीय सदस्यों से कि इस देश व प्रदेश के लोगों की पहचान न राम से की जायेगी और न बाबरी मस्जिद से, बल्कि इस देश की पहचान झांसी की रानी से की जायेगी, चन्द्रशेखर आजाद, शहीद भगत सिंह तथा श्री अशफाक उल्ला खां से की जायेगी, इनके अंदर जो मूल भावना थी, इन्हीं की भावना को रख-कर हम लोगों को भी प्रत्येक काम करने चाहिये।

मान्यवर, बदायूं में जो कुछ हुआ है, उससे सरकार किसी भी तरह से बच नहीं सकती है और जिस तरह से इस सरकार ने इस घटना को अलग-थलग ढंग से तोड़-मरोड़ कर बयान किया है, यह अच्छी बात नहीं है तीन दिन से वहां पर यह सब हो रहा है, साम्प्रदायिक भावनाओं को बराबर हवा दी जा रही है यही वजह है कि आज की स्थिति वहां की यहां तक पहुंच गयी है और इस पर भी आप यहां पर गैर-जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं कि जिलाधिकारी को यह निर्देश और एस0 एस0 पी0 को यह निर्देश और फलां-फलां को यह किया गया है, यही बात तो हर मामले में कही जाती है, कोई ठोस कार्यवाही आपने की या अब तक नहीं की, मैं समझता हूं कि कुछ भी कार्यवाही जो ऐसे मौकों पर की जाती है, की जानी चाहिये, नहीं की, इसी का आज यह नतीजा बन रहा है कि यह ज्वालामुखी आग आज पूरे प्रदेश में फैली हुई है और इस मामले को उसी दिन हम लोगों ने इसी सदन में उठाया था, लेकिन कोई सचेतक कार्यवाही के कदम नहीं उठाये गये, होना तो यह चाहिये था कि इस मौके पर यहां पर मा0 मुख्य मंत्री जी भी उपस्थित रहते, लेकिन वह हैं नहीं। मान्यवर, आज बराबर राम जन्म भूमि और बाबरी मस्जिद के मामले को लेकर साम्प्रदायिक शक्तियं इस प्रदेश के जन-जन में उभर रही हैं। इस संबंध में जैसा कि माननीय आजम साहब ने कहा, उससे मैं सहमत हूं कि एक जुलूस निकल रहा है और उस जुलूस में पुलिस विभाग के सी0 ओ0, एस0 ओ0 व एस0 सी0 ओ0 आदि भी हैं, उसे घेरे में लिये हुए चल रहे हैं, लेकिन उसी जुलूस में जो उत्तेजनात्मक नारे लगाये जा रहे हैं जिसका जिक्र उन्होंने किया और यह अधिकारीगण मौन धारण किये हुये चल रहे हैं और यदि यह नारे उन बस्तियों में लगे जहां कि अल्पसंख्यक ही रहते हों और यही हुआ, तो ऐसे मौके पर यह अधिकारीगण उन नारे लगाने वालों के विरुद्ध कोई कार्यवाही क्यों नहीं की अगर यह अधिकारी उस समय उन पर अंकुश लगाते तो आज जो हुआ है, वह न होता और मैं समझता हूं कि कोई जुलूस खामोशी से अपना ज्ञापन देने जा रहा हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है, जरूर नारे लगाये होंगे, और उत्तेजनात्मक नारे लगाये होंगे तभी यह स्थिति उत्पन्न हुई है। इसलिये मैं मांग करता हूं कि इस प्रकार के जुलूस जो निकाले जा रहे हैं जो साम्प्रदायिकता की आग को भड़काने वाले हों, निकालने की इजाजत नहीं देनी चाहिये और यह जुलूस गया, कहा जा रहा है कि उन्हें कोई

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जानकारी नहीं थी और जब घटना घट जाती है पूरी तरह से तो पुलिस घटना-स्थल पर पहुंचती है, यह बड़े शर्म की बात है । इसलिए मैं मांग करता हूं कि इस प्रकार के जुलूस पर पाबन्दी लगाई जाए और बदायूं की पूरी स्थिति पर शीघ्र ही कन्ट्रोल किया जाए और इस मामले में तत्काल एक जुडिशियल इन्क्वायरी एक निश्चित समय निर्धारित कर, की जाये और जो लोग इस घटना में मारे गये हैं, उन सारे परिवारवालों को एक-एक लाख रुपया तत्काल ही दिया जाए ।

दूसरे उर्दू भाषा के बारे में जो विधेयक पास किया गया है, उसका कम्युनिस्ट पार्टी समर्थन करती है, लेकिन इस बिल को एक पूंजी का रूप न दिया जाए, जिसे चुनाव के मौके पर भुनाने की कोशिश की जाये । मान्यवर, जहां तक मैं समझता हूं कि इसे मान्यवर, इससे कुछ भुनाने की आशा की जा रही है, मैं कहना चाहता हूं कि चाहे जो कोई भी हो, यह गलत बात है । माननीय अधिष्ठाता महोदय, एक सवाल जो साम्प्रदायिकता का कारण बना हुआ है, वह क्यों है । आज राम जन्म भूमि और बाबरी मस्जिद का सवाल हमारे सामने है ।

(इस समय 4 बजकर 25 मिनट पर अधिष्ठाता श्री राम शरण दास पीठासीन हुए ।) मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आप इस प्रकार के झगड़ों को कब तक चलायेंगे । इस देश में और इस प्रदेश में हिन्दू, मुसलमान, सिख और ईसाई सभी को रहना है । सभी संगठन 15 अगस्त, 1947 को जिस रूप में थे और जहां पर थे, उनको उसी रूप में रखा जाये और उसमें किसी परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है और जो लोग इसके कुछ भुनाने की आशा की जा रही है, मैं कहना चाहता हूं कि चाहे कोई भी हो, यह हिन्दू विश्व परिषद हों, चाहे आदम सेना हो या जमायते इस्लामी हो या और कोई संगठन हो, आज का तकाजा है और मैं मांग करता हूं कि सरकार इस संबंध में सख्ती के साथ निबटे ।

श्री मयंकर सिंह—

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अधिष्ठाता—

आप बैठें । मैंने माननीय सदस्य को बुला लिया है ।

***श्री लाल प्रताप सिंह—**

मान्यवर, मैं पहले भी कह चुका हूं और आज भी कह रहा हूं कि . . .

श्री रघुवर दयाल वर्मा—

मान्यवर, पहले आप सदन को व्यवस्थित करें । मा0 गृहमंत्री जी बात कर रही हैं, वह हमारी बातों को सुन ही नहीं रही हैं । किसी गम्भीर मामले पर बात हो रही है और वह दूसरों से बात कर रहीं हैं । आप इन्हें व्यवस्थित करें ।

श्री अधिष्ठाता—

जब किसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा चल रही हो, तो कोई मंत्री के पास सिफारिश का कागज़ लेकर न जायें ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनवीक्षण नहीं किया ।

श्री लाल प्रताप सिंह—

मान्यवर, तो मैं कह रहा था कि अगर इन साम्प्रदायिक दंगो पर नियंत्रण न पाया गया, तो सारे प्रदेश में झगड़े ही झगड़े होने की संभावना है । कुछ दल और संगठन ऐसे हैं जो इस देश को कम्पूचिया, साइप्रस और अफगानिस्तान की तरह बना देना चाहते हैं । मैं कहना चाहता हूं कि चाहे राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद्, बी0 जे0 पी0, या बजरंग दल हो, सभी इस देश में कम्पूचिया के हालत पैदा कर देना चाहते हैं, मैं बहुत ही यकीन के साथ कहना चाहता हूं कि जो बात राम चन्द्र बक्श जी ने कही है उससे मैं बिलकुल सहमत हूं, कि जो साम्प्रदायिक दल हैं उन पर प्रतिबन्ध अगर न लगाया गया तो आप काबू नहीं पा सकेंगे और प्रोगेसिव समाज की स्थापना नहीं कर पायेंगे । मान्यवर, बात उर्दू की उठायी गयी और बाबरी मस्जिद की उठायी गयी और राम जन्म भूमि की उठायी गयी । इसके संबंध में अगर कोई झगड़ा हो तो उसे कौंसिल कर दें या दूसरे को बुलाकर तय कर दें । आप अदालत में चले जायें और अदालत फैसला कर दे । यह मामला अदालत में गया, लेकिन फिर भी बी0 जे0 पी0 कहती है कि अदालत की बात नहीं मानेंगे । अगर अदालत की बात नहीं मानी जायेगी, तो कैसे मामला चलेगा ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

हम साहिबानों वाले केस में क्या हुआ, जानना चाहते हैं ।

श्री लाल प्रताप सिंह—

मैं वह भी बताना चाहता हूं । मैं बताना चाहता हूं कि कुछ मामले अदालत में गये और कोर्ट ने उनका फैसला किया, फिर दूसरे कोर्ट में फैसला हुआ और वह भी बहाल रहा और फिर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया । मैं कहना चाहता हूं कि कुछ दिन पहले पाकिस्तान में एक झगड़ा हुआ और वह मामला अदालत में गया और अदालत ने कहा कि यह भूमि गुरुद्वारे की है यहां क्या बात है कि बी0 जे0 पी0 के लोग तथा दूसरे लोग जुलूस निकाल कर सारी अनर्गल बातें कर रहे हैं । यही नहीं छोटे-छोटे बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, नफरत का जहर सड़कों पर फैला रहे हैं और बच्चो को किस तरह से नफरत की ट्रेनिंग दे रहे हैं . . .

श्री अधिष्ठाता—

अब आप समाप्त कीजिये मैंने श्री रघुवर दयाल वर्मा को बुला लिया है ।

श्री लाल प्रताप सिंह—

मैं एक बात और कहना चाहता हूं, उर्दू का मसला उठाया गया है ।

श्री अधिष्ठाता—

आप बैठें ।

श्री लाल प्रताप सिंह—

मैं कहना चाहता हूं कि किसी भी जिले में अगर 50 आदमी कहते हैं कि वह लिंग्विस्टिक माइनारिटी से तालुक रखते हैं तो उन्हें सहूलियत दी जानी चाहिये । तो यह सारा षडयंत्र, सारी बरबादी यह करा रहे हैं । जितने झगड़े प्रदेश और देश में सन् 47 के बाद हुये हैं उसमें 99 प्रतिशत आर0 एस0 एस0 वालों ने कराये हैं । अगर इस पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया तो सारा देश और प्रदेश दंगों की चपेट में आ जायेगा । इन पर सख्त निगाह सरकार को रखनी चाहिए । यही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति भंग यह करेंगे । इन शब्दों के साथ मैं मांग करता हूं कि इनको प्रतिबंधित किया जाय ।

श्री मयंकर सिंह—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । माननीय सदस्य ने एक बात कही कि देश में सब दंगे आर0 एस0 एस0 कराता है तो वह बतायें कि कोई भी जजमेंट किसी न्यायालय का या इनक्वायरी कमीशन का यह कहता हूं कि दंगे आर0 एस0 एस0 ने कराये हैं ।

श्री अधिष्ठाता—

यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ।

(व्यवधान)

सिंचाई राज्य मंत्री (श्री मुईद अहमद)—

कमीशन की रिपोर्ट में यह बात आई है ।

(व्यवधान)

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी—

पिछले दंगे सारे देश में कांग्रेस ने कराये हैं यह कमीशन की रिपोर्ट है ।

श्री मुईद अहमद—

यह झूठ है, गलत है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मुईद साहब के खिलाफ सुल्तानपुर दो दिन से बंद है वह वहां जा नहीं पा रहे हैं । लोग इनके घर पर घेराव कर रहे हैं और आरोप है कि यह साम्प्रदायिकता फैला रहे हैं इनकी बार एसोसिएशन की मैम्बरशिप समाप्त कर दी गयी है ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

इस तरह से समय बरबाद न करें । माननीय रघुवर दयाल वर्मा बोलें ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा—

श्रीमन्, बहुत खेद का विषय है कि बदायूं जैसे संवेदनशील और गंभीर मसले पर चर्चा हो रही है और उसको यह लोग जिस प्रकार ले रहे हैं उससे मुझे बहुत तकलीफ

---

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

हो रही है । इसमें पक्ष और विपक्ष का सवाल नहीं है । बदायूं जैसे दुर्घटना को गंभीरता से लेने के बजाय उसके लिये सत्ता और विपक्ष वाले एक दूसरे पर जिम्मेदारी डाल रहे है । और यहां पर बैठे सत्ता पक्ष के जिम्मेदार लोग इस सर्वोच्च सदन में बैठे लोग जो कानून व्यवस्था के लिये जिम्मेदार है उसकी जिम्मेदारी एक दूसरे पर डालकर बच नहीं सकते है वह भले ही यहां पर इससे संतोष कर लें लेकिन देश और प्रदेश की जनता दोषी व्यक्तियों को बक्स नहीं सकती है और हम लोग उनके सामने नालायक कहलायेंगे । इसलिये शर्म आनी चाहिए बिना तथ्यों की जानकारी किये यहां पर अनर्गल बातें कर दें जिनका कानून व्यवस्था से कोई तालुक नहीं है । श्रीमन् बदायूं की घटना को गंभीरता से लीजिये माननीय मंत्री जी यहां पर बैठ कर बातें कर रही है और कुछ लोग अपने काम को लेकर उनसे वार्ता कर रहे है । तो इसके लिये शर्म आनी चाहिये । तो फिर चुल्लू भर पानी में डूब मरने की बात है । मान्यवर, यहां माननीय सदस्य बदायूं ने जो बात कही है उस पर श्री अम्मार रिजवी और चौधरी नरेन्द्र सिंह को गंभीरता से विचार करना चाहिए उन्होंने कहा कि आप अक्षम है जिसके कारण हमारे घर जले और आदमी मारे गये । जब उन्होंने कह दिया कि बी0 जे0 पी0 के लोग भी थे तो तिवारी जी ताली बजा रहे थे उनको शर्म आनी चाहिए । डाक्टर लोहिया की याद और शास्त्री जी की याद आती है । जब लाल बहादुर शास्त्री जी रेल मंत्री थे तो एक रेल दुर्घटना में उन्होंने अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझी और इस्तीफा दे दिया था । लेकिन आज प्रदेश के बदायूं जनपद में 23 लोगों की मृत्यु के बाद उत्तर प्रदेश सरकार अपनी जिम्मेदारी महसूस न करे तो इससे ज्यादा शर्म की बात उनके लिये और कोई नहीं हो सकती है । मुख्य मंत्री जी आज समाजवाद की दोहाई देने वाले है, वह बहुत बड़े विद्वान और ज्ञानी है तो उन्हें नैतिकता के नाते पर इस दुर्घटना में माननीय सदस्यों की बातों को सुनने के लिये यहां होना चाहिए था और नैतिक जिम्मेदारी समझकर आज जो हालत बदायूं में होगी कि लोग घरों में भूखों से तड़प रहे होंगे कुछ पुलिस और गुंडों के लोग घरों में घुसकर अत्याचार कर रहे होंगे लेकिन इस पर शासन की तरफ से एक शब्द नहीं कहा गया ।

श्रीमन्, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय सदस्य कहते है कि इस पर जुडीशियल इंक्वारी हो लेकिन मैं इसके पक्ष में नहीं हूं । श्री अम्मार रिजवी जूडीशियल इंक्वारी कराकर वोट ले सकते है लेकिन दोषी व्यक्तियों को दंड नहीं दिला सकते है । इसलिये सी0 आई0 डी0 जांच कराकर दोषी लोगों को दंडित करें तो समझ में आ सकता है कि आप कुछ करना चाहते है । लेकिन शासन की नीयत खराब है जिससे वह बलवायियों और दंगाईयों को रोकने में अक्षम साबित हो रहे है । इसलिये निवेदन करना चाहता हूं कि आप सबसे पहले इस दंगे को रोकने के लिये कड़ाई से निर्देश दें कि जो लोग दोषी हों उन्हें कानून के हवाले किया जाये । कानून के सामने जो दोषी है उनको जेल में भेजें ।

मान्यवर, मुझे तकलीफ है, हमारे शासन में हिन्दू और मुसलमान हो सकते है किन्तु उनका अनुपात ठीक होना चाहिए । मैं श्री माता प्रसाद पांडेय की बात से सहमत हूं कि आज शासन के लोग साम्प्रदायिक और आपदायी बन गये है । इसलिये पी0 ए0 सी0 में जो साम्प्रदायिक लोग है उनको अलग करें । मुसलमानों को पी0 ए0 सी0 में उचित प्रतिनिधित्व दें और शामिल करें एवं उन्हें साम्प्रदायिक सौहाद्र बनाना चाहिए । इसलिये पुलिस और पी0 ए0 सी0 में साम्प्रदायिक सौहार्द्र की व्यवस्था करनी चाहिए । पी0 ए0 सी0 और पुलिस में उनको उचित प्रतिनिधित्व नहीं देंगे तो दंगे यहां नहीं रोक सकते है ।

मान्यवर, हम चाहते हैं कि दंगे में जो मुकदमे लिखे गये हैं उनके बारे में अदालत ही फैसला करे आप नहीं उनको छोड़ें । मान्यवर, फिरोजाबाद में और आगरे में जितने दंगे हुये उनमें एक पर भी मुकदमा नहीं चला पाये और सरकार ने उन मुकदमों को वापस ले लिया तो यहां ऐसा न करें । इन शब्दों के साथ बदायूं घटना की मैं निंदा और भर्त्सना करता हूं और आपके माध्यम से मांग करता हूं कि यह सरकार इस्तीफा दे ।

(व्यवधान)

*श्री राज किशोर सिंह—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, बदायूं में जो घटना हुई है, जिसमें हमारे प्रदेश का सबसे बड़ा नरसंहार हुआ है ।

(व्यवधान)

(कुछ सदस्यों के खड़े होने पर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

सब एक दम से बोलेंगे तो यह सदन कैसे चलेगा । उनसे भी बुलवायेंगे और इनसे भी बुलवायेंगे सबसे बुलवायेंगे । समय बहुत है । राज किशोर जी को मैंने बुलवा लिया है, उनको बोलने दीजिए । राजकिशोर जी एक दल के नेता हैं, इनको इग्नोर नहीं किया जा सकता है ।

(व्यवधान)

(श्री बुनियाद हुसैन अंसारी और मुहम्मद आजम खां साथ-साथ बोलने का प्रयास करते रहे ।)

जिससे व्यवधान हो गया ।

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, यह बहुत गलत बात है कि माननीय सदस्य इधर से खड़े हैं और बोल रहे हैं और कुछ लोग आपके रोकने के बावजूद अव्यवस्था पैदा कर रहे हैं, उन्हें बोलने नहीं दे रहे हैं । आपके पहले लिखकर देने वाले बहुत लोग हैं, और मैंने भी दिया है ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

मैंने कह दिया है, आप लोग बैठ जाइये । जबरदस्ती नहीं, चाहे 311 हो या कुछ हो । मैं बुलवाऊंगा ।

श्री मुहम्मद आजम खां—

(व्यवधान) यह भी सही है कि महिलाओं को पहले समय देंगे । यह तो उस कुर्सी का कसूर है, जो बैठेंगे उस पर वह नहीं सुनेंगे । इस नोटिस में इनका नाम है, आप इनको भी मौका दीजिए ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

(व्यवधान)

श्री राज किशोर सिंह—

मान्यवर, बदायूं में यह जो घटना हुई है, वह इस सरकार के लिए बहुत बड़ा कलंक है । आज बदायूं में ही मातम नहीं छाया हुआ ह , बल्कि आज पूरे प्रदेश में मातम छाया हुआ है । हमारे देश की जनता इससे चिन्तित है, लेकिन जब सत्ता पक्ष के लोग भाषण करते हैं, तो मेज यह लोग थपथपा रहे हैं, जैसे उनके लिए खुशी का दिन आ गया है । बजाए इससे कि इनके गम में मातम छाये, वह इस गम्भीर घटना को बहुत हल्के-फुल्के तरीके से ले रहे हैं और मुझे तो इस बात का बहुत बड़ा दु:ख है कि इतनी बड़ी घटना हमारे प्रदेश में हो गई, किन्तु हमारी सरकार हिली तक नहीं । यहां पर हमारे मुख्य मंत्री मौजूद है लखनऊ में, और हमारी गृह मंत्री श्रीमती सुशीला रोहतगी और राज्य गृह मंत्री श्री मुईदुज्जमा यहां सदन में मौजूद है किन्तु इनको कोई चिन्ता है ही नहीं । पूरा प्रदेश जलने जा रहा है, हालात बड़े चिंताजनक है । यह तो वही हालत है, जिस तरह रोम जल रहा था धू-धू कर और सीरी सारंगी बजा रहा था । यही हालत हमारे सत्ता पक्ष के लोगों की हो गई है । यह मेज थपथपाने का समय नहीं है । यह तो चिंतन का समय है और आज जो हमारे प्रदेश में दंगे बढ़ रहे हैं । इन दंगों के मामले में उत्तर प्रदेश देश में सर्वश्रेष्ठ है, इसके बाद महाराष्ट्र का नम्बर आता है । यहीं हिन्दुस्तान में सबसे ज्यादा दंगे हुए हैं । पिछले मर्तबा 100 से अधिक दंगे हो गये थे, अब बदायूं का दंगा इसमें और जुड़ गया है । किन्तु हमारी सरकार के कान में जूं तक नहीं रेंगती कि कैसे यह दंगे रोके जाएं ? आज हर व्यक्ति, जिसको देश से प्यार है, वह बहुत ही चिन्तित हो चुका है । पंजाब जल रहा है । वहां हम देखते हैं कि रोज घटनाएं हो रही हैं, उसी तरह की स्थिति हमारे प्रदेश में भी शुरू हो गई है । यहां गाड़ियों में घुस-घुस कर लोग मारे जा रहे हैं, जिस तरह पंजाब में बसों में घुस कर मारे जा रहे हैं । पश्चिमी बंगाल में एक घटना टीटागढ़ में हुई थी और वहां पर कुछ बदमाशों ने जानबूझकर झगड़ा लगाया लेकिन वहां के मुख्य मंत्री ज्योति बसु ने कहा कि अगर बदमाशों को 24 घंटे में पकड़कर नहीं कुचला गया और इस दंगे को भड़कने से नहीं रोका गया तो मैं सरकार से इस्तीफा देकर अलग हो जाऊंगा, लेकिन यहां की सरकार इतनी भ्रष्ट है, बेशरम है कि इतनी बड़ी घटनायें होने के बाद भी इन पर कोई असर नहीं पड़ता है । इस सरकार को रहने का कोई हक नहीं है मान्यवर, राम जन्म भूमि और बाबरी मस्जिद को लेकर कुछ लोग आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं । 20 हजार बजरंग दल के लोग, विश्व की हिन्दू परिषद् हैं, 30 हजार वालंटियर इकट्ठा कर रही है वह इस देश के अन्दर खुरापात करेंगे आपकी सी0 आई0 डी0 क्या कर रही है, क्या आपकी सी0 आई0 डी0 सो रही है । बदायूं में चल रहे उर्दू के सवाल को लेकर . . . .

श्री अधिष्ठाता—

अब आप समाप्त करें ।

श्री राज किशोर सिंह—

मैं चाहता हूं कि उर्दू विधेयक लाने का प्रश्न उठा तो हमारे प्रदेश के, तमाम हिन्दुस्तान के बड़े विद्वान सर्वश्री अमृत लाल नागर, विद्या निवास मिश्र, श्री नारायण चतुर्वेदी . . . [illegible] ।

श्री अधिष्ठाता—

अब आप बैठ जाएं ।

श्री राज किशोर सिंह—

इसके खिलाफ बयान दे रहे थे तो आपकी सी0 आई0 डी0 क्या कर रही थी । हम लोग उर्दू का विरोध नहीं करते हैं हमारी पार्टी उर्दू की हमेशा समर्थक रही है अब भी हम समर्थन कर रहे हैं . . . .

श्री अधिष्ठाता—

आपका समय समाप्त हो गया है । आप बैठें ।

श्री राज किशोर सिंह—

आज पुलिस से हमारा भरोसा उठ गया है । बनारस में पुलिस की वजह से जो लोग मारे गये हैं वह पुलिस की विवेकहीनता के कारण हुआ है । मेरठ में भी पुलिस की भूमिका थी जिसकी वजह से सारा कांड हुआ । अगर यह सरकार ध्यान नहीं देगी तो हालात बद से बदतर होते जाएंगे । मैं विरोधी दल का नेता हूं ।

श्री अधिष्ठाता—

अब आप बैठें ।

श्री राज किशोर सिंह—

यह लोग विपक्षी दल का सहयोग नहीं करते हैं विपक्ष पर जो कीचड़ उछाली जाती है वह सही नहीं है कहा जाता है कि विपक्षी लोगों की वजह से सब होता है ।

श्री अधिष्ठाता—

अब आप समाप्त करें । मैंने उमर साहब को बुला लिया है ।

श्री राज किशोर सिंह—

मैं कहना चाहता हूं कि साम्प्रदायिक दंगों से निपटने के लिए कड़े से कड़े कदम उठाने चाहिए । बदायूं में जो लोग मारे गये हैं उनको एक-एक लाख का मुआवजा मिलना चाहिए ।

*श्री हाफिज मोहम्मद उमर—

बदायूं के फसादात पर हम जिस तरह से चर्चा कर रहे हैं यह बहुत ही शर्मनाक है । जब हम सब लोगों को ऐसे वाकये सुनाई देते हैं तो उससे दिल को बहुत ठेस लगती है । जब भी कोई जिम्मेदार आदमी ऐसे वाकये को सुनता है तो उससे मुतास्सिर होता है, उससे प्रभावित होता है खून के आंसू रोता है । मान्यवर, एक माननीय सदस्य ने कहा यह सब ज्यादती करते हैं अधिकारियों को यह निर्देश दे दीजिये मेरे ख्याल से इस अवसर पर इस तरह की बात करें कि इसमें क्या कदम उठाए जाएं । कैसे इस तरह के वाकयात को आगे बढ़ने से रोका जाए कैसे मांए अपने बेटों को न रोयें । कैसे बीबियां अपने शौहर पर न रोयें इन सब बातों पर गौर करके इस समस्या का समाधान निकाला जाना चाहिए । इस सिलसिले में मैं यह कहना चाहता हूं कि हमने इसको हमेशा बहुत गंभीरता से माना है, हमने भारत मां को माता माना है और डाइन नहीं कहा है । हम भारत को भारत माता मानते हैं लेकिन भारत माता को डाइन कहने वाले लोग उधर ही दिखायी देते हैं ।

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

हमने भारत की आन को बचाने के लिये कुर्बानियां दी हैं लेकिन भारत को छोड़ भागने वाले हमें उधर ही दिखायी देते हैं । इस सदन में किसने यह नारा लगाया, किसने जजबात भड़कायें किसने यह माहौल पैदा किया जो फिरकापरस्ती का माहौल कहलाता है । यह जो माहौल आज फैलाया गया है यह एक अच्छे-नेक हिन्दुस्तानी के लिये नाकाबिले बर्दाश्त है । उधर के माननीय सदस्यों को देखना चाहिये, अपनी जहनियत को देखें, उसी का नतीजा है कि वह चंद सीटों पर सिकुड़ कर खड़े हो गये हैं । जब-जब उन्होंने आंदोलन किया है वह अकेले रह गये हैं । जब-जब इस किस्म का नारा दिया है वह अकेले रह गये हैं । उर्दू को किसी मजहब से नहीं जोड़ना चाहिये, उर्दू को मुसलमानों की जबान नहीं कहना चाहिये । आज जब हम लोग साम्प्रदायिकता के खिलाफ, फिरकापरस्ती के खिलाफ खड़े हुये हैं तो उर्दू का रिफरेंस क्यों दिया गया । ऐसा करना मुनासिब नहीं है । यह ऐसा मसला है जिसको गंभीरता से लेना चाहिये इसको सियासी मसला नहीं बनना चाहिये । मजहब के नाम पर मंदिर को पकड़ कर, या मस्जिद को पकड़ कर हमने बहुत सियासत नहीं की है । हमने इस देश के नाम पर कुरबानियां दी हैं फिरकापरस्ती के नाम पर गांधी को कुरबान किया है, फिरकापरस्ती के नाम पर बड़ी-बड़ी अजीम हस्तियों को कुरबान किया है । अगर आपकी तरफ गोलवलकर से लेकर अब तक कोई ऐसा हुआ हो तो बतला दें । हमने फिरकापरस्ती को हमेशा रोका है और एक अमन का माहौल देने का काम किया है । यह जो फसादात कराने वाले लोग हैं, लोगों के जजबात को भड़काने वाले लोग हैं, जो इसके लिये जिम्मेदार हैं उनकी शिनाख्त की जानी चाहिये और उन तमाम फिरकापरस्त पार्टियों पर फौरन पाबंदी लगानी चाहिये जिनकी वजह से, जिनके भाषणों से जिन्हें लिखने पढ़ने से, जिनके नारों से इस किस्म का माहौल पैदा होता है । हमने उधर के ही लोगों को हिन्दी, हिन्दू, हिन्दुस्तान का नारा लगाते देखा है । हिन्दू और मुसलमान दोनों ने इस मुल्क के महान लोगों को दिया है यह हमारा विश्वास है और इसी विश्वास के साथ हम इस मुल्क को आगे ले जाना चाहते हैं । बार-बार पीठ का इशारा हो रहा है इसलिये मैं अपनी बात समाप्त करते हुये कहना चाहता हूं कि यह टापिक बहुत गंभीर है । हमें इसको बड़ी गंभीरता से लेना चाहिये । इसको मजाक न समझ कर, ठंडे दिल से इस पर गौर करना चाहिये वरना कोई शक नहीं है कि माहौल गैर आलूदा होगा और आम हिन्दुस्तानी को यहां रहने में बड़ी दिक्कतें आयेंगी ।

(कई सदस्यों के खड़े होने पर ।)

*श्री अधिष्ठाता—

10—15 मिनट रह गये हैं, अगर आप चाहते हैं कि इस पर समय बढ़ा दिया जाय तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है ।

(समय बढ़ा दीजिये की आवाजें)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

मान्यवर, जो चर्चायें लगी हैं और जो एजेंडा है उसके हिसाब से रात के 10-11 बजे तक का कार्यक्रम है । अगर सदस्य चाहते हैं तो जितना समय बढ़ाया जाय उतना ही समय अगली चर्चायें जो हैं उनमें से काट कर इसमें बढ़ा दिया जाय ।

श्री सत्यपाल सिंह—

माननीय अधिष्ठाता जी, जिस गम्भीर विषय पर इस समय चर्चा हो रही है, मैं समझता हूं कि आप भी मेरी राय से सहमत होंगे कि माननीय मुख्य मंत्री जी को इस समय सदन में उपस्थित होना चाहिए, उन्हें बुलवाने के लिए मान्यवर, आप माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को निर्देश दे दें ।

श्री अधिष्ठाता—

मैं निर्देश तो नहीं दे सकता हूं, लेकिन कह सकता हूं कि बुला लें तो अच्छा है ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

मान्यवर, समय बढ़ाने के लिए जो आपका इशारा हुआ था, उस पर कोई निर्णय नहीं हुआ ।

*श्री फसीउर्रहमान उर्फ मुन्नन खां—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, हमारे प्रदेश के अन्दर ये जो तमाम कत्ले आम हो रहे हैं, इसमें सरकारी लोगों की भागीदारी रही है, इसका कई जगहों पर उदाहरण मिलता रहा है । मलियाना में तमाम बेगुनाह लोगों का कत्ल हुआ, फैजाबाद में तमाम बेगुनाह लोगों का कत्ल हुआ । वहां पर जो दंगा शुरू हुआ, वह वहां पर त्रिशल का जुलूस निकालने के कारण हुआ था । मान्यवर, इतने छोटे-छोटे चाकू, जो सब्जी काटने वाले होते हैं, उसे रखकर पुलिस वालों ने दफा 25 में चालान किये हैं । मैं इस सरकार से आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि इस सरकार ने त्रिशूल लेकर जुलूस निकालने की कैसे इजाजत दी थी ? कैसे उन लोगों ने त्रिशूल लेकर जुलूस निकाला था । मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि तमाम बेगुनाह लोगों के कत्ले आम में सरकारी लोगों की भागीदारी रही है, लेकिन कोई भी आदमी निलंबित नहीं किया गया । मेरा आरोप है कि सरकार के लोग हमेशा इसमें शामिल रहे हैं । मान्यवर, यह बड़े शर्म की बात है । अब मान्यवर, बदायूं वाले गम्भीर काण्ड की बात मैं कहना चाहता हूं । मान्यवर, इस सदन के 99 प्रतिशत माननीय सदस्यों ने उर्दू को इस देश की द्वितीय राजभाषा का दर्जा प्रदान करने के लिए मान्यता दी, उसके लिए हम इस सदन के आभारी है । मान्यवर, इस उर्दू को द्वितीय राजभाषा का दर्जा देने के विरोध में बदायूं में कत्ले आम हुआ है, जो कि इस देश और प्रदेश के लिए बहुत ही शर्मनाक बात है । मान्यवर, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यह जो बेगुनाह लोगों का कत्ले आम हुआ है, उनके आश्रितों को 5-5 लाख रुपये का अनुदान दिलायें । मान्यवर, हमारे घर का आदमी मर, जायगा, तो हमारे बच्चों पर, हमारी बेटियों पर क्या गुजरेगी ? मान्यवर, आप क्यों नहीं सोचते हैं ? मान्यवर, आप कम से कम 5-5 लाख रुपये उन मरने वालों के आश्रितों को दिलाइये । यह बहुत गम्भीर विषय है । मान्यवर, इस तरह से कत्लेआम बेगुनाह लोगों का नहीं होना चाहिए । यह इस देश और प्रदेश के लिए बहुत ही शर्मनाक चीज है ।

*श्री नेक चन्द्र पाण्डेय—

मान्यवर, बदायूं की घटना के संबंध में इस समय चर्चा हो रही है । मान्यवर, यह घटना सम्पूर्ण प्रदेश के नाम पर एक कलंक है । मान्यवर, हम सबको मिल कर एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना का संकल्प लेना होगा कि हम भविष्य में इन साम्प्रदायिक शक्तियों के खिलाफ संघर्ष करेंगे ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

मान्यवर, हमें संकल्प लाना होगा और ऐसी साम्प्रदायिक शक्तियों के खिलाफ, आतंकवादी ताकतों के खिलाफ जिन्होंने इस तरह की घटना बदायूं में कराई है । उनके विरुद्ध हम सब मिलकर, पूरे सदन के सभी दलों के लोग मिलकर संघर्ष करें । मान्यवर, सारा सदन हमारी बात से सहमत होगा । मान्यवर, आज माननीय गृह मंत्री ने जो सूचना दी है मैं उसे पूर्ण नहीं मानता हूं, मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि वह अपने कंनक्लूडिंग भाषण में इसको बतायेंगी कि वह कौन से लोग थे और किस दल से संबंधित थे जिन्होंने रेल रोकी और वह कौन सी साम्प्रदायिक ताकतें थीं, कौन से लोग थे जिन्होंने इस्लामियां कालेज पर पथराव किया ? मान्यवर, मैं निश्चित जानकारी से कहता हूं कि ये कोई दूसरे लोग नहीं थे वह बगल के लोग थे और ऐसे तत्व जिसने रेल रोकी, मैं उस पर भी अपनी निश्चित जानकारी से कहता हूं कि वह कोई दूसरे नहीं थे बल्कि यह लोग लोकदल ब से संबंधित थे और एक लोकदल ब के नेता ने उसको गनर दिलाया है । मान्यवर, मैं मांग करता हूं कि उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और कठोर से कठोर कार्यवाही होनी चाहिए । मान्यवर, आज जिस प्रकार का वातावरण और जिस प्रकार से इस माननीय सदन का दुरुपयोग करके प्रदेश के अन्दर साम्प्रदायिकता की स्थिति पैदा करने का प्रयास किया गया है उसकी हम सब लोगों को निन्दा करनी चाहिए । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि गठबन्धन के नाम पर सिद्धान्त के नाम पर सारी बातों को तिलांजलि देकर जनता दल और बी0 जे0 पी0 जिनकी आपस में नीतियां नहीं मिलती हैं लेकिन पद के नाम पर अपना गठबन्धन करने का प्रयास कर रहे हैं आखिर विपक्ष में बैठे हुए लोग इस गठबन्धन को लेकर देश की राजनीति को किधर मोड़ना चाहते हैं, संकीर्णता और साम्प्रदायिकता को अपनी गोद में लेकर ये कौन सा नाटक रच रहे हैं । मान्यवर, आज बदायूं में जिस प्रकार की घटना घट चुकी है सारे देश की मानवजाति उससे बहुत पीड़ित है । मैं आज आपके माध्यम से यह मांग करता हूं कि इस घटना की पुनरावृत्ति न हो इसलिए ऐसे तत्वों से सख्ती से निपटना चाहिए और ऐसे तत्वों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मैं मांग करता हूं ।

श्री शफीकुर्रहमान बर्क—

मान्यवर, आज देश व प्रदेश में कितने ही बदायूं बन चुके हैं कहां तक हम मातम करें और किस दर पर मातम करें । हमने अपनी आंखों से मुरादाबाद का कत्लेआम देखा, मलियाना और हाशिमपुर का कत्ल व खून देखा और फिरोजाबाद को जलते देखा और कितनी जगह पर ऐसा हुआ लेकिन आज हमारे पड़ोस में बदायूं जल रहा है, मझे हालात भी मालूम हैं मैं जानता हूं कि बदायूं में 1947 से आज तक कोई वारदात नहीं हुई, लेकिन अफसोस है कि इतना दर्दनाक वाकया, जहां सैकड़ों आदमियों का कत्ले-आम किया जाय, घायल किये जायं, इसमें किन लोगों का हाथ है । किसका मंसूबा है और किनकी साजिश है । पता लगाना होगा अफसोस है कि आज जबकि सेशन चल रहा है 27 सितम्बर, 1989 से यह वारदात शुरू हुई, लेकिन ताज्जुब है कि न तो मुख्य मंत्री, न गृह मंत्री, न कोई और मंत्री आज तक बदायूं के हालात देखने के लिये गया । मैं मांग करता हूं कि मुख्य मंत्री और गृह मंत्री फौरन वहां जांय और हालात को देखें । मुजरिमों को सजा दी जाय और हालात को कन्ट्रोल किया जाय । जहां तक मुसलमानों का ताल्लुक है, मुसलमानों ने इस देश के अन्दर कुर्बानी दी है, लेकिन हिन्दुस्तान की आजादी के 42 साल बाद भी हिन्दी, हिन्दू, हिन्दुस्तान, कटुवा जाय पाकिस्तान का नारा अब तक लग रहा है । हमने विग्रेडियर उस्मान, अब्दुल हमीद और अशफाकउल्ला खां के रूप में कुर्बानी दी है फिर भी ये सर्टीफिकेट मांगते हैं । हमें इसकी जरूरत नहीं है । हम यहां के नागरिक हैं । हमने

सैकड़ों साल यहां हुकूमत की है, हम कहीं जाने वाले नहीं हैं । हम इस देश के रहने वाले हैं । हमें कोई नहीं निकाल सकता । हम इस देश की इज्जत चाहते हैं, आबरू चाहते हैं, अमन चाहते हैं । हम हिन्दू मुसलमान की हिफाजत के लिये कुर्बानी देंगे । हिन्दू का कत्ल हो, मुसलमान का कत्ल हो, सिख का कत्ल हो, यह नाइंसाफी है और जम्हूरियत का कत्ल है । आज जम्हूरियत का कत्ल किया जा रहा है और इन्सानियत को कत्ल किया जा रहा है । मैं पूछना चाहता हूं कि सरकार का सी0 आई0 डी0 क्या कर रही थी । प्रशासन क्या कर रहा था । पहले दिन जुलूस बजरंग दल वालों का निकला तो दूसरे दिन एडमिनिस्ट्रेशन ने जुलस क्यों निकलने दिया । अगर उर्दू इस प्रदेश की दूसरी जुबान बन सकती है तो कौन सी बुराई हो गयी है । मैं तो कहूंगा "हर एक सिक्ख में पथराव है मगर अब तक लहू लूहान परिंदे में जाने बाकी है, उन्हें ये जोम कि फरियाद का चलन न रहा, हमें ये नाज कि मुंह में जबान बाकी है ।" लिहाजा हमें किसी सर्टीफिकेट की जरूरत नहीं है । हम इस देश में बाइज्जत और बरकरार रहेंगे । हमें कोई नहीं निकाल सकता । चाहे बाबरी मसजिद के मसले हो

(इस समय 5 बजकर 8 मिनट पर उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए ।)

इस देश के अन्दर ऐसा माहौल बन रहा है कि 9 नवम्बर, 1989 को विश्व हिन्दू परिषद् के लोग बाबरी मसजिद गिराने की बात कर रहे हैं । इससे हालात क्या होंगे, खुद अंदाजा लगा सकते हैं । इसीलिए मैं चाहता हूं कि ऐसे लोगों पर पाबंदी लगाई जाय और उनके बरकरार रहेंगे । हमें कोई नहीं निकाल सकता । चाहे बाबरी मसजिद के मसले हों

*श्री एहतिशाम वली खां—

मान्यवर, आज बदायूं में कुछ दिन पहले जो घटना घटी, उस घटना की जितनी भी निंदा की जाय, कम है । जो भी हुआ वह वास्तव में हम सभी के लिए इन्सानियत के नाम

(समय 5 बजकर 10 मिनट)

पर एक बदनुमा दाग है । हमें अफसोस है कि आजादी के इतने दिनों बाद भी आज हम और आप एक इन्सानियत की जिन्दगी बसर करने की जगह पर कभी-कभी जानवरों का रुख अख्तियार कर लेते हैं । हम नहीं देखते हैं कि बच्चे का कत्ल कर रहे हैं या किसी मासूम का कत्ल किया जा रहा है, न हम यह देखते हैं कि किसी बुड्ढे का का कत्ल किया जा रहा है । बदायूं में जो भी हुआ वह इन्सानियत से गिरी हुई बात है । इस तरह की घटनायें आये दिन हमारे प्रदेश में होती रहती हैं । निश्चित रूप से जो सत्तापक्ष के लोग हैं या विपक्ष के लोग हैं, मेरी उनसे मांग है कि राजनीतिक रोटियां कभी हिन्दू-मुसलमान के नाम पर सीधी न की जायं । अभी कुछ ही दिन पहले आपने देखा होगा कि बदायूं में जैसे ट्रेन को रोककर लड़कों को खदेड़-खदेड़ कर मारा गया, यह बड़ी शर्म की बात है । इससे पहले भी मैंने सुझाव दिया था कि इन दंगों को रोकने के लिए केवल एक ही उपाय है कि ऐसी फोर्स कायम की जाय जो इन्हें रोके ।

(श्री उपाध्यक्ष द्वारा श्री मनोहर लाल का नाम पुकारा गया)

श्री बुनियाद हुसैन अन्सारी—

पहले मुझे अनुमति दें । मैं बार-बार खड़ा हो रहा हूं ।

श्री उपाध्यक्ष—

मैंने मनोहर लाल जी का नाम बुला लिया है, उसके बाद आपको अनुमति दूंगा ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री एहतिशाम वली खां—

साम्प्रदायिकता और प्रतिक्रियावादी ताकतें जो गन्दे-गन्दे नारे लिख रही हैं, उससे लोगों में रोष फैल रहा है ।

(श्री बुनियाद हुसैन अन्सारी द्वारा उठकर सदन के बाहर जाने पर)

श्री उपाध्यक्ष—

बुनियाद हुसैन जी, आप रुक जायं । मैंने मनोहर लाल जी का नाम बुला लिया है, इसके बाद आपको समय दूंगा ।

*श्री मनोहर लाल—

मान्यवर, आज हम बदायूं जैसे दर्दनाक हादसे पर चर्चा कर रहे हैं । जिस तरह से चर्चा हो रही है, ऐसा लगता है कि बदायूं का हादसा हुआ ही नहीं है । मैं यह कहना चाहता हूं कि सत्तापक्ष के लोग शुरू से ही जिम्मेदार हैं, इन्होंने देश और प्रदेश में फिरकापरस्ती पैदा की है ।

मन्दिर यदि मस्जिद से मिलता,
मस्जिद से गुरुद्वारा,
सच मानो पावन हो जाता,
हिन्दुस्तान हमारा ।

लेकिन सत्ता पक्ष के लोगों ने कभी भी एकता नहीं होने दी । चाहे वह मेरठ का दंगा रहा हो, मुजफ्फरनगर का रहा हो या मलियाना काण्ड रहा हो । इस प्रदेश की जनता का पुलिस और पी0 ए0 सी0 से विश्वास कम हो गया है । गृह मंत्री ने बताया कि ऐसे सारे क्षेत्र में पुलिस और पी0 ए0 सी0 लगा दी गयी है । मैं बताना चाहता हूं कि उन्नाव के शुक्लागंज में 6 महीने पहले 6 लोगों का नरसंहार हुआ था, उसके बाद थाने के अन्दर जहां पर कि डी0 आई0 जी0 मौजूद थे, सत्ता पक्ष के लोगों ने 'पुलिस प्रशासन जिन्दाबाद' का नारा लगाया था । डी0 आई0 जी0 ने बताया कि नारा लगा । श्रीमती इन्दिरा गांधी का कत्ल हुआ, उनके सुरक्षा के लोगों ने कत्ल किया ।

श्री उपाध्यक्ष—

अब आप समाप्त करें।

श्री मनोहर लाल—

और उनके कत्ल के बाद पूरे देश के अंदर रेलें रोकी गयी, रेलों से खासकर सिख लोगों को निकाल-निकाल कर मारा गया । यह सत्ता पक्ष के लोगों ने सिखाया है, रेलों को रोकने का काम सत्ता पक्ष के लोगों ने सिखाया है । आज जो बदायूं में रेलें रोकी गयीं, उसके लिये जिम्मेदार सरकार के लोग हैं । बदायूं के अंदर जो कुछ हुआ है, वहां जो माहौल पैदा हुआ है उसके लिये सत्ता पक्ष पूरी तरह से जिम्मेदार है । राम जन्म भूमि, बाबरी मस्जिद का जो मसला है उसके लिये पूरी तरह से सरकार जिम्मेदार है लोगों से वोट लेने के लिये सरकार अपनी बात करती है ।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय मनोहर लाल जी अगर ऐसे ही बोलेंगे, तो फिर कैसे काम चलेगा, आपको काफी समय दे दिया गया, अब आप बैठें ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

*श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

मान्यवर, यह बदायूं के मसले पर जो चर्चा हो रही है, हम देख रहे हैं कि सत्ता पक्ष के लोग खासकर गंभीरता नहीं दिखा रहे हैं । यह दंगे हमारे देश में हमेशा होते हैं । लेकिन कांग्रेस को छोड़कर जो भी सरकारें आयीं उन्होंने ईमानदारी से साम्प्रदायिक सौहार्द का कायम करने का काम किया । यह सच्चाई है कि सन् 1984 में जब श्रीमती इन्दिरा गांधी की हत्या हुई उसके बाद से आज तक उत्तर प्रदेश में साम्प्रदायिकता की आग में जितने लोग मरे हैं आजादी के बाद उतने लोग कभी नहीं मरे क्या इसके कारण हैं इस पर गौर करना चाहिये और यह भी कहने में संकोच नहीं है कि सरकार के लोगों का जो आचरण होता है उसका समाज पर असर पड़ता है विपक्ष के लोगों के आचरण का भी असर पड़ता है, लेकिन चूंकि विपक्ष अल्पमत में होता है इसलिये उसकी आवाज दब जाती है, इसीलिये सत्ता पक्ष के लोगों का जो आचरण होता है उसका पूरी तरह से असर समाज पर पड़ता है सत्ता पक्ष के आचरण ने पिछले पांच सालों में उत्तर प्रदेश को साम्प्रदायिकता की आग में झुलसाया है । साम्प्रदायिक ताकतें आमने सामने आकर खड़ी हो गयी । यह तो घटना हुई यह चरम परिणति नहीं है, बदायूं तो शुरुआत है । जालिमों के हाथ में हुकूमत रही तो उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरा देश साम्प्रदायिकता में झूलसेगा । जो लोग लाशों पर लोट सकते हैं, इस तरह की राजनीति करने वाले लोग देशभक्त नहीं हो सकते । एक जगह भारत माता को डायन कहा गया, यह किस रेफरेंस में कहा गया ? यहां रहने वाले हिन्दू मुसलमान वे भारत माता को माता मानते हैं, हम यहीं पैदा हुए हैं, यहीं मरेंगे । 77 में हमारी गवर्नमेंट रही, 67 में गवर्नमेंट रही, कितने साम्प्रदायिक दंगे हुए ? हमारे वक्त में कितने साम्प्रदायिक दंगे हुए और आपके वक्त में कितने हुए ? आपको तो शर्म आनी चाहिए, हम पर इल्जाम लगाने से पहले आपको शर्म आनी चाहिये गृह मंत्री जी यहां बैठी हुई हैं, तमाम बातें उन्होंने कही, क्या उन्होंने एक भी कंट्राडिक्शन किया, जो अखबारों में मृतकों की संख्या छपी, दैनिक जागरण में आया कि 36 लोग मारे गये । आप सदन में गुमराह कर रही हैं । कल जब अखबारों में बातें आयेंगी, बदायूं में बातें जायेंगी तो लोग जानेंगे कि क्या स्थिति है आपने 23 की तादाद बतायी, आपकी 23 की तादाद गलत साबित होगी । जब आप इस पवित्र संस्था में गलत बयानी करती हैं तो क्या होगा लोकतांत्रिक मूल्य कहां जायेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय वर्मा जी अब आप समाप्त करें ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

यह जो लोकतांत्रिक मान्यतायें हैं, इनकी जो गरिमा है, इसको कांग्रेस ने खत्म कर दिया है हम यह आरोप लगाते हैं, जो दंगे हुए उस पर हमें सोचना है । कांग्रेस के लोगों ने, जिस तरह से श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या के बाद आचरण किया, इस देश में सिक्खों को मारा गया, कानपुर, दिल्ली पूरे देश में जहां तहां सिक्खों को मारा गया, वह बातें सबके सामने है । चुनाव को देखते हुए, साम्प्रदायिकता की आग को भड़काकर, बदायूं में जो कत्लेआम हुआ है उसकी मैं निन्दा करता हूं । मेरा माननीया गृह मंत्री जी से कहना है कि वे बताये कि मरने वालों की सही तादाद क्या है, कितने लोग मारे गये ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

श्री उपाध्यक्ष—

अब वर्मा जी बैठें ।

श्री बानयाद हुसन अंसारी—

मान्यवर, यह जो बदायूं का मसला है, जितना अफसोसजनक है, उतना ही शर्मनाक भी है । हमारा गृह मंत्री ने जो सूचना पढ़कर सुनाई, वह 4 दिन पहले की सूचना थी और उसको उन्होंने एक समाचार-पत्र की तरह पढ़ दिया, उनको सही जानकारी वास्तव में नहीं है और अगर है तो वह सदन में बताना नहीं चाहती है । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से इस सरकार से कहना चाहता हूं तुम्हें तो काली घटा को भी नहीं पहचानना आता, नशेपन से धुआं उठता, तुम कहते हो, सावन है । आज मान्यवर, बदायूं शहर में जो कत्लगारद भी हो रही है, औरतों की इज्जतें लटी जा रही हैं, लोगों का माल असबाब लूटा जा रहा है और उत्तर प्रदेश का मुख्य मंत्री 3 दिन से लखनऊ में ही विराजमान है, गृह मंत्री भी यहीं विराजमान है, कोई मौके पर नहीं पहुंचा । सोचने का मुद्दा यह है कि वजीरआला को नींद आयी कैसे, गृह मंत्री को नींद आयी कैसे ? मान्यवर, मेरी निश्चित जानकारी है कि मंत्रिमंडल का कोई भी वरिष्ठ सदस्य अभी तक मौके पर नहीं पहुंचा है जबकि अखबारों ने लिखा है कि वहां सड़के लाशों से पटी दिखती हैं, वहां देखते ही गोली मारने के आदेश हैं । सवाल इस बात का नहीं है, जैसा इन्होंने कह दिया कि जनता दल का आदमी था, या भारतीय जनता पार्टी का आदमी था, यह कहकर इनकी जिम्मेदारी खत्म नहीं हो जाती । सवाल इस बात का है मुझे तू यह बता कि काफिला क्यों लूटा ? मुझे रहजनों से गर्ज नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है । आज सवाल इस बात का है कि अगर किसी ने लूटा तो क्यों लूटा, सवाल किसी पार्टी का नहीं है । आज घटना घटे 4 दिन हो गये, अभी तक यहां पूरी-पूरी सूचना नहीं मिली है । मान्यवर, मेरी जानकारी के आधार पर कम से कम 300 लोग हास्पिटलाइज हैं, जिसमें से 80 की हालत एकदम गम्भीर (सीरियस) है और वह आज से कल तक मर सकते हैं । कुल 58 आदमी मर चुके हैं । तमाम लाशें ऐसी हैं, जिनका कोई हिसाब-किताब नहीं है ।

मैं इस सरकार के लोगों से कहना चाहता हूं कि जो रेल के सफर में जा रहे थे, उनका क्या कसूर था । उस मासूम बच्चे को सोचिये, जिसको अपने बाप को शक्ल देखने को नहीं मिली । अभी तक बहुत से लोगों की लाशें उनके घर वालों को नहीं मिली हैं और वहां अफरातफरी का माहौल है । हमारे बराबर में यहां श्री राजेन्द्र कुमार गुप्ता जी बैठे हैं, उनकी भी जिम्मेदारी है और इस सरकार की भी जिम्मेदारी है कि इसमें तेजी नहीं आनी चाहिये, बल्कि इसको दबाना चाहिए । गुप्ता जी ने कहा कि पहले आग पर पानी डालना चाहिए, लेकिन उन्होंने अपने भाषण में सेल्स टैक्स आफीसर सतीश चन्द्र शर्मा का नाम लिया । मैं कहना चाहता हूं कि उन्हें यहां पर किसी मुलजिम का नाम नहीं लेना चाहिए और न यह कहने की जरूरत है कि फलां आदमी का मर्डर हुआ तो किस समुदाय ने किया होगा ? मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ इस सरकार को बताना चाहता हूं कि चाहे कोई भी हो, जिसने ऐसा जघन्य अपराध किया है, उसको बख्शा नहीं जाना चाहिए और एक कमेटी सदन की बनायी जानी चाहिए, जो वहां जाकर स्थिति का जायजा ले । साथ ही यह सरकार आश्वासन दे कि कितने दिन के अन्दर इसकी रिपोर्ट आवेगी, कितने दिनों के अन्दर जालिमों को सजा मिलेगी । अभी तक वहां के डी0 एम0 और एस0 पी0 का स्थानान्तरण नहीं हुआ वहीं विराजमान हैं । मान्यवर, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ इस सरकार से कहना चाहता हूं कि गृह मंत्री से कहना चाहता हूं कि अगर इनमें जरा भी नैतिकता है, जरा भी इंसानियत है, तो यह आज ही यहां सदन में इस्तीफा दें, गह मंत्री को इस कुर्सी पर बैठने का कोई अधिकार नहीं है ।

श्री जयदीप सिंह बरार—

श्रीमन्, आज यहां पर बदायूं के संबंध में काफी चर्चा हुयी और बहुत से तथ्य सामने आ चके हैं और बहुत सी बातें कहने के लिए मेरे पास नहीं है । पर 2-3 बातें जो चर्चा में निकलकर सामने आयी हैं, उनकी तरफ मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता

हूं, सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। जो चीजें अनुत्तरित रह गया है, उनकी तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। श्रीमन् सत्ता पक्ष के दो माननीय विधायकों ने यहां पर, इस सदन में खड़े होकर इस बात का स्वीकार किया कि दंगा जो हुए, वह सरकार की कमजोरी और लापरवाही की वजह से हुए। मुझे कुछ और नहीं कहना है। यहां पर पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से यह बात निकलकर आया कि दंगे पूर्वानयोजित थ और सबने इस बात को स्वीकार कर भी लिया। यहां इस बात को भी सत्ता पक्ष के लोगों ने कहा कि सत्ता पक्ष को इसकी पूर्व में ही सूचना दे दी गयी थी, लेकिन इसके बाद भी इस सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की। मान्यवर, आपराधिक प्रवृत्ति के आदमी को अगर कोई बात बता दी जाय कि यह अपराध होने वाला है और वही अपराध करने वाला है तो वह उसको नहीं रोकेगा। अगर पुलिस प्रवृत्ति का व शासन प्रवृत्ति का आदमी है तो उस पर तत्काल कार्यवाही करेगा। पुलिस के माध्यम से सरकार के पास सूचना पहुंच गई थी तो सरकार ने उस पर कार्यवाही क्यों नहीं की। मैं किसी पार्टी की बात नहीं करता, यहां पर पार्टियों पर तमाम प्रकार के आरोप-प्रत्यारोप लग चुके हैं। मैं कहना चाहता हूं कि कोई भी सदस्य किसी भी पार्टी का हो अगर किसी ने अपराध किया है और उसे सरकार ने नहीं रोका है तो सबसे बड़ा अपराध सरकार ने किया है। क्या किया सरकार ने जब 28 तारीख को सवा दस बजे यह सूचना आ गई थी कि बदायूं में कत्लेआम हो गया है। 1947 की तरह रेल से रेल यात्रियों को निकालकर और वर्गीकृत कर उनकी हत्या की गई। यह सुनकर हमारा सर शर्म से झुक गया, परन्तु इस प्रदेश का मुख्य मंत्री उठकर सदन को आमंत्रित करता है कि आप लोगों के लिए सेन्ट्रल हाल में भोजन लगा हुआ है, जिन लोगों ने खाना खाया होगा, उन्हें इस जघन्य कांड का पता न हो, परन्तु मुख्य मंत्री को तो मालूम हो चुका था, तो फिर हम ऐसे मुख्य मंत्री से कैसे आशा कर सकते हैं कि वह इस्तीफा देंगे, हम उससे संवेदनशीलता व लोकतंत्र की मर्यादा की कैसे अपेक्षा कर सकते हैं। यह एक मानवता की बात थी। अभी 6 सितम्बर को हल्द्वानी में इतना बड़ा हत्याकांड हुआ, परन्तु 17 सितम्बर को मुख्य मंत्री जी कहते हैं कि अभी मेरे पास समय नहीं है और उसी दिन वह क्रिकेट पैड पहनकर क्रिकेट मेमोरियल टूर्नामेंट में क्रिकेट खेलते हैं। हम विपक्ष के लोग हल्द्वानी गये और लोगों की परेशानियां को दूर करने की कोशिश की। परन्तु इस सरकार के मुख्य मंत्री को और किसी मंत्री को हल्द्वानी जाने की फुर्सत 23 सितम्बर तक नहीं मिली। 11-12 सितम्बर को माननीय श्री के0 सी0 पंत, रक्षा मंत्री भारत सरकार, बरेली में यह बयान देते हैं कि अगर यह हलनी चले जाते तो यह दंगा समाप्त हो सकता था, परन्तु जिला प्रशासन ने उन्हें नहीं जाने दिया। ऐसे मुख्य मंत्री से हम क्या आशा कर सकते हैं। इनके चेहरे से मुखौटा उतर चुका है तथा इनकी विफलता साफ नजर आ रही है। इस प्रदेश की जनता इसका जवाब अब आगे आने वाले चुनाव में दे देगी।

*श्री देव कुमार यादव—

मान्यवर, बदायूं की दारुण घटना पर आपने मुझे विचार व्यक्त करने का मौका

(श्री हरदेव के खड़े होने पर व्यवधान)

दिया। मैं बहुत ही गहरे दुख के साथ इस सदन के माननीय सदस्यों से इस मुल्क की एकता, आजादी, लोकतंत्र और इसके चिरन्तन मूल्यों के हित में अपील करना चाहता हूं कि आज तक ऐसे इतिहास के नाजुक मोड़ पर पूरा देश का लोकतंत्र खड़ा हुआ है उसमें हमें आरोप-प्रत्यारोप की भावना को छोड़ कर गहराई के साथ देश के नागरिक

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

के रूप में हमें चिन्तन करना होगा । मान्यवर, महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारत के चार सिपाही हैं—हिन्दू, मुस्लिम, सिक्ख और ईसाई और यही नारा देकर हमने देश की आजादी को हासिल किया था । लेकिन मान्यवर, सरहदों पर चीन और पाकिस्तान के हमलों के दौरान जो ताकतें थीं हमारी सरहदों पर वह ताकतें . . . . .

(व्यवधान)

श्री भयंकर सिंह—

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री देव कुमार यादव—

तो मैं कह रहा था कि चीन और पाकिस्तान के हमलों में जो साम्राज्यवाद की सरहदी ताकतें थीं वह आज उर्दू को मुद्दा बना कर हमारे दिलों को तोड़ना चाहती हैं और देश की एकता को नष्ट करना चाहती हैं ।

(घोर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय वर्मा जी और बारी साहेब रह गये हैं, आप दोनों स्पष्टीकरण के समय प्रश्न पर लीजियेगा ।

श्री भयंकर सिंह—

बदायूं में इतना आदमी मरा है, इन्सान मरे हैं . . . . .

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, भारतीय जनता पार्टी से अभी केवल एक ही वक्ता बोला है हमारी तरफ से । आप श्री भयंकर सिंह को बुलावा दीजिये ।

श्री उपाध्यक्ष—

ऐसा है कि जिनके नाम थे उनको बुलवाने का विचार था, लेकिन आप खड़े हुए तो मैंने सम्मानपूर्वक आदर किया । अब कोई नहीं, बस केवल नेता विरोधी दल बोलेंगे ।

(तत्काल श्री भयंकर सिंह सदन के फ्लोर पर आ गये ।)

आप चाहे जहां आयें, मैं अब समय नहीं दूंगा । मैं अब आपको समय नहीं दूंगा । माननीय देव कुमार जी अब आपका भी समय समाप्त हुआ ।

(श्री राम आसरे वर्मा अपने स्थान पर खड़े होकर बोलने का प्रयास करते रहे ।)

श्री उपाध्यक्ष—

आप दोनों माननीय बारी साहेब और माननीय वर्मा जी स्पष्टीकरण के समय पूछ लीजियेगा ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

अब तक तो सब लोग एक-एक मिनट के समय में बोल लिये होते ।

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, बस मैं एक मिनट में अपनी बात समाप्त कर दूंगा ।

श्री उपाध्यक्ष—

अब इतना समय नहीं है । माननीय देव कुमार जी आप बैठें । आपका समय समाप्त हो गया । माननीय वर्मा जी आप दो मिनट में अपनी बात को समाप्त करिये ।

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, बदायूं की इस दर्दनाक घटना के बाद हम शासन से अपेक्षा करते थे कि शासन सही जानकारी सदन को देगा । मान्यवर, सत्ता पक्ष के एक विधायक जो कि बुजुर्ग हैं और हमारे कमरे के पास रहते हैं, 28 तारीख को उनके कमरे में सूचना आती है कि . . .

(श्री देव कुमार अपने स्थान पर खड़े रहते हुए बोलने का प्रयास करते रहे ।)

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय देव कुमार जी आपका समय समाप्त हो गया ।

श्री राम आसरे वर्मा—

लगभग 60 लोग मर चुके हैं और घायलों की कोई गिनती नहीं है । 29 तारीख को टेलीफोन आता है कि 100 से ऊपर लोग मर चुके हैं, घायलों के बारे में कोई जानकारी नहीं है । लाशें सड़कों पर पड़ी हुई हैं । तमाम दूकानें खुली की खुली पड़ी हैं, कोई उनके आस-पास नहीं है । मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि जो स्थिति बदायूं में है, आज पूरा प्रदेश ज्वालामुखी पर बैठा हुआ है । फैजाबाद के बारे में दो दिन पहले एक सूचना सदन के सामने रखी गयी कि गन्दे-गन्दे नारे लगाये जाते हैं, जुलूस निकाले जाते हैं जिससे कि उत्तेजना पैदा होती है ।

मान्यवर, जब इस तरह की घटनाएं यहां पर आती हैं तो मात्र दो-तीन बातों की तरफ ही हम लोगों का ध्यान केन्द्रित हो जाता है एक तो आरोप-प्रत्यारोप पर, दूसरे इतने मरे या इतने नहीं मरे । उसकी गहराई पर विचार नहीं होता और भविष्य में ऐसे मामले फिर न उठें इसके लिये कोई सुझाव नहीं आते । बस यहां पर अक्सर यही देखा गया है कि वही तजकरा रहता है कि 10 मरे, 20 मरे या 100 मरे । जबकि बल्कि तजकरा इस बात का होना चाहिए कि एक भी मरा तो आखिर क्यों मरा, अगर 100 मरे तो यह देखना पड़ेगा कि यह क्यों मरे । मान्यवर, शासन द्वारा इस बदायूं के मामले में जो उदासीनता दिखायी गयी है, उसका उल्लेख सत्ता में बैठने वाले माननीय सदस्यों तक ने किया है । इसलिए मेरी आपसे मांग है कि इस प्रकार के फिरकापरस्त लोग जहां भी हों, चाहे वह हिन्दू मजहब से ताल्लुक रखने वाले हों, या इस्लाम मजहब के मानने वाले हों, ऐसे लोगों को बेरहमी से कुचल दिया जाए । एक बार तो शायद भविष्य में ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति जल्दी नहीं होगी और यह सदन जो ऐसी घटनाओं के समय आरोप व प्रत्यारोप में पड़कर अपने समय को बर्बाद करता है, यह भी न होता . . . (घोर व्यवधान)

*श्री मयंकर सिंह—

(घोर व्यवधान के दौरान) मान्यवर, इस बात का इतिहास साक्षी है कि जब से यह कांग्रेस पार्टी सत्तारूढ़ हुई है, दंगे ही करवा रही है और इसका अंतिम दिन भी इसी दंगों से समाप्त हो रहा है । इस तरह से यह सरकार नहीं कह सकती है कि उसने इन 5 वर्षों में किसी प्रकार का अमन-चैन, ला एण्ड आर्डर कायम किया हो । इसलिये मैं इस ओर बड़े विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि इस सरकार ने अपने पूरे कार्यकाल में खून बहाव में, हत्याओं में एक सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है, इसके लिये विपक्ष की ओर से इस सत्ता को एक स्वर्ण पदक दिया जायेगा ..... (घोर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

कृपया अब आप अपना आसन ग्रहण करें, आपका समय खत्म हो गया विराजें, अब मैंने बारी साहब को बुला लिया है, बारी साहब बीमार भी हैं, इन्हें थोड़ा समय दे दीजिये । . . . . . (घोर व्यवधान)

श्री मयंकर सिंह—

मान्यवर, मैं बड़े दुख के साथ यह कहना चाहता हूं कि यह बड़े ही शर्म की बात है कि यह सत्तारूढ़ पार्टी अपने स्वार्थ के लिये राजनीतिक चहारदीवारी को फांदने की कोशिश कर रही है और महापुरुष महात्मा गांधी के नाम . . . . . .

(एक साथ कई मा0 सदस्यों द्वारा खड़े होकर बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

अब विराजें, मा0 सदस्य बहुत हो गया इस पर, अभी मा0 नेता विरोधी दल को भी बोलना है, फिर माननीय गृह मंत्री जी भी बोलेंगी, कृपया बैठ जायं . . . (घोर व्यवधान) मैंने बारी साहब को बुला लिया है ।

श्री हरदेव—

मान्यवर, मैं स्पष्ट तौर पर कहना चाहूंगा कि यह लोग जनतंत्र के हत्यारे लोग हैं और ऐसे ही लोग पार्टी को बदनाम करते हैं ।

(घोर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

कृपया हरदेव जी बैठ जाएं, मैंने बारी साहब को बुला लिया है, वह दो मिनट में पहले अपनी बात कह दें, वह ज्यादा देर खड़े नहीं रह सकते हैं, बीमार हैं, कृपया इनको अपनी बात कह लेने दें । कृपया विराजें । और आपसे तो यह उम्मीद की जाती है कि आप दूसरों के क्रोध को शांत करें, कृपया बैठ जाइए . . .

(व्यवधान)

माननीय हरदेव जी आप समाप्त करें । इनका माइक बन्द कर दें ।

---

*वक्ता ने अपने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

(व्यवधान)

माइक बन्द है और बिना माइक के बोले जा रहे हैं । संसदीय कार्य मंत्री जी आप हरदेव को शान्त करें ।

(व्यवधान)

*श्री फजलुल बारी—

माननीय उपाध्यक्ष जी, सवाल यह नहीं है कि बदायूं में क्या हुआ, सवाल यह है कि बदायूं में क्यों हुआ । मान्यवर, उत्तर प्रदेश में जब यह सदन 1985 में शुरू हुआ था, तो पहले दिन भाषण देते समय एक बात मैंने कही थी, लोगों ने उसको मजाक की शक्ल में लिया था, कि बूथ कैप्चर करके बैलट बाक्सों से एक नाजायज सरकार आयी है पुलिस और गुन्डागर्दी की मदद से । मान्यवर, 5 साल के अर्से में देखने में आ रहा है कि वह चीज मुस्तकिल पायी गयी है और शंका का वातावरण पैदा किया गया है । जब इसका जिक्र शुरू हुआ तो मुख्य मंत्री जी को एक खत लिखा कि सवाल यह नहीं है कि नारे कौन लगा रहा है, सवाल यह है कि जब वह नारे लगा रहे हैं, तो पुलिस और एडीमिनिस्ट्रेशन के प्रोटेक्शन में नारे लगा रहे हैं, तो आपने उनके खिलाफ क्या किया, क्या कार्यवाही की । असली मुजरिम यह लोग है जो एडीमिनिस्ट्रेशन के प्रोटेक्शन में उन लोगों से नारे लगवा रहे हैं । लोगों ने थैलियां खायी है । जनता की गाढ़ी कमाई को लूट रखा है । अटेन्शन डाइवर्ट करने के लिए यह मजाक किया है । मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि 1947 में जब देश का पार्टीशन हुआ था, तो गाड़ियों से उतार कर लोगों को मारा गया और 1984 में जब इन्दिरा गांधी का कत्ल हुआ तो उसके बाद, यह सब लोग जानते हैं, कि गाड़ियों से उतार कर सिक्खों को मारा गया । अब चन्द सालों से यह सिलसिला हुआ है कि गाड़ियों और बसों से उतार कर मारा जाये । तो आप समझ सकते हैं कि किन लोगों का मास्टर प्लान है, इसका फायदा किसको हो रहा है ।

श्री उपाध्यक्ष—

बारी साहेब आप बैठ जायें, नेता विरोधी दल बोलने जा रहे हैं ।

श्री सत्यपाल सिंह—

मान्यवर, थोड़ा समय मसूद जी को दे दें ।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय नेता विरोधी दल ने अपने समय में से कुछ समय मसूद जी को दे दिया है ।

*श्री मोहम्मद मसूद खां—

मान्यवर, यह बदायूं का वाकया अफशोशनाक, दर्दनाक और शर्मनाक ही नहीं बड़ा खतरनाक है । 42 साल के बाद ट्रेन से उतार कर मारने का वाकया शुरू हुआ है । मैं 2-3 सवाल रखना चाहता हूं । बदायूं में जब तक यह मामला नहीं शुरू हुआ, वहां पर प्रशासन क्या करता रहा । वह दोषी है या नहीं । अगर दोषी है तो शासन ने क्या कार्यवाही की । दूसरे मान्यवर, कल शाम को देखा कि बहुत से हिन्दू और मुसलमान जो अमन पसन्द हैं, उन्होंने रात को ट्रेन से सफर करना बन्द कर दिया है । कहां किसकी

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

जान चली जाय । शासन इस सिलसिले में क्या कर रहा है क्योंकि लोग डर रहे हैं कि कहीं दूसरी जगह यह न हो जाय । दूसरी बात कर्फ्यू लगाकर आपने पी0 ए0 सी0 वहां तैनात कर दी तो वहां दूसरी लूट मार न हो जाय जिसे यह शुरू करते हैं उस सिलसिले में कोई इंतजाम किया है या नहीं ।

आखिर में एक बात और कहना चाहता हूं । हर जिले में इस तरह के वाकयात हो रहे हैं कहीं पर कबर खोद कर या दूसरी चीज कर भड़का रहे हैं । आजमगढ़ में लोहरा में एसा हुआ जिसकी इत्तला शासन को दी गयी है । इस चीज को देखने की जरूरत है आपके एस0 पी0 और डी0 एम0 फील्ड में जाना नहीं चाहते हैं । कुछ लोग एक दूसरे को दोष दे रहे हैं मैं कहना चाहता हूं हमारे बच्चे वतन से कितना मोहब्बत करते हैं इसका सबूत देना चाहता हूं वह सूबह उठकर सबसे पहले यह कहते हैं—

सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा,

हम बुल बुले हैं उसके वह गुलिस्तां हमारा ।

श्री सत्यपाल सिंह—

माननीय उपाध्यक्ष जी, बेहतर होता इस समय जो गम्भीर चर्चा हो रही है उसमें माननीय मुख्य मंत्री जी मौजूद होते . . . . .

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है, मैंने जब इस प्रकरण पर चर्चा शुरू हुई थी निवेदन किया था कि माननीय मुख्य मंत्री जी को यहां बुलवा लें और आपने स्वयं कहा था कि माननीय मुख्य मंत्री जी आ रहे हैं । लेकिन तब से लेकर अभी तक वह नहीं आये । दो घण्टे से ऊपर हो गये हैं तो उचित होगा कि माननीय मुख्य मंत्री जी को बुला लें ।

श्री उपाध्यक्ष—

गृह मंत्री जी यहां पर हैं वह प्रशासनिक कार्य में कहीं होंगे । (श्री वर्मा के खड़े होने पर व्यवधान) जब नेता विरोधी दल खड़े हुए हैं तो आपको नहीं कहना चाहिए ।

श्री सत्यपाल सिंह—

मान्यवर, तथ्य यह है कि सरकार इस गम्भीर घटना को गम्भीरता से नहीं ले रही है । माननीय मुख्य मंत्री जी 25 जून, 88 को चौथी बार यहां के मुख्य मंत्री बने हैं इनके इन कार्यकालों में मथुरा, काल्पी, अलीगढ़, मुजफ्फरनगर, खतौली, फैजाबाद, बहराइच और अब बदायूं में साम्प्रदायिक दंगे हुए । इनके अलावा मरचवा, खैर, गोपा, सहारनपुर में गोली काण्ड हुए जिसमें पुलिस द्वारा गोली चलाई गयी । इनके कार्यकाल में पीलीभीत, उन्नाव में लोग मारे गये । अब मान्यवर, बदायूं में जो काण्ड हुआ है उस पर लम्बी चर्चा यहां पर हुई ज्यादा समय नहीं है मैं यही कहूंगा कि इस घटना के संबंध में सरकार गम्भीरता से विचार करे ।

मेरा आरोप यह है कि सारे दंगे यह सरकार करवा रही है । मैं अपने इस कथन की पुष्टि में कहना चाहूंगा कि हिन्दुस्तान में जहां गैर कांग्रेसी सरकारें हैं उदाहरण के लिए वेस्ट बंगाल में देख लीजिये, आसाम में देख लीजिये, हरियाणा में देख लीजिये, केरल में देख लीजिए, आंध्र प्रदेश में देख लीजिए वहां पर कोई साम्प्रदायिक दंगे नहीं हुए हैं । तो सवाल यह है कि वहां साम्प्रदायिक दंगे क्यों नहीं हो रहे हैं अगर आप साथ

नहीं है और दूसरी तरफ जहां आपकी सरकारें हैं चाहे राजस्थान हो, चाहे बिहार हो या उत्तर प्रदेश हो, हर जगह साम्प्रदायिक दंगे हो रहे हैं । मैं चाहूंगा कि जब मंत्री जी जवाब दें इसको स्पष्ट करें ।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि इस समय सरकार प्रत्येक क्षेत्र में विफल रही है चाहे वह बेतहाशा मंहगाई का सवाल हो, या बेरोजगारी का सवाल हो या भ्रष्टाचार का सवाल हो उसमें यह बुरी तरह से विफल रही हैं । इसी तरह से अपराधों और साम्प्रदायिकता को दबाने में तथा साम्प्रदायिक सद्भाव बनाने में भी पूर्णतः यह सरकार विफल रही है । और चूंकि यह सारे मुद्दों/मोरचों पर विफल रही है इसलिए कांग्रेस सरकार, श्री नारायण दत्त तिवारी की सरकार का प्रयास है कि चूंकि उनकी सरकार की विफलतायें हर क्षेत्र में रही हैं, इसलिए जनता का ध्यान इन विफलताओं से हटाकर साम्प्रदायिक मुद्दे पर केन्द्रित किया जाये और हिन्दू समझे कि उसका धर्म खतरे में है और मुसलमान समझे कि उसका मजहब खतरे में है । इसलिए यह अपनी विफलताओं पर परदा डालना चाहते हैं जिसका परिणाम बदायूं की घटना है । मान्यवर, बदायूं में साम्प्रदायिक दंगा तो दूर रहा हिन्दू और मुसलमान का कभी झगड़ा तक नहीं हुआ । इसलिए यह चाहते हैं कि हिन्दू और मुसलमानों में साम्प्रदायिकता के नाम पर झगड़ा हो जाय जिसका यह फायदा चुनाव में उठा सकें और आपातकाल की घोषणा करके चुनाव जो दिसम्बर में होने हैं उसको टालने का यह असफल प्रयास कर रहे हैं । सरकार पर यह मेरा दूसरा आरोप है ।

मान्यवर, अब मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं कि यदि श्री लाल बहादुर शास्त्री रेल घटना पर इस्तीफा दे सकते हैं, बाढ़ इस प्रदेश में वर्ष 1985 सितम्बर में जो आयी थी उसमें समुचित मदद न दे पाने के कारण श्री नारायण दत्त तिवारी को वर्तमान प्रधान मंत्री ने यहां से हटा दिया था और बीर बहादुर सिंह को लाये थे, तो क्या आज जिस बदायूं जिले के अंदर कभी दंगा न हुआ हो वहां इस सरकार के मुख्य मंत्री के कार्यकाल में दंगों की लड़ी लगी हो और नरसंहार हो रहे हों क्या मुख्य मंत्री का नैतिक दायित्व नहीं है कि वह बदायूं की घटना पर सरकार से इस्तीफा दे दें, जिससे वहां साम्प्रदायिक सद्भाव पैदा हो सके । मान्यवर, वर्तमान सरकार जानबूझकर दंगे करा रही है और उसके लिए उन्होंने पहले राम जन्म भूमि, बाबरी मस्जिद का झगड़ा उठाया, जो 50 सालों से दबा था उसको लाकर सारे देश में मुसलमानों और हिन्दू का झगड़ा खड़ा कर दिया है ।

मान्यवर, आज जो हिन्दी और उर्दू का प्रश्न है, तो मैं उर्दू का स्वागत करता हूं और माननीय सदस्यों ने जैसा कहा भी है कि यह छोटी और बड़ी बहिन का रिश्ता है लेकिन वर्तमान सरकार ने छोटी और बड़ी बहिन के रिश्ते को सौतन के रिश्ते में बदल दिया है । और जो विधेयक लाये हैं, जिसको आपकी अध्यक्षता में लाये हैं, उसको लाने के बाद बदायूं में झगड़ा हुआ और झगड़े की जड़ इस उर्दू विधेयक को लाकर सरकार ने बनाया है जबकि उर्दू को बढ़ावा देने के लिये एक शब्द भी सरकार ने नहीं कहा है, केवल यह कहा है कि उर्दू को राज भाषा मानते हैं लेकिन कब लागू होगी, कितने क्षेत्र में लागू होगी यह सरकार पर छोड़ दिया गया है । यदि इनकी नीयत साफ है तो जिस दिन यह विधेयक लाये हैं उस दिन से लागू करें तो यह न करके आजाद छोड़ दिया है कि उर्दू का विरोध करें और अदालत से स्टे लायें और उसके बाद इस विधेयक को नकार दिया जाये । यह इनकी नीयत है ।

मान्यवर, जनता दल कुछ भी हो, जनता दल में कोई कमियां हों लेकिन जनता दल चाहता है कि हिन्दुस्तान की धरती में हिन्दू, मुसलमान, सिक्ख, ईसाई के बीच में साम्प्रदायिक तनाव न हो और साम्प्रदायिक सद्भाव बना रहे इसके लिये जनता दल

कोई भी कुरबानी देने में पीछे नहीं हटेगा । अभी हमारे माननीय सदस्यों ने उधर से कहा कि बदायूं के दंगे में किसी जनता दल के सदस्य का हाथ है, तो मैं इसके लिए चुनौती देता हूं यदि किसी जनता दल सदस्य का हाथ है तो कड़ी से कड़ी सजा उसे दी जाए और साथ में किसी कांग्रेसी का हाथ है तो उसे भी बख्शा नहीं जाना चाहिए . . (व्यवधान) बी0 जे0 पी0 है तो उसके साथ भी आप कठोर व्यवहार कीजिए । किसी के भी साथ जनता दल किसी प्रकार की नर्मी नहीं चाहता है . . . . .

एक सदस्य—

तो फिर चुनावी समझौता कैसे बी0 जे0 पी0 के साथ आपने कर लिया ?

(व्यवधान)

श्री सत्यपाल सिंह—

माननीय गृह मंत्री जी और संसदीय कार्य मंत्री जी भी मौजूद हैं, गृह मंत्री जी, जो भी प्रशासन की तरफ से बदायूं की घटना के बारे में लिखकर आया होगा, उसमें कुछ बढ़ाकर अपना बयान यहां दे देंगी और माननीय नारायण दत्त तिवारी के पास बुजुर्गों में इतना हौसला नहीं रह गया है कि वह त्याग-पत्र दें । यदि त्याग-पत्र नहीं देंगे तो वह चन्द दिनों में बदायूं जायेंगे ।

एक सदस्य—

आज आपका अविश्वास प्रस्ताव क्यों गिर गया, यह भी बता दें ।

श्री सत्यपाल सिंह—

वह आपकी साजिश से और हमारे विपक्ष की कमजोरी से गिर गया । उस प्रस्ताव के गिरने के लिए मैं नेता विरोधी दल की हैसियत से जिम्मेदार हूं . . (व्यवधान) और इस दंगे के लिए नारायणदत्त तिवारी जिम्मेदार हैं तो इनका इस्तीफा दिलवाइये ।

(व्यवधान)

मान्यवर, मैं यह कह रहा था कि माननीय गृह मंत्री जी खड़े होकर यहां बयान देकर यहां से चली जाएंगी और मुख्य मंत्री जी बदायूं जाएंगे और हर आदमी की जिन्दगी को तौलकर उसका मोल करेंगे, जिन्दगी की कीमत लगायेंगे जो लोग मर गये हैं । मृतकों की कीमत 50 हजार से 1 लाख तक लगाएंगे और घायलों की कीमत 5 हजार से 25 हजार तक आकेंगे और यह खैरात उनको देकर चले आयेंगे । और फिर न्यायिक जांच स्थापित कर देंगे और साथ ही यह भी कह देंगे कि कठोर कार्यवाही की जाएगी और वह यह कहकर अपने कर्त्तव्य की इतिश्री समझ लेंगे और फिर इंतजार करेंगे नारायण दत्त तिवारी को आगे फिर कहीं ऐसी घटना हो, ऐसा दंगा हो । आगे वाले दंगे में भी यह सब दोहराया जाएगा । मैं कहना चाहता हूं कि वास्तव में आप यदि ऐसे दंगे को घटने से रोकना चाहते हैं, इन पर नियंत्रण पाना चाहते हैं तो आप तीन बातों का अवश्य कर ध्यान रखें । इस संबंध में मेरा पहला सुझाव यह है कि यह नवीं विधान सभा के अंतिम सत्र का अन्तिम उपवेशन है, फिर सम्भवत: हम यहां पर इस तरह से कहने और सुनने के लिये नहीं होंगे । मेरा कहना यह है कि खतौली, बनारस, मुजफ्फरनगर आदि जहां-जहां इस प्रकार के दंगे हुए हैं, मैं हर जगह नेता विरोधी दल की हैसियत से गया हूं और सभी जगहों पर आपके कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक की लापरवाही मिली है । क्या कर रहा

था आपका एल0 आई0 यू0, इन्टेलीजेन्स, जिस समय 27 तारीख को जुलूस निकाला गया था और ज्ञापन दिया गया था 28 को और जुलूस निकाला गया । बनारस में जहां ताजियों का जुलूस निकाला जा रहा था, उसके साथ आपका कोई भी सिपाही नहीं था, केवल एक होमगार्ड का सिपाही था । यह मैंने यहां और अन्य जगहों पर भी देखा है । आप इस दंगे में घायल लोगों को अनुदान दें या न दें, लेकिन अगर आप प्रशासन को दोषी पाते हैं, किन्तु आप उन्हें दोषी करार नहीं देंगे । आप खतौली, बदायूं और बनारस आदि जगहों की एल0 आई0 यू0 की लापरवाही के लिये तुरन्त सजा दे दें, तो यह दंगे रुक जायेंगे और कलेक्टर और एस0 पी0 सभी सावधान हो जायेंगे, लेकिन आपके अधिकारी मौज कर रहे हैं, या आप करा रहे हैं । यदि दंगे इसी प्रकार चलते रहे और आपकी राजनीति चलती रही, मेरा आपसे यह भी अनुरोध है कि आज फैजाबाद के अंदर जुलूस निकल रहे हैं । आज बदायूं में जुलूस निकल रहे हैं तो यह आपकी जिम्मेदारी है कि यदि कहीं भारत मां को डाइन कहा जाता है तो उसको रोकें । इस तरह के जो नारे लग रहे हैं, हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान मुर्दाबाद जाओ पाकिस्तान, इस तरह के नारों पर रोक लगायी जानी चाहिए ।

श्री मोहम्मद अबरार अहमद—

यह नारा आपके दोस्त लगा रहे हैं, आप उनसे दोस्ती कर रहे हैं । बी0 जे0 पी0 ने दंगा भड़काया ।

श्री सत्यपाल सिंह—

हम दोस्ती नहीं कर रहे हैं । यह नारे लगते हैं तो उनको रोका क्यों नहीं गया । आप क्या कर रहे हैं ।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय नेता विरोधी दल बोल रहे हैं आपको बीच में नहीं बोलना चाहिये । यह शोभा नहीं देता है ।

श्री बुनियाद हुसैन अंसारी—

हमें प्रसन्नता है कि बी0 जे0 पी0 की बात वह कर रहे हैं जिनके वालिद बुजुर्गवार मुस्लिम लीग से चुनकर आये थे ।

श्री मोहम्मद अबरार अहमद—

अगर आपका घर जला होता तो आपको पता चलता ।

श्री सत्यपाल सिंह—

अबरार साहब को गुस्सा आ रहा है । अभी तो पेट्रोल जला है । सरकार का यही रवैय्या रहा तो आप अपना घर नहीं बचा पायेंगे । अभी आपने कहा था कि प्रशासन की कमजोरी है, मैं भी आपकी बात दोहराना चाहता हूं कि आज प्रत्येक जिले का प्रशासन सतर्कता से, ईमानदारी से, मेहनत से कार्य नहीं कर रहा है इसलिये यह दंगे दिनों-दिन बढ़ते जा रहे हैं । दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि आप प्रशासन को चुस्त करें गलत नारों और जुलूसों को बन्द कराये और नैतिकता का परिचय देते हुए मुख्य मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिये । मुख्य मंत्री जी ने अप्रैल, 89 में कहा था कि जहां-जहां दंगे होंगे वहां पर विशेष शांति सुरक्षा बल बनायेंगे और उसमें अकलियत के लोगों को जगह देंगे ताकि किसी वर्ग विशेष के साथ कोई दुर्व्यवहार या पक्षपात न हो सके । मैं गृह-

मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जिस विशेष शांति सुरक्षा बल की बात मुख्य मंत्री जी ने कही थी क्या उस बल को गठित किया गया है । अगर किया गया है तो उसमें कितने हिंदू या कितने मुसलमान हैं । गृह मंत्री जी यह भी बतायें कि बदायूं विशेष शांति सुरक्षा बल भेजा गया या केवल पी0 ए0 सी0 भेजी गयी । आप देखें कि यह दंगे क्यों हो रहे हैं । आप जब तक इनकी जड़ में नहीं जायेंगे तब तक केवल अनुदान वितरित कर देने से या न्यायिक जांच बैठा देने से समस्या का समाधान होने वाला नहीं है । आज उत्तर प्रदेश ही नहीं सारे हिंदुस्तान के लोग उद्वेलित हैं । राम जन्म भूमि और बाबरी मस्जिद के मसले को लेकर देश को गुमराह किया गया और आज उर्दू विधेयक के नाम पर सारा प्रदेश बारूद पर बैठा हुआ है । किसी दिन स्थिति इतनी विस्फोटक हो सकती है कि जो सुधारे नहीं सुधरेगी । इसलिये मेरा आपके माध्यम से यह निवेदन है कि आप इस पर विचार करें, इस की जड़ में जायें । बदायूं में 23 आदमी मारे गये । मैं साफ तौर पर कहना चाहता हूं बदायूं मेरे पड़ोस का जिला है मैं कल शाहजहांपुर गया था लोग कह रहे थे, मैं लोगों के कहने पर नहीं जाता, लेकिन वहां पर 60 से कम लोग नहीं मरे । आपकी पुलिस पोस्ट-मार्टम करती है जितने लोगों का, मरने वालों की संख्या उतनी ही गिनाई जाती है । संख्या पर मत जाइये वहां यह देखें कि दंगा कितना गम्भीर हुआ । रेलों को रोककर लोगों को मारा-काटा गया । इस मामले में अगर मुख्य मंत्री जी इस्तीफा नहीं देते हैं तो मैं अपनी बड़ी बहन से कहूंगा कि वह अपने कर्त्तव्य का निर्वहन करते हुए अपने पद से इस्तीफा दें । आप इस पद पर बैठी हुई हैं आज हाउस का अन्तिम दिन है यह कोई खुशी का मौका नहीं है ऐसा विषय पेश हुआ है जिससे सारा प्रदेश चिन्तित है, हम चिन्तित हैं इस समस्या का समाधान होना चाहिये । आज हम ऐसे वातावरण से उठें ताकि हिंदू और मुसलमान का साम्प्रदायिक सद्भाव जो बिगड़ रहा है उसको बनाने के लिये हम कामयाब हों ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है जिस समय चर्चा प्रारम्भ हुई उस समय मैंने और माननीय सदस्यों ने अभिलाषा प्रकट की थी कि इस मामले पर मुख्य मंत्री जी को सदन में आना चाहिए । मेरा मानना है कि रोहतगी जी की हैसियत दरोगा के बराबर भी नहीं है । इनकी बात दरोगा भी नहीं मानता है । हम मुख्य मंत्री जी के मुख से सुनना चाहते हैं आपने आश्वासन दिया था कि मुख्य मंत्री जी यहां आयेंगे, लेकिन वह माननीय नेता विरोधी दल का भाषण सुनने नहीं आये यह संसदीय परिपाटी के खिलाफ है । आप सदन की कार्यवाही को रोककर मुख्य मंत्री जी को बुलायें ।

श्री सत्यपाल सिंह—

माननीया सुशीला रोहतगी जी नोट कर लें मैं बता रहा हूं जिला आगरा में अजमेरा एक जगह है वहां हिन्दू मुसलमान के बीच में बहुत ज्यादा तनाव व्याप्त है वहां किसी भी वक्त दंगा हो सकता है, तो इसको माननीय गृह मंत्री जी नोट कर लें और वहां व्यवस्था करायें ।

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाकर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं मान्यवर, इस बात को कहा गया था कि यह सदन ऐसे गम्भीर मामले पर माननीय मख्य मंत्री जी को सुनना चाहेगा ।

श्री उपाध्यक्ष—

आप संसदीय कार्यमंत्री जी को सुन लें ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, हो सकता है कि हमें सदन त्याग करना पड़ जाए । मान्यवर, हम संसदीय कार्य मंत्री जी का सम्मान करते हैं, लेकिन इस समय माननीय नेता विरोधी दल के बाद उत्तर देने का अधिकार हम समझते हैं कि संसदीय परिपाटी के अनुसार मुख्य मंत्री जी का है, हम मुख्य मंत्री जी को सुनना चाहते हैं । नेता विरोधी दल के बाद माननीय गृह मंत्री जी बोल सकती हैं, लेकिन उनको हम सुनना नहीं चाहते हैं । अगर संसदीय कार्य मंत्री किसी औचित्य के प्रश्न पर खड़े हुए हैं तो उनको हम सम्मान के साथ सुनेंगे, लेकिन इस मामले में किसी भी तरह से संसदीय कार्य मंत्री को नहीं सुनेंगे ।

श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, मुझे एक सूचना देनी है मेरा कर्तव्य है कि जो बात उठाई गई है उसमें आपने आदेश दिया था, मेरा कर्तव्य है कि मैं यह बता दूं कि मुख्य मंत्री जी ने सूचना भिजवाई है कि वह इन्हीं कारणों में व्यस्त थे वह थोड़ी देर में आ रहे हैं । अभी इस बारे में माननीय गृह मंत्री जी उत्तर देंगी । अभी अबरार जी के घर जलने की बात कही गई, तो मुझे एक बात याद आ गई—

मेरे आशियां का तू गम न कर, यह जल रहा है तो जला करे
मगर इन हवाओं को तू रोक दे, यह सवाल सारे चमन का है ।

मान्यवर, इस दंगे पर कन्ट्रोल करना चाहिए न कि एक दूसरे पर टीका-टिप्पणी करनी चाहिए । मेरी आपके माध्यम से अपील है, सभी माननीय सदस्यों से कि माननीय गृह मंत्री जी इसका उत्तर दे रही हैं इसको सुन लें ।

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, जब तक माननीय मुख्य मंत्री जी नहीं आते हैं, तब तक के लिए आप सदन की कार्यवाही रोक दें । मान्यवर, आप अपने आश्वासन को पूरा करें और जब तक माननीय मुख्य मंत्री जी नहीं आते हैं, तब तक के लिए सदन की कार्यवाही रोक दें ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

अभी माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने कहा है कि वह किसी कार्य में व्यस्त हैं, वह अभी आ रहे हैं ।

(व्यवधान)

श्री विजय सिंह राणा—

बेसुध जो अपने सुख से, जिनको है सुप्त व्यथायें । अवकाश कहां है उनको सुनने को करुण कथायें ।।

श्रीमती सुशीला रोहतगी—

मान्यवर, इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना के विषय पर जहां . . .

(श्री राम शरणदास और श्री मुहम्मद आजम खां के एक साथ खड़े होने पर व्यवधान)

श्री राम शरण दास—

मौज कर लो दोस्तो लखनऊ की कोठियों और बाजारों में, नहीं तो मार्च में तुम सब लिखे जाओगे बेकारों में ।

(श्री मुहम्मद आजम खां के खड़े होकर बोलते रहने पर व्यवधान के मध्य)

श्रीमती सुशीला रोहतगी—

मान्यवर, आज इतने गम्भीर विषय पर जहां आग जल रही है, अगर आज हमारा सारा सदन इस तरह से शेरोशायरी में इसे भुला देगा . . . (घोर व्यवधान)

श्री मोहम्मद आजम खां—

मैं आपको इस काबिल नहीं समझता हूं कि मैं आपको सुनूं . . . (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय आजम खां, वह बैठाई नहीं जा सकती है । वह बैठ नहीं रही है, उनका भाषण जारी है ।

श्री सत्यपाल सिंह—

मान्यवर, जब अधिष्ठाता महोदय विराजमान थे, उस समय उन्होंने माननीय मुख्य मंत्री को बुलवाने का संकेत किया था, और इस समय बार-बार अनुरोध करने के बाद भी माननीय मुख्य मंत्री नहीं आ रहे हैं, इसलिये मैं अपने जनता दल के साथ सदन का बहिष्कार करता हूं ।

(नेता विरोधी दल अपने दल के साथ सदन का बहिष्कार करके चले गये ।)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, मैंने आपसे निवेदन किया था कि नेता विरोधी दल के बाद माननीय मुख्य मंत्री को बोलना चाहिए । मैं माननीया गृह मंत्री को सुनना नहीं चाहता हूं । इसलिए मैं अपने दल के साथ सदन का बहिष्कार करता हूं ।

(श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त अपने समुदाय सहित सदन का बहिष्कार करके चले गये ।)

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, इसके विरोध में मैं भी सदन का बहिष्कार करता हूं ।

(श्री राम आसरे वर्मा व कतिपय निर्दलीय सदस्य भी सदन का बहिष्कार करके चले गये)

श्री जयदीप सिंह बरार—

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री उपाध्यक्ष—

जब तक माननीया गृह मंत्री जी नहीं बैठती हैं तब तक मैं इजाजत नहीं देता हूं ।

श्री जयदीप सिंह बरार—

मान्यवर, मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि आज के एजेण्डे में और भी आइटम हैं, अगर आप यह समझते हैं कि माननीय मुख्य मंत्री जी की प्रतीक्षा करना है तो तब तक के लिये अगला आइटम ले लें ।

श्री उपाध्यक्ष—

जवाब तो गृह मंत्री जी को देना है, गृह मंत्री जी यहां पर मौजूद हैं, मुख्य मंत्री जी को बुलाना कोई आवश्यक नहीं है, वह आ जायं, तो बहुत अच्छा है । माननीय गृह मंत्री जी जवाब देने के लिए सक्षम हैं । वह यहां पर बैठी हुई हैं ।

श्री जयदीप सिंह बरार—

मान्यवर, मैं इसके विरोध में सदन का बहिष्कार करता हूं ।

(श्री जयदीप सिंह बरार भी सदन का बहिष्कार करके चले गये ।)

श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है लेकिन कलेक्टिव रिसपांसबिलिटी की वजह से कोई उत्तर दे सकता है । माननीय गृहमंत्री स्वयं इसकी इंचार्ज हैं । माननीय मुख्यमंत्री को इस समय यहां होना चाहिए यह कौन सी किताब में लिखा है ।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय गृहमंत्री सक्षम हैं वह उत्तर दे रही हैं ।

(श्री राम चन्द्र बख्श सिंह द्वारा बोलने का प्रयास करने पर व्यवधान)

श्रीमती सुशीला रोहतगी—

मान्यवर, यह बड़ी दुखद बात है ।

श्री राम चन्द्र बख्श सिंह—

मान्यवर, आप जबरदस्ती करते हैं, मैं सदन का त्याग करता हूं ।

(समय 6 बजकर 10 मिनट)

(श्री राम चन्द्र बख्श सिंह भी अपने समुदाय सहित सदन त्याग कर चले गये ।)

श्रीमती सुशीला रोहतगी—

हमारी यह जिम्मेदारी है, संविधान की शपथ ली है कि साम्प्रदायिकता का विरोध करें और जिन्होंने किया है, हमारे नेता विरोधी दल ने कहा था कि हम गृह मंत्री का उत्तर लेना चाहते हैं । मैं उनसे जानना चाहती हूं कि कहां है, साहस हो तो आयें, कहां है नैतिकता, कहां है साहस, प्रश्न तो कर लिया सुनने की क्षमता नहीं है । मान्यवर, इतना गम्भीर विषय और शेरो-शायरी, वहां घर जल रहा है और ये शेरो-शायरी कर रहे हैं । आज सदन का अंतिम दिन है हमें आशा थी कि आज सारा सदन एक रूप में होकर यह कहे कि प्रदेश की जनता के ऊपर यह जो बीत रही है वह साम्प्रदायिकता का विषय है उसको धोने में इस निन्दनीय और दुखद कार्य को कैसे मिटाया जाय, आज उसमें मदद देंगे । क्योंकि उनका अविश्वास का प्रस्ताव गिर गया है इसलिए उनकी बौखलाहट बढ़ गयी है वह चाहते हैं कि अविश्वास के प्रस्ताव को इसके द्वारा कहें ।

मान्यवर, किसी माननीय सदस्य ने कहा कि कहां तक हम मातम करें और किस दर पर मातम करें और यह कब तक होगा ? मान्यवर, केवल दो रास्ते हैं अगर वह मामले को सच्चाई से कठोरता से जो भी दोषी हैं चाहे जो भी अधिकारी हो या जो भी व्यक्ति चाहे किसी भी पार्टी का हो जो दोषी हैं मैं कहती हूं कि उसके खिलाफ कार्रवाई करूंगी और तुरन्त करूंगी । मान्यवर, दूसरा संकल्प यह हो सकता है कि आज हमारे सदन के लोग यह संकल्प लेते हैं कि यह जो घटना घटी है यह बहुत दुखद और शर्मनाक है इसकी पुनरावृत्ति न हो । क्या किसी ने ऐसा सुझाव दिया केवल सरकार को दोषी बनाने के लिए, झूठा आरोप लगाने के लिए, मिथ्या प्रचार करने के लिए या दंगा-फसाद करने के लिए लोगों को बेइज्जत और भड़काने के लिए यह काम उन्होंने किया । क्या यह जिम्मेदार लोगों की बातें हैं ? आज वह जिम्मेदार हैं जो कहते हैं कि त्याग दें, अगर यह त्याग दें दें तो किसको सौंप जायेंगे ये आपस में लड़ेंगे, टकरायेंगे ।

(श्री देवेन्द्र पाण्डेय द्वारा विपक्षी बेंचों से बोलने का प्रयास करने पर व्यवधान)

श्री देवेन्द्र पाण्डेय—

मान्यवर, जिस चेयर से सब बातें कहीं गयी हैं, हम उसको वापस लेते हैं ।

श्रीमती सुशीला रोहतगी—

मान्यवर, यह वापस तो कराना चाहते हैं वह मकदमें जो चोरी और डकैती के लिखे हैं । वह चाहते हैं कि चोरी और डकैती की धाराओं को हटाकर वापस कर लिया जाय । यह कोई कार्य नहीं करना चाहते हैं । बड़े शर्म की बात है माननीय सदस्य चाहते हैं कि चोरी और डकैती के मुकदमें को वापस करा दिया जाय बिना जांच किये यह है हमारी नीतिकता । मान्यवर, मैं यह जानना चाहती हूं कि यह जो उड़ी-उड़ी खबर यहां फैली है जो अभी इन्होंने अपना आचरण यहां दिखाया, हमारे नौजवान साथी बैठे हैं, हमारे बेटे बैठे हैं वह क्या सोचेंगे क्या हमारी हालत है क्या हमारी कथनी और करनी है ।

(व्यवधान)

और आपस में टकराव से सारी चीजें मिटाकर हजारों वर्ष के इतिहास को कलंकित करना चाहते हैं जिसमें बापू, इंदिरा जी और गणेश शंकर विद्यार्थी ने आहुति दी है, चाहते हैं कि वह मिट जाय । लोगों को लगता है कि अपने स्वर, गाने, कविता, शायरी, भाषण आदि से प्रेम हो गया है और जो जनता जल रही है, वहां जो हो रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है । मैं कहना चाहती हूं कि वह दुःख और पीड़ा केवल मां ही जानती है, जिसका सिन्दूर मिट गया, गोद खाली हो जाती है । यहां जो कह दिया जानते हैं अखबार में छपवा देंगे, एक का चार छापा जायगा । यह जिम्मेदारी है, यह उत्तरदायित्व है । मैं निवेदन करूंगी आपके माध्यम से कि हमारे साथी लोग आएं, अभी भी विवेक आता है, समझदारी आती है तो इस सत्र के अंत में आएं । प्रदेश की जनता के साथी हैं तो आएं, अगर साथी नहीं हैं तो मुझे शर्म है । सरकार प्रगति के रास्ते पर है । सरकार शान्ति व्यवस्था बनाए रखकर प्रगति के रास्ते पर है । हमने 17 साल बाद इलेक्शन कराए । लोग चुनकर आए । अल्पसंख्यकों ने प्रगति की है । मैं निवेदन करूंगी कि मुजफ्फरनगर में हरिजन भाइयों की पीड़ा हो या अल्पसंख्यकों की, यहां पर जो हमारे भाई-बहन हैं, जिन पर दुख पड़ता है, वही उसकी पीड़ा जानते हैं । सरकार इसके लिये हर तरह से प्रयत्नशील है । सरकार चाहती है कि इसकी पुनरावृत्ति न हो और इसके लिये कठोर से

कठोर कदम उठाए जाएंगे । साथ ही आपके द्वारा सभी मा0 सदस्यों से निवेदन करूंगी कि इस सदन को छोड़ने से पहले यह शपथ ग्रहण कर लें कि साम्प्रदायिकता के जहर को अपने बीच से हटा देंगे ।

श्री उपाध्यक्ष—

चर्चा समाप्त की जाती है ।

श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी—

मान्यवर, आपके पुकारने पर मैं मौजूद था ।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं चर्चा समाप्त कर चुका हूं ।

श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी—

मान्यवर, मैं पहले से खड़ा हूं । मान्यवर, ऐसा न करें । मैं आपके पुकारने से पहले खड़ा हुआ हूं ।

श्री उपाध्यक्ष—

उस पर कुछ नहीं हो सकता । आप तो विद्वान आदमी है । मैंने देखा नहीं, ध्यान नहीं दिया और अब चर्चा समाप्त कर दी ।

श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी—

मान्यवर, मैं आपके पुकारने से पहले खड़ा था ।

श्री उपाध्यक्ष—

मद संख्या 22 अभी आयगी ।

गन्ने का मूल्य तय न किये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री राम शरण दास—

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । मैं तीन दिन से लगातार आपसे निवेदन कर रहा हूं, आपने एडमिट भी कर लिया 300 में, लेकिन चूंकि घटना गम्भीर थी, उस पर चर्चा होनी चाहिये थी बदायूं वाली, इसलिए कहा था कि इसके बाद ले लेंगे । मान्यवर, उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी तक गन्ने का कोई दाम तय नहीं किया है और इस साल मान्यवर हरियाणा में मुख्य मंत्री ने 40 रुपये दाम की घोषणा कर दी है । मैं उत्तर प्रदेश सरकार से कहूंगा कि चूंकि किसान की लागत रु0 42.50 प्रति क्विंटल गन्ना पैदा करने की आयी है, इसलिए सरकार यहां पर 50 रुपये गन्ने के मूल्य की घोषणा करें । मान्यवर, सुनिये न, हम आपकी बात सुनते आए, आप देखते ही नहीं है । यह बात बहुत जरूरी है । आज किसान परेशान है । चीनी का भाव बहुत बढ़ गया है । नौ रुपये में गुड़ चल रहा है और सरकार ने गन्ने का दाम तय नहीं किया है । गन्ने की कीमत घोषणा सरकार से कराइये, नहीं तो मान्यवर मैं सदन के फ्लोर पर आ जाऊंगा ।

श्री उपाध्यक्ष—

अभी आप बैठें ।

श्री राम शरण दास—

मान्यवर, आज ही घोषणा होनी चाहिये कीमत की ।

(श्री राम शरण दास के सदन के फ्लोर पर बैठने से व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

आप वहां बैठिये, आप अपने आसन पर जायें ।

(सर्वश्री किरनपाल सिंह, शारदानन्द अंचल एवं श्री विजय सिंह राणा आदि अनेक सदस्य सदन के फ्लोर पर आ गये और आज ही गन्ने की कीमत की घोषणा की मांग करने लगे जिससे घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया ।)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, वास्तव में महत्वपूर्ण विषय है, गन्ने की कीमत की घोषणा सरकार को करनी चाहिये । सरकार ने एक आदेश जारी करके खांडसारी इकाइयों पर उनकी पेराई पर 25 दिसम्बर तक रोक लगा दी है । मिलों में कीमत तय नहीं है । इसलिये जो बात माननीय राम शरण जी ने उठायी है, उसने अपने को सम्बद्ध करते हुए मांग करता हूं कि इसकी घोषणा हो । आप सरकार को निर्देशित करें कि गन्ने की कीमत की घोषणा तत्काल करें ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

आप लोग अपने-अपने आसन पर वापस जायें ।

श्री रघुबर दयाल वर्मा—

मान्यवर, गन्ने की कीमत तत्काल घोषित होनी चाहिये ।

(व्यवधान)

श्री राम आसरे वर्मा—

गन्ने की कीमत की घोषणा के लिये आप इस सरकार को निर्देशित करें । मान्यवर जो बाजार में चीनी की स्थिति है उससे पूरा जनसाधारण त्राहि-त्राहि कर रहा है ।

(व्यवधान)

श्री रघुबर दयाल वर्मा—

मान्यवर, आप अभी इस पर एक घंटे की चर्चा करा दें । श्री राम शरण दास, श्री किरन पाल सिंह, श्री शारदानन्द अंचल, श्री विजय सिंह राणा आदि अनेक सदस्य सदन के फ्लोर पर बैठे रहे ।

श्री उपाध्यक्ष—

आप लोग अपने-अपने आसन पर वापस जायें । सरकार को जवाब देना होगा तो दे देगी ।

(सदन के फ्लोर पर बैठे सदस्य अपने-अपने आसन पर वापस चले गये ।)

नेता विरोधी दल (श्री सत्यपाल सिंह)—

मान्यवर, आपके अनुरोध पर फ्लोर पर बैठे माननीय सदस्य आसन पर वापस आ गये । मान्यवर, गन्ने की कीमत की घोषणा की बात है । चौधरी साहब सन् 77 के अन्दर वित्त मंत्री थे उस समय पर गन्ने की कीमत थी 16 रुपये और शक्कर की कीमत थी 2 रुपये

आज शक्कर की कीमत 12 रुपये है तो 6 गुना बढ़ गयी उस हिसाब से गन्ने की कीमत भी 6 गुना बढ़नी चाहिये । सरकार को 100 रुपये की कीमत वास्तव में घोषित करनी चाहिये । लेकिन अगर 100 रुपये नहीं कर सकते हैं तो 50 रुपये करना चाहिये । सरकार का क्या नजरिया है उसे सरकार स्पष्ट कर दे ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

मान्यवर, अनुरोध है कि इस वक्त जो आइटम एजेन्डे में है उसको ले लें उसके बाद इस पर विचार कर लें ।

(व्यवधान)

श्री रघुबर दयाल वर्मा—

मान्यवर, अभी इस पर चर्चा कराइये ।

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, गन्ने की कीमत की घोषणा कराइये ।

(व्यवधान)

श्री शारदानन्द अंचल—

मान्यवर, 50 रु0 की कीमत की घोषणा तत्काल हो ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

अभी महंगाई पर चर्चा लगी है । अभी आप लोग बैठिये ।

श्री शारदानन्द अंचल—

मान्यवर, आज सदन का अंतिम दिन है, आज ही घोषणा हो ।

(व्यवधान)

श्री रघुबर दयाल वर्मा—

मान्यवर सरकार को निर्देशित करें कि गन्ने की कीमत के बारे में बतायें ।

श्री सत्यपाल सिंह—

मान्यवर, आप कीमत के बारे में 50 रु0 की घोषणा के लिये तो मजबूर नहीं कर सकते लेकिन मान्यवर इनका क्या नजरिया है यह क्या कर रहे हैं तो इसके बारे में तो सदन को बताने के लिये मजबूर कर सकते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष—

थोड़ा टाइम दे दीजिये, अभी बता देंगे ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

गन्ने के विषय में बात उठी हुई है मान्यवर आपने सरकार को निर्देश दिया फिर भी नहीं बता रहे हैं । आप इन्हें निर्देशित करें कि बतायें ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

आपको नज़रिया बता देंगे, उनका क्या दृष्टिकोण है, वे बता देंगे ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, आप सरकार को निर्देशित करें ।

(श्री हुकुम सिंह के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय मंत्री जी आप अभी बैठें ।

श्री रघुबर दयाल वर्मा—

मान्यवर, आप सरकार को निर्देशित कर दें ।

श्री उपाध्यक्ष—

अभी आप लोग बैठें । मुझे कुछ सूचना देनी है ।

दिनांक 28-9-89 को सदन की दर्शक दीर्घा से नारे लगाने वाले व्यक्तियों के संबंध में लिये गये निर्णय की सूचना

श्री उपाध्यक्ष—

मैं सदन को एक सूचना दे रहा हूं ।

दिनांक 28 सितम्बर, 1989 को लगभग 3 बजकर 03 मिनट पर दर्शक दीर्घा नं0-1 से नारे लगाकर सदन में व्यवधान उत्पन्न करने का प्रयास करने के कारण श्री सन्तोष कुमार पुत्र श्री रज्जू प्रसाद, ग्राम व डाकखाना-परसौली, जनपद बांदा, श्री विनय कुमार शाही पुत्र श्री भूलन शाही, देवरिया तथा श्री उदय वीर सिंह पुत्र श्री प्रीतम सिंह, निवासी बड़ौत मेरठ को सुरक्षा कर्मियों द्वारा हिरासत में ले लिया गया था । सदन की सहमति की प्रत्याशा में मेरे आदेश से उक्त तीनों व्यक्तियों को सदन की कार्यदाही समाप्त होने तक मार्शल की हिरासत में रखने के उपरान्त छोड़ दिया गया था । क्या इससे सदन सहमत है ?

(सदन ने इस पर अपनी सहमति व्यक्त की)

आज सदन में पर्चे फेंकने व नारे लगाने वाले व्यक्तियों व महिलाओं की रिहाई का प्रस्ताव

श्री उपाध्यक्ष—

एक और सूचना है ।

आज दिनांक 30 सितम्बर, 1989 को अपराह्न लगभग 3 बजकर 17 मिनट पर जब माननीय गृह मंत्री बोल रहे थे, सभा मण्डप की दर्शक दीर्घा संख्या-1 से एक व्यक्ति ने नारे लगाये और अपने पास से कुछ परचे सभा मण्डप में फेंके । दीर्घा में ड्यूटी पर तैनात इस सचिवालय के सुरक्षा कर्मियों द्वारा उस व्यक्ति को तुरन्त नियंत्रित कर हिरासत में लेकर दीर्घा से बाहर लाया गया । पूंछताछ करने पर उसने अपना नाम श्री अभय कुमार जैन पुत्र श्री अजीत कुमार जैन, निवासी 274, सदर बाजार, झांसी बताया । उसके पास से

श्री सिकन्दर अली खां, सदस्य विधान सभा, शाहजहांपुर की संस्तुति पर जारी किया गया तीन बजे अपराह्न से उपवेशन की समाप्ति तक की पाली का श्री के0 डी0 सिंह के नाम से ज़ारी किया हुआ दर्शक दीर्घा प्रवेश पत्र संख्या-6522 प्राप्त हुआ ।

इस घटना के कुछ ही देर बाद लगभग 4 बजकर 5 मिनट पर दर्शक दीर्घा नम्बर-3 जिसमें केवल महिला दर्शकों के बैठने की व्यवस्था है, में बैठी हुयी दो महिला दर्शकों ने भी नारे लगाये तथा कुछ पर्चे सभा मण्डप में फेंके । इनको भी उक्त दीर्घा में तैनात महिला सुरक्षा कर्मियों द्वारा नियंत्रित कर दीर्घा से बाहर लाया गया । पूछताछ करने पर उनमें से एक ने अपना नाम कुमारी गीता अग्रवाल उर्फ पिंकी अग्रवाल पुत्री श्री के0 आर0 अग्रवाल, 46, एवन्यू रोड, नैनीताल तथा दूसरे ने अपना नाम कुमारी मंजू सक्सेना उर्फ अंजना सक्सेना पुत्री श्री वी0 वी0 सक्सेना, निवासी चाहइन्छा, राम राजद्वार, रामपुर बताया । उनके पास से भी उपर्युक्त श्री सिकन्दर अली खां, सदस्य, विधान सभा, शाहजहांपुर की संस्तुति पर जारी किया हुआ दर्शक दीर्घा की तीन बजे से सदन के उपवेशन की समाप्ति वाली पाली के लिये क्रमशः प्रवेश पत्र संख्या-6514 तथा 6513 प्राप्त हुआ ।

उपर्युक्त तीनों दर्शक राज्य आयुर्वेदिक विद्यालय, लखनऊ के छात्र हैं । उनके पास से प्राप्त उक्त प्रवेश-पत्र तथा सदन में फेंके गये पर्चे मूल रूप में इस टिप्पणी के साथ संलग्न है । उपर्युक्त श्री अभय कुमार जैन उर्फ श्री के0 डी0 सिंह, कुमारी गीता अग्रवाल उर्फ पिंकी अग्रवाल तथा कुमारी मंजू सक्सेना उर्फ अंजना सक्सेना ने दीर्घा से नारे लगाकर सदन के कार्य में बाधा डालने का प्रयास किया है । उनका यह कार्य सदन की अवमानना का आधार बनता है । यह तीनों दर्शक इस समय मार्शल, विधान सभा की अभिरक्षा में हैं । ऐसे उच्छृंखल व्यक्तियों को अनावश्यक महत्व देना उचित नहीं प्रतीत होता ।

अतः यदि सदन सहमत हो तो आज की उपवेशन की समाप्ति तक उन्हें मार्शल की अभिरक्षा में रखा जाय और तदुपरान्त रिहा कर दिया जाय ?

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, मुझे यह कहना है कि लड़कियों के पास से पर्चे बरामद हुये, वह इस सदन की प्रापर्टी है, तो इस सदन को इस बात की जानकारी दी जानी चाहिये कि यह पर्चे किस सन्दर्भ में हैं, उनमें क्या लिखा है ?

श्री उपाध्यक्ष—

आप उनको यहां आकर देख सकते हैं ।

(इस बीच सर्वश्री शारदा नन्द अंचल, जयदीप सिंह बरार, शारदा प्रताप, राम शरण दास आदि अनेक माननीय सदस्यों द्वारा खड़े होकर एक साथ अपनी बात कहने का प्रयास करने पर घोर-व्यवधान)

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, यह सदन की प्रापर्टी है, और इसे बताना जरूरी है ।

श्री उपाध्यक्ष—

कुछ भी बताना जरूरी नहीं है ।

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, व्यवस्था का सवाल है । आपने महिला दर्शकों के संबंध में सदन को जानकारी दी और यह भी जानकारी दी कि उनके द्वारा पर्चा फेंका गया और वह नत्थी है । अब वह पर्चा सदन की सम्पत्ति बन चुकी है, जब कोई चीज सदन की सम्पत्ति बन जाती है तो माननीय सदस्य यह चाहते हैं कि उसकी जानकारी भी हो कि उस पर्चे में क्या लिखा है ।

श्री उपाध्यक्ष—

किसी अजनबी द्वारा पर्चा फेंका गया है, इसलिए उसे सदन की प्रापर्टी नहीं माना जाता है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, उन्होंने जो पर्चा फेंका है, जब तक हम यह न जान लें कि उसका कन्टेन्ट्स क्या है, तब तक हम अपना क्या अभिमत दे सकते हैं, हम उन्हें क्या सजा दे सकते हैं । उनके अपराध का क्या स्तर है ।

श्री उपाध्यक्ष—

सदन में उन्होंने जो पर्चा फेंका है, वही उनका अपराध है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, परम्परा तो यह है कि उन्हें कटघरे में खड़ा किया जाय । जब तक कोई अपराधी अपनी बात की सफाई नहीं दे देता है, तब तक दण्ड देने का अधिकार नहीं है । आपने ऐसा करके यह सदन न्यायालय में कन्वर्ट कर दिया है ।

श्री उपाध्यक्ष—

यदि आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो प्रस्ताव ले आयें ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, प्रस्ताव तो तब करेंगे, जब अपराध की जानकारी तो मिले ।

श्री उपाध्यक्ष—

कभी कोई जानकारी नहीं दी गई है सदन में । नियमों में भी यही है ।

श्री राम शरण दास—

महिला ने जो पर्चा फेंका है, उसमें किसी मंत्री के खिलाफ कोई रोष तो नहीं है । आज तक महिलाओं ने कभी पर्चा नहीं फेंका है । हो सकता है किसी महिला के साथ दुष्कर्म हुआ हो । सामने तो एक से एक बढ़कर मंत्री है । अपराध सदन के सामने आना चाहिए ।

(श्री राम शरण दास, शारदानंद अंचल, राम आसरे वर्मा, शारदा प्रताप एवं श्री विजय सिंह राणा के खड़े होने पर घोर व्यवधान ।)

श्री राम आसरे वर्मा—

जब तक उनका अपराध सदन के समक्ष नहीं आ जाता है, तब तक कोई दण्ड नहीं दिया जा सकता है ।

श्री उपाध्यक्ष—

मैंने कहा कि पर्चा फेंकना ही उनका अपराध है ।

श्री विजय सिंह राणा—

ठीक है पर्चा फेंकना दोष हो सकता है, यह भी तो हो सकता है कि पर्चे में जो लिखा है, वह भी दोषपूर्ण हो ।

श्री उपाध्यक्ष—

पर्चे फेंकने पर ही सजा है ।

श्री जयदीप सिंह बरार—

यह कैसे हो सकता है । सदन की अवमानना का प्रश्न है तो पहले उस पर चर्चा होगी । प्रस्ताव तो बाद में आयेगा । आप तो प्रस्ताव पहले रखवाना चाहते हैं ।

श्री शारदा प्रताप—

वह पर्चा सदन की प्रापर्टी है ।

श्री उपाध्यक्ष—

वह सदन की प्रापर्टी नहीं हो सकती है । बस अवमानना हुई है तो केवल पर्चा फेंकने से ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । परिपाटी तो यह है कि आपके द्वारा अगर कोई प्रस्ताव रखा जाता है तो उसका विरोध नहीं करना चाहिए ।

अगर उधर से कोई प्रश्न प्रस्तुत होता तो 'हां' या 'नहीं' करते । आपने हमारी भावनाओं को जाने बिना अपना सुझाव दे दिया । आपने हमारी स्वीकृति की प्रत्याशा पर क्षमा करने का मन बना लिया और हम आपके खिलाफ बोलना चाहे तो आपके लिए अपमानजनक है । आप सदन में प्रस्ताव करते, यहां सजा की बात रखी जाती । सभी प्रक्रियाओं का सत्यानाश करके संसदीय परम्पराओं को ध्वस्त किया जा रहा है ।

श्री उपाध्यक्ष—

यह तो मेरा सुझाव था, जो मैंने दिया है ।

संसदीय कार्यमंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

मान्यवर, आपने क्षमा करके सदन की स्वीकृति की प्रत्याशा में सराहनीय कार्य किया है । इससे पूरा सदन पूर्ण रूप से संतुष्ट है । जो चीज फेंकी जाती है, वह सदन की प्रापर्टी नहीं बन सकती । यदि चप्पल फेंकी जाती है तो क्या वह सदन की प्रापर्टी बन जायगी ?

(हंसी)

अगर किसी माननीय सदस्य को जिज्ञासा है तो आपके कक्ष में जाकर देख सकते हैं । राजेन्द्र कुमार गुप्त जी ने कहा कि और सजा देना चाहते हैं । यह क्षमा तो जानते ही

नहीं है । आपने प्रस्ताव रखा है कि उन महिलाओं को और एक पुरुष को सदन के उठने तक रोका जाय, मेरा प्रस्ताव है कि क्षमा को देखते हुए 'एटीकेट' और 'कर्टेसी' को देखते हुए उन तीनों को अभी रिहा कर दिया जाय ताकि वे महिलायें समय से अपने निवास स्थान पहुंच सकें ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि जो प्रस्ताव अभी माननीय संसदीय कार्यमंत्री ने रखा है, सदन उससे सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री उपाध्यक्ष—

सदन की सहमति है, उन्हें छोड़ दिया जाय ।

विशेषाधिकार हनन एवं औचित्य के प्रश्नों पर श्री अध्यक्ष द्वारा लिये गये निर्णयों की सूचना

श्री उपाध्यक्ष—

विभिन्न माननीय सदस्यों द्वारा अभिसूचित विशेषाधिकार हनन अथवा सदन की अवमानना के 22 मामलों को माननीय अध्यक्ष, विधान सभा ने अग्राह्य कर दिया है और औचित्य प्रश्न की दो सूचनाओं को प्रश्न एवं संदर्भ समिति को निर्दिष्ट कर दिया है ।

उक्त समस्त मामलों में माननीय अध्यक्ष द्वारा लिये गये निर्णय पढ़े हुए माने जायेंगे तथा आज की कार्यवाही का अंग माने जायेंगे ।

(निम्नलिखित निर्णय पढ़े हुए माने गये)

श्री सुखपाल पाण्डे द्वारा स्वास्थ्य मंत्री के विरुद्ध दी गई विशेषाधिकार हनन की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री उपाध्यक्ष—

[श्री सुखपाल पाण्डे, सदस्य विधान सभा ने माननीय स्वास्थ्य मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन की सूचना दिनांक 17 मार्च, 1988 को दी थी । सूचना में माननीय सदस्य ने यह उल्लेख किया है कि विधान सभा के वर्ष 1988 के प्रथम सत्र के तीसरे गुरुवार के लिए निर्धारित उनके अतारांकित प्रश्न संख्या 7 का उत्तर सदन में भ्रामक तथा असत्य दिया गया । सूचना में माननीय सदस्य का यह भी कहना है कि श्री शेर बहादुर सिंह, प्रसार शिक्षक, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, जलालपुर की नियुक्ति सदन में दिये गये उत्तर के अनुसार अप्रैल, 1987 से बतायी गयी है, जब कि फैजाबाद जनपद में वे 10 वर्षों से अधिक समय से कार्यरत हैं । सूचना में यह भी कहा गया है कि माननीय सदस्य के प्रश्न पूछने का तात्पर्य यह था कि माननीय मंत्री जी ने श्री शेर बहादुर सिंह, प्रसार शिक्षक का स्थानान्तरण दिनांक 17 फरवरी, 1988 को किया, परन्तु सदन में दिये गये उत्तर में यह कहा गया है कि श्री सिंह का स्थानान्तरण कार्यहित में माह अप्रैल, 1987 में गृह जनपद के गृह प्राथमिक केन्द्र पर किया गया जबकि वास्तविकता यह है कि दिनांक 17 फरवरी, 1988 के पूर्व नियुक्त प्रसार शिक्षक ने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, जलालपुर में उत्तम कार्य किया था और उनको प्रशंसा-पत्र आदि दिये गये थे ।

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

मैंने इस संबंध में माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से वस्तुस्थिति की जानकारी प्राप्त की है । माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने अवगत कराया है कि माननीय सदस्य ने उक्त प्रश्न में यह जानकारी चाही थी कि जनपद फैजाबाद के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, जलालपर एवं बसखारा के उपखंड 2 एव उपखंड 3 पर कितने ऐसे प्रसार शिक्षक है जो अपने गृह जनपद के गृह प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर तैनात है और वह कितने-कितने समय से कार्यरत है तथा इस प्रश्न का उत्तर शासन को उपलब्ध जानकारी के अनुसार दिया गया था । माननीय मंत्री ने यह भी अवगत कराया है कि माननीय श्री सुखपाल पाण्डे ने वर्ष 1988 के प्रथम सत्र के लिए एक अल्पसूचित तारांकित प्रश्न पूछने का सूचना दी थी जिसमें इसी विषय पर जानकारी प्राप्त की जानी थी और जिसकी कार्यवाही चल रही थी । इसी बीच उपर्युक्त अतारांकित प्रश्न संख्या 7 के माध्यम से दी जा चुकी है । सूचना को दृष्टिगत रखते हुए अल्पसूचित प्रश्न को माननीय उपाध्यक्ष के आदेश से पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त कर दिया गया । इस प्रकार माननीय सदस्य द्वारा अभिसूचित अल्पसूचित तारांकित प्रश्न को अतारांकित प्रश्न के रूप में नहीं बदला गया था ।

इस संबंध में शासन से प्राप्त अग्रेतर सूचना में यह भी अवगत कराया गया है कि श्री शेर बहादुर सिंह, प्रसार शिक्षक, जनपद फैजाबाद का स्थानान्तरण जनपद आजमगढ़ के लिए कर दिया गया है तथा उन्हें दिनांक 27 अप्रैल, 1889 को पूर्वाह्न में जनपद आजमगढ़ में कार्यभार ग्रहण करने हेतु कार्यमुक्त भी कर दिया गया और इस प्रकार श्री सिंह जनपद फैजाबाद में माह सितम्बर, 1979 से 26 अप्रैल, 1989 तक कार्यरत रहे । उक्त अग्रेतर जानकारी के अनुसार श्री शेर बहादुर सिंह की अपने गह जनपद में कार्यरत रहने की अवधि संदर्भित प्रश्न के सदन में उत्तरित होने की तिथि अर्थात् दिनांक 17 मार्च, 1988 को 8 वर्ष और लगभग सात माह की थी, न कि दस वर्षों से अधिक समय की जैसा श्री सुखपाल पाण्डे ने अपनी सूचना में कहा है ।

उपर्युक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए मैं इस मत का हूं कि इस मामले में सदन में कोई गलत बयानी नहीं की गयी है । अत: मैं इस सचना को अग्राह्य घोषित करता हूं ।]

श्री अफसर यू0 अहमद द्वारा स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के विरुद्ध दी गई विशेषाधिकार हनन की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री उपाध्यक्ष—

[श्री अफसर यू0 अहमद, सदस्य विधान सभा ने विशेषाधिकार हनन के प्रश्न की एक सूचना दिनांक 18 मार्च, 1988 को दी थी । इसमें उन्होंने कहा है कि दिनांक 17 मार्च, 1988 के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 61 के उत्तर में माननीय स्वास्थ्य मंत्री ने सदन को यह अवगत कराया है कि श्री राजेन्द्र श्रीवास्तव और श्री विजय नाथ श्रीवास्तव दो अलग-अलग व्यक्तियों के नाम हैं. दोनों की नसबन्दी अलग-अलग तिथियों में की गयी और देय धनराशि का भुगतान भी अलग-अलग तिथियों से हुआ । माननीय सदस्य ने अपनी सूचना में यह आरोप लगाया है कि संबंधित विभाग के अधिकारियों ने एक ही व्यक्ति की दो बार नसबन्दी किये जाने के तथ्य को छिपाकर दो व्यक्तियों का नाम दर्शाया है और इस प्रकार गलत सूचना देकर सदन को भ्रमित किया गया है । माननीय सदस्य ने उक्त प्रश्न को विशेषाधिकार हनन के प्रश्न के रूप में उठाने एवं सम्पर्ण प्रकरण को विशेषाधिकार समिति को सुपुर्द किये जाने का अनुरोध किया है ।

नोट—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

इस संबंध में माननीय स्वास्थ्य मंत्री से वस्तुस्थिति की जानकारी मांगी गयी । शासन के पत्र दिनांक 4 जुलाई, 1989 में यह कहा गया है कि प्रश्नगत मामले में विभाग के वरिष्ठ अधिकारिणी द्वारा इस बार जांच की गयी और स्थलीय जांच हेतु जांच दल भी भेजा गया, किन्तु सरकारी अभिलेखों के अनुसार अलग-अलग तिथि में उक्त व्यक्तियों की नसबन्दी दर्शाया गयी है और जांचोपरान्त यह भी सिद्ध नहीं हो पाया है कि एक ही व्यक्ति को अलग-अलग नामों से नसबन्दी की गयी है । शासन द्वारा इस संबंध में जारी किये गये एक परिपत्र दिनांक 3 जुलाई, 1989 की प्रति भी संलग्न की गयी है जिसमें नसबन्दी के मामले में आवश्यक सतर्कता बरतने एवं त्रुटि की सम्भावनाओं को नियंत्रित करने के उद्देश्य से प्रदेश में भी मुख्य चिकित्सा अधिकारियों के लिए आवश्यक निर्देश निर्गत किये गये हैं ।

माननीय श्री अहमद की सूचना तथा उसके सन्दर्भ में शासन द्वारा उपलब्ध करायी गयी जानकारी का सम्यक् रूप से अध्ययन करने के उपरान्त मैं इस मत का हूं कि प्रश्नगत मामला विशेषाधिकार हनन के प्रश्न के रूप में ग्राह्य किये जाने के योग्य नहीं है क्योंकि माननीय सदस्य की सूचना में यह नहीं कहा गया है कि तत्कालीन माननीय स्वास्थ्य मंत्री ने जानबूझ कर सदन को गलत सूचना दी है, बल्कि शिकायत की गयी है कि संबंधित अधिकारियों द्वारा माननीय मंत्री को गलत जानकारी दी गयी । यदि यह सिद्ध हो जाय कि सदन में किसी मंत्री द्वारा दी गयी गलत सूचना अधिकारियों द्वारा उपलब्ध करायी गयी जानकारी पर आधारित था तो उसके लिये उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा जारी किये गये प्रक्रिया संबंधी करण संख्या 219 में पृथक प्रक्रिया विहित है, जिसके अनुसार ऐसे दोषी अधिकारी के विरुद्ध शासन द्वारा कृत कार्यवाही की सूचना सदन को दी जानी चाहिये ।

प्रश्नगत मामले में सदन में दी गयी सूचना आवश्यक जांच के उपरान्त सिद्ध नहीं हुई है और माननीय सदस्य ने अपनी सूचना के साथ ऐसा कोई प्रमाण भी संलग्न नहीं किया है जिससे उनका आरोप सिद्ध हो सके । अतः मैं उक्त प्रश्न को विशेषाधिकार हनन के प्रश्न के रूप में उठाने की अनुमति नहीं देता हूं । साथ ही मैं प्रश्नगत सूचना एवं प्रक्रिया संबंधी उक्त करण संख्या 219 के अन्तर्गत भी अग्रेतर कार्यवाही की आवश्यकता नहीं समझता हूं ।]

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी द्वारा तत्कालीन गृह मंत्री श्री गोपी नाथ दीक्षित व तत्कालीन गृह राज्य मंत्री श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान के विरुद्ध दी गयी विशेषाधिकार हनन की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री उपाध्यक्ष—

[श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी, सदस्य विधान सभा ने प्रक्रिया नियमावली के नियम 63 के अन्तर्गत तत्कालीन माननीय गृह मंत्री श्री गोपी नाथ दीक्षित तथा तत्कालीन माननीय गृह राज्य मंत्री श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन एवं सदन की अवमानना के प्रश्न की सूचना दी थी जो दिनांक 29 मार्च, 1988 को प्राप्त हुयी थी । माननीय सदस्य का कथन है कि माननीय मंत्रिगण ने जानबूझकर सदन को गुमराह करने हेतु प्रथम सत्र 1988 के चौथे मंगलवार के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न संख्या 2 का बिल्कुल गलत और तथ्यों के विपरीत उत्तर दिया है । माननीय सदस्य की शिकायत है कि तत्कालीन माननीय गृह मंत्री का यह उत्तर कि अभियोग की विवेचना की गयी और साक्षो के अभाव में विवेचना अन्तिम रिपोर्ट द्वारा समाप्त की गयी, पूर्णतया असत्य है क्योंकि मुकदमा अपराध संख्या 883/87 अंतर्गत धारा 383/387 भारतीय दण्ड विधान थाना कोतवाली नगर फैजाबाद उनके पत्र पर

नोट—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

पंजीकृत किया गया था और विवेचना अधिकारी द्वारा उक्त मामले में आज तक उनका कोई बयान नहीं लिया गया है । माननीय सदस्य ने यह भी कहा है कि गृह राज्य मंत्री श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान ने अनुपूरक प्रश्नों का जानबूझकर सदन का गुमराह करने के इरादे से गलत उत्तर दिया है ।

प्रश्न गत मामले में तत्कालीन गृह मंत्री तथा गृह राज्य मंत्री से उनका अभिकथन मांगा गया था । उसके संदर्भ में वर्तमान गृह मंत्री श्रीमती सुशीला रोहतगी ने अपने पत्र दिनांक 6 जनवरी, 1989 में कहा है कि माननीय सदस्य श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी का यह कहना सही नहीं है कि अभियोग की विवेचना नहीं की गयी, वास्तविकता यह है कि विवेचना के उपरान्त ही साक्ष्य के अभाव में अन्तिम रिपोर्ट प्रेषित कर दी गई । विवेचना द्वारा दिनांक 5 जुलाई, 1987 एवं दिनांक 22 फरवरी 1988 को माननीय सदस्य का बयान धारा 161 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत अंकित किया गया । माननीय मंत्री ने यह भी कहा है कि गृह राज्य मंत्री श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान द्वारा सदन को गुमराह करने के इरादे से सदन में कोई बात नहीं कही गई, बल्कि उपलब्ध तथ्यों के आधार पर ही अनुपूरक प्रश्नों का उत्तर दिया गया है ।

मैंने प्रश्नगत मामले से शासन को संबंधित पत्रावली मंगाई थी और उसका अवलोकन भी किया था । उपर्युक्त के अतिरिक्त इसी संदर्भ में माननीय गृह राज्य मंत्री श्री सुईदुज्जमा ने अपने पत्र दिनांक 10 मई, 1989 में यह कहा है कि तत्कालीन गृह राज्य मंत्री श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान का अनुपूरक प्रश्नों में यह कहना कि श्री तिवारी जी का सीधा कोई मतलब था ही नहीं, इसलिये उनसे पूंछना मुनासिब नहीं समझा गया, सही नहीं है इसके लिए उन्होंने अत्यन्त खेद भी प्रकट किया है । माननीय श्री तिवारी की उक्त सूचना में अन्य व्यक्तिगत मामलों का भी सन्दर्भ दिया गया है जो सदन की अवमानना की प्रश्नगत सूचना से संबंधित नहीं है ।

तदुपरान्त प्रश्नगत मामले में तत्कालीन गृह राज्य मंत्री माननीय श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान से भी उनका अभिकथन मांगा गया । माननीय राज्य मंत्री श्री चौहान ने पूरे प्रकरण पर प्रकाश डालते हुए यह स्वीकार किया है कि उनके द्वारा सदन में किसी भ्रमवश बिना किसी बदनियती के त्रुटिपूर्ण अनुपूरक उत्तर दे दिया गया था जिसके लिए उन्होंने अपने उक्त पत्र दिनांक 18 सितम्बर, 1989 में खेद प्रकाश किया है ।

माननीय सदस्य की सूचना, दिनांक 22 मार्च, 1988 को सदन की कार्यवाही के अनुपूरक प्रश्नों से संबंधित अंश तथा इस संदर्भ में माननीय गृह मंत्री, माननीय गृह राज्य मंत्री तथा तत्कालीन माननीय गृह राज्य मंत्री के पत्रों का मैंने अध्ययन किया है । तत्कालीन गृह राज्य मंत्री द्वारा माननीय सदस्य का बयान न लिये जाने के विषय में जो सूचना सदन को दी गयी थी वह त्रुटिपूर्ण थी जिसके लिए तत्कालीन गृह राज्य मंत्री ने खेद प्रकाश किया है । मामले के सभी पहलुओं एवं तत्कालीन गृह राज्य मंत्री की ओर से किये गये खेद प्रकाश को दृष्टिगत रखते हुए मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि प्रश्नगत मामले में जानबूझकर गलत बयानी नहीं की गयी है अपितु किसी भ्रमवश त्रुटिपूर्ण सूचना सदन में दी गयी थी । अतः मैं इस मामले को सदन की अवमानना के प्रश्न के रूप में अग्राह्य करते हुए यह अपेक्षा करता हूं कि भविष्य में इस ओर ध्यान दिया जाय कि सदन में दी जाने वाली सूचनाएं सही हों । इस मामले में सदन में दी गयी सूचना को शुद्ध रूप में अभिलिखित करने के आशय से मैं यह भी निदेश देता हूं कि माननीय राज्य मंत्री श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान द्वारा पहले प्रश्नगत

मामले में अनुपूरक उत्तर के माध्यम से दी गयी गलत सूचना को संशोधित करने हेतु सदन में एक शोधन वक्तव्य भी दिया जाय ।]

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी द्वारा तत्कालीन शिक्षा मंत्री श्री सैयद सिब्ते रजी व तत्कालीन शिक्षा राज्य मंत्री श्री संकठा प्रसाद शास्त्री के विरुद्ध दी गयी विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री उपाध्यक्ष—

[श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी, सदस्य विधान सभा ने तत्कालीन शिक्षा मंत्री माननीय सैयद सिब्ते रजी तथा तत्कालीन शिक्षा राज्य मंत्री श्री संकठा प्रसाद शास्त्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना तथा सदन के अवमान के प्रश्न की सूचना दिनांक 4 मई, 1988 को दी थी । इसमें माननीय सदस्य ने शिकायत की है कि उक्त दोनों मंत्रियों ने जानबूझकर सदन को गुमराह करने के इरादे से प्रथम सत्र, 1988 के आठवें सोमवार के तारांकित प्रश्न संख्या 2 का बिल्कुल गलत तथा तथ्यों के विपरीत उत्तर दिया है । माननीय सदस्य ने कहा है कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, फैजाबाद द्वारा इस बारे में जो संशोधित व्याख्यात्मक टिप्पणी भेजी गयी थी वह सदन के उत्तर दिये जाने के समय संबंधित पत्रावली में माननीय मंत्रीगण के पास उपलब्ध थी, इसके बावजूद उत्तर में सही तथ्यों को छुपा लिया गया । माननीय सदस्य ने उक्त प्रश्न को उपस्थित करने की अनुज्ञा मांगी है ।

प्रश्नगत मामले में तत्कालीन शिक्षा मंत्री तथा शिक्षा राज्य मंत्री से उनका अभिकथन मांगा गया था । उसके संदर्भ में माननीय शिक्षा मंत्री, श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी ने अपने पत्र दिनांक 24 अप्रैल, 1989 में कहा है कि यह सही नहीं है कि शासन द्वारा किसी तथ्य को छुपाने का अथवा भ्रष्टाचार पर परदा डालने का प्रयास किया गया था, बल्कि सदन में संदर्भित प्रश्न का उत्तर दिनांक 25 अप्रैल, 1988 को अपर शिक्षा निदेशक (बे0) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के पत्र दिनांक 22 अप्रैल, 1988 में प्राप्त सूचना के आधार पर दिया गया था और उक्त पत्र से अनियमितताओं की जो जानकारी शासन को प्राप्त हुई थी उनके लिए दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही करने के आदेश दिनांक 23 अप्रैल, 1988 को ही जारी कर दिये गये । माननीय शिक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि माननीय सदस्य का यह कथन सही नहीं कि सदन में उत्तर देते समय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, फैजाबाद की संशोधित व्याख्यात्मक टिप्पणी तत्कालीन शिक्षा मंत्री तथा राज्य मंत्री के पास संबंधित पत्रावली में उपलब्ध थी । उक्त टिप्पणी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने सचिव, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद् को सम्बोधित तथा तत्कालीन विशेष सचिव को पृष्ठांकित अपने पत्र दिनांक 30 अप्रैल, 1988 के साथ संलग्नक के रूप में प्रेषित की थी, जबकि प्रश्न का उत्तर देते समय उक्त टिप्पणी का शासन की पत्रावली में उपलब्ध होना सम्भव नहीं था और जिला बेसिक अधिकारी पर उक्त व्याख्यात्मक टिप्पणी को बदलने के लिए दबाव डाले जाने का कोई प्रश्न ही नहीं था ।

माननीय श्री तिवारी की सूचना तथा उसके संबंध में माननीय शिक्षा मंत्री के पत्र पर विचार करने के बाद इस मामले में कोई ऐसा तथ्य प्रकाश में नहीं आया है जिससे यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि तत्कालीन मंत्रियों द्वारा सदन को गुमराह करने के उद्देश्य से जान-बूझकर गलत बयानी की गई है । अतः उपरोक्त परिस्थिति में मैं इसे विशेषाधिकार-हनन या सदन के अवमान के प्रश्न के रूप में उठाये जाने की अनुमति नहीं देता हूं ।]

नोट—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा द्वारा क्षेत्राधिकारी पुलिस श्याम देउरवा, श्री वर्मा के विरुद्ध दी गई विशेषाधिकार हनन की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री उपाध्यक्ष—

[श्री जनार्दन प्रसाद ओझा, सदस्य, विधान सभा ने क्षेत्राधिकारी पुलिस श्याम देउरवा, श्री वर्मा के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन के प्रश्न की एक सूचना दिनांक 1 अक्टूबर, 1988 को दी थी । इसी विषय में माननीय श्री ओझा द्वारा प्रेषित एक तार भी दिनांक 29 सितम्बर, 1988 को प्राप्त हुआ था । माननीय सदस्य ने कहा कि दिनांक 25 सितम्बर, 1988 को जब वह क्षेत्र समिति पनियरा में मतदान हेतु जा रहे थे तो क्षेत्राधिकारी पुलिस, श्याम देउरवा, श्री वर्मा ने उनकी जीप रोका तथा जीप के कागज, लाइसेन्स को ड्राइवर द्वारा दिलाये जाने के बावजूद उक्त कागज के संबंध में धुधली थाने पर चलने के लिए कहा । श्री ओझा ने शिकायत की है कि जब पनियरा में क्षेत्र समिति के मतदान के आधार पर उन्होंने थाने पर जाने से इंकार किया तो उक्त क्षेत्राधिकारी ने रिवाल्वर निकाल ली और अपशब्दों का प्रयोग किया । माननीय सदस्य ने आगे कहा है कि उन्होंने विधान सभा में क्षेत्राधिकारी, श्री वर्मा के विरुद्ध प्रश्न भी दिये हैं, अतः श्री वर्मा ने जानबूझकर उनकी अवमानना की है और धमकी दी है ।

प्रश्नगत मामले में माननीय गृह मंत्री से वस्तुस्थिति की जानकारी प्राप्त की गयी । अपने पत्र दिनांक 21 अप्रैल, 1989 द्वारा माननीय गृह राज्य मंत्री द्वारा उपलब्ध करायी गयी जानकारी के अनुसार प्रश्नगत मामले में पुलिस अधीक्षक, गोरखपुर से जांच करायी गयी जिसके अनुसार दिनांक 25 सितम्बर, 1988 को पुलिस उपाधीक्षक श्री वर्मा द्वारा माननीय सदस्य की जीप की मोटर वेहिकिल एक्ट के अंतर्गत चेकिंग करने के उद्देश्य से रोका गया था, न कि उन्हें मतदान से वंचित करने अथवा उनकी अवमानना की मंशा से । माननीय राज्य मंत्री ने कहा है कि फिर भी माननीय सदस्य की जीप रोके जाने का औचित्य न पाये जाने के कारण श्री वर्मा को अविवेकपूर्ण कार्यवाही के लिए उन्हें उनकी व्यक्तिगत पत्रावली में चेतावनी दिये जाने के लिए ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक, गोरखपुर को निर्देशित किया जा चुका है । माननीय मंत्री ने यह सूचित किया है कि श्री वर्मा द्वारा रिवाल्वर निकालने तथा अपशब्दों का प्रयोग करके माननीय सदस्य के साथ दुर्व्यवहार किये जाने का आरोप प्रमाणित नहीं हुआ है । इसके साथ ही माननीय गृह राज्य मंत्री ने यह भी कहा कि श्री वर्मा को गोरखपुर जनपद से बाहर कानपुर नगर स्थानान्तरित किया जा चुका है ।

माननीय सदस्य की सूचना तथा माननीय गृह राज्य मंत्री से प्राप्त पत्र का अवलोकन करने के एश्चात् यही निष्कर्ष निकलता है कि प्रश्नगत मामले में विशेषाधिकार का हनन का प्रश्न अंतर्गस्त नहीं है क्योंकि क्षेत्र समिति के चुनाव में भाग लेने का कार्य सदन या उसकी समिति के कृत्यों की परिधि में नहीं आता । श्री ओझा ने अपनी सूचना में यह भी स्पष्ट नहीं किया है कि उन्होंने दोषारोपित पुलिस अधिकारी, श्री वर्मा के विरुद्ध प्रश्न कब और किस प्रसंग में दिये थे । जहां तक माननीय सदस्य की जीप रोके जाने का प्रश्न है, इस कृत्य के लिए क्षेत्राधिकारी श्याम देउरवा, श्री वर्मा को उनकी व्यक्तिगत पत्रावली में चेतावनी दी जा चुकी है तथा उनका जनपद गोरखपुर से कानपुर स्थानान्तरण भी किया जा चुका है ।

उपरोक्त परिस्थितियों पर विचारोपरान्त मैं इस मामले को विशेषाधिकार हनन या अवमानना के प्रश्न के रूप में उठाने की अनुमति नहीं देता हूं ।]

नोट :—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

श्री हर्षवर्धन द्वारा डा0 ओम प्रकाश जिलाधिकारी गोरखपुर के विरुद्ध दी गई विशेषाधिकार हनन की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री उपाध्यक्ष—

[श्री हर्षवर्धन, सदस्य विधान सभा ने विधान सभा की प्रक्रिया नियमावली के नियम 63 के अन्तर्गत डा0 ओम प्रकाश, जिलाधिकारी, गोरखपुर के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन के प्रश्न की सूचना दिनांक 2 जनवरी, 1989 को दी है। माननीय सदस्य ने अपनी सूचना में कहा है कि थानाध्यक्ष फरेन्दा के माध्यम से उनको प्राप्त जिलाधिकारी, गोरखपुर के वायरलेस सन्देश दिनांक 26 अक्टूबर, 1987 का यह अंश कि "इस संबंध में कल दिनांक 27 अक्टूबर, 1987 को कलेक्ट्रेट कमेटी रूम, गोरखपुर में 4 बजे शाम को एक मीटिंग होगी इसमें समस्त क्षेत्र के एम0 पी0 व एम0 एल0 ए0 को भाग लेना अनिवार्य है, अतः उपरोक्त को सूचित करें कि समय से उपस्थित होकर मीटिंग में भाग लेवें, अत्यन्त आपत्तिजनक है। माननीय सदस्य के विचार में उक्त भाषा न केवल आदेशात्मक है, वरन् सदस्य विधान सभा एवं सांसदों के सम्मान एवं प्रतिष्ठा के भी प्रतिकूल है। माननीय सदस्य के अनुसार जिलाधिकारी ने न केवल सदस्यों का असम्मान किया है, वरन् आदरणीय सदन की गरिमा को भी गिराया है। माननीय सदस्य ने यह भी कहा है कि इस संबंध में उनके द्वारा दिनांक 2 नवम्बर, 1987 को लिखे गये पत्र का कोई उत्तर न देकर जिलाधिकारी गोरखपुर ने साधारण शिष्टाचार का भी निर्वहन नहीं किया है।

प्रश्नगत मामले में डा0 ओम प्रकाश, जिलाधिकारी, गोरखपुर का स्पष्टीकरण प्राप्त किया गया। अपने पत्र दिनांक 2 फरवरी, 1989 में जिला अधिकारी ने कहा है कि माननीय विधायक को थाने द्वारा जो सूचना की प्रति भेजी गयी वह कार्यालय द्वारा भेजी सूचना से भिन्न है। यदि थानाध्यक्ष ठीक तरह से सूचना प्राप्त कर लिये होते और उसे ठीक तरह से माननीय विधायक जी को भेज दिये होते तो इस तरह की स्थिति पैदा न होती। जिलाधिकारी ने यह भी कहा है कि उक्त सूचना थानाध्यक्ष को इस आशय से भेजी गयी थी कि वे माननीय सदस्य को केवल इसकी सूचना दे दें जबकि उन्होंने उक्त सूचना की प्रति माननीय सदस्य को उपलब्ध करा दी, फिर भी इसमें यदि माननीय विधायक जी कोई भावना महसूस कर रहे हों तो वह (जिलाधिकारी) अपने कार्यालय के कर्मचारी और थाना अध्यक्ष की ओर से खेद व्यक्त करते हैं। तत्पश्चात् अपने पत्र दिनांक 13 मार्च, 1989 में जिलाधिकारी ने यह भी कहा है कि श्री हर्षवर्धन के प्रश्नगत पत्र दिनांक 2 नवम्बर, 1987 का उत्तर कार्यालय के अधीनस्थ स्टाफ की असावधानी के कारण माननीय सदस्य को नहीं दिया जा सका इसके लिये संबंधित स्टाफ को कड़ी चेतावनी दे दी गयी है। जिलाधिकारी ने अपने स्टाफ की इस असावधानी के लिए भी खेद प्रकट करते हुए कहा कि भविष्य के लिए अधीनस्थ स्टाफ को कड़े निर्देश दिये गये हैं कि वह माननीय जन प्रतिनिधिगण के पत्रों का उत्तरदायित्व पूर्वक अनुपालन सुनिश्चित करें। इस संबंध में मैं यह भी कहना चाहूंगा कि प्रश्नगत मामला दिनांक 27 अक्टूबर, 1987 को बैठक से संबंधित है और उनके विषय में विशेषाधिकार हनन की शिकायत दिनांक 2 जनवरी, 1989 को की गई है, इस प्रकार यह मामला विलम्बित भी है। उपरोक्त परिस्थितियों में इस मामले को विशेषाधिकार हनन के प्रश्न के रूप में उठाने की अनुमति नहीं देता हूं।]

नोट—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

श्री रवीन्द्रनाथ तिवारी द्वारा स्वास्थ्य मंत्री के विरुद्ध दी गई विशेषाधिकार हनन की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री उपाध्यक्ष—

[माननीय श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी, सदस्य विधान सभा ने माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री गोपी नाथ दीक्षित के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना तथा सदन की अवमानना के प्रश्न की सूचना दिनांक 13 फरवरी, 1989 को दी थी। उक्त सूचना में माननीय सदस्य ने यह आरोप लगाया है कि विधान सभा दिनांक 9 फरवरी, 1989 को उत्तरित उनके अतारांकित प्रश्न संख्या 54 में माननीय मंत्री को सम्बोधित माननीय सदस्य के पत्र दिनांक 8 अगस्त, 1988 जिसमें नव भारत टाइम्स समाचार पत्र के दिनांक 29 जुलाई, 1988 के अंक में स्वास्थ्य विभाग से संबंधित प्रकाशित समाचार का उल्लेख किया गया था, की प्राप्ति को सदन में दिये गये उत्तर में अस्वीकार किया गया है, जबकि माननीय मंत्री ने उक्त पत्र की प्राप्ति माननीय सदस्य को पत्र भेजकर स्वीकार की है। माननीय सदस्य ने अपनी उक्त सूचना के साथ माननीय मंत्री द्वारा भेजे गये उस पत्र की फोटो प्रति भी संलग्न की है जिसमें माननीय सदस्य के पत्र दिनांक 8 अगस्त, 1988 की प्राप्ति स्वीकार की गयी है।

मैंने इस संबंध में माननीय मंत्री से वस्तुस्थिति की जानकारी की है। माननीय मंत्री ने अपने पत्र दिनांक 29 अगस्त, 1989 द्वारा यह सूचित किया है कि उक्त प्रश्न संख्या 54 में संदर्भित माननीय सदस्य का पत्र दिनांक 8 अगस्त, 1988 उन्हें प्राप्त नहीं हुआ। और माननीय मंत्री ने अपने पत्र में स्पष्ट किया है कि वास्तव में माननीय सदस्य से दिनांक 5 अगस्त, 1988 का एतद्विषयक पत्र प्राप्त हुआ था जिसकी प्राप्ति स्वीकार की गयी थी और लिपिकीय त्रुटिवश उसमें दिनांक 5 अगस्त, 1988 के स्थान पर दिनांक 8 अगस्त, 1988 अंकित हो गया था। माननीय मंत्री ने माननीय सदस्य के उपरिसंदर्भित पत्र दिनांक 5 अगस्त, 1988 की फोटो प्रति संलग्न करते हुए उक्त त्रुटि से माननीय सदस्य को हुई असुविधा के लिए हार्दिक खेद व्यक्त किया है।

पूरे प्रकरण में दोनों पक्षों के अभिकथनों और उपलब्ध कराये गये अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि प्रश्नगत मामले में माननीय स्वास्थ्य मंत्री द्वारा सदन में दी गयी जानकारी कदाशय से नहीं दी गयी थी। इस प्रकार सदन में दिया गया उत्तर जानबूझकर सदन को गुमराह करने के आशय से दिया गया प्रतीत नहीं होता, अतः इसमें विशेषाधिकार की अवहेलना या सदन की अवमानना का प्रश्न अंतर्ग्रस्त नहीं है। यह अवश्य है कि सदन में उत्तर देते समय यदि वांछित सावधानी बरती गयी होती तो पूर्व में हुई उक्त लिपिकीय त्रुटि के बावजूद सही स्थिति सदन के सामने आ जाती।

वर्णित स्थिति में मैं, माननीय श्री तिवारी की उक्त सूचना को अग्राह्य घोषित करता हूं, परन्तु इसके साथ शासन से यह अपेक्षा करता हूं कि सदन में जो भी उत्तर दिया जाय वह मामले की पूरी जांच करने के उपरान्त ही दिया जाना चाहिए।]

श्री रवीन्द्रनाथ तिवारी द्वारा ऊर्जा मंत्री के विरुद्ध उठाये गये विशेषाधिकार की अवहेलना एवं सदन की अवमानना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री उपाध्यक्ष—

[श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी, सदस्य विधान सभा ने माननीय ऊर्जा मंत्री, श्री रत्नेन्द्र सिंह के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना तथा सदन की अवमानना के प्रश्न की सूचना

नोट—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

दिनांक 16 फरवरी, 1989 को दी थी । अभिसूचित सूचना में माननीय सदस्य ने कहा है कि माननीय ऊर्जा मंत्री ने प्रथम सत्र 1989 के पहले बुधवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 127 का जानबूझ कर बिल्कुल गलत तथा तथ्यों के विपरीत उत्तर दिया है । अपने एक पत्र दिनांक 16 नवम्बर, 1988 को प्राप्ति की स्वीकारोक्ति सम्बन्धी मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र की फोटोस्टेट प्रति संलग्न करते हुए माननीय सदस्य ने शिकायत की है कि माननीय ऊर्जा मंत्री ने यह उत्तर दिया था कि उनका पत्र शासन को प्राप्त हुआ प्रतीत नहीं होता है ।

प्रश्नगत मामले में माननीय ऊर्जा मंत्री का अभिकथन प्राप्त किया गया । शासन के पत्र दिनांक 29 मार्च, 1989 के साथ उपलब्ध कराये गये अभिकथन में माननीय ऊर्जा मंत्री ने यह स्वीकार किया है कि श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी का उक्त पत्र दिनांक 16 नवम्बर, 1988 उत्तर प्रदेश शासन को प्राप्त हुआ था । साथ ही माननीय ऊर्जा मंत्री ने कहा कि दुर्भाग्य से इस प्रकरण में पत्र चूंकि मुख्य सचिव के कार्यालय से प्राप्त हुआ था, अतः त्रुटि-वश माननीय विधायकों द्वारा प्राप्त पत्रों के रजिस्टर में अंकित नहीं किया गया एवं इस कारण संदर्भ उपलब्ध नहीं हो पाया जिसके लिये खेद है । माननीय सदस्य ने अपनी प्रश्नगत सूचना के साथ ऐसा कोई लेख्य संलग्न नहीं किया है जिससे इस बात की पुष्टि होती हो कि माननीय मंत्री ने जानबूझ कर सदन को गुमराह करने के आशय से गलत सूचना दी है । माननीय मंत्री द्वारा भविष्य के लिए संबंधित स्टाफ को निर्देश दिये जाने एवं भूल के लिये उनकी क्षमायाचना को दृष्टिगत रखते हुए मैं विशेषाधिकार-हनन की इस सूचना को अस्वीकार करता हूं, किन्तु शासन को यह निर्देश देता हूं कि करण संख्या 219 के अनुसार सदन में एक वक्तव्य शीघ्र दिया जाये ।]

श्री महेन्द्र भाटी द्वारा राजस्व मंत्री के विरुद्ध दी गई विशेषाधिकार हनन की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री उपाध्यक्ष—

[श्री महेन्द्र सिंह भाटी, सदस्य, विधान सभा ने उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 63 के अन्तर्गत माननीय राजस्व मंत्री श्री माता प्रसाद के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन के प्रश्न की सूचना दिनांक 21 फरवरी, 1989 को दी थी । माननीय सदस्य की शिकायत है कि विधान सभा के प्रथम सत्र 1989 के दूसरे मंगलवार के अतारांकित प्रश्न संख्या-38 के उत्तर के पैरा-3 में माननीय मंत्री का यह कहना कि कथित फर्मों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त कर लिए गए हैं, असत्य है । माननीय सदस्य ने कहा है कि उनकी निश्चित जानकारी के अनुसार इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय से कोई स्थगन आदेश नहीं है ।

प्रश्नगत मामले में माननीय राजस्व मंत्री से वस्तुस्थिति की जानकारी प्राप्त की गयी । अपने पत्र दिनांक 25 अप्रैल, 1989 में माननीय राजस्व मंत्री ने कहा है कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 15 दिसम्बर, 1986 एवं 17 दिसम्बर, 1986 में इस आशय का स्थगन था कि विवादित भूमि पर किए गए निर्माण को धारा 122-बी जमींदारी विनाश अधिनियम के अन्तर्गत लम्बित वादों के निर्णयों तक नहीं गिराया जायेगा और यदि निर्माण गिराया जा चुका है, तब यह आदेश लागू न होगा, साथ ही यदि कुछ निर्माण पहले ही गिराया जा चुका है तो अब और नहीं गिराया जायेगा । माननीय मंत्री ने यह भी सूचित

नोट—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

किया है कि तहसीलदार द्वारा धारा 122-बी, जमींदारी विनाश अधिनियम के अन्तर्गत बेदखली के आदेश दिनांक 31 अक्तूबर, 1987 को पारित किए गए, जिसके विरुद्ध संबंधित दोनों फर्मों द्वारा निगरानी प्रस्तुत किये जाने पर जिलाधिकारी द्वारा दिनांक 11 नवम्बर, 1987 तथा 21 नवम्बर, 1987 को स्थगन आदेश पारित किए गए । उक्त पत्र में यह भी बताया गया है कि बेदखली के मामले में निगरानी लम्बित होने के कारण धारा 122-बी, जमींदारी विनाश अधिनियम की कार्यवाही अभी अंतिम नहीं हुई है और ऐसी दशा में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश में निर्माण कार्यों में लगाई गई रोक अभी भी प्रभावी है, और बेदखली का क्रियान्वयन अभी सम्भव नहीं है ।

माननीय सदस्य की सूचना तथा उसके बारे में माननीय राजस्व मंत्री द्वारा दी गयी जानकारी पर विचार करने के पश्चात मैं इस मत का हूं कि प्रश्नगत मामले में विशेषाधिकार हनन का प्रश्न अन्तर्ग्रस्त नहीं है । माननीय सदस्य ने अपनी सूचना के समर्थन में कोई ऐसा प्रमाण भी प्रस्तुत नहीं किया है, जिससे यह साबित हो सके कि माननीय मंत्री के संदर्भित उत्तर के प्रस्तर तीन में जानबूझकर असत्य कथन किया गया था । अतः उपर्युक्त परिस्थिति में मैं श्री महेन्द्र सिंह भाटी की उक्त सूचना को अस्वीकार करता हूं ।]

श्री बदन सिंह द्वारा श्री जावेद अहमद, एस0 पी0 आगरा (देहात) के विरुद्ध दी गयी विशेषाधिकार हनन की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री उपाध्यक्ष—

[श्री बदन सिंह, सदस्य, विधान सभा ने उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम 63 के अन्तर्गत श्री जावेद अहमद एस0 पी0 आगरा (देहात) के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन के प्रश्न की सूचना दिनांक 22 फरवरी, 1989 को दी थी । सूचना में माननीय सदस्य ने यह कहा है कि दिनांक 5 अक्टूबर, 1988 को उनके द्वारा प्रक्रिया नियमावली के नियम 56 के अन्तर्गत दिए गए एक कार्य-स्थगन प्रस्ताव पर विधान सभा में माननीय सदस्य द्वारा एस0 पी0 आगरा (देहात) की कटु आलोचना किये जाने के फलस्वरूप दिनांक 7 फरवरी, 1988 (जो दिनांक 7 फरवरी, 1988 प्रतीत होता है) को उक्त एस0 पी0 आगरा (देहात) श्री जावेद अहमद ने विधान सभा में अपने विरुद्ध भाषण करने पर रोष प्रकट करते हुए माननीय सदस्य के प्रति असम्मानजनक व्यवहार किया एवं सदन में माननीय सदस्य द्वारा इस मामले को पुनः उठाये जाने पर परिणाम अच्छा न होने की धमकी दी ।

माननीय सदस्य के अनुसार विधान सभा में उनके द्वारा चर्चा किये जाने को आधार बनाते हुए माननीय सदस्य को धमकी दिया जाना स्पष्ट रूप से उनके विधायी कार्यों में बाधा डालने के साथ-साथ उनकी ही नहीं विधान सभा और विधायिका की अवमानना का विषय बन जाता है ।

प्रश्नगत मामले में मैंने माननीया गृह मंत्री से वस्तुस्थिति की जानकारी की और एस0 पी0 आगरा (देहात) श्री जावेद अहमद का स्पष्टीकरण प्राप्त किया । श्री जावेद अहमद के स्पष्टीकरण के संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आगरा, पुलिस उप महानिरीक्षक, आगरा (परिक्षेत्र) तथा पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश की ओर से भी आख्याएं प्राप्त हुई है जिसमें श्री जावेद अहमद के स्पष्टीकरण पर सहमति व्यक्त की गयी है । श्री जावेद अहमद ने अपने स्पष्टीकरण दिनांक 9 मार्च, 1989 में यह भी कहा है कि माननीय सदस्य द्वारा दिनांक 5 अक्तूबर, 1988 को सदन में की गयी चर्चा की जानकारी उन्हें सर्वप्रथम विधान सभा सचिवालय द्वारा निर्गत पत्र दिनांक 27 फरवरी, 1989 के माध्यम से हुई ।

नोट—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

श्री जावीद अहमद ने अपने स्पष्टीकरण में उक्त घटना को स्वीकार करते हुए कहा है कि उनके द्वारा श्री प्रेम सिंह ग्राम प्रधान के मामले में की गयी शिकायत असत्य पाये जाने की दशा में नियमानुसार कार्यवाही किये जाने के निदेश देने पर यह कहते हुए कि मामला गलत नहीं हो सकता और उनकी बात गम्भीरता से नहीं सुनी गयी है, माननीय सदस्य उठकर चले गये । श्री अहमद ने माननीय सदस्य की शिकायत पर प्रभारी निरीक्षक, थाना अछनेरा, आगरा को जारी किये गये पत्र दिनांक 3 फरवरी, 1989 की प्रति भी संलग्न की है ।

श्री जावीद अहमद ने अपने स्पष्टीकरण के अन्त में यह भी कहा है कि यदि उनके कार्य द्वारा माननीय विधायक अथवा माननीय सदन को ठेस पहुंची हो तो उसके लिए वे क्षमा प्रार्थी हैं । माननीय गृह मंत्री ने भी अपने पत्र दिनांक 29 मई, 1989 में श्री जावीद अहमद द्वारा व्यक्त खेद का संदर्भ देते हुए इस प्रकरण को समाप्त किये जाने की संस्तुति की है ।

माननीय सदस्य की सूचना में उल्लिखित तथ्यों, उनके विषय में श्री जावीद अहमद द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण एवं उपलब्ध कराये गये दस्तावेज पर सम्यक विचारोपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि माननीय सदस्य द्वारा कार्यस्थगन प्रस्ताव के माध्यम से दिनांक 5 अक्तूबर, 1988 को सदन में की गयी चर्चा के फलस्वरूप श्री जावीद अहमद, एस0 पी0 आगरा (देहात) का व्यवहार माननीय सदस्य के प्रति रोषपूर्ण होना सिद्ध नहीं होता है । माननीय सदस्य की सूचना के अन्य बिन्दुओं का सम्बन्ध उनके विधायी कार्यों से नहीं है । वर्णित स्थिति में श्री जावीद अहमद एस0 पी0 आगरा (देहात) द्वारा किये गये खेद प्रकाश को दृष्टिगत रखते हुए विशेषाधिकार हनन की इस सूचना को मैं अग्राह्य घोषित करता हूं । साथ ही मैं शासन से यह अपेक्षा भी करता हूं कि माननीय विधायकों के प्रति अत्यन्त सम्मानजनक एवं शिष्ट व्यवहार शासन के अधिकारियों द्वारा किये जाने के विषय में पूर्व में निर्गत शासनादेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराया जाय ।]

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी द्वारा ऊर्जा मंत्री के विरुद्ध की गई विशेषाधिकार हनन की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री उपाध्यक्ष—

[श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी, सदस्य, विधान सभा ने माननीय ऊर्जा मंत्री, श्री नरेन्द्र सिंह के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना तथा अवमानना के प्रश्न की एक सूचना दिनांक 22 फरवरी, 1989 को अभिसूचित की है । उसमें श्री तिवारी ने कहा है कि विधान सभा के प्रथम सत्र, 1989 के दूसरे बुधवार के लिये निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 83 का माननीय ऊर्जा मंत्री ने बिल्कुल गलत तथा तथ्यों के विपरीत उत्तर दिया है । माननीय सदस्य के कथनानुसार मुख्य सचिव को सम्बोधित उनके पत्र दिनांक 16 नवम्बर, 1988 की प्राप्ति मुख्य सचिव ने स्वीकार की है, और उसके प्रमाण स्वरूप उसकी फोटो-स्टेट प्रति सूचना के साथ संलग्न की गयी है । इसके विपरीत संदर्भित प्रश्नोत्तर में माननीय ऊर्जा मंत्री द्वारा श्री तिवारी के उक्त पत्र की प्राप्ति से इंकार किया गया है ।

प्रश्नगत मामले में माननीय ऊर्जा मंत्री का अभिकथन प्राप्त किया गया । शासन के पत्र दिनांक 29 मार्च, 1989 द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिकथन में माननीय ऊर्जा मंत्री ने यह स्वीकार किया है कि माननीय सदस्य का उक्त पत्र मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन

नोट—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

को प्राप्त हुआ था, किन्तु साथ ही माननीय ऊर्जा मंत्री ने कहा है कि दुर्भाग्य से इस प्रकरण में पत्र चूंकि मुख्य सचिव के कार्यालय में प्राप्त हुआ था, अतः त्रुटिवश माननीय विधायकों से प्राप्त पत्रों के रजिस्टर में अंकित नहीं किया गया एवं इस कारण सन्दर्भ उपलब्ध नहीं हो पाया । इस संबंध में माननीय मंत्री ने भविष्य के लिये संबंधित स्टाफ को निर्देशित करने के साथ उक्त भूल के लिये क्षमा याचना की है ।

वर्णित परिस्थिति में विशेषाधिकार हनन का प्रश्न उठाने की अनुमति मैं नहीं देता, परन्तु माननीय ऊर्जा मंत्री से यह अपेक्षा करता हूं कि प्रश्नगत मामले में वस्तु-स्थिति से सदन को अवगत कराये जाने हेतु करण संख्या 219 के अनुसार एक वक्तव्य शीघ्र दिया जाय ।]

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी द्वारा परिवहन राज्य मंत्री के विरुद्ध दिये गये विशेषाधिकार की अवहेलना एवं सदन की अवमानना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री उपाध्यक्ष—

[श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी, सदस्य, विधान सभा ने माननीय परिवहन राज्य मंत्री, श्री प्रमोद तिवारी के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना एवं सदन की अवमानना की दो सूचनायें क्रमशः दिनांक 24-2-89 एवं 25-2-89 दी थीं । दोनों ही सूचनायें विधान सभा के प्रथम सत्र, 1989 के दूसरे मंगलवार के लिये निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 55 के विषय में दी गयी है । दोनों सूचनाओं में यह आरोप लगाया गया है कि माननीय मंत्री द्वारा सदन में दी गयी सूचना असत्य एवं भ्रामक है और इससे सदन का अवमान हुआ है ।

प्रथम सूचना में मुख्य रूप से उक्त प्रश्न संख्या 55 के अंश कि माननीय सदस्य द्वारा मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन को सम्बोधित पत्र दिनांक 28-10-88 श्री राम पाल के प्रार्थना-पत्र के साथ मिल गया है अथवा नहीं, के इस उत्तर को गलत बताया गया है कि उक्त पत्र दिनांक 28-10-88 निगम कार्यालय में प्राप्त नहीं हुआ । माननीय सदस्य ने सबूत के तौर पर उक्त पत्र की प्राप्ति हेतु उत्तर प्रदेश शासन के गोपन अनुभाग के संयुक्त सचिव के पत्र की फोटो प्रति संलग्न की है ।

मैंने माननीय परिवहन राज्य मंत्री से इस बारे में वस्तुस्थिति की जानकारी की । माननीय राज्य मंत्री ने संदर्भित पत्र दिनांक 28-10-88 की फोटोप्रति संलग्न करते हुए यह सूचित किया है कि पत्र में केवल पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप थे न कि परिवहन विभाग के अधिकारियों के विरुद्ध, अतः स्वाभाविक रूप से यह पत्र परि-वहन निगम कार्यालय द्वारा मंत्री कार्यालय न भेजकर सीधे गृह सचिव को भेजा गया जिसकी प्राप्ति गृह विभाग के संयुक्त सचिव ने स्वीकार की । इस प्रकार प्रश्नगत मामले में सदन में जानबूझकर कोई गलत बयानी नहीं की गयी है ।

दूसरी सूचना में माननीय सदस्य ने उक्त प्रश्न संख्या 55 के उत्तर के इस अंश को कि, "फैजाबाद जलालपुर के मध्य चलने वाली प्राइवेट बसों की संख्या शून्य है एवं जीपों की संख्या लगभग 5 है, गलत करार देते हुए विधान सभा के प्रथम सत्र, 1989 के प्रथम मंगलवार के लिये निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 126 के उत्तर को संलग्न किया है जिसमें फैजाबाद और जलालपुर कस्बे के बीच चलने वाली प्राइवेट बसों और जीपों आदि की संख्या पूछे जाने पर कथित मार्ग पर 7 प्राईवेट बसों एवं 71 जीपें परमिट के अधीन संचालित बतायी गयी थीं । मैंने इस बारे में भी माननीय राज्य मंत्री से वस्तुस्थिति की जानकारी की ।

नोट :—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

माननीय राज्य मंत्री ने अपने पत्र दिनांक 12 जुलाई, 1989 के माध्यम से स्थिति स्पष्ट करते हुए सूचित किया है कि उक्त प्रश्न संख्या 126 का उत्तर परिवहन अनुभाग-4 से प्राप्त सूचना के अनुसार दिया गया था जिसमें फैजाबाद-जलालपुर मार्ग के राष्ट्रीयकृत एवं अराष्ट्रीयकृत दोनों मार्गों के बारे में प्राइवेट बसों तथा जीपों के संचालन की सूचना दी गयी थी । जहां तक उक्त प्रश्न संख्या 55 का संबंध है इसका उत्तर परिवहन अनुभाग-1 से प्राप्त सूचना के अनुसार दिया गया जिसमें फैजाबाद-जलालपुर के केवल राष्ट्रीयकृत मार्गों के बारे में प्राइवेट बसों तथा जीपों के संचालन की सूचना दी गयी थी ।

माननीय सदस्य की सूचना और माननीय राज्यमंत्री द्वारा स्पष्ट की गयी स्थिति पर सम्यक् विचारोपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि अतारांकित प्रश्न संख्या 55 के प्रथम भाग, जिसमें पत्र दिनांक 28-10-88 का हवाला है, का उत्तर सदन में यद्यपि सही दिया गया था किन्तु उत्तर देने से पूर्व यदि और छानबीन की गयी होती तो यह ज्ञात हो सकता था कि उक्त पत्र निगम के कार्यालय से उत्तर प्रदेश शासन को सीधे भेजा गया था । इसी प्रकार दूसरी सूचना के संबंध में यदि उक्त प्रश्न संख्या 55 के उत्तर का संबंधित अंश राष्ट्रीयकृत एवं अराष्ट्रीयकृत मार्ग के संबंध में स्थिति स्पष्ट करते हुए दिया गया होता तो कदाचित इस प्रकार भ्रम न हुआ होता । वर्णित स्थिति में मैं उक्त दोनों सूचनाओं को विशेषाधिकार की अवहेलना एवं सदन की अवमानना के प्रश्न के रूप में अग्राह्य घोषित करते हुए यह अपेक्षा करता हूं कि शासन की ओर से सदन में दी जाने वाली सूचनाएं सुस्पष्ट एवं पूर्ण होनी चाहिये ।]

श्री बुन्यिाद हुसैन अंसारी आदि द्वारा सूचना राज्य मंत्री के विरुद्ध दी गई विशेषाधिकार अवहेलना की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री उपाध्यक्ष—

[सर्वश्री बुनियाद हुसैन अंसारी, गौरी शंकर भइया, गोपी नाथ वर्मा, राजेन्द्र कुमार गुप्त तथा जयदीप सिंह बरार, सदस्यगण, विधान सभा ने विधान सभा की प्रक्रिया नियमावली के नियम 63 के अंतर्गत माननीय सूचना राज्य मंत्री श्री नरेश चन्द्र के विरुद्ध विशेषाधिकार अवहेलना के प्रश्न की एक सूचना दिनांक 16 मार्च, 1989 को दी थी । इसमें माननीय सदस्यों का कथन है कि साप्ताहिक "हमारा लखनऊ" के दिनांक 15 मार्च, 1989 के अंक में प्रकाशित माननीय सूचना राज्य मंत्री की इस आशय की टिप्पणी कि "तुम असेम्बली की बात करते हो, वहां तो कुत्ते भौंकते रहते हैं, हाथी जाता है चला" से आदरणीय सदन तथा उसके माननीय सदस्यों की अवमानना हुई है । इसी संबंध में माननीय सदस्य श्री बुनियाद हुसैन अंसारी ने अन्य सूचना दिनांक 17 मार्च, 1989 को दी है जिसके साथ "हमारा लखनऊ" साप्ताहिक पत्र की कटिंग की फोटो स्टेट प्रति संलग्न की है ।

प्रश्नगत मामले में माननीय सूचना राज्य मंत्री श्री नरेश चन्द्र का अभिकथन प्राप्त किया गया है । अपने पत्र दिनांक 8 सितम्बर, 1989 को माननीय सूचना राज्य मंत्री ने कहा है कि प्रकाशित समाचार असत्य तथा भ्रामक है और यह समाचार-पत्र विज्ञापन के लिए मान्यताप्राप्त नहीं है । माननीय राज्य मंत्री ने आगे कहा है कि इस समाचार-पत्र ने विज्ञापन लेने के लिए कई बार दबाव डाला, तथा उसके बाद से बेबुनियाद एवं भ्रामक समाचार प्रकाशित किये जाने लगे । माननीय राज्य मंत्री ने यह भी कहा है कि विधान सभा के माननीय सदस्यों पर किसी प्रकार की टिप्पणी उनके द्वारा नहीं की गयी ।

नोट—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

प्राग्दर्शन में प्रश्नगत मामले में विशेषाधिकार हनन अथवा सदन की अवमानना का प्रश्न अंतर्ग्रस्त नहीं है क्योंकि उक्त समाचार-पत्र में जिस वार्तालाप का समाचार छपा है, उससे माननीय मंत्री ने इनकार किया है । माननीय सदस्यों ने अपनी सूचना के पक्ष में अन्य कोई प्रमाण नहीं प्रस्तुत किये हैं । संदर्भित साप्ताहिक समाचार-पत्र "हमारा लखनऊ" की कटिंग की फोटोस्टेट प्रति प्रस्तुत की गई है, जबकि विशेषाधिकार हनन के ऐसे मामलों में पूर्व में इस विधान सभा की अध्यक्ष पीठ से दिये गये निर्णयों के अनुसार केवल समाचार-पत्र की कटिंग पर्याप्त नहीं समझी जाती । अतः उपरोक्त कारणों से मैं इसे अस्वीकार करता हूं ।

श्री जवाहर सिंह यादव द्वारा श्रम मंत्री के विरुद्ध दी गई विशेषाधिकार हनन की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री उपाध्यक्ष—

["श्री जवाहर सिंह यादव, सदस्य विधान सभा ने प्रक्रिया नियमावली के नियम 63 के अन्तर्गत माननीय श्रम मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन के प्रश्न की सूचना दिनांक 28 मार्च, 1989 को अभिसूचित की है । माननीय सदस्य ने इसमें कहा है कि विधान सभा के प्रथम सत्र 1989 के पांचवें शुक्रवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या-55 के उत्तर में माननीय श्रम मंत्री ने जो उत्तर सदन में दिया है, वह तथ्यों को छिपाने वाला तथा सदन को गुमराह करने वाला है ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 64 के परन्तुक के अन्तर्गत यदि शिकायत सदन के किसी सदस्य के विरुद्ध हो तो उसकी लिखित सूचना दिव-प्रतिक होगी जिसकी एक प्रति सम्बद्ध सदस्य को भेज दी जायेगी । माननीय सदस्य की शिकायत सदन के एक माननीय सदस्य के विरुद्ध है, किन्तु सूचना दिव-प्रतिक नहीं है । अतः उक्त नियम 64 का उल्लंघन होने के आधार पर मैं इसे अग्राह्य करता हूं ।"]

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त द्वारा अपट्रान के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक के विरुद्ध दी गई विशेषाधिकार हनन की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, ने विधान सभा की प्रक्रिया नियमावली के नियम 63 के अन्तर्गत अपट्रान के प्रबंध निदेशक श्री करभूषण तथा अध्यक्ष श्री सी0 पी0 जोशी के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन के प्रश्न की सूचना दी थी, जो दिनांक 29 मार्च, 1989 को प्राप्त हुई । मा0 सदस्य की शिकायत है कि उक्त दोनों अधिकारियों ने दिनांक 20 मार्च, 1989 को लखनऊ में पत्रकारों से वार्ता करते हुए विधान मंडल की कार्यवाही पर टीका किया तथा कहा कि विधान मंडल में शोर शराबा किया गया तथा कहा गया कि विधान सभा में कुछ निहित स्वार्थों से प्रेरित होकर बड़े सुनियोजित ढंग से अपट्रान के विरुद्ध कुत्सित इरादे से कीचड़ उछाला गया है । मा0 सदस्य के अनुसार इन आरोपों से विधान सभा तथा उसके सदस्यों को प्राप्त विशेषाधिकारों का हनन हुआ है ।

नोट :—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

प्रश्नगत मामले में अपट्रान के अध्यक्ष श्री सी0 पी0 जोशी तथा प्रबंध निदेशक श्री कुलभूषण से स्पष्टीकरण प्राप्त किया गया । अपने पत्रों के माध्यम से उक्त अधिकारियों ने क्रमशः अपने पत्र दिनांक 5 मई, 1989 तथा 4 मई, 1989 के माध्यम से सूचित किया है कि वे सत्यनिष्ठा से इस बात की पुष्टि करते हैं कि उन्होंने किसी भी स्थिति में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सदन की कार्यवाही के विषय में कोई चर्चा नहीं की है । श्री जोशी तथा श्री कुल भूषण ने यह भी कहा है कि दिनांक 19 मार्च, 1989 को "पायनियर" के अतिरिक्त अन्य समाचार-पत्रों के पत्रकार भी उनसे मिले थे किन्तु किसी अन्य पत्रकार द्वारा इस प्रकार का लेख किसी अन्य समाच्चार-पत्र में नहीं प्रकाशित कराया गया है जिसमें सदन की गरिमा के प्रतिकूल कोई बात कही गयी हो । उनके अनुसार पायनियर के पत्रकार ने संभवतः जाने अनजाने पत्रकारिता की सीमा का उल्लंघन करते हुए उनके द्वारा कभी न कही गयी बात को, उनका कथन बनाकर अपनी टिप्पणी का गरम आमुख प्रीएम्बुल बनाया है । उन्होंने यह भी कहा है कि वे व्यक्तिगत रूप से सदन की पवित्रता का सम्मान करते हैं तथा विधान सभा में चुने गये प्रतिनिधियों का आदर करते हैं ।

मा0 सदस्य की सूचना तथा दोषारोपित वार्ता के स्पष्टीकरण का मैंने अध्ययन किया है । प्राग्दर्शन में प्रश्नगत मामले में विशेषाधिकार हनन का प्रश्न अन्तर्ग्रस्त प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि श्री गुप्त की सूचना में किसी समाचार-पत्र विशेष का उल्लेख नहीं किया गया है और न ही अपनी व्यक्तिगत जानकारी का उल्लेख किया गया है । इस संबंध में पूर्व में अनेक बार अध्यक्ष पीठ से इस आशय के निर्णय हुये हैं कि मात्र समाचार-पत्रों में प्रकाशित किसी समाचार के आधार पर विशेषाधिकार हनन अथवा सदन की अवमानना का प्रश्न नहीं बनता है ।

इस प्रसंग में मैं यह भी कहना चाहूंगा कि अपट्रान के कुछ अधिकारियों की दिनांक 2 मार्च, 1989 की एक बैठक में माननीय सदन तथा उसके माननीय सदस्यों की गरिमा के विरुद्ध लगाये गये आरोपों के बारे में मुझे एक शिकायती-पत्र माननीय श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी से दिनांक 30 मार्च, 1989 को प्राप्त हुआ था । उसके बारे में मैंने अपट्रान के महाप्रबंधक से स्पष्टीकरण प्राप्त किया है, जिसमें उन्होंने अपट्रान के किसी अधिकारी द्वारा सदन या माननीय विधायकों के प्रति असम्मान प्रकट किये जाने से इंकार किया है ।

वर्णित तथ्यों एवं उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर मैं श्री गुप्त द्वारा अभिसूचित, उक्त सूचना को अग्राह्य करता हूं किन्तु साथ ही यह अपेक्षा करता हूं कि शासन और उसके नियंत्रणाधीन सार्वजनिक उपक्रमों के अधिकारियों को किसी पत्रकार सम्मेलन या अन्य सभा में विधान मंडल और उसके सदस्यों के बारे में कोई ऐसी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए जो आदरणीय सदन की गरिमा के प्रतिकूल हो ।]

श्री राम चन्द्र बख्श सिंह आदि की कृषि मंत्री के विरुद्ध दी गई विशेषाधिकार हनन तथा सदन की अवमानना के प्रश्न की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री उपाध्यक्ष—

[सर्वश्री राम चन्द्र बख्श सिंह तथा राज किशोर सिंह, सदस्यगण, विधान सभा, के माननीय कृषि मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार अवहेलना तथा सदन की अवगामना के प्रश्न को एक सूचना दिनांक 31 मार्च, 1989 को दी है । माननीय सदस्यों ने अपनी सूचना में कहा है कि विधान सभा के वर्ष 1989 के पहले गुरूवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 150 तथा दूसरे गुरूवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 79 के उत्तर में माननीय कृषि मंत्री ने स्पष्ट तथ्यों की प्रमाणिकता को छिपाकर एवं तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर सदन को गुमराह किया है, जो सदन की अवमानना तथा विशेषाधिकार की अवहेलना है ।

नोट :—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

मैंने माननीय सदस्यों की सूचना का अवलोकन किया है । माननीय सदस्यों ने अपनी सूचना के समर्थन में उसके साथ कतिपय अन्य लेखों सहित अपर कृषि निदेशक (प्रसार) की जांच आख्या दिनांक 27 दिसम्बर, 1986, विधान परिषद् की कार्यवाही दिनांक 24 जुलाई, 1985 के संगत अंश का उद्धरण तथा विधान सभा के वर्ष 1988 के प्रथम सत्र के दूसरे गुरूवार के अतारांकित प्रश्न सं0 15, 44 और 61 एवं दूसरे सत्र के पहले सोमवार के अतारांकित प्रश्न सं0 5 के प्रश्नोत्तर संलग्न किये हैं । प्रश्नगत सूचना का विषय वस्तु पर इससे पूर्व श्री विष्णुदेव तथा अन्य सदस्यों द्वारा तत्कालीन माननीय कृषि मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार अवहेलना के प्रश्न की दो सूचनायें दिनांक 23 मार्च, 1988 तथा 29 मार्च, 1988 को दी गयी थी, जिन्हें माननीय कृषि मंत्री से प्राप्त जानकारी पर विचारोपरान्त अग्राह्य किये जाने की घोषणा सदन में दिनांक 6 अक्तूबर, 1988 को की जा चुकी है । श्री राम चन्द्र बख्श सिंह और श्री राज किशोर सिंह की सूचना में भी वही मुद्दे उठाये गये हैं जो उपरिसंदर्भित दोनों अग्राह्य सूचनाओं में उठाये गये थे । अतः दिनांक 6 अक्तूबर, 1988 को घोषित निर्णय में बताये गये कारणों के आधार पर मैं प्रश्नगत सूचना को भी अग्राह्य करता हूं ।]

श्री नरेन्द्र देव द्वारा पाक्षिक पत्रिका 'माया' के प्रधान सम्पादक के विरुद्ध दी गयी विशेषाधिकार हनन की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री उपाध्यक्ष—

[श्री नरेन्द्र देव, सदस्य, विधान सभा ने प्रक्रिया नियमावली के नियम 63 के अन्तर्गत विशेषाधिकार हनन के प्रश्न की एक सूचना दिनांक 3 अप्रैल, 1989 को इस आधार पर दी है कि पाक्षिक पात्रका 'माया' के 15 अप्रैल, 1989 के अंक में पृष्ठ 63 पर मंत्रि-परिषद् के तीन सदस्यों, श्री लोकपति त्रिपाठी, श्री गोपीनाथ दीक्षित एवं श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी के चित्र छापते हुए यह शीर्षक दिया है कि 'मंत्रियों का यात्रा भत्ता उत्तर प्रदेश के मंत्री सरकारी खजाने से धन कैसे वसूलते हैं' माननीय सदस्य की शिकायत है कि उक्त पत्रिका के प्रधान सम्पादक, श्री आलोक मित्र तथा लेखक, श्री राम पाल सिंह ने जानबूझकर मंत्रियों तथा विधान सभा के सदस्यों की छवि धूमिल करने के लिये गलत तथ्यों का उल्लेख करके सदन तथा उसके सदस्यों की अवमानना की है । प्रश्नगत सूचना में यह कमी है कि माननीय सदस्य ने अपनी सूचना के साथ संदर्भित पाक्षिक पत्रिका 'माया' की केवल कटिंग संलग्न की है, जबकि विशेषाधिकार संबंधी सूचनाओं के संबंध में समय-समय पर अध्यक्षपीठ से दिये गये निर्णायों के अनुसार उन्हें पूरी पत्रिका संलग्न करना चाहिए था । इसके अतिरिक्त मंत्रि-मंडल के सदस्यों के वर्ष 1987-88 के यात्रा भत्ते की धनराशि मात्र का विवरण पत्रिका में प्रकाशित कर देने से सदन की अवमानना अंतर्ग्रस्त नहीं प्रतीत होती, क्योंकि उक्त विवरण कार्यपालिका से संबंधित कार्यों के बारे में है । अतः उपरोक्त कारणों से मैं श्री नरेन्द्र देव की उक्त सूचना को अग्राह्य करता हूं ।]

श्री राज किशोर सिंह द्वारा कृषि मंत्री के विरुद्ध की गयी विशेषाधिकार हनन एवं सदन की अवमानना की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री उपाध्यक्ष—

[श्री राज किशोर सिंह, सदस्य, विधान सभा ने विधान सभा के प्रथम सत्र 1989 के सातवें गुरुवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 37 के उत्तर के संबंध में माननीय कृषि मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना एवं सदन की अवमानना के प्रश्न की सूचना दिनांक 4 अप्रैल,

---

नोट :—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

1989 को दी है । सूचना में माननीय सदस्य ने कहा है कि माननीय कृषि मंत्री ने उक्त प्रश्न के उत्तर में गलत, असत्य एवं भ्रामक सूचना दी है कि वर्तमान सहायक कृषि निरीक्षक, राजकीय कृषि बीज भण्डार, चरगावां, जिला गोरखपुर श्री अवधेश सिंह का स्थानान्तरण आदेश माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश पारित कर दिये जाने के कारण कार्यान्वित नहीं किया जा सका । माननीय सदस्य का आरोप है कि उक्त प्रभारों का स्थानान्तरण माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित स्थगन आदेश दिनांक 25 जून, 1988 (जो वास्तव में 25 मई, 1988 है) में केवल प्रशिक्षण एवं भ्रमण (ट्रा0 एंड वी0) योजना में करने पर रोक लगायी गयी है, न कि अन्य योजनाओं में भी उन्हें स्थानान्तरित एवं भार मुक्त करने से रोका गया है । माननीय सदस्य ने जांच एवं प्रभावी कार्यवाही हेतु इस प्रश्न को विशेषाधिकार समिति को सुपुर्द करने की मांग की है ।

प्रश्नगत मामले में मैंने माननीय कृषि मंत्री का अभिकथन प्राप्त किया । माननीय कृषि मंत्री ने अपने पत्र दिनांक 1 जुलाई, 1989 में स्पष्ट किया है कि संदर्भित प्रश्न का उत्तर सदन में सही तथ्यों के आधार पर दिया गया है और किसी तथ्य को न तो अन्यथा प्रस्तुत किया गया है और न ही ऐसा कोई अभिप्राय है । माननीय कृषि मंत्री ने आगे स्पष्ट किया है कि उक्त सहायक कृषि निरीक्षक एवं बीज भण्डार प्रभारों का स्थानान्तरण प्रशिक्षण एवं सम्पर्क योजना में हुआ था । माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 25 मई, 1988 को यह स्थगन आदेश पारित किया है कि याचिकाकर्ता को प्रशिक्षण एवं सम्पर्क योजना के अन्तर्गत स्थानान्तरण पर जाने के लिए विवश नहीं किया जायेगा, और यदि इस अवधि में विभाग कोई आदेश करता है तो ऐसा आदेश उक्त स्थगन आदेश के अधीन होगा । माननीय कृषि मंत्री ने आगे कहा है कि जहां तक इसका प्रश्न है कि प्रशिक्षण एवं सम्पर्क योजना के अतिरिक्त इसका स्थानान्तरण किया जा सकता है, यह एक कानूनी निर्वचन का प्रश्न है और माननीय उच्च न्यायालय ही इस पर कोई आधिकारिक मत व्यक्त कर सकता है । माननीय कृषि मंत्री ने उक्त पत्र में यह भी सूचित किया है कि श्री अवधेश सिंह को उक्त स्थानान्तरण से एक पृथक मामले में निलम्बित कर दिया गया है ।

श्री राज किशोर सिंह, सदस्य, विधान सभा की सूचना माननीय उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश तथा माननीय कृषि मंत्री द्वारा स्पष्ट की गयी स्थिति पर विचार करने के उपरान्त मैं इस मत का हूं कि प्रश्नगत मामले में माननीय कृषि मंत्री द्वारा सदन को गुमराह करने का प्रयास नहीं किया गया है । माननीय मंत्री द्वारा दी गयी जानकारी से पूरी स्थिति स्पष्ट हो जाती है, अतः मैं प्रश्नगत सूचना को अग्राह्य घोषित करता हूं ।]

श्री हनुमान प्रसाद कुरील द्वारा न्यायालय के विरुद्ध दी गई विशेषाधिकार हनन की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री उपाध्यक्ष—

[श्री हनुमान प्रसाद कुरील, सदस्य, विधान सभा ने विशेषाधिकार हनन के प्रश्न की एक सूचना दिनांक 6 अप्रैल, 1989 को अभिसंचित की है जिसमें माननीय सदस्य ने कहा है कि उनकी चरित्र हत्या के प्रयास में विपक्षी पार्टी के एक नेता, श्री जगदेव सिंह एडवोकेट ने उनके खिलाफ एक इस्तगासा लगाया है, फलस्वरूप अदालत द्वारा बिना जांच-पड़ताल किये पुलिस को उनके विरुद्ध एफ0 आई0 आर0 लिखने का आदेश दिया गया है । अतः माननीय सदस्य ने इस आधार पर कहा है कि उनके खिलाफ विशेषाधिकार का हनन करने वाले के खिलाफ समुचित कार्यवाही की जाये ।

नोट :—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

प्राग्दर्शन में इस मामले में विशेषाधिकार हनन का प्रश्न अंतर्ग्रस्त प्रतीत नहीं होता है क्योंकि माननीय सदस्य ने अपनी सूचना में यह उल्लेख नहीं किया है कि उनके विरुद्ध जिस आरोप के बारे में न्यायालय के आदेश हुये हैं, वह सदन या उसकी समिति के उनके किसी कृत्य से संबंधित है । अतः वर्णित परिस्थितियों में मैं इसे अग्राह्य घोषित करता हूं ।]

श्री शारदा प्रताप द्वारा शासन के विरुद्ध दी गयी सदन की अवमानना के प्रश्न की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री उपाध्यक्ष—

[माननीय श्री शारदा प्रताप शुक्ल ने करण संख्या 218/219 के अंतर्गत पूर्व-अभिसूचित अपनी एक सूचना के प्रसंग में दिनांक 9 अगस्त, 1989 को सदन की अवमानना के प्रश्न की एक सूचना दी है और यह अनुरोध किया है कि मामले को सदन की विशेषाधिकार समिति के सुपुर्द कर दिया जाय ।

संक्षेप में स्थिति यह है कि माननीय श्री शुक्ल ने विधान सभा के तृतीय सत्र 1987 के प्रथम बुधवार के लिये निर्धारित अपने अतारांकित प्रश्न संख्या 126 तथा127 के उत्तर के विषय में प्रक्रिया सम्बन्धी करण संख्या 218/219 के अंतर्गत दिनांक 16·8·88 को एक सूचना दी थी । उक्त प्रश्न एक श्रीमती पुष्पा कपिलाचार्य को करुणामलक आधार पर यू0 पी0 एस0 आइ0 डी0 सी0 के भुवाली स्थित घड़ियों के कारखाने में रोजगार दिये जाने हेतु शासन द्वारा की गयी कार्यवाही के बारे में था । शासन ने उत्तरों में मुख्य रूप से यह सूचित किया था कि श्रीमती कपिलाचार्य के मामले में यू0 पी0 डिजिटल्स में स्थान रिक्त होने की दशा में विचार किया जा सकता है ।

तदुपरांत माननीय सदस्य की सूचना दिनांक 16·8·89 के विषय में शासन के दिनांक 5·9·89 एवं 28·7·89 के पत्रों द्वारा यह जानकारी प्राप्त हुई कि श्रीमती कपिलाचार्य को यू0 पी0 डिजिटल्स लिमिटेड भुवाली में ट्राइसेम प्रशिक्षणार्थी के रूप में दिनांक 14-11-88 से एक वर्ष के लिये नियुक्ति प्रदान की गयी है और इस अवधि में रु0 250 प्रतिमाह प्रशिक्षण भत्ता के रूप में उन्हें देय है । दिनांक 28·7·89 के उक्त पत्र में यह भी बताया गया कि प्रशिक्षणोपरांत यूनिट में रिक्त स्थानों की पूर्ति करते समय ट्राइसेम प्रशिक्षणार्थियों को प्राथमिकता दी जायेगी । तदनुसार करण 218/219 की सूचना को अग्राह्य करते हुये माननीय श्री शुक्ल को स्थिति से अवगत करा दिया गया ।

माननीय श्री शुक्ल द्वारा अभिसूचित विशेषाधिकार हनन संबंधी उक्त सूचना में शासन की ओर से दी गयी जानकारी को भ्रामक एवं तथ्यों से परे बताया गया है और मामला विशेषाधिकार समिति को सुपुर्द करने का अनुरोध किया है ।

मैंने पूरे प्रकरण पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया है । शासन द्वारा सदन में जो उत्तर दिया गया था वह उस समय की स्थिति के अनुसार था और माननीय सदस्य की करण संख्या 218/219 के अंतर्गत दी गयी सूचना का उत्तर भी शासन में उपलब्ध अद्यावधिक जानकारी के आधार पर ही उपलब्ध कराया गया है । इसके अतिरिक्त करण संख्या 218/219 की सूचनाओं के विषय में जो जानकारी शासन द्वारा मुझे विचारार्थ उपलब्ध करायी जाती है उसमें सदन की अवमानना का प्रश्न अंतर्ग्रस्त नहीं होता है । अतः वर्णित स्थिति में श्री शारदा प्रताप शुक्ल के दिनांक 9 अगस्त, 1989 की सचना द्वारा अभिसूचित अवमानना के प्रश्न को उठाने की अनुमति मैं नहीं देता हूं ।]

नोट :—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

श्री मैनेजर सिंह द्वारा श्री सुरेन्द्र मोहन तत्कालीन प्रमुख सचिव, पर्यटन एवं सांस्कृतिक कार्य विभाग के विरुद्ध दी गयी विशेषाधिकार हनन एवं अवमानना के प्रश्न पर अध्यक्ष का निर्णय

श्री उपाध्यक्ष—

[माननीय श्री मैनेजर सिंह, सदस्य, विधान सभा ने श्री सुरेन्द्र मोहन तत्कालीन प्रमुख सचिव, पर्यटन एवं सांस्कृतिक कार्य विभाग के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन एवं अवमानना के प्रश्न की एक सूचना दिनांक 27 मई, 1989 को दी है। इस सूचना में माननीय सदस्य ने कहा है कि विधान सभा दिनांक 2 मार्च, 1989 की बैठक में उन्होंने श्री शंकर दत्त ओझा के प्रसंग पर चर्चा के दौरान एवं पर्यटन विभाग के बजट संबंधी चर्चा के समय तत्कालीन प्रमुख सचिव, पर्यटन एवं सांस्कृतिक कार्य श्री सुरेन्द्र मोहन के विषय में सदन में टिप्पणी की थी। परन्तु श्री सुरेन्द्र मोहन ने सदन में हुए उक्त चर्चा से सार्वजनिक रूप से इन्कार किया है और इस प्रकार उन्होंने सदन की अवमानना की है। माननीय सदस्य ने अपनी सूचना के साथ दैनिक 'नवभारत टाइम्स' के अंक दिनांक 25 मई, 1989 की कटिंग संलग्न करते हुए बताया है कि उक्त समाचार-पत्र के संदर्भित अंक में एक समाचार 'मुझ पर लगाये गये आरोप बिल्कुल गलत है' शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित हुआ है जिसमें श्री सुरेन्द्र मोहन ने इस बात से इंकार किया है कि विधान सभा के गत सत्र में श्री सुरेन्द्र मोहन के संबंध में सदन में किसी प्रकार की चर्चा हुई थी।

इस संबंध में श्री सुरेन्द्र मोहन से वस्तुस्थिति की जानकारी प्राप्त की गई है। श्री सुरेन्द्र मोहन ने अपने पत्र दिनांक 12 जुलाई, 1989 में कहा है कि विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 52, 53, 54 तथा 55 के अन्तर्गत 'चर्चा' शब्द को परिभाषित किया गया है और इन नियमों के अन्तर्गत उनके बारे में सदन में कोई चर्चा नहीं थी अपितु एक अन्य संदर्भ में उनके नाम का उल्लेख माननीय सदस्य द्वारा किया गया था।

श्री सुरेन्द्र मोहन के उक्त पत्र दिनांक 12 जुलाई 1989 के अवलोकन से विदित होता है कि श्री सुरेन्द्र मोहन के अनुसार सदन में 'चर्चा' के अन्तर्गत विधान सभा की प्रक्रिया नियमावली के अध्याय—9 के अन्तर्गत होने वाली चर्चा ही आती है और इसीलिए भ्रमवश उन्होंने श्री मैनेजर सिंह द्वारा सदन में दिनांक 2 मार्च, 1989 को दिये गये उक्त भाषण को सदन की चर्चा का अंग नहीं माना। इस दृष्टि से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि सदन में उक्त श्री सुरेन्द्र मोहन के विषय में चर्चा न होने का उनका जो कथन कुछ समाचार-पत्रों के माध्यम से प्रकाशित हुआ है, वह सदन में हुयी चर्चा से जानबूझ कर इन्कार करने के उद्देश्य से नहीं किया गया था।

अतः श्री मैनेजर सिंह की उक्त सूचना द्वारा अभिसूचित विशेषाधिकार हनन एवं सदन की अवमानना के प्रश्न को मैं अग्राह्य करता हूं परन्तु इसके साथ ही अपेक्षा करता हूं कि भविष्य में शासन के समस्त अधिकारियों को यह ध्यान रखना चाहिए कि सदन में अध्यक्ष पीठ की अनुमति से जो भी भाषण होते हैं, वह सब सदन की चर्चा के अंग होते हैं, जबतक कि उनमें से किसी अंश को कार्यवाही से निकाल दिये जाने के आदेश पीठासीन अधिकारी द्वारा न दिया गया हो।]

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त द्वारा श्री सत्यदेव त्रिपाठी, प्रशासक, उ0 प्र0 कोआपरेटिव यूनियन के विरुद्ध दी गयी विशेषाधिकार हनन की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री उपाध्यक्ष—

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त द्वारा श्री सत्यदेव त्रिपाठी, प्रशासक, उ0 प्र0 कोआपरेटिव यूनियन के के प्रशासक श्री सत्यदेव त्रिपाठी के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन की एक सूचना दिनांक 3 अप्रैल,

---

नोट—[ ] यह अंश को पढ़ा हुआ माना गया।

1989 को दी थी । सूचना में माननीय सदस्य ने उल्लेख किया है कि दिनांक 30 मार्च, 1989 को सहकारिता विभाग की बजट मांगों के बहस के दौरान उक्त श्री सत्यदेव त्रिपाठी के विरुद्ध श्री बाबू राम यादव, सदस्य, विधान सभा ने कुछ टोका-टिप्पणी की थी और उसके परिप्रेक्ष्य में श्री सत्यदेव त्रिपाठी ने माननीय अध्यक्ष, विधान सभा को सम्बोधित तथा माननीय नेता सदन, माननीय संसदीय कार्य मंत्री, माननीय नेता विरोधी दल तथा समस्त विपक्षी दलों के नेताओं को पृष्ठांकित अपने पत्र दिनांक 31 मार्च, 1989 में श्री बाबू राम यादव, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 30 मार्च, 1989 को सदन में कोआपरेटिव यूनियन के प्रशासक के रूप में श्री सत्य देव त्रिपाठी के विषय में कही गयी कतिपय बातों पर आपत्ति करते हुए यह मांग की कि प्रश्नगत मामले में जांच कराई जाए और उन्हें प्रतिवाद करने का अवसर प्रदान किया जाए अन्यथा यह सदन श्री बाबू राम यादव जैसे झठों की चौपाल बनकर रह जायेगा ।' माननीय श्री गुप्त के अनुसार श्री सत्यदेव त्रिपाठी के उक्त पत्र में किये गये कथन से आदरणीय सदन एवं माननीय सदस्य के विशेषाधिकारों का हनन हुआ है ।

मैंने इस संबंध में श्री सत्यदेव त्रिपाठी का स्पष्टीकरण प्राप्त किया है । श्री त्रिपाठी ने अपने पत्र दिनांक 14 अगस्त, 1989 के माध्यम से अवगत कराया है कि उनका सदन अथवा सदन के माननीय किसी सदस्य का अपमान करने का कोई इरादा नहीं था और उनका आग्रह सिर्फ सत्यता को जांच कराने से था । साथ ही उन्होंने यह अनुरोध भी किया है कि उनका उक्त पत्र अन्यथा न लेकर मात्र ध्यानाकर्षण पत्र माना जाय ।

इस प्रकरण में श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, सदस्य, विधान सभा की उक्त सूचना एवं उसमें उल्लिखित तथ्यों के संबंध में श्री सत्यदेव त्रिपाठी द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण को दृष्टिगत रखते हुए, मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि माननीय श्री गुप्त द्वारा अभिसूचित उक्त प्रश्न विशेषाधिकार हनन अथवा सदन की अवमानना की परिधि में नहीं आता है और मैं उसे अग्राह्य करता हूं । तथापि मैं यह निदेश देता हूं कि किसी भी व्यक्ति द्वारा सदन में माननीय सदस्यों द्वारा व्यक्त विचारों के प्रति किसी प्रकार की टोका-टिप्पणी करना आपत्तिजनक कृत्य है और भविष्य में इस प्रकार की टीका नहीं की जानी चाहिए ।]

श्री जयदीप सिंह बरार एवं श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी द्वारा ग्राह्य प्रश्नों को निरस्त करने की प्रक्रिया के संबंध में उठाये गये औचित्य के प्रश्नों पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री उपाध्यक्ष—

["दिनांक 16 फरवरी, 1989 को श्री जयदीप सिंह बरार ने अपने 4 ऐसे प्रश्नों के बारे में एक औचित्य के प्रश्न की सूचना दी थी जो सदन के वर्ष 1989 के प्रथम सत्र के लिये ग्राह्य किये जाने के पश्चात् क्रमशः पहले गुरुवार के तारांकित प्रश्न संख्या 11, दूसरे मंगलवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 158, पहले मंगलवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 153 और चौथे गुरुवार के तारांकित प्रश्न संख्या 3 के रूप में पहले निर्धारित हुए, किंतु बाद में शासन के संबंधित विभाग के मंत्री या अधिकारी के अनुरोध पर विस्तीर्णता, कई विभागों से संबंधित होने अथवा प्रश्नगत विषय के लिए राज्य सरकार के उत्तरदायी न होने के आधार पर समुचित विचारोपरान्त मेरे आदेशों के अंतर्गत निरस्त कर दिये गये । श्री जयदीप सिंह बरार ने अपने उक्त औचित्य के प्रश्न के संबंध में दिनांक 23 फरवरी, 1989 को सदन में अपने विचार भी व्यक्त किये थे और उनका मुख्य तर्क यह था कि जब कोई प्रश्न अध्यक्ष द्वारा स्वीकार कर लिया जाय और शासन द्वारा उसकी ग्राह्यता पर आपत्ति की जाय तो ऐसे प्रश्न को निरस्त करने से पूर्व प्रश्नकर्ता सदस्य को भी विवादित ग्राह्यता के संबंध में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाना चाहिए । उस दिन मैंने प्रश्नगत मामले में अपना निर्णय सुरक्षित रखा था ।

नोट—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

इसके पश्चात् सदन के गत सत्र में ही दिनांक 7 मार्च, 1989 को श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी और कतिपय अन्य सदस्यों ने भी इस आशय के औचित्य प्रश्न का एक सूचना दी कि उनक द्वारा अभिसूचित एक अल्पसूचित प्रश्न, जो गेहूं के समर्थन मूल्य के बारे में केन्द्र सरकार स सिफारिश करन के विषय पर था और नियम 29(4) के अंतर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न के रूप में दिनांक 2 मार्च, 1989 के लिए अस्थायी कार्यसूची में सम्मलित किया गया था, माननीय कृषि मंत्री के अनुरोध पर पुनर्विचार के उपरांत गापनीयता के आधार पर निरस्त कर दिया गया । श्री रवीन्द्र नाथ तिवारा ने इस संबंध में सदन में यह सुझाव दिया था कि यदि संबंधित मंत्री यह समझते हों कि अस्थायी कार्यसूची में सम्मिलित एसे किसी प्रश्न का उत्तर लोकहित में अथवा गोपनीयता के आधार पर नहीं दिया जाना चाहिए तो उन्हें यह बात सदन में कहनी चाहिए । श्री तिवारी के उक्त औचित्य प्रश्न संबंधी मामले को मैंने सदन की प्रश्न एवं संदर्भ समिति को निर्दिष्ट कर दिया है ।

श्री जयदीप सिंह बरार द्वारा अपने 4 प्रश्नों के संबंध में दिनांक 16 फरवरी, 1989 की अभिसूचित औचित्य प्रश्न का मामला भी श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी के उक्त औचित्य प्रश्न के समान है, क्योंकि दोनों ही औचित्य प्रश्नों में आधार-भूत विंदु यह है कि जब सदन के पीठासीन अधिकारी द्वारा कोई प्रश्न एक बार ग्राह्य कर लिया जाय तो शासन से प्राप्त अनुरोध या आपत्ति पर उसे निरस्त करके कार्यसूची से हटाया नहीं जाना चाहिए । अतएव श्री जयदीप सिंह बरार के औचित्य के प्रश्न की उक्त सूचना को भी प्रश्न एवं संदर्भ समिति को जांच एवं प्रतिवेदन हेतु संदर्भित कर दिया गया है ।"]

गन्ने का मूल्य तय न किये जाने के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न (क्रमागत)

(श्री उपाध्यक्ष द्वारा मद संख्या-22 पुकारे जाने पर)

श्री राम शरण दास—

गन्ने के मामले में बयान दिलवाइए ।

(सत्ता पक्ष को सम्बोधित करते हुए)

श्री उपाध्यक्ष—

गन्ने वाले मामले में अभी समय लगेगा ?

संसदीय कार्यमंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

गन्ने के बारे में इस समय कहने की स्थिति में नहीं है लेकिन एक बात कहना चाहता हूं जहां तक किसान का सम्बन्ध है और गन्ने को सही मूल्य देने की बात है, उसको भारत सरकार निर्धारित करती है । लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरह से इस बात का प्रयास करेगी कि गन्ने का मूल्य किसानों के पक्ष में रहे, उनको किसी प्रकार की हानि न हो । इस बारे में सदन को आश्वस्त करना चाहूंगा ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

ठीक है, अब मद संख्या 22 लेते हैं ।

अब मद संख्या 22, महंगाई पर कौन शुरू करेगा ?

श्री विजय सिंह राणा—

मान्यवर, मैंने आज सुबह आगरा में हाई कोर्ट की बेंच की स्थापना का मामला दिया था ।

श्री उपाध्यक्ष—

उस पर चर्चा होगी, पहले मद संख्या 22 ले लें उसके बाद हाईकोर्ट को ले लेंगे ।

श्री जयदीप सिंह बरार का सदन से निष्कासन एवं वापसी

श्री जयदीप सिंह बरार—

मान्यवर, अभी माननीय मंत्री जी ने जो घोषणा की है उसके संबंध में मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं । कृपा करके आप उनसे एक स्पष्टीकरण दिलवा दें ।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं उन्हें कम्पेल नहीं कर सकता, उन्होंने अपना दृष्टिकोण रख तो दिया है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

जो घोषणा की गयी उसके संबंध में कोई स्पष्टीकरण तो हुआ नहीं और न कोई उत्तर ही आया ?

श्री जयदीप सिंह बरार—

मान्यवर, एक स्पष्टीकरण दिलवा दीजिये । आप इसमें इतना समय ले रहे हैं, इतनी देर में तो मैं पूछ ही लेता ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

मान्यवर, आज की जो कार्यसूची है उसे आज समाप्त कर पाना सम्भव नहीं है । अतः मेरा प्रस्ताव है कि इस सदन की बैठक 3 अक्तूबर को बुला ली जाय ताकि सारे विषय ले लिये जायं ।

श्री उपाध्यक्ष—

ऐसा है कि इसमें राजेन्द्र कुमार गुप्त जी का नाम है, माननीय हरीश जी बोलना चाहते हैं लेकिन इसमें फिर किरनपाल सिंह जी का नाम है ।

श्री किरनपाल सिंह—

मान्यवर, प्रदेश के अन्दर . . . . .

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय किरनपाल सिंह जी, इसमें पहले माननीय गुप्त जी का नाम है, यदि वे बोलना चाहते हैं तो बोलें अन्यथा फिर किरन पाल सिंह जी बोलें ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, जो कार्यवाही है वह नियम से चलेगी, मैं अपनी ओर से श्री हरीश जी को बोलने के लिए अधिकृत करता हूं । आप पहले माननीय हरीश जी को मौका दे दें ।

श्री उपाध्यक्ष—

नहीं, नहीं । यह सम्भव नहीं है । माननीय किरनपाल सिंह जी के बोलने के बाद माननीय हरीश जी बोल लें ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैंने जो प्रस्ताव रखा था, उसका क्या हुआ ?

श्री उपाध्यक्ष—

अभी हम सारे कार्यक्रम ले तो रहे हैं ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

क्या आप 12 बजे रात तक बैठियेगा ?

श्री उपाध्यक्ष—

जी हां, बैठूंगा ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

बैठ चुके । अभी थोड़ी देर में समाप्त कर दीजियेगा ।

श्री जयदीप सिंह बरार—

मान्यवर, मैंने आपसे एक स्पष्टीकरण के लिए समय मांगा था ? क्योंकि सदन में माननीय मंत्री जी का एक दृष्टिकोण आया था ।

श्री उपाध्यक्ष—

अब हम आगे चले गये, मैं अब समय नहीं दूंगा ।

(घोर व्यवसाय के दौरान)

बरार साहब, मैं अब आगे चला गया हूं, आपको बाद में बोलने का मौका मिल जायेगा । . . . . . (व्यवधान)

श्री जयदीप सिंह बरार—

मान्यवर, यह बराबर देखा जा रहा है कि जो लोग आपकी अनुमति के बगैर बोलते हैं, उन्हें बराबर मौका दे दिया जाता है और जो लोग आपकी अनुमति के साथ बोलना चाहते हैं, उन्हें आप अवसर नहीं देते हैं, यह उचित नहीं है । . . . . (शोर)

श्री उपाध्यक्ष—

नहीं, अब आप बैठिए, कुछ नहीं लिखा जायेगा, कृपया विराजें । माननीय किरनपाल सिंह जी को मैंने बुला लिया है, एजेंडे में आगे न बढ़ गया होता तो मौका आपको मिल जाता ।

श्री जयदीप सिंह बरार—

x x x

नोट—[XXX] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो पीठ के विषय में कहा, एक तो उसे कार्यवाही से निकाल दिया जाना चाहिए और दूसरे माननीय सदस्य को इस विषय में चेयर से माफी मांगनी चाहिए और जो यह स्पष्टीकरण चाहते हैं, वह एजेंडे में नहीं है, एजेंडे से अलग की बात है, इस पर इन्हें उत्तेजित न होना चाहिए और इन्हें चेयर से माफी मांगनी चाहिए ।

श्री जयदीप सिंह बरार—

[× × ×]

(एक साथ कई माननीय सदस्यों के खड़े होकर बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

हां, अब एक लफ्ज भी नहीं लिखा जायेगा, बैठिए ।

श्री जयदीप सिंह बरार—

[× × ×]

(घोर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

आप बरार साहब या तो कृपा करके बैठ जाइए, वर्ना सदन को छोड़ दीजिए . . . . (घोर व्यवधान) . . . . . दूसरे आप अपने नजरिये को सही करिये, आपका नजरिया सही नहीं है ।

श्री जयदीप सिंह बरार—

[× × ×] . . . . . (शोर)

श्री उपाध्यक्ष—

बरार साहब, आप सदन छोड़ दीजिए . . . . . मार्शल, बरार साहब को सदन से बाहर करें । . . . . . (घोर व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है, एक प्रार्थना आप हमारी सन लें कृपा करके . . . . . (घोर व्यवधान)

(मार्शल द्वारा श्री बरार साहब से बाहर जाने हेतु अनुरोध करने पर . . . घोर व्यवधान)

श्री जयदीप सिंह बरार—

[× × ×] . . . (घोर व्यवधान) जब तक सरकार की ओर से कोई प्रस्ताव नहीं आएगा, मैं बाहर नहीं जाऊंगा ।

श्री उपाध्यक्ष—

मेरे ही आदेश इस संबंध में काफी हैं । . . . . . (घोर व्यवधान)

नोट :—[× × ×] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

(व्यवधान)

(मार्शल के साथ श्री जयदीप सिंह बरार सदन छोड़ कर चले गये)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है । जो आपने आदेश दिये हैं वह सर माथे पर । हमारे नियमों में व्यवस्था है कि जब उधर से वक्तव्य होगा तो स्पष्टीकरण मांगा जा सकता है । स्पष्टीकरण उन्हीं बातों का मांगा जायेगा, जिनका उसमें उल्लेख होगा । माननीय राम शरण दास जी ने एक पचास रुपये की बात कही मैंने एक और बात कही थी कि सरकार ने उस आदेश को जारी कर दिया है कि 25 दिसम्बर तक खान्डसारी इकाइयों पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है, उसी बारे में माननीय बरार साहेब एक स्पष्टीकरण चाहते थे । तो मेरा निवेदन है कि आप उनको वापस बुला लें । वह अपनी बात कहना चाहते थे और आप उत्तेजित हो गये । वह नियमों के अन्तर्गत स्पष्टीकरण मांग रहे थे ।

उपाध्यक्ष—

कोई वक्तव्य वह नहीं था । उसमें किसी स्पष्टीकरण का प्रश्न कैसे उठता है ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

आप फिर विचार कर लें । मैं संसदीय कार्य मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वह इस पर फिर विचार कर लें ।

श्री किरन पाल सिंह—

मान्यवर, आपसे निवेदन करूंगा कि आज इस सत्र का अंतिम दिन है और हमें अच्छे वातावरण में उठना चाहिये । आपने बरार जी को निकाला है, तो मेरी राय है कि आप उनको बुलवा लें, तब चर्चा करायी जाये । आज आखिरी दिन है ।

श्री विजय सिंह राणा—

मान्यवर, बरार साहेब न तो वेल में आये, केवल खड़े होकर स्पष्टीकरण मांग रहे थे । जो वेल में आते हैं, उनको आप नहीं निकालते हैं । आप उनको बुला लें । बरार साहेब के साथ और एक माननीय सदस्य बराबर बोल रहे थे, उनको आपने नहीं निकाला । आपने उनको क्यों नहीं निकाला ? बरार जी अपनी बात को कहना चाहते थे । अगर उनको निकाला है तो इनको भी निकालें ।

(व्यवधान)

श्री रामशरण दास—

यह लोग अभी भी बोल रहे हैं । आज आखिरी दिन है । आखिरी समय पर आप क्यों ऐसा करते हो ? उनको आप बुला लें ।

श्री उपाध्यक्ष—

जितनी हमदर्दी आप की है, उतनी मुझे भी है ।उनको बुला लिया जाये । मेरा उद्देश्य किसी दुर्भावना के तहत नहीं था । वह आयें, लेकिन वह स्वयं उत्तेजित हो गये । वह आ जायें सदन को कोई दिक्कत नहीं है ।

श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, उनको बुला लिया जाये ।

प्रदेश में सूखे एवं बाढ़ की विषम स्थिति में सरकारी नीति से दिन-प्रतिदिन बढ़ रही महंगाई के सम्बन्ध में चर्चा

*श्री किरन पाल सिंह—

मान्यवर, आज प्रदेश के अन्दर पिछले कुछ महीनों में अप्रत्याशित रूप से आवश्यक वस्तुओं के दामों में बढ़ोत्तरी होने से प्रदेश में जनमानस दूभर हो गया है । चाहे साधन सम्पन्न लोग, भरे पूरे परिवार के लोग इस महंगाई से ज्यादा प्रभावित न हुये हों लेकिन हमारे प्रदेश के आधे से अधिक लोग और जो 40 फीसदी गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले हैं उनके सामने भयंकर समस्या पैदा हो गयी है । 1970-71 के भावों में यदि आमदनी लगाई जाय तो 607 रुपये प्रति व्यक्ति आय बैठती है । इस प्रकार इस महंगाई से लोगों के ऊपर बज्रपात हो गया है उनके सामने जीवन यापन करना कठिन हो गया है । अखबारों में कुछ दिनों पहले यह बात आई थी कि दाम बढ़ने का कारण यह है कि सरकार चुनाव के लिये धन इकट्ठा कर रही है । वह मिल मालिकों से, चीनी के ठेकेदारों से पैसा लेकर उनको छूट दे रही है कि वह खुले बाजार में चीनी महंगी बेचें । आज से 5 महीने पहले 7 रुपये किलो चीनी बिकती थी आज वह खुले बाजार में 14 रुपये किलो है । सरकार ने घोषणा की है कि चीनी को 9 रुपये किलो वह बिकवायेगी लेकिन कहीं पर चीनी 9 रुपये किलो नहीं मिल रही है इसके विपरीत खुले बाजार में चीनी मिलना मुश्किल हो गया है । दारुल-सफा के आसपास किसी दुकान में चीनी नहीं मिल रही है । पिछले दिनों जो चाय 30, 31 रुपये किलो मिलती थी आज वह 70 रुपये किलो बिक रही है । वनस्पति घी जो 24 रुपये किलो था वह 30 रुपये किलो हो गया है, सरसों का तेल जो 14 रुपये किलो था वह 23, 24 रुपये किलो हो गया है । जब किसान के घर फसल आती है तो सरकार उसके दाम कम करवाती है और जब फसल उसके घर से चली जाती है तो महंगी हो जाती है । गुड़ के दाम फसल के समय 300 रुपये क्विंटल था आज वह एक हजार और 9 सौ रुपये क्विंटल हो गया है तो गरीब आदमी कैसे खाये ।

इसी प्रकार मिट्टी का तेल सवा दो रुपये लीटर से साढ़े तीन रुपया लीटर हो गया है और वह भी मिल नहीं रहा है । यही नहीं मिट्टी तेल जो राशन कार्ड में 5 लीटर मिलता था उसे कम कर दिया गया है और 3 लीटर ही मिलता है तो गरीब आदमी कैसे घर में उजाला करे ? इसके साथ ही राशन कार्ड में चीनी पहले प्रति यनिट एक किलो मिलती थी उसे घटाकर 800 ग्राम कर दिया गया है । इसी तरह से अन्य चीजों के दाम भी बढ़े हैं चना 14 रुपये किलो बिक रहा है लेकिन फसल के समय वह 7 रुपये किलो बिक रहा था, छोला चना जो घरों में बनता है वह 24 रुपये किलो बिक रहा है । इसी प्रकार अन्य चीजों के दाम भी बढ़ रहे हैं । आटा भी महंगा हो गया है । निर्माण कार्यों में सीमेन्ट, लोहा और ईंट के दाम भी बहुत बढ़ गये हैं । लोहे के दामों में सौ प्रतिशत वृद्धि हुई है । ईंटों के दाम भी दुगुने हो गये हैं जो चार, पांच सौ रुपया हजार ईंट बिकती थी वह 8 सौ 9 सौ हजार हो गयी है । सीमेन्ट जो 58 रुपये बोरी था वह 72 रुपये बोरी हो गया है । इसका असर यह है कि सरकार के सारे निर्माण कार्य बन्द पड़े हैं चाहे वह भवन निर्माण का का हो या स्कूलों के भवनों के निर्माण का हो या सड़कों का निर्माण हो सब बन्द पड़े हैं । जिस रेट पर काम के टेंडर हुये थे चीजें महंगी होने से काम बन्द हो गये हैं । इस प्रकार

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

सब कार्य चाहे वह कोआपरेटिव के गोदाम हों या दूसरे निर्माण कार्य सब बन्द पड़े हैं । क्योंकि सभी चीजों के दाम बढ़ गये हैं और पैसा उसी हिसाब से मिल रहा है जिससे निर्माण कार्य ठप पड़े हैं । इसके साथ ही साथ तमाम पैसा भ्रष्टाचार में जा रहा है जिसमें महंगाई बढ़ रही है और कालाधन के कारण भी महंगाई बढ़ रही है । इसीलिये सरकार के प्रधान मंत्री के रोज बयान आते हैं कि महंगाई पर कंट्रोल किया जायेगा लेकिन आज महंगाई घटने

(इस समय 7 बजकर 8 मिनट पर अधिष्ठाता श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त पीठासीन हुये)

का नाम नहीं ले रही है । जिस चीज के दाम एक बार बढ़ गये दुबारा कम नहीं हो रहे हैं । सरकार व्यापारियों को खुली छूट दे रही है और उपभोक्ताओं का शोषण किया जा रहा है । इन शब्दों के साथ मैं यहीं चर्चा समाप्त करता हूं ।

श्री विजय सिंह राणा—

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है । श्री जयदीप सिंह बरार आ गये हैं उनको सुन लें ।

श्री जयदीप सिंह बरार—

मान्यवर, माननीय सदस्यों की भावना के अनुसार मैं आ गया हूं लेकिन [xx] मैं इस सदन में नहीं बैठूंगा ।

(श्री जय दीप सिंह बरार सदन छोड़कर चले गये ।)

श्री अधिष्ठाता—

यह आपकी मर्जी है ।

माननीय जयदीप सिंह बरार, जो सदन छोड़कर चले गये, यह उनकी मर्जी है लेकिन जो माननीय अध्यक्ष या माननीय उपाध्यक्ष के बारे में टिप्पणी किया है उसके सम्बन्ध में मैं दिखवा लूंगा और यदि संसदीय परिपाटी के प्रतिकूल कहा है तो निकाल दिया जायेगा ।

(समय 7 बजकर 10 मिनट)

खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री हुकुम सिंह)—

मान्यवर, श्री बरार जी ने कारण दिया है कि जबतक इस पीठ पर अध्यक्ष या उपाध्यक्ष आसीन होंगे तब तक वह नहीं बैठेंगे अभी तो आप बैठे थे, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष नहीं हैं, तो आपके प्रति भी उनका विश्वास नहीं है । तो वह टिप्पणी आपके ऊपर भी है ।

श्री अधिष्ठाता—

यह जो आप शब्द है व्याकरण में फर्स्ट परसन और थर्ड परसन के लिये इस्तेमाल होता है । लेकिन मैंने व्यवस्था दे दिया है कि यह उनका अपना निर्णय था और वह चले गये ।

लेकिन उन्होंने जो टिप्पणी माननीय अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के लिये किया था यदि वह असंसदीय होगी तो निकाल दी जायेगी ।

नोट—[xx] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

परिवहन राज्य मंत्री (श्री प्रमोद कुमार)—

मान्यवर, इतने प्यार से आपको शामिल किया तो उससे आप अपने को अलग क्यों कर रहे हैं ? वह आपके ऊपर भी है ।

श्री अधिष्ठाता—

मैं पाणिनि नहीं हूं जो व्याकरण के शब्द को बदल दूं ।

माननीय खाद्य मंत्री आप दया संक्षेप में वक्तव्य देंगे ?

श्री हुकुम सिंह—

मान्यवर, विशिष्ट बिन्दु तो आया नहीं है इसलिये सभी सदस्यों की भावना आ जाये तब जो प्रक्रिया सरकार की होगी वह मैं बता दूंगा ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

मान्यवर, संक्षिप्त उत्तर दिला दें तब चर्चा आगे बढ़े ।

श्री अधिष्ठाता—

आपने सही कहा है, इसी नियम को ध्यान में रखकर हमने कहा था ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

शुरू में संक्षिप्त उत्तर दिया जाता है और बाद में उत्तर देते हैं । उस परम्परा का पालन करें । संक्षिप्त उत्तर मंत्री जी दे दें तब हम लोग अपनी राय रखें ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

आप हरीश जी पहले मेरी बात सुन लें । बेनी प्रसाद जी स्वतः मंत्री रहे हैं । इस तरह की चर्चा पर मंत्री जी को यहां पर पहले संक्षिप्त उत्तर देना चाहिये । वह स्वयं संसदीय कार्य राज्य मंत्री भी रहे हैं । यदि वह स्वयं नियमों का पालन नहीं करना चाहते हैं तो मैं जबरिया क्या कहूंगा । हमने कह दिया, अब वह नहीं बोलना चाहते तो न बोलें ।

श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी—

मान्यवर, आपको बहुत धन्यवाद । आपने अपने कर्तव्य का पालन कर दिया, अब मंत्री जी ही और खासकर संसदीय कार्य मंत्री जी अपने कर्तव्य का पालन नियमों के अधीन न करें तो आप कर ही क्या सकते हैं ?

श्री हुकुम सिंह—

मान्यवर, मुझे नियमों के अनुसार चलने में कोई आपत्ति नहीं है, मुझे जवाब देने में कोई रुकावट नहीं है । लेकिन अभी उन्होंने कोई ऐसी बात ही नहीं कही कि उसका उत्तर देना उचित होता, वह केवल भावना को लेकर बराबर एक ही बात कहते रहे, उनका सारा बल एक ही इस बात पर था कि जो महंगाई बढ़ गयी है, वह इसलिये बढ़ गई है क्योंकि सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है । उन्होंने कोई विशेष बात कही होती तो मैं जवाब देता । उनकी यह बात इस तरह का आरोप नितान्त गलत है । हर चीज का

तुलनात्मक अध्ययन हुआ करता है, बिना इसके आप किस चीज को महंगा कहेंगे और किस चीज को सस्ता कहेंगे । देखने की बात यह होती है कि उस वस्तु के भाव पिछले साल और पूर्व वर्षों में क्या थे और इस साल क्या हो गया है तथा वह किन परिस्थितियों में हो गये हैं ? आप देखें कि गेहूं के इस वर्ष कितने मूल्य बढ़े हैं । 173 रुपया प्रति क्विंटल किसानों को गेहूं का मूल्य देकर 2.15 रुपये प्रति किलो उपभोक्ताओं को यह उपलब्ध कराया गया और इस वर्ष उन्हें 183 का भाव दिला कर 2.25 में गेहूं दिला रहे हैं । क्या आप इसको महंगी कहेंगे ? ग्रेन ग्रोवर्स के लागत मूल्य व्यय को देखते हुये उसके मुकाबले उपभोक्ता को किस भाव पर हम उपलब्ध करा रहे हैं, यह देखना है । (व्यवधान) जहां तक चीनी का सम्बन्ध है, समाज और देश की जो व्यवस्था है, उसमें लोगों की कुछ भ्रान्तियां हैं, काल्पनिक बाते हैं, जिसमें वह समझते हैं कि सरकार के पास शायद कोई बड़ा भंडार रखा हो और उसे सरकार ने सस्ते में अपने पास रख रखा हो और उसको मुनाफा लेकर सरकार धीरे-धीरे निकाल रही है । ऐसी बात नहीं है और उसे यह देखना चाहिये कि जो तमाम मार्केट फोर्सेस काम करती हैं, उसको हम कैसे डील करते हैं, क्योंकि सरकार एक रेगुलेटरी बाडी है, इन पर किस हद तक सरकार नियंत्रण करती है या कर पाती है, यह उसके देखने की चीज है । यह सही है कि गत माह में उसके दाम बढ़े हैं । इसे हमने स्वीकार किया है कि यह नहीं बढ़ने चाहिये थे, लेकिन हम नजरन्दाज संसार के मार्केट को नहीं कर सकते हैं । जिस अनुपात में वहां बढ़ रहे हैं, उस अनुपात से भारत में कहीं कम बढ़े हैं । कोई देश ऐसा नहीं है, जहां चीनी 10 रुपये से कम में बिक रही हो । कुछ जगह 40 और 50 रुपये में बिक रही है । जो मार्केट फोर्सेस हमारे यहां विपरीत जा रही थीं, उन पर हमने कन्ट्रोल करके रुपये 8.50 से लेकर 9.00 रुपये किलो तक में हमने जनता को चीनी उपलब्ध कराने का संकल्प लिया है । पिछले दो दिनों बरसात रही और आज मैं माननीय सदस्यों को जानकारी देना चाहूंगा कि 200 केन्द्र आज ही आज में लखनऊ में खुल रहे हैं । जिससे कहीं भी चीनी की कमी या अभाव न रहे । आज सदन समाप्त हो रहा है, मैं अपने माननीय सदस्यों से कहूंगा कि वह अपने-अपने क्षेत्रों में जायें और यदि उन्हें कहीं चीनी का अभाव लगे या लगे कि 9 रुपये किलो में चीनी उपलब्ध नहीं है, तो यदि वह हमें जानकारी देंगे तो मैं सुनिश्चित करूंगा कि वहां पर चीनी की कोई कमी न रहे और समुचित मूल्य पर ही वह बिके । हमारी इन बातों के बाद अब जो कुछ हरीश जी कहेंगे, उसको हम सुनेंगे और उसका जवाब देंगे ।

श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी—

मान्यवर, मैं आपका ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहूंगा कि महंगी इस सीमा तक पहुंच गयी है कि वह आम आदमी की पहुंच के परे हो गई है । आम आदमी महंगाई से त्रस्त है और यह कैसी विडम्बना है कि विधान सभा का यह आखिरी सत्र है और आज के उपवेशन में आखिरी समय में रात सवा सात बजे रात्रि में सभी विषयों के बाद महंगाई पर चर्चा हो रही है । मैं जानता हूं शासन तंत्र में बैठने वाले लोग और देश के मठ्ठी भर पंूजीपति इस महंगी में मौज मार रहे हैं, क्योंकि इनके हाथों में शासन तंत्र है । यह आम आदमी को चुभने वाला जो कांटा है, इसकी चिन्ता किसी को नहीं है । अन्यथा यह विषय सबसे पहले लगाते । मैं जानता हूं कहीं भी किसी की हत्या हो जाए । दस-पांच लोग मार डाले जायें वह बात गम्भीर है, लेकिन महंगाई आज किस तरह से मार रही है, इसको आप देखें । आप इतिहास के पन्नों में देखेंगे कि जो बर्बर शासक हुआ करते थे, वह किसी आदमी को बीच में खड़ा कर देते थे और उसके चारों तरफ बरछे लेकर लोग खड़े हो जाते थे । वह जिस तरफ भागता था उसको बरछों से मार पड़ती थी, उसी तरह से महंगाई को बढ़ाकर भाले की नोकों से जनता को चुभाया जा रहा है और आज ऐसे विषय

को, महंगाई के विषय का चर्चा के लिये, सत्र के अन्तिम दिन सवा सात बजे रात्रि में रखा गया है, लेकिन इसको आपने चर्चा के लिए रखा इसके लिए मैं आपका आभारी हूं । मैं दो शब्द कहना चाहूंगा । एक हत्या होती है, एक हलाली होती है, कोई हत्या होती है तो वह मर जाता है लेकिन हलाली ऐसी होती है कि बहुत देर तक आदमी चिल्लाता है, कराहता है, तड़पता है तो इस महंगाई के द्वारा आम जनता को हलाल किया जा रहा है । खाद्य मंत्री जी ने कहा कि चीनी का भाव 8-9 रुपया किलो है, मैं उनको निमंत्रण देना चाहता हूं मैं चलने को तैयार हूं मेरे निर्वाचन क्षेत्र में बांसी कस्बे में आज भी, नन्द कुमार पाण्डेय जी आए हैं, वहां 14 रुपये किलो चीनी है । मेरे पूरे क्षेत्र में चीनी की परेशानी है । मेरे क्षेत्र में ब्राह्मणों का बाहुल्य है मैं कह रहा हूं कि पितृ पक्ष के दिनों में चीनी की आवश्यकता होती है, लेकिन चीनी नहीं मिली । आज से नौरात्र शुरु हो गये हैं चीनी की कोई व्यवस्था नहीं है । 14 रुपये किलो बांसी में चीनी का दाम है । पूरा पितृ पक्ष बीत गया चीनी नहीं मिली है । नौरात्र आ गया चीनी की आवश्यकता ज्यादा होती है, लोग व्रत रहते हैं और चीनी का कुछ बनाकर खाते हैं । चीनी न मिले इसका कष्ट तो लोग भोग ही रहे हैं, आज जो इससे भी बड़ा सवाल है, वह मिट्टी के तेल का है । मान्यवर, अगर सोने का तेल होता, चांदी का तेल होता न मिलता तो कोई बात नहीं थी, कहा जा सकता है कि महंगा हो गया है लेकिन मिट्टी का तेल वह भी न मिले तो कितनी दुखद बात है । आज गरीब मारा जा रहा है ।

एक सदस्य—

जरा शार्ट करें ।

श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी—

मान्यवर, गरीब मारा जा रहा है और यह मंत्री जी कह रहे हैं शार्ट कीजिये । आज गरीब की कोई सुनने वाला नहीं है । हम सफेदपोश बैठकर उनकी गरीबी के बारे में सुनना नहीं चाहते, सोचना नहीं चाहते । आज मिट्टी का तेल गांवों में नहीं है । मेरे क्षेत्र में 4 रुपये से लेकर 6 रुपये लीटर बिक रहा है ।

एक आवाज—

नेपाल जा रहा है ।

श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी—

अगर नेपाल जा रहा है तो यह जिम्मेदारी शासन की है । शासन इतना कमजोर है कि वह तस्करी को रोक नहीं पा रहा है । मैं एक गज्व डुमरिया बुजुर्ग में गया । वहां एक घर के दरवाजे के सामने पटुआ के अन्दर की लकड़ी के जूर बंधे पड़े थे । मैंने उस घर के मालिक से पूछा, तो उसने बताया कि मिट्टी का तेल मिलता नहीं है, मजदूरी करता हूं, औरत-बच्चों को सूरज डूबने से पहले भेज देता हूं । खाना सूरज डूबने के पहले बन जाता है । मजदूरी करके जब रात को आता हूं, तो इसका लकारा जलाकर खाना-पीना होता है । तो मान्यवर, गांवों की आज यह दुर्दशा है । मिट्टी के तेल और चीनी के दाम आज आसमान छू रहे हैं । मंत्री जी ने अभी कहा कि इसमें शासन का दोष नहीं है । मैं 4 बातों का उल्लेख करूंगा जिसके कारण महंगाई है । पहला कारण है सरकार द्वारा चुनाव फण्ड लिया जाना । जिन चीजों के दाम सरकार स्वयं तय करती है उनके दाम बढ़ाकर उद्योगपतियों को अपने उत्पादकों के दाम बढ़ाने का अवसर देती है । मान्यवर, लोहा, कोयला, बिजली, खाद, सीमेंट, डीजल आदि के चीजों के दाम पिछले 10 वर्षों में

8 से लेकर 12 गुने तक बढ़ गये हैं । जिन चीजों को किसान पैदा करता है, उनकी कीमत दो गुनी या सवा दो गुनी ही बढ़ी है । जिन चीजों के दाम सरकार तय करती है, उनके दाम 12 गुने बढ़ गये क्योंकि चुनाव फण्ड लिया जाता है । मैं मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि यदि आप चाहते हैं कि चीजों के दाम गिरें तो आप स्टाक लिमिट को घटा दीजिये । जो गोदामों में माल भरा है, वह बाजार में आ जायेगा और चीजों के दाम अपने आप गिर जायेंगे । लेकिन आप करते क्या हैं कि चुनाव फण्ड लेकर स्टाक बढ़ा देते हैं जिससे लोगों को माल जमा करने का मौका मिलता है और वह जमाखोरी करके माल का मंहगा बेचकर मालोमाल हो जाते हैं । सरकार और पूंजीपतियों की सांठगांठ है । मंत्री जी ने कहा कि 183 रुपया गेहूं का दाम किसान को देते हैं । मान्यवर, मैं छोटा किसान हूं, मंत्री जी हमसे बड़े और प्रगतिशील किसान हैं । मैं चुनौती भरे शब्दों में कहता हूं कि 300 रुपये क्विंटल से नीचे गेहूं का दाम तय करने से किसान का पड़ता नहीं पड़ता है । आप कहेंगे कि 183 रुपये पर लेकर हम गरीब को सस्ता देते हैं । 183 रुपये पर लेकर आप गरीब को 225 रुपये पर देते हैं और उसको मारकर तबाह करते हैं । अगर 183 पर लेते हैं और उसको गरीब को 180 पर बेचते, तब तो औचित्य होता कि गरीब की मदद करते हैं लेकिन 183 पर लेकर गरीब को 225 रुपये पर देकर उसको तबाह करते हैं । मैं सत्ता पक्ष के लोगों से कहना चाहता हूं कि इस मंहगी को रोकिये नहीं तो सारा व्यापार ठप हो जायगा, उद्योग धंधों में भारी मंदी आयेगी । प्रदेश के बुनकर अपना काम छोड़कर बाम्बे जा रहे हैं । बर्तन तैयार करने वाले बाहर जा रहे हैं । मंहगी के कारण गरीब, मजदूर तबाह हो रहा है और व्यापार ठप हो रहा है । आप राशन कार्डों को बनवाने का काम करें, वितरण व्यवस्था की कड़ी चेकिंग करें और उसमें सुधार करायें ताकि उसका फायदा गरीब को मिल सके । चूंकि समय बहुत हो चुका, इसलिए अंत में मैं कहना चाहता हूं कि वितरण व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन लायें, सुधार करें, मंहगी से बचाव का यही रास्ता है ।

श्री हरदेव—

मान्यवर, वितरण प्रणाली में दोष नहीं है, दोष क्या है, हम लोगों का दोष है । कोई व्यक्ति जाता है जिले पर और कहता है कि माननीय विधायक जी हमारे घर भोज है, हमारे घर कथा है, हमारे घर मृत्यु हो गयी है और माननीय विधायक लोग उस पर संस्तुति कर देते हैं, बिना कारण जाने हुए, जिलापूर्ति अधिकारी इस भाव में, इस सम्मान में कि माननीय विधायक जी ने सही लिखा होगा और मैं सही कहता हूं कि वह जिला पूर्ति अधिकारी भयभीत होकर या हम लोगों के सम्मान में लाभ उठाकर सारे जो क्रिमिनल या गलत फर्जी लोग हैं, वह 5 रु0 20 पैसे में तो चीनी ले लेते हैं । जिस दाम को हमारी सरकार ने निर्धारित किया है । मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देना चाहूंगा, जो हमारे खाद्य मंत्री हैं, इस चोर-बाजारी को बार्डर से चोरी रोकने के लिए इन्होंने कड़े कदम उठाने की घोषणा कर दी है । दैनिक जीवन में रोज-रोज रोटी-भोजन में उपयोग की जो जरूरत होती है, उस चीज के दाम नहीं बढ़ाये जा सकते हैं । ये खाद्य मंत्री भूतपूर्व रहे हैं और गरीबों की दुहाई दे रहे हैं, गरीबों को इस रेट पर गेहूं प्राप्त करना, या भोजन प्राप्त करना मुश्किल होता है । आप अध्यापकों, कर्मचारियों की तनख्वाह अपनी बढ़ाने के लिए आवाज करते हैं, तो क्या उसी प्रदेश की फैक्ट्री, कारखाने में काम करने वाले लोगों की तनख्वाह उसी रेशियों में स्वतः बढ़ती है । अगर आप भूतपूर्व खाद्य मंत्री हैं, तो आप इस पर ध्यान दें । जब एक चीज का दाम बढ़ेगा, तो सभी चीजों का दाम बढ़ेगा । दैनिक जीवन में जो भोज्य पदार्थ हैं, उसके दाम नहीं बढ़ाये जा सकते हैं, यह वाणिज्य का नियम है । इसलिए पांच रुपये किलो गेहूं नहीं किया जा सकता है, 10 रु0 किलो चावल का

दाम नहीं किया जा सकता है । क्योंकि 10 लोग ही गेहूं-चावल बेचने वाले हैं और 90 लोग गेहूं-चावल खरीद कर खाने वाले हैं । आप जैसे पूंजीपति और बड़े फार्म वालों के लिए हम कोई इन्तजाम नहीं करना है, आप तो पूंजीपति के नेता बनते हैं और सदन में विरोध भी करते हैं, आप चन्दे भी लेते हैं । आप तो स्वयं इन्तजाम कर लेते हैं, इसलिए मैं चाहता हूं कि इस मंहगाई पर नियंत्रण हो और कड़े कदम उठाये जायं और जो वितरण में ऐसी गड़बड़ी हो, उसे दूर किया जाय ।

श्री रघुबर दयाल वर्मा—

मान्यवर, माननीय खाद्य मंत्री जी को बहुत गम्भीरता से इस विषय पर विचार करने की आवश्यकता है । मान्यवर, खाद्य मंत्री जी ने चीनी के मूल्य के बारे में इतना कहा कि अब 9 रु0 किलो चीनी बाजारों में उपलब्ध करा दी जायगी और जिस किसी को न मिले, तो वह शिकायत भेजे, तो उसे 9 रु0 किलो चीनी उपलब्ध करा देंगे । मान्यवर, जिन मूल्यों पर गन्ना खरीदा गया और जिन मूल्यों पर चीनी उपलब्ध हुई और जो चीनी लेवी की थी, वह चीनी अब तक रिलीज न कराने का क्या कारण है ? दूसरी बात यह कि जो 5 रु0 20 पैसे किलो चीनी सस्ते गल्ले की दुकान पर बिकवाते हैं और उसी चीनी को मारकेट में 9 रु0 किलो बिकवाने की घोषणा करते हैं, क्या आपकी सरकार की या आपकी पार्टी की यह दाम बढ़ाने की नीति है और उत्पादन पदार्थ जो व्यापारियों को दिलवाना चाहते हैं, उसके बीच में कोई व्यवस्था स्थापित करना चाहते हैं ? इसके बीच में क्या आपकी पार्टी की नीति है या आपकी सरकार की क्या नीति है ? इसमें मुनाफे की क्या दर होगी ? इसको बताने की कृपा करें ।

श्री अधिष्ठाता—

पार्टी की नीति जानेंगे कि सरकार की नीति जानेंगे ?

श्री रघुबर दयाल वर्मा—

मान्यवर, सरकार की नीति जानना चाहता हूं । मैं श्रीमन् इनसे निवेदन यह करना चाहता हूं कि डा0 राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि इस देश में जब महंगाई बढ़ेगी, तो मुनाफे के बीच में एक आने का फर्क आखिर में भी जाने पर नहीं होना चाहिये, सरकार को निश्चित दर तय करनी चाहिये । यह सरकार मुनाफे की दर इसलिये नहीं तय कर पा रही है कि व्यापारियों और कारखाने वालों से चन्दा लेना है, इससे गरीबों पर असर पड़ता जा रहा है । जब कृषि में गेहूं पैदा हुआ, गन्ना पैदा हुआ सारी चीज हुई तब तो मूल्य नहीं बढ़ा और जब कारखानेदार ने चीज पैदा कर दिया तो मूल्य तेज कर दिया हमें इस पर चिन्ता व्यक्त करनी पड़ेगी इनका जो छोले के चने का मूल्य है एक दिन सेक्रेट्री साहब कह रहे थे, शुक्ला जी कि 25 रुपये किलो हो गया है । इसे आप देखें कि इस बढ़ती हुई मंहगाई में कितना और मुनाफा कमाया जा रहा है इस पर गम्भीरता से विचार करें, इस मंहगाई के ऊपर मैं सरकार की भर्त्सना और निन्दा करता हूं और अपेक्षा करता हूं कि इस मंहगाई को रोकने में आप सक्षम कदम उठायेंगे ।

*श्रीमती पुष्पा सिंघल—

मान्यवर, जिस विषय पर यहां चर्चा हो रही है, वह जन-साधारण से जुड़ा हुआ है । जब महंगाई का नाम आता है तो हमें उन लोगों का ख्याल आता है जिन्हें दो वक्त की रोटी मुश्किल से मिलती है और हमारे यहां वह भी एक बहुत बड़ा वर्ग है जो मध्यम वर्ग है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

यह मंहगाई जो है वह केवल गरीब वर्ग की मुसीबत नहीं है, मध्यम वर्ग की मुसीबत है । कुछ ऐसी चीज होती है जो विशेषकर जनसाधारण के रोजाना के इस्तेमाल की चीज है उनके जब दाम बढ़ते है तो एक दम से समाज के अन्दर वातावरण ऐसा हो जाता है कि महगाई है जबकि रेल के टिकट के दाम बढ़ते है तो कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता है जब किसी मशीनरी के दाम बढ़ते है तो कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता है लेकिन जब चीनी के दाम बढ़ते है, गेहूं के दाम बढ़ते है, नमक के दाम बढ़ते है तो समाज के सभी लोग प्रभावित होते है तो यह 4-5 चीजें ऐसी है जो जरूरत की चीजें है और रोजाना काम में आने वाली चीजें है उनके दामों को हमेशा स्टेबिल रखना चाहिए जिससे समाज के किसी व्यक्ति को ऐसा न लगे कि सब सर के ऊपर चला गया है । आज 9 रुपये किलो चीनी का दाम किया गया है वह एक ऐसी बात हुई कि जब पानी सर से ऊपर चला गया तो उसे घटाकर गले से ऊपर कर दिया । 5 रुपये चीनी का दाम था उसे बढ़ाकर 12 रुपये किया और अब घटाकर 9 रुपये कर दिया गया । पहले 5 से 7 रुपये की बढ़ोत्तरी की गयी और उसके बाद 3 रुपये घटाया गया तो वह कोई घटाने में घटाना नहीं है लेकिन फ्विर भी माननीय खाद्य मंत्री जी को इस चीज के लिए धन्यवाद देती हूं कि उन्होंने जनता की पुकार को सुना और सुनने के बाद उन्होंने जो यह निर्णय लिया कि गांवों में गांव-सभाओं के मन से उनके निर्णय पर दुकानें खोली जायेंगी यह बहुत सही और अच्छा तरीका है लेकिन मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहती हूं कि कोई चीज जाती है कि कम रेट पर मिले तो जनता को बहुत परेशानी से वह चीज मिलती है, इसका क्या कारण इसको देखना चाहिए । यह हमारे माननीय मंत्री जी का और हम सबका काम है । जब तक हम इसको नहीं देखेंगे, तब तक उस चीज को कागज पर लिख दिया जायेगा । जैसे गेहूं के दाम जो है वह इतने बढ़ गये है कि तीन सवा तीन रुपये किलो में मिलता ह । गरीब आदमी दो वक्त भी पेट भर नहीं खा पा रहा है । गेहूं के, तेल के, चीनी के दाम ऐसे रखिये जिससे आदमी आसानी से उसको खरीद ले और दो वक्त की रोटी जरूर खा ले । चीनी की जो नीति बनाई है जिससे मेरे को पता चला कि 9 रुपये और साढ़े आठ रुपये किलो चीनी मिलेगी लेकिन मार्केट में इस रेट पर एवेलेबिल नहीं हो रही है जिससे जनता को यह धारणा बनी हुइ है कि यह कहां जा रही है । मैं निवेदन करती हूं कि जल्द से जल्द जिन चीजों के दाम कम किये गये है, वह जल्द से जल्द वितरण कराया जाय जिससे जनता को आसानी से सुलभ हो सके । इन्हीं शब्दों के साथ माननीय मंत्री जी का आभार व्यक्त करती हूं कि उन्होंने जनता की पुकार के साथ दामों में कमी करने का निर्णय लिया है ।

*श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आज पूरे प्रदेश का जन-जीवन मंहगाई से तबाह है । खासकर जो गरीब तबके के लोग है, वे मंहगाई से ज्यादा प्रभावित है । चाहे चीनी हो, लोहा हो, कपड़ा हो या मिट्टी का तेल, सबके दाम इतने बढ़ जाने से पूरे जन-मानस में इसका बहुत खराब असर पड़ रहा है और पूरा जन-मानस परेशान है । मान्यवर, किसी भी वस्तु का दाम तब तय किया जाना चाहिए जबकि उसका रा-मैटीरियल और उसके बाद उसका मिल का खर्च, मजदूरी का खर्च और उसके बाद किसी भी वस्तु का दाम तय किया जाय तभी मान्यवर, यह मंहगाई रोकी जा सकती है । मान्यवर, अभी कई माहों से, मैं अपने बादां जनपद की बात कर रहा हूं, चीनी और मिट्टी का तेल का कोटा गया ही नहीं । लोगों में बात फैल रही है कि चूंकि चुनाव निकट है, इसलिये चुनाव के चंदे के लिये मिल मालिकों से पैसा लेकर दाम बढ़ाए गये है । मैं बांदा की बात बताने जा रहा था । कुछ अखबारों में छपा कि कोटे की शक्कर ये नियंत्रित दुकान से बांटेंगे लेकिन

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

इनका सप्लाई इन्सपेक्टर 20 रुपया प्रति बोरा चीनी, 15 रुपया प्रति ड्रम मिट्टी वा तेल और 10 रुपया प्रति बोरा गेहूं में लेता है इस तरह से नरैनी तहसील में पूरा सामान उठाया जाता है तो करीब 60—70 हजार रुपया सप्लाई इन्सपेक्टर लेता है और जब नियंत्रित दुकान का लाइसेंसदार इतना रुपया देता है तो खुले बाजार में न बेच कर, अपनी दुकान में न बेचकर कालाबाजार में बेचता है । जब मान्यवर, नियंत्रित शक्कर की कीमत और बाजार का जो भाव सरकार ने तय किया है, उसमें इतना अंतर है तो निश्चित रूप से कालाबाजारी नढ़ेगी और तब शक्कर का भाव और मिट्टी के तेल का भाव निश्चित रूप से बढ़ेगा । मान्यवर, सबसे बड़ी बात यह है कि माननीय मंत्री जी ने कई बार अखबार में घोषणा की कि नियंत्रित दुकानें हर गांव सभा में दी जाएंगी । मैं बांदा के 75 फीसदी गांवों की बात बता रहा हूं । वहां लाइसेंसदार जो सामान उठाते हैं, वह सप्लाई विभाग से मिलकर कालाबाजार में बेच लेते हैं और गांव की दुकानों पर सामान नहीं मिल पाता है ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

मान्यवर, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा । मैं समझ रहा हूं कि मंत्री जी मंहगाई के प्रति गम्भीर नहीं हैं । वे बड़े परिवार से आते हैं उन पर असर पड़ने वाला नहीं है । मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी ने सभी देशों की बात की है, पता नहीं नेपाल गये हैं या नहीं । मेरे पड़ोस में है, देख लें । मैं इसलिये बता रहा हूं कि मंत्री जी को शर्म से झुक जाना चाहिये । वहां पर प्रति परिवार 5 लीटर मिट्टी का तेल मिलता है । वहां रुपया नहीं चलता, मारू चलता है, हमारे 3 रुपये से कुछ कम पड़ता है । वह तेल जो आप दे रहे हैं, वह नहीं दे रहे हैं, मलेशिया से आयात किया है, वह प्रत्येक परिवार को 5 लीटर देते हैं और हास्टल में रहने वाले छात्रों को 5 लीटर प्रति सप्ताह मिलता है । आप 3 लीटर प्रति परिवार भी सबको नहीं दे पा रहे हैं । आप कहते हैं कि नेपाल चीनी चली गयी । मैं कहता हूं क्यों चली गयी । कोई भी व्यक्ति आवश्यक वस्तु से संबंधित कोई भी सामान उस क्षेत्र में नहीं ले जा सकता और अगर ले जाता है तो पकड़ा जायगा, बन्द किया जायगा, आपने क्यों नहीं किया बन्द ? मार्केटिंग इंसपेक्टर क्या करते हैं ? मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि आज भी इनकी अपनी कोई नीति है । लोहे के दाम, चीनी के दाम, सीमेंट के दाम, इंटों के दाम निश्चित कीजिये कि इस भाव पर मिलेगा । मेरे क्षेत्र में 1000 रु0 के 1000 ईंटें मिल रहे हैं । कोई काम नहीं हो रहा है लोहे का पता नहीं है सीमेंट 75 रु0 चली गयी है आप कोई नीति बनाइये कि सीमेंट के दाम हमारे 65 रु0 हैं इससे ज्यादा पर कोई बेचेगा तो जेल जाना पड़ेगा । प्रचुर मात्रा में सामान उपलब्ध कराने की बात है । 20 लाख टन गेहूं आपका सेन्ट्रल पूल में जाना था यह नहीं दे पा रहे हैं । मान्यवर, मेरे ग्राम में एक छोटी सी गांव सभा है, वहां मण्डी है गल्ले की । गेहूं और धान की मण्डी है । आपके इंस्पेक्टर वहां पर खड़े रहते हैं अगर कोई गेहूं बनिया के यहां आया तो आपके इंस्पेक्टर उसे 182 रु0 में ले लेते हैं और कहते हैं कि सेन्ट्रल पूल में भेजना है । 42 हजार क्विंटल हमारे यहां से ले गये । मेरा कहना है कि आप एक निश्चित लेवी लगाइये । वहीं फ्री सेल भी कराइये ताकि हमारे क्षेत्र के और किसान भी लाभान्वित हो सकें । इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करते हुए कहना चाहता हूं कि अंतिम समय है आप एक निश्चित रेट लागू करने की घोषणा करें ताकि जनता को पता लग सके कि इस रेट पर सामान मिलेगा ।

श्री किरनपाल सिंह—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी जवाब देने के लिये तैयार नहीं थे आपने निर्देश दिया उसके बाद तैयार दिख रहे हैं । उस समय अंतरिम उत्तर दे दिया था ।

श्री अधिष्ठाता—

जवाब देंगे ।

श्री किरनपाल सिंह—

माननीय मंत्री जी ने पिछले सालों की कीमतों के हवाले से अपनी बात कही और उन्होंने अनुपातिक ढंग से समझाते हुए अपनी बात कही कि इस अनुपात से बढ़ी उस अनुपात से ज्यादा बढ़ी । मान्यवर, पिछले 6 महीने में आवश्यक वस्तुओं के दाम बढ़े हैं, चीनी से लेकर, मिट्टी का तेल, सीमेंट, लोहा आदि के आज तक कभी इतनी मंहगाई नहीं हुई । जितने पिछली 6 महीनों में महंगाई बढ़ी है । अगर माननीय मंत्री जी इससे अलग कोई राय रखते हों तो आंकड़ों से साबित करें कि गत वर्षों में इतनी मंहगाई बढ़ी और आज इतनी महंगाई बढ़ी है उसमें कोई अन्तर नहीं है । मान्यवर, पिछली 6 महीनों में जो महंगाई बढ़ी है उससे चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है, गरीब आदमी परेशान हैं । मान्यवर, प्रत्येक वर्ष त्योहारों पर अतिरिक्त चीनी मिला करती थी हिन्दू मुस्लिम किसी का भी त्योहार हो-ईद, जन्माष्टमी, दशहरा, दीवाली जो भी त्योहार हो अलग से चीनी मिला करती थी लेकिन सरकार ने हिन्दू, और मुस्लिम किसी के भी त्यौहार पर एक्सट्रा चीनी नहीं दिलवायी है । मंत्री जी कहते हैं कि अब से आगे से चीनी 9 रु0 किलो मिलने लगेगी । मान्यवर, जो आज तक स्थिति दिख रही है 14 रु0 किलो चीनी बिक रही है । अभी एक उधर से महिला सदस्या बोल रही थी और बाकी अन्य सदस्य भी बोले सब का एक ही स्वर था कि चीनी 13-14 रु0 बाजार में बिक रही है । और जो घोषणा की गयी है 9 रु0-9.50 रु0 की उस भाव पर चीनी नहीं मिल रही है । हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ने और हमारे माननीय अजीत सिंह जी ने इसीलिये गोदामों पर धरना दिया उन्होंने इसलिये नहीं दिया कि चीनी सस्ती दिलवा देंगे बल्कि इसलिये दिया कि आपका ध्यान आकर्षित किया कि जनता के दुख दर्द बढ़ रहे हैं तकलीफें बढ़ रही हैं आप लोग लापरवाही बरत रहे हैं जनता को सस्ते दामों पर चीजें मुहैय्या नहीं करवा पा रहे हैं । मान्यवर, मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आपके क्षेत्र में निर्माण कार्य हो रहे हैं, लोहे, सीमेन्ट, ईंटों के दाम बढ़ने से क्या उन कार्यों पर असर नहीं पड़ा है । सारे निर्माण कार्य ठप पड़े हुये हैं या नहीं ? मान्यवर, हमारे यहां प्राइमरी पाठशाला पर काम नहीं हो रहा है पूछने पर जवाब मिला कि जिस कार्य के लिये एक लाख रु0 मिला था अब उसकी लागत पौने दो लाख रु0 हो गयी है कैसे काम हो । काम ठप है । इस वजह से प्राइमरी पाठशाला का भवन नहीं बन रहा है । जो विकास के कार्य अधूरे पड़े हुये हैं उन पर आगे निर्माण कार्य ठप पड़ा हुआ है । सड़कों पर खड़ंजे नहीं लग रहे हैं इस महंगाई के कारण । क्या माननीय मंत्री जी आपके यहां निर्माण कार्य इस महंगाई के कारण प्रभावित नहीं हुये हैं । सरकार की गलत नीतियों के कारण पिछले महीनों में महंगाई काफी बढ़ गयी है । जो भी महंगाई आज बढ़ी है, वह इनकी गलत नीतियों के कारण, इनके भ्रष्टाचार के कारण और इनकी फिजूल खर्ची के कारण । आज यह चुनाव को ध्यान में रखते हुये जो पैसा इकठ्ठा कर रहे हैं, उसके कारण यह

महंगाई बढ़ी है । चुनाव के पहले इनकी भरसक कोशिशों के बावजूद जब महंगाई इस कदर बढ़ी है तो आगामी चुनाव के बाद महंगाई कितनी ऊंची पहुंच जायगी, इसका अन्दाजा सहज ही लगाया जा सकता है । इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और मंत्री जी के उत्तर की अपेक्षा करता हूं ।

श्री हुकुम सिंह—

माननीय अधिष्ठाता जी, कई जिज्ञासाएं और कई चिन्तायें यहां व्यक्त की गयी । मान्यवर, महंगाई की बात हो, तो चिन्तित होना स्वाभाविक है और इसे मैं भी स्वीकार करता हूं कि महंगाई बढ़ी है । मान्यवर, इस देश में आज तक कोई ऐसा मैकेनिज्म तैयार नहीं हो सका है, जो स्वविवेक और स्वेच्छा से मूल्य नियंत्रण का काम कर सके, बल्कि सरकार द्वारा पारित कन्ट्रोल आर्डर्स के ऊपर ही निर्भर रहना पड़ा है । मान्यवर, आप इस बात से सहमत होंगे कि जितना अधिक नियंत्रण लगेगा, तो यह आवश्यक नहीं कि उन नियंत्रणों से उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा । कभी-कभी नियंत्रणों से शरमायेदार और व्यापारी अनावश्यक लाभ उठाते हैं और जिससे भ्रष्टाचार पनपता है । इसको अध्ययन करने के पश्चात् मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि भारत में जो वेलफेयर सोसायटी है, उसको दाखते हुए जितना नियंत्रण हम कम कर सकें, वह कम करने का प्रयास करना चाहिए । आज आवश्यकता इस बात की है कि जैसे कुछ देशों में उपभोक्ता संगठन बन गये और उपभोक्ताओं में जागृति पैदा की गयी, जिससे उपभोक्ताओं ने अपने संगठन के माध्यम से उन बेचने वालों को विवश किया, जो अधिक कीमत ले रहे थे । उन्होंने उनको विवश कर दिया कि इससे ज्यादा कीमत पर हम देने को तैयार नहीं है । कहीं-कहीं तो यह संगठन इतने मजबूत सिद्ध हुए कि उन बेचने वालों को उपभोक्ताओं की मांग के लेविल पर मजबूरन आना पड़ा । सरकार के पास न तो कभी कोई ऐसा यंत्र रहा है और न रह सकता है कि बटन दबाकर वह यह तय कर दे कि यह भाव रखना चाहिए । कम्युनिस्ट साम्यवादी व्यवस्था की तरह हमारा देश में व्यवस्था तो हो नहीं सकती और अगर ऐसा होगा, तो यहां के लोकतंत्र को खतरा पैदा हो जायगा । इस महंगाई को नियंत्रित करने के लिए इस शताब्दी का जो सबसे क्रान्तिकारी कदम हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी ने उठाया है, वह है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1985 जिसके अन्तर्गत आज इस कार्यक्रम को मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है, कि कैसे लोगों को सही मूल्य पर चीजें मिलें और कैसे संगठनों को मजबूत बनाया जाय जिससे यह तय हो सके ताकि साबुन का दाम क्या होगा, चीनी का दाम क्या होगा, कलम का दाम क्या होगा और जो जरूरत की चीजे है, उनका दाम क्या होगा ? मान्यवर, वह दिन दूर नहीं, जब हम इस अभियान में सफल हो जायेंगे, जिसे आज इतनी गीत से चलाया जा रहा है । यहां पर माननीय सदस्यों द्वारा कई आंकड़े देकर अपने तर्कों की पुष्टि की गयी । दर्मा जी ने अपनी चर्चा में कहा कि गन्ने का आज क्या दाम है और चीनी का क्या दाम है ? मैं तुलना करना चाहता हूं, जब जनता पार्टी के शासन में 3 रुपये किलो चीनी उपलब्ध करायी गयी, उस समय यह बतायें कि गन्ने का भाव क्या था ? मैं गन्ना जलाने वाली बात नहीं कहता हूं । लेकिन 3 रुपये क्विंटल किसान को गन्ने का भाव देकर इन्होंने 3 रुपये में चीनी उपलब्ध करायी । लेकिन आज हमने 30) रुपये क्विंटल तक गन्ने का भाव बढ़ाया है ।

श्री राम शरण दास—

मिल में क्या भाव था, अगर 3 रुपए से 5 रुपए तक भी यह कहीं बता दें, तो मैं अभी इस्तीफा देकर यहां से जा रहा हूं । मान्यवर, माननीय मंत्री जी को इस तरह की गैर जिम्मेदारी वाली बात नहीं करनी चाहिए ।

(व्यवधान)

श्री हुकुम सिंह—

मान्यवर, दो भाव गन्ने के थे । एव्व भाव केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित किया गया था चीनी मिलों के लिए जहां 30 प्रतिशत गन्ना जाता है वह था 9 रुपए प्रति क्विण्टल । यह स्टेट्यूरी भाव था । खाण्डसारी यूनिटों पर चलाने से लेकर तीन रुपए प्रति क्विंटल का भाव था । 9 रुपए क्विंटल को ही मान लिया जाय तो आपने चीनी बेची 3 रुपए प्रति किलो । हमने गन्ने का दाम निर्धारित किया 30 रुपए प्रति क्विंटल । तो क्या चाहते हैं कि चीनी 28 रुपए किलो हो । अगर आप एसा सोचते हैं और आपका अर्थशास्त्र यह कहता है तो मुझे इस पर कोई टिप्पणी नहीं करनी है ।

श्री राम शरण दास—

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है । मान्यवर, अब यह चैलेन्ज टू चैलेन्ज हो गया है । पिछले साल के पिछले साल श्री देवी लाल जी ने इनसे कहा था कि आप हमें फैक्ट्रियां दे दें तो मैं आपको 10 करोड़ रुपए दूंगा और 35 रुपए क्विंटल किसानों को गन्ने का दूंगा ।

श्री हुकुम सिंह—

मान्यवर, मैं इस विवाद में नहीं पड़ना चाहता हूं । इन्हें तो एक मात्र आदर्श अपने पड़ोस जमुना पार में दिखाई देता है, उसके अलावा इन्हें हिन्दुस्तान में कुछ नहीं दिखाई देता । आप किसी भी क्षेत्र में चैलेन्ज कर लीजिये हम कम नहीं रहे हैं । हां, एक बात में कम अवश्य रहेंगे वह है भ्रष्टाचार । किसानों को गन्ने के मूल्य देने की बात हो या फिर गन्ना देने की बात हो, आप जिस वर्ष से तुलना कर लीजिए, हम हरियाणा से कम नहीं है ।

श्री राम शरण दास—

मान्यवर, चैलेन्ज रहा । हरियाणा सरकार कहीं भी इनसे हार जाय तो मैं इस्तीफा दे दूंगा ।

श्री हुकुम सिंह—

मान्यवर, मैं केवल 4 फीगर्स देना चाहता हूं । 19-8-1988 व 19-8-1989 की । मैं अनावश्यक टिप्पणी नहीं करना चाहता । करोना हो या नुक्कड़ हो । यह सबको पता है । 19-8-1988 में चीनी का कुछ भाव बढ़ा है वह 7.45 रुपए का औसत भाव बढ़ा है और आज हमने 9 रुपए प्रति किलो की घोषणा की है । मैंने खुद स्वीकार किया है कि पिछले 2 महीनों में चीनी का भाव 12 से 13 रुपए प्रति किलो पहुंच गया है, इसीलिए हमने भाव को नियंत्रित करने के लिए कुछ कदम उठाये हैं । वह कदम जो हमने उठाये हैं, वह केवल कोई सक्षम सरकार ही उठा सकती है कोई कमजोर व ढुलमुल सरकार नहीं उठा सकती है । हमने तमाम हिन्दुस्तान के चीनी मालिकों को इस बात के लिए विवश किया कि 7.75 रुपए प्रति किलो के भाव से आप ज्यादा चार्ज नहीं कर सकते हैं । यह सरकार के चरित्र का ही प्रभाव था, जिसको उसने इस्तेमाल किया । हमने कोई कानून का इस्तेमाल नहीं किया । हम इस बात को भूल जाते हैं कि चीनी का भाव कन्ट्रोल आर्डर्स से नियंत्रित नहीं होंगे । हमारी तमाम संसार की जो मारकेटिंग फोर्सेस

हैं, उन्हें हम नजरन्दाज नहीं कर सकते हैं । आज आप किसी भी देश में चले जायं । मैं आपको गारण्टी के साथ कहना चाहता हूं कि 10 रु0 प्रति किलोग्राम से कम पड़ने वाला नहीं है ।

(व्यवधान)

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

आप यह भी तो देखिये कि दूसरे देशों की प्रति व्यक्ति औसत आय क्या है ।

(व्यवधान)

श्री हुकुम सिंह—

गेहूं का मूल्य वर्ष 1987-88 में किसान को हमने दिया था 173 रु0, इससे 2.46 रु0 प्रति किलो का भाव आया था । अगले वर्ष 183 रु0 दिया, 2.62 रु0 बाजार भाव का औसत है । सरकारी दुकानों से 2.25 रु0 आपको मिल रहा है । इसी प्रकार चावल का क्रमशः 4.94 रु0 और 4.98 रु0 का औसत भाव आया । इसी प्रकार चीनी का क्रमशः 7.14 रु0 और 8 रु0 दिया है । इसी तरह अरहर की दाल का दिया

(व्यवधान)

है । मैं इन आंकड़ों से कहना यह चाहता हूं कि दोनों वर्ष की तुलना करें तो देखेंगे कि क्या भाव स्पष्ट रूप से बढ़ा है । सरकार ने समानान्तर अपनी प्रणाली चलाई इस बात के लिए कि कैसे गरीब जनता को बाजार भाव से कम पर भी चीजें उपलब्ध करा सकें । अभी तक जो सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानें थीं, उनसे इतनी आशा करते थे लेकिन उसके अनुरूप काम नहीं कर पा रही है । 76 हजार गांव सभायें हैं, 30 हजार गांव सभाओं में दुकानें थीं । पड़ोस के गांव में जाकर सामान लाने की समस्या रहा करती थी । हमने निर्णय लिया कि हर गांव सभा में एक दकान होनी चाहिए । एक बात थी कि भ्रष्टाचार व्याप्त है ।

(व्यवधान)

कुछ हद तक था भी । इतनी लम्बी प्रक्रिया थी कि पहले विज्ञापन निकालिये, फिर चयन समिति थी तथा अन्य औपचारिकतायें थीं, इसमें विलम्ब होता था । इन सारी बातों पर विचार करने के बाद निर्णय लिया कि इन औपचारिकताओं की जरूरत नहीं है, केवल गांव सभा का प्रस्ताव मात्र इस बात के लिए पर्याप्त होगा कि किसको सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान का काम देना चाहते हैं । गांव सभा की खुली बैठक में चयन हो जायेगा, किसी रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं होगी । जब तक हम "पीपुल्स पार्टीसिपेशन" में विश्वास नहीं करेंगे तो इंस्पेक्टर पर इंस्पेक्टर लगाते रहें, कोई उपलब्धि होने वाली नहीं है । इस प्रकार विकेन्द्रीकरण की प्रक्रिया चल रही है । सारी चीजें उपलब्ध कराने का निर्णय, ऐसा नहीं है कि जल्द ही हो जाय । उत्तर प्रदेश तमाम देश का हिस्सा है, देश संसार का हिस्सा है । इस प्रकार हम एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं । अब सम्भव नहीं है कि बाबू राम शरण दास जी ने 5 रु0 किलो का घी देशी खाया होगा जो आज भी मिले । जो भाव बाहर होंगे उसका प्रभाव किसी न किसी रूप में हमारे ऊपर पड़ना ही है । आवश्यकता इस बात की है कि स्वयं के संगठन इतने मजबूत हों वे "सेलर्स मार्केट" न बनने दें । ईंटों

की बात कही गयी । दुर्भाग्य की बात है कि ईंट के दाम 1000 रु0 हो जायं 600 रु0 से लेकिन विकास के कार्य में ईंट के दामों ने 1000 रु0 हो गया और इसमें महंगाई बढ़ गयी यह दुर्भाग्य की बात है । जब तक सरकार के पिक्चर में बात आती है तब तक दाम बढ़ चुके होते हैं । हमने निर्णय लिया है इस संबंध में कि अभी तक जो भट्ठे पर काम आने वाला कोयला स्लैप कोल होता है उस पर नियंत्रण था और इस कारण से हर महीने और हर साल दाम बढ़े हैं और 35 लाख मी0 ट0 कोयला लैप्स हो गया, लोगों ने नहीं उठाया इस डर से कि चेकिंग होगी । मंत्रि परिषद् ने हाल ही में निर्णय लिया है कि स्लैप कोल के ट्रेड से सारा नियंत्रण समाप्त कर दिया जाय । अब भट्ठे के मालिक कोयला लेने के लिए सक्षम होंगे । इस प्रकार मेजर रूप से सरकार को कार्य करना है इससे बाजार में कोयले की उपलब्धता बढ़ेगी और ईंट के भाव स्वतः नीचे आयेंगे ।

मैं यहां यह भी स्पष्ट कर दूं कि आप चाहें कि तीन रु0 किलो चीनी दी जाय, लेकिन ऐसा नहीं हो पायेगा, इस भाव में चीनी कहां से आयेगी ? 26 प्रतिशत गन्ना चला गया यदि यह न जाता तो चीनी की उपलब्धता अधिक होती । दूसरे खाण्डसारी पर नियंत्रण है नहीं, इसके लिए चीनी मिल मालिकों से हमें यह प्रयास करना है कि जब फसल हो तो अधिक से अधिक गन्ना का उत्पादन किया जाय जिससे कि अधिक से अधिक चीनी उपलब्ध हो सके ।

मैं माननीय सदस्यों का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इसके प्रति अपनी चिन्ता व्यक्त की, सुझाव दिये और मुझे सीख भी दी । मेरा प्रयास रहेगा कि हम उनके दिये गये सुझावों पर कदम उठायें ।

मद संख्या 42 से पूर्व मद संख्या 24 से 38 तक लिए जाने का प्रस्ताव

(श्री अधिष्ठाता द्वारा मद संख्या 42 पुकारे जाने पर)

संसदीय कार्यमंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मेरा प्रस्ताव है कि पहले मद संख्या 24 से 38 तक ले लें और फिर इसके बाद इसको लें ।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी, पहले इस बात पर विचार कर लें कि माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने सदन में आश्वासन दिया था कि महंगाई की चर्चा के बाद इलाहाबाद वाला मामला लेंगे । अब अध्यक्ष पीठ से एक बात हो गयी थी और अब आप यह प्रस्ताव कर रहे हैं, अब इस संबंध में सदन जो फैसला करे ।

श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, मैंने उनसे निवेदन किया था, उन्होंने कहा था कि इस पर पनर्विचार कर लेंगे ।

श्री अधिष्ठाता—

आपने निवेदन किया था लेकिन सदन में तो उन्होंने घोषणा कर दिया था, घोषणा हो गयी थी ।

श्री अम्मार रिजवी—

मैं इन परिस्थितियों में पुनः प्रस्ताव करता हूं कि पहले मद 24 से 38 तक ले लें ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

पहले आप माननीय राम शरण दास जी की बात को सुन लें । अभी माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने एक प्रस्ताव रखा है, माननीय उपाध्यक्ष जी के पूर्व के निर्णयानुसार इस समय मद संख्या 42 ली जानी थी, अब आपने एक नया प्रस्ताव रखा है कि संकल्प और विधेयक पहले ले लिए जायं । क्या आप इनके प्रस्ताव का समर्थन करते हैं जो माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने पेश किया है ?

श्री राम शरण दास—

मान्यवर, पहले हाई कोर्ट वाला मामला ले लिया जाय । यह मेरा प्रस्ताव है ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा—

सबसे पहले हाई कोर्ट वाला मसला लिया जाय । माननीय उपाध्यक्ष ने आश्वासन दिया था कि यह महंगाई के बाद लिया जायेगा तभी हम लोगों ने उनकी बात को स्वीकार किया था ।

श्री विजय सिंह राणा—

यह सरकार हाई कोर्ट वाले मामले को हमेशा लम्बित करना चाहती है यह जानबूझ कर इनकी साजिश है । माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो प्रस्ताव रखा है, यह इनकी नेक भावना है । यह इस मामले को टाल रहे हैं ।

श्री राम शरण दास—

माननीय उपाध्यक्ष जी ने कहा था कि यह बिल हो जायेगा तब हाई कोर्ट का मामला आयेगा, यह बात सत्य है । इस पर चर्चा मंजूर है । यह इसे कैसे टाल देंगे ? अभी आप भाग जायेंगे उठ करके ?

श्री विजय सिंह राणा—

और अब भी वह इसी प्रयास में हैं, उनके प्रस्ताव से पहले जो निर्णय माननीय उपाध्यक्ष जी द्वारा लिया जा चुका है, हाई कोर्ट के मामले के प्रति उसे ही लिया जाना चाहिए ।

(शोर)

श्री किरन पाल सिंह—

मान्यवर, संसदीय कार्य मंत्री जी ने प्रस्ताव जो प्रस्तुत किया है, उसे नहीं किया जाना चाहिए था क्योंकि एक निर्णय माननीय उपाध्यक्ष जी ले चुके हैं, और उसी निर्णय की भावना के अनुसार कार्यवाही होनी चाहिए और पहले हाई कोर्ट वाले मामले को लिया गया ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

चूंकि मैं यहां पीठ पर विराजमान हूं और हमारा भी कांसस यही कह रहा है कि माननीय उपाध्यक्ष जी ने जो निर्णय इस सदन की भावना को ध्यान में रखते हुए लिया है, उसे ही माना जाना चाहिए और अध्यक्ष पीठ से हुए निर्णय को हमें बदलना नहीं चाहिए, इसी बीच माननीय संसदीय कार्य मंत्री एक प्रस्ताव ले आए और बीच में उन्होंने एक स्पष्टीकरण और दिया कि मैंने पुनर्विचार के लिए अनुरोध किया था, जिसे माननीय अध्यक्ष जी ने संभवतः स्वीकार भी किया था, इसलिए मेरा भी अब यही फर्ज बनता है कि इस मामले को देखने के लिए उन्हीं से अनुरोध करूं, इसी के तहत मैंने माननीय उपाध्यक्ष जी को बुलवाया है, और जब वह आ जाएंगे तो उन्हीं की उपस्थिति में सारी बात स्पष्ट हो जायगी और जो वह निर्णय लेंगे, वही हम लोगों के लिए मान्य होगा ।

इसलिए अब उनके आने का इन्तजार हम लोग कर लेते हैं और जब तक वह नहीं आएंगे, तब तक सदन की कार्यवाही इसी तरह से स्थगित रहेगी । (कुछ क्षण बाद)

माननीय उपाध्यक्ष जी आ गये हैं, अब इस विषय का निस्तारण वही करेंगे ।

(शोर)

(इस समय 8 बजकर 8 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पीठासीन हुए ।)

श्री रघुवर दयाल वर्मा—

मान्यवर, आपके इसी सदन के अन्दर यह आदेश हुए थे कि पहले महंगाई वाला मद ले लिया जाय, उसके बाद इस हाई कोर्ट वाले मामले को ले लिया जायेगा, लेकिन बीच में किसी वजह से माननीय संसदीय कार्य मंत्री एक प्रस्ताव ले आए, तो श्रीमन् पहले आप इस हाई कोर्ट वाले मामले को ही ले लीजिए जैसा कि आपका निर्णय है पूर्व का .....

(शोर)

श्री उपाध्यक्ष—

बात तो आपकी सही है, लेकिन अगर पीठ के निर्णय के बाद भी कोई प्रस्ताव आता है, तो उस प्रस्ताव पर विचार तो किया ही जायेगा सदन तो स्वयं ही अपनी कार्यवाही का मास्टर है और यह बात मैं पहले भी कह चुका हूं कि मैं तो सदन का एक सेवक हूं... (इस मध्य सर्वश्री विजय सिंह राणा, राम शरण दास तथा श्री बदन सिंह व श्री चन्द्र भान मौर्य सदन के फ्लोर पर आकर बैठ गये व कहने लगे कि "पहले इस हाई कोर्ट वाले मामले को लीजिए, यह नहीं सुनी जायेगी", जिससे घोर व्यवधान हो गया) ।

आप लोग बैठिए तो सही । मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से कह रहा हूं कि वह इस पर विचार कर लें और वह विचार कर लेंगे, आप लोग कृपा कर बैठिए ...

(समय 8 बजकर 10 मिनट)

श्री अम्मार रिजवी—

उपाध्यक्ष जी, आपके जो भी आदेश हैं, हमेशा शिरोधार्य किया है । इस संबंध में मान्यवर, मैंने निवेदन किया था, कहीं पर यह मंशा नहीं है कि उस चर्चा को खत्म करना चाहते हैं । मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि जब तक वह चर्चा समाप्त

नहीं हो जायेगी और पूरा बिजनेस समाप्त नहीं हो जायेगा, तब तक हाउस चलता रहेगा, लेकिन एक व्यावहारिक कठिनाई है कि नवरात्र शुरू हो गये हैं और कुछ लोग जाना चाहते हैं, इसलिए मेरा निवेदन है कि आइटम नं0 24 से 38 तक की मदें पहले ले ली जायं । इसमें कोई वैसी मंशा नहीं है । यह मेरा प्रस्ताव है, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है । मैं सदस्य इस सदन का रहूं या न रहूं, इस पीठ पर आप रहें या न रहें, लेकिन आपके श्रीमुख से निकली हुई व्यवस्थायें और उस पर हमारे कदम एक संसदीय परम्पराओं में इतिहास बनेगी । मैं समझता हूं कि पहले आपने एक व्यवस्था दे दी, उसके बाद संसदीय कार्य मंत्री जी ने एक प्रस्ताव पेश किया जिसे मैं संसदीय प्रक्रिया के प्रतिकूल समझता हूं । कोरम का झगड़ा अलग है, यह हमारी भी जिम्मेदारी है और आपकी भी जिम्मेदारी है । सरकारी बिजनेस भी पास होना जरूरी है । हाई कोर्ट बेन्च से संबंधित चर्चा जरूरी है । अगर आप उसको महत्व न देते तो सप्लीमेंटरी एजेन्डा न जारी करते । मैं यह समझता हूं कि यह संसदीय मर्यादाओं के प्रतिकूल है और मैं आपसे अपेक्षा करूंगा कि आप अपनी अंतरात्मा की आवाज पर सही फैसला देंगे और इसीलिए मैं वहां से हट कर यहां आ गया । मैंने अपनी मर्यादा की रक्षा की थी । मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि जो प्रक्रिया बनी है उसका पालन किया जाय, यह मेरा आपसे निवेदन है ।

श्री अम्मार रिजवी—

माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त ने अपने श्रीमुख से एक बात कही है । तो मैं कहना चाहता हूं कि कभी-कभी जब फैसला किया जाता है तो ऐसे मौके आते हैं कि उस पर पुनः विचार करना होता है । उसको सदन के सामने रखना पीठ की अवहेलना करना नहीं है । हम लोग पीठ की अवहेलना करने की कल्पना तक नहीं कर सकते हैं । इसी कारण आपके कक्ष में आपसे निवेदन किया था और आपकी अनुमति मिल जाने के बाद यह बात यहां पर उठाई है । तो इसमें अवहेलना का कोई प्रश्न ही नहीं है । कन्सीडरेशन करना एक प्रोसेस है । कृपया आप इस प्रस्ताव को प्रस्तुत करें और एजेन्डा को आगे बढ़ायें ।

श्री उपाध्यक्ष—

अगर कोई प्रस्ताव आता है, तो सदन का मत लेना जरूरी हो जाता है । इसलिए मैं मत ले रहा हूं ।

प्रश्न यह है कि जो प्रस्ताव माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने रखा है और उस पर जो संशोधन का प्रस्ताव माननीय राम शरण दास ने रखा है, उसे स्वीकार किया जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि जो प्रस्ताव माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है, उसे स्वीकार किया जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकार हुआ ।)

उत्तर प्रदेश सहकारी (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1989

श्री उपाध्यक्ष—

अब हम मद संख्या 24 लेते हैं ।

(फ्लोर पर बैठे सदस्य नारे लगाते रहे)

श्री उपाध्यक्ष—

उसके बाद चर्चा हो जायेगी । (व्यवधान) माननीय हरिश्चन्द्र, हरीश जी आप अपना अनुमोदन का संकल्प रखें ।

श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी—

मान्यवर, पहले सदन को व्यवस्थित तो कराइये ।

श्री उपाध्यक्ष—

क्या किया जा सकता है, जो निर्णय हो गया मैं उसमें क्या कर सकता हूं ।

श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी—

अव्यवस्थित सदन में कैसे लिखा जायेगा ?

श्री उपाध्यक्ष—

आप अपना संकल्प रखिये । (व्यवधान) हाई कोर्ट वाला बाद में आयेगा । श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी, श्री धनराज यादव, श्री किशन लाल दिलेर कोई संकल्प नहीं रख रहे हैं ।

श्री किरन पाल सिंह—

माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त जी जब पीठ पर बैठे हुए थे तो उन्होंने कहा था कि एक निर्णय हो गया है । (व्यवधान) आपको गरिमा का ख्याल नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष—

कोई दिक्कत नहीं है, एक निर्णय सदन का हो गया है आप भी अगर मेरी जगह में बैठे होते तो सदन का सम्मान करना जरूरी है । ठीक है प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं मैं आगे की मद लेता हूं । मद संख्या 25 पुकारता हूं ।

सहकारिता राज्य मंत्री (श्री समरपाल सिंह)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1989 जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1989 जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड 2 से 4 तक, खण्ड 1, प्रस्ताव व शीर्षक

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1989

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 का अग्रेतर संशोधन करने के लिए विधेयक

भारत गणराज्य के चालीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1989 कहा जायगा ।

(2) यह 26 जून, 1989 को प्रवृत्त हुआ समझा जायगा ।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11 सन् 1966 की धारा 29 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 29 में, उपधारा (6) में प्रथम प्रतिबन्धात्मक खण्ड में, शब्द और अंक "30 जून 1989" के स्थान पर शब्द और अंक "31 दिसम्बर 1989" रख दिये जायेंगे ।

धारा 35 का संशोधन

3—मूल अधिनियम की धारा 35 में, उपधारा (6) में, प्रतिबन्धात्मक खण्ड में, शब्द और अंक "30 जन 1989" के स्थान पर शब्द और अंक "31 दिसम्बर 1989" रख दिये जायेंगे ।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 10 सन् 1989

4—(1) उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (द्वितीय निरसन और संशोधन) अध्यादेश, 1989 एतद्द्वारा निरसित किया अपवाद जाता है ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी, मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

माननीय, इस पर हमें बोलना है ।

श्री उपाध्यक्ष—

अब संशोधन प्रस्तुत नहीं हुआ तो क्या विचार होगा ?

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से खण्ड 4 तक, खण्ड-1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री समरपाल सिंह—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1989, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1989, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

माननीय उपाध्यक्ष जी, मेरा विनम्र निवेदन है कि सदन को आप 15 मिनट के लिये स्थगित कर दीजिये और उसके बाद विचार विमर्श कर लीजिये ।

(किरन पाल सिंह भी फ्लोर पर आकर बैठ गये ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रस्ताव पास हो चुका है सदन का ।

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, ,1989

श्री उपाध्यक्ष—

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी, श्री धनराज यादव जी कोई संकल्प प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं ।

(व्यवधान)

कृषि मंत्री (डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1989, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1989, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड 2 से 3, खण्ड 1, प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1989

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् दवारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1972 का अग्रेतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के चालीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अधिनियम, 1989 कहा जायेगा ।

(2) यह दिनांक 6 जून, 1989 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा ।

धारा 2 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति उत्तर प्रदेश अधिनियम (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1972 को, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 2 में, उपधारा (1) में, शब्द "छः वर्ष" के स्थान पर शब्द "31 दिसम्बर, 1989 तक" रख दिये जायेंगे और सदैव से रखे गये समझे जायेंगे ।

निरसन और अपवाद

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 9 सन् 1989

3—(1) उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अध्यादेश, 1989 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभत समय पर प्रवृत्त थे ।

(व्यवधान के मध्य)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से खण्ड 3 तक खण्ड 1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

डा0 कृष्णवीर सिंह कौशल—

मान्यवर, आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी, समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1989, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय ।

(फ्लोर पर बैठे सदस्य नारे लगाते रहे ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश उत्पादन मण्डी, समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1989, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (द्वितीय संशोधन)

विधेयक, 1989

(संकल्प प्रस्तुतकर्ता सदस्य सर्वश्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, हरिश्चन्द्र, हरीश जी आदि का नाम पुकारा गया, किन्तु उनके द्वारा अननुमोदन का संकल्प न प्रस्तुत करने पर ।)

नगर विकास मंत्री (श्री बल्देव सिंह आर्य)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1989, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1989, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड 2 से 5 तक, खण्ड 1, प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 19899

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटी, नोटीफाइड एरिया और टाउन एरिया (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1977 और उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (तृतीय संशोधन) अधिनियम, 1978 का अग्रेतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के चालीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1989 कहा जायगा ।

(2) यह 30 जून, 1989 को प्रवृत्त हुआ समझा जायगा ।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13 सन् 1977 की धारा 2 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटीज, नोटीफाइड एरिया और टाउन एरिया (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1977 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 2 में, जहां कहीं भी शब्द और अंक "30 जन, 1989" आये हों उनके स्थान पर शब्द और अंक "31 दिसम्बर, 1989" रख दिये जायेंगे ।

धारा 3 का संशोधन

3—मूल अधिनियम की धारा 3 में, शब्द और अंक "30 जून, 1989" के स्थान पर शब्द और अंक "31 दिसम्बर, 1989" रख दिये जायेंगे ।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 35 सन् 1978 की धारा 24 का संशोधन

4—उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (ततीय संशोधन) अधिनियम, 1978 की धारा 24 में, शब्द और अंक "30 जन, 1989" के स्थान पर शब्द और अंक "31 दिसम्बर, 1989" रख दिये जायेंगे ।

निरसन और अपवाद

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 12 सन् 1989

5—(1) उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अध्यादेश, 1989 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित धारा 2 और 4 में निर्दिष्ट अधिनियमों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित उक्त अधिनियमों के तत्समान उपबंधों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे ।

(घोर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से खण्ड 5 तक, खण्ड-1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री बल्देव सिंह आर्य—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1989, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1989, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

उत्तर प्रदेश आबकारी नियमावली (संशोधन) विधेयक, 1989,

(संकल्प प्रस्तुतकर्ता सदस्य सर्वश्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी आदि का नाम पुकारा गया, किन्तु उनके द्वारा अननुमोदन का संकल्प न प्रस्तुत करने पर)

(हाई कोर्ट बेंच पर चर्चा पहले करायें के नारे लगाये जाने से घोर व्यवधान)

वित्त एवं न्याय राज्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश रिछारिया)—

मान्यवर, आपकी अनुमति से मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश आबकारी नियमावली (संशोधन) विधेयक, 1989, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश आबकारी नियमावली (संशोधन) विधेयक, 1989 जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड 3 से 4 तक, खण्ड 1, प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश आबकारी नियमावली (संशोधन) विधेयक, 1989

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ)

राजस्व परिषद्, उत्तर प्रदेश की अधिसूचना संख्या 423/पांच-2994-बी, दिनांक 26 सितम्बर, 1910 के साथ प्रकाशित यू0 पी0 एक्साइज रूल्स में अग्रेतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के चालीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश आबकारी नियमावली (संशोधन) अधिनियम, 1989 कहा जायगा ।

यू0 पी0 एक्साइज रूल्स के शीर्षक "फीस" के अन्तर्गत नियमावली के नियम 6 का संशोधन

2—राजस्व परिषद्, यू0 पी0 की अधिसूचना संख्या—423/पांच 294-बी, दिनांक 26 सितम्बर, 1910 के साथ प्रकाशित यू0 पी0 एक्साइज रूल्स में, शीर्षक "फीस" के अन्तर्गत नियमों में, जैसा कि उत्तर प्रदेश आबकारी (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1984 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है, नियम 6 में, उपनियम (15द) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम बढ़ा दिया जायगा और 23 फरवरी, 1989 को बढ़ाया गया समझा जायगा, अर्थात्

"(16) इस नियम में दी गयी किसी बात के होते हुये भी जहां वित्तीय वर्ष 1989-90 के लिये आबकारी नीलामी इस नियमावली (शीर्षक "फीस" के अन्तर्गत) के अधीन की गयी तात्पर्यित है, वहां

(क) यदि वह 5 अगस्त, 1989 के पूर्व आबकारी आयुक्त द्वारा अन्तिम रूप से स्वीकार कर ली गयी हो और उस व्यक्ति ने जिसके पक्ष में नीलामी की गयी थी, इस नियम के अधीन अपेक्षित प्रतिभूति के बराबर धनराशि का, चाहे वह नकद या किसी अनुसूचित बैंक से बैंक ड्राफ्ट या सावधि जमा रसीद के रूप में हो और जो कलेक्टर के नाम सम्यक् रूप से गिरवी रखी गयी हो, या बैंक गारंटी के रूप में हो, भुगतान 30 जून, 1989 को या इसके पूर्व कर दिया है तो ऐसा भुगतान इस नियम में विनिर्दिष्ट समय के भीतर किया गया और संविदा के सम्यक् पालन के लिये विधिमान्य प्रतिभूति समझा जायगा मानो प्रतिभूति के भुगतान के लिये ऐसी रीति और समय सभी सारभूत समय पर उपनियम (8) और (9) में विहित थे ;

(ख) यदि वह आबकारी आयुक्त द्वारा इस प्रकार स्वीकार न की गयी हो तो नियम 7 के उपनियम (8) के खण्ड (ख) के उपबन्ध उस व्यक्ति

पर, जिसके पक्ष में नीलामी की गयी थी, इस आधार पर कि उसने ऐसी नालामी के सम्बन्ध में कोई व्यतिक्रम किया है, लागू न होंगे ।

संशोधन या विखण्डन करने की शक्ति

3—इस अधिनियम द्वारा उपान्तरित नियमावली तब तक प्रवृत्त रहेगी जब तक उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा 21 के साथ पठित संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 की सुसंगत धारा के अधीन अपनी शक्ति का प्रयोग करके समुचित प्राधिकारी द्वारा संशोधित या विखंडित न कर दी जाय ।

निरसन और अपवाद

4—(1) उत्तर प्रदेश आबकारी नियमावली (संशोधन) अध्यादेश, 1989 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है ।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 15 सन् 1989

(2) ऐसे निरसन के होते हुये भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित धारा 2 में निर्दिष्ट नियमावली के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित उक्त नियमावली के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी, मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 4 तक, खण्ड 1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री ओम प्रकाश रिछारिया—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश आबकारी नियमावली (संशोधन) विधेयक, 1989, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश आबकारी नियमावली (संशोधन) विधेयक, 1989, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) विधेयक, 1989

(संकल्प प्रस्तुतकर्ता सर्वश्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी आदि का नाम पुकारा गया, किन्तु उनके द्वारा अनुमोदन का संकल्प न प्रस्तुत करने पर)

परिवहन राज्य मंत्री (श्री प्रमोद कुमार)—

मान्यवर, मैं आतकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा (पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) विधेयक, 1989, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा (पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) विधेयक, 1989, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड 2 से 4 तक, खण्ड 1, अनुसूची प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) विधेयक, 1989

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ)

पिछड़े हुये नागरिकों के वर्गों के पक्ष में नियुक्तियों या पदों के आरक्षण की व्यवस्था करने और कतिपय नियुक्तियों को विधिमान्य करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के चालीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश लोक सेवा (पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1989 कहा जायगा ।

(2) यह 20 अगस्त, 1977 को प्रवृत्त हुआ समझा जायगा ।

आरक्षण

2—(1) राज्य के कार्यकलाप से सम्बन्धित लोक सेवाओं और पदों के लिये सीधी भर्ती के प्रक्रम पर, अनुसूची में विनिर्दिष्ट पिछड़े हुये नागरिकों के वर्गों के पक्ष में पदों का निम्नलिखित प्रतिशत आरक्षित किया जायगा :—

(एक) समूह "क", समूह "ख" और समह "ग" के पदों में पन्द्रह प्रतिशत ;

(दो) समूह "घ" के पदों में दस प्रतिशत ।

(2) इस धारा में "समूह क, ख, ग और घ" का तात्पर्य तत्समय प्रवृत्त राज्य सरकार के आदेशों के अधीन उक्त समूहों के अन्तर्गत आने वाले क्रमशः उक्त समूहों के पदों से है ।

कतिपय निर्युक्तियों की विधिमान्यता

3—किसी न्यायालय के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश के होते हुये भी, अनुसूची में विनिर्दिष्ट पिछड़े हुये नागरिकों के वर्गों के सदस्यों की राज्य के कार्य-कलाप से सम्बन्धित किसी सेवा में या पद पर की गयी नियुक्ति जो किन्हीं नियमों या सरकारी आदेशों के अनुसरण में जिनमें ऐसे वर्गों के लिये आरक्षण की व्यवस्था की गयी हो, इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन की गयी समझी जायगी और सदैव से विधिमान्य समझी जायेगी ।

निरसन और अपवाद

4—(1) उत्तर प्रदेश लोक सेवा (पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अध्यादेश, 1989 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है ।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 11 सन् 1989

(2) ऐसे निरसन के होते हुये भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी, मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे ।

अनुसूची

(धारा 2 और 3 देखिये)

1—अहीर
2—अरख
3—काछी
4—कहार
5—केवट या मल्लाह
6—किसान
7—कोइरी
8—कुम्हार
9—कुर्मी
10—कम्बोज
11—कसगर
12—कुंजड़ा या राईन
13—गोसाईं
14—गूजर
15—गड़ेरिया
16—गद्दी
17—गिरि
18—चिकवा (कस्साब)
19—छीपी
20—जोगी
21—झोजा
22—डफाली
23—तमोली
24—तेली
25—दर्जी
26—धीवर
27—नक्काल
28—नट (जो अनुसूचित जातियों की श्रेणी में सम्मिलित न हों)
29—नायक

30—फकीर
31—बंजारा
32—बढ़ई
33—बारी
34—बैरागी
35—बिन्द
36—बियार
37—भर
38—भुर्जी या भड़भूजा
39—भठियारा
40—माली
41—मनिहार
42—मुराव या मुराई
43—मोमिन (अंसार)
44—मिरासी
45—मुस्लिम कायस्थ
46—नद्दाफ (धुनिया), मन्सूरी
47—मारछा
48—रंगरेज
49—लोध, लोधा, लोधी, लोट, लोधी राजपूत
50—लोहार
51—लोनिया
52—सोनार
53—स्वीपर (जो अनुसूचित जातियों की श्रेणी में सम्मिलित न हो)
54—हलवाई
55—हज्जाम (नाई)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-4 तक, खण्ड-1, अनुसूची प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री प्रमोद कुमार—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा (पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) विधेयक, 1989, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा (पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) विधेयक, 1988 जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

अब आप हाई कोर्ट पर चर्चा कर लीजिए ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का सवाल है । मैं यह जानना चाहता हूं कि जब अभी विधेयक प्रस्तुत किया मंत्री जी ने और उस पर संशोधन नहीं रखा गया है तो संशोधन बिना कैसे वह सदन में प्रस्तुत कर दिया गया और मतदान कराया गया ?

श्री उपाध्यक्ष—

पढ़ा था और बाद में उसे छोड़ दिया गया, मत नहीं लिया ।

(व्यवधान)

इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ की स्थापना के सम्बन्ध में जसवन्त सिंह आयोग की संस्तुति के विषय में चर्चा

(सदन के फ्लोर पर बैठे सदस्य अपने-अपने स्थानों पर चले गये ।)

श्री राम शरण दास—

मान्यवर, मैं थोड़ी दु:ख के साथ आपसे कहना चाहूंगा कि अगर इसे आप पहले ही ले लेते तो हमें यह कार्य न करना पड़ता . . . .

श्री उपाध्यक्ष—

मैं तो लेने को कह रहा था राम शरण दास जी लेकिन आपने सुना नहीं ।

(व्यवधान)

श्री राम शरण दास—

इनके एक मंत्री हैं इनका काम है लोगों का हांकना । यह वह जा रहे हैं । यह तो कंडक्टर है जो बराबर कहा करते हैं सवारियां उठो, सवारियां बैठो । यह कहते फिर रहे हैं कि क्वेरम फेल किया जाए । यदि इनका यही आचरण रहेगा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो इनके मंत्री हैं और नामी सदस्य हैं, इनको अब लेने के देने पड़ेंगे । यह हुकुम सिंह जी बैठे हैं और माथुर और कौशल जी जो आगरा के हैं चले गये और यह सईदुज्जमा हैं, यदि यह अपने क्षेत्र में जाकर जनता से कहें कि हम हाई कोर्ट की बेंच नहीं चाहते हैं, तो हम जानें । जसवन्त सिंह रिपोर्ट बहुत दिन से आई है, पड़ी है । हर बार, हर सेशन में यह कहते हैं कि यह करेंगे, वह करें । और आज तक बराबर यह टालमटोल करते आ रहे हैं । मान्यवर, आप बुलन्दशहर के रहने वाले हैं, आप जानते हैं कि आपको कैसे जनता को झेलना पड़ रहा है, आपकी कार रोकी गई होगी । वहां वकीलों का अन्दोलन चल रहा है, फलस्वरूप वहां पुलिस का राज चल रहा है । बन्दिनों की कोई जमानत कराने वाला वकील नहीं है । मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस बेशर्म सरकार को हिदायत करें कि वह तय करें कि यह इलाहाबाद हाई कोर्ट की बेंच पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दे रहे हैं । वरना वहां की स्थिति बहुत ही विस्फोटक हो गई है । पहाड़ से लेकर आगरा तक, आगरा से लेकर बरेली तक पूरा एरिया आज आन्दोलित है । उन्हें कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, कोई इंसाफ नहीं मिल रहा है । तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप उनसे कहें कि वह हमारे साथ अन्याय न करें और आज ही यहां घोषणा करें कि वह हमको कहां पर किस स्थान पर, कब से हाई कोर्ट की बेंच देंगे ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा—

मान्यवर, हाई कोर्ट की बेंच स्थापित करने के संदर्भ में भारत सरकार ने फैसला लिया था कि सस्ता सुलभ और सुगम न्याय के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट की खंड-पीठ की आवश्यकता है । जसवन्त सिंह आयोग का गठन किया गया । जसवन्त सिंह

श्री रघुवर दयाल वर्मा—

आयोग के गठन के लिए उन्होंने भारतवर्ष में छानबीन की और वह जिन नतीजों पर पहुंचे उसकी रिपोर्ट भारत सरकार को प्रस्तुत कर दी । यह मसला कई बार उठा । भारत सरकार की तरफ से कई बार बयान आया उन्होंने बार-बार यह कहा, कि हमने उत्तर प्रदेश सरकार से पूछा है खंडपीठ उत्तर प्रदेश सरकार कहां स्थापित करना चाहती है । उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी अपना अभिमत नहीं दिया है जबकि इनकी तरफ से यह कहा गया था पिछले सदन में कि भारत सरकार को अपनी संस्तुति भेज दी है । भारत सरकार के मंत्री कहते हैं कि हमें कोई संस्तुति प्राप्त नहीं हुई है । मान्यवर, हमारे आगरा मंडल और सारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की दीवानी की अदालतें, फौजदारी की अदालतों में वकील धरनों पर बैठे हैं । कानून व्यवस्था समाप्त हो गई है, आए दिन रास्ते जाम किए जा रहे हैं, आए दिन स्थिति विस्फोटक होती जा रही है जिससे हर आदमी प्रभावी हो रहा है । जसवन्त सिंह आयोग ने अपनी संस्तुति में आगरा के ऊपर काफी गहराई से जांच की है । महाराष्ट्र, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश को देखा गया है । महाराष्ट्र और राजस्थान में दो-दो जगह पीठ बनी है । उन्होंने महसूस किया है कि इलाहाबाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश से काफी दूर पड़ता है और गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोग आसानी से वहां नहीं पहुंच पाते हैं और सस्ता, सुलभ और सुगम पहुंचाने वाले न्याय में कठिनाई हो रही है इसको उन्होंने देखा है । आगरा के इतिहास के बारे में कहना चाहता हूं आगरा में मुगलकाल में हाई कोर्ट रहा है, अवध में हाई कोर्ट रहा है, उसके बाद सबको मिलाकर इलाहाबाद में हाई कोर्ट की स्थापना की गई । लखनऊ में एक बेंच स्थापित कर दी गई । इसमें मध्य उत्तर प्रदेश के जिलों को मिला दिया गया । पूर्वी उत्तर प्रदेश के अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इतने बड़े भू-भाग और मंडल के लोग सारे के सारे इलाहाबाद जाएं वहां जिस तरह से प्रक्रिया अपनाई जाती है दलाल लोग ठगते हैं, उससे न्याय मिलना बहुत मुश्किल हो गया है । आगरा के बारे में जसवंत सिंह आयोग ने लिखा है कि आगरा में एक अच्छी बार है, एक अच्छी लाइब्रेरी है और आगरा की दीवानी अदालत में इतनी जगह है कि वहां पर हाई कोर्ट की बेंच की स्थापना की जा सकती है । मान्यवर, उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय के रिटायर्ड न्यायाधीशों ने कहा है, बांचू साहब ने कहा है कि खंडपीठ के लिये, आगरा उपयुक्त स्थान है । जस्टिस अग्रवाल ने कहा है कि आगरा उपयुक्त स्थान है । इसी प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजों ने कहा है कि आगरा खंडपीठ खोलने के लिए उपयुक्त स्थान है । मान्यवर, आगरा एक ऐसी जगह है जहां पर आसानी से सभी जगहों से रेल से पहुंचा जा सकता है और बसों का भी सीधा रास्ता है । इन सारी चीजों पर जसवंत सिंह आयोग ने विस्तार से चर्चा करने के बाद यह नतीजा भारत सरकार को दिया कि आगरा में खंडपीठ खोलने की संस्तुति की जाती है । इस संस्तुति के बाद उत्तर प्रदेश सरकार को भारत सरकार को रिपोर्ट भेजनी चाहिये थी लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने उस रिपोर्ट को दबाने का काम किया है इसलिये कभी दूसरी जगह और कभी तीसरी जगह की बात की जाती है । जसवंत सिंह आयोग की मान्यता बनाये रखने के लिए, आयोग की रिपोर्ट की संसदीय मर्यादा को बनाये रखने के लिये आगरा में खंडपीठ की स्थापना की जानी चाहिये थी लेकिन हम अपने स्थान से विचलित हो गये हैं और उस रिपोर्ट के आधार पर कार्यवाही नहीं करना चाहते हैं । मेरा निवेदन है कि जसवंत सिंह आयोग की जो संस्तुतियां हैं उनको लागू करें और आगरा में खंडपीठ स्थापित करें । मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप एक तर्क बहुत जोर से देंगे, न्याय मंत्री एक तर्क देंगे कि अगर इलाहाबाद के जजेज को वहां बैठा दिया गया तो न्याय की प्रक्रिया में कमजोरी आ जायेगी । मान्यवर, जब आज जगह-जगह म्युनिसिपो की अदालतें खुल रही हैं, दीवानी की अदालतें खुल रही हैं और आगरा में इतने जजेज मौजूद हैं तब फिर कहां से निष्पक्ष न्याय

में बाधा पड़ेगी और कहां से उनके संबंधों में गलती आ जायगी यह हमारी समझ में नहीं आता है । इसलिये मैं प्रार्थना करता हूं कि आगरा में हाई कोर्ट की बेंच की स्थापना करनी चाहिये ।

*श्री राजेन्द्र शर्मा—

मान्यवर, यह पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सारे जन-मानस का प्रश्न है इसी भावना को लेकर सरकार ने आयोग का गठन किया था । मान्यवर, कुछ लोग कहते हैं कि यह वकीलों का प्रश्न है तो यह इलाहाबाद के वकीलों का प्रश्न हो सकता है । पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सारी जनता का यह प्रश्न है और गहराई से सारे मामले को देखकर, जनहित के प्रश्न को देखकर आयोग का गठन किया गया था । आयोग ने अपनी राय दी है । हमारे मंत्रिगण माननीय हुकुम सिंह, माननीय सईदुल हसन साहब ने सारे लोगों की जन भावनाओं को लेकर दिल्ली की सरकार को बताया कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की आवश्यकता को देखते हुये वहां उच्च न्यायालय की खंडपीठ बनायी जाय । मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि भारत के प्रधान मंत्री श्रद्धेय राजीव गांधी जब मेरठ गये थे तो मेरठ बार काउंसिल को आश्वासन दिया था कि बेंच की मांग जायज है । श्रीमती इंदिरा गांधी जब मेरठ गयीं थीं सन् 80 में तो उन्होंने वहां पर आश्वासन दिया था कि मेरठ में खंडपीठ की स्थापना की जायगी । स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी जो भारत के प्रधान मंत्री रहे हैं उनकी भावना थी कि मेरठ में उच्च न्यायालय की खंडपीठ स्थापित की जाय । मैं समझता हूं कि जनप्रिय सरकार सदैव वादा करती है कि जनता को सुलभ, सस्ता न्याय उपलब्ध करायेगी । भारत के प्रधान मंत्री जी की भी इच्छा है इसलिये मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि जनहित की मांग को देखते हुये मेरठ में खंडपीठ स्थापित करने की संस्तुति उत्तर प्रदेश सरकार करे । इन शब्दों के साथ, मैं आपको धन्यवाद देता हूं ।

श्री किरन पाल सिंह—

माननीय उपाध्यक्ष जी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लोगों को सस्ता, सुलभ न्याय दिलाने के लिये इलाहाबाद हाई कोर्ट की एक बेंच पश्चिमी उत्तर प्रदेश में स्थापित किये जाने की आवश्यकता बहुत लंबे समय इतना ही नहीं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश बन्द का आह्वान भी हुआ है और यहां तक कि रेलें भी रोकी गयी हैं और मेरी यह मानना है कि यदि हाई कोर्ट की बेंच की स्थापना का सवाल इस तरह से टलता रहा, तो एक दिन उत्तर प्रदेश के बंटवारे की भी मांग जनता द्वारा की जायगी । पिछले दिनों माननीय मुख्य मंत्री जी बुलन्दशहर गये थे, वहां पर हमने और वकीलों ने मिल कर उनका घेराव किया था और हाई कोर्ट बेंच की स्थापना की मांग की थी, माननीय मुख्य मंत्री जी ने यह कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर हाई कोर्ट बेंच की स्थापना की जाय । माननीय मुख्य मंत्री जी यह चाहते थे कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग हाई कोर्ट बेंच के सवाल पर आपस में बंट जायं, मेरठ के लोग मेरठ की मांग करें, आगरा के लोग आगरा की मांग करें, बुलन्दशहर के लोग बुलन्दशहर की मांग करें, देहरादून के लोग देहरादून की मांग करें । हमारे यहां बुलन्दशहर के अलावा कई जिलों के लोग भी शामिल थे, उन सभी ने कहा था कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद हाई कोर्ट की बेंच किसी भी स्थान पर स्थापित करा दी जाय । स्थान का हम लोगों में कोई भी झगड़ा नहीं है, चाहे मेरठ या बुलन्दशहर या मुजफ्फरनगर या आगरा में करा दीजिए, लेकिन सस्ता और सुलभ न्याय दिलाने के लिए आप अवश्य पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खंडपीठ की स्थापना करा

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री किरन पाल सिंह—

दीजिए । इलाहाबाद में क्यों हड़ताल करवाते हैं, लगता है कि इलाहाबाद में कुछ वकीलों के दबाव से इसकी स्थापना नहीं करवा रहे हैं । तो मैं मांग करना चाहता हूं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट की खंडपीठ की स्थापना किसी भी स्थान पर कर दी जाय । इस दौरान सुप्रीम कोर्ट को एक आदेश करना पड़ा है कि वहां के न्यायाधीश बिना वकीलों के मुकदमें को सुन सकते हैं और जमानत वगैरह ले सकते हैं । मान्यवर, किसी न किसी सूरत में बुलन्दशहर हो या कोई भी स्थान हो वहां पर इलाहाबाद हाई कोर्ट की एक खंडपीठ की स्थापना कर दी जाय । मान्यवर, हमेशा तो माननीय हुकुम सिंह जो उल्टा-सीधा जवाब देते रहे हैं, लेकिन आज माननीय रिछारिया जी जवाब देंगे, मैं समझता हूं कि वह इस सवाल का जवाब बहुत गम्भीरता से देंगे तथा निश्चित रूप से बतायेंगे कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट बेंच की स्थापना की जा रही या नहीं, यदि की जा रही है, तो कब और किस स्थान पर ।

श्रीमती पुष्पा सिंघल—

उपाध्यक्ष जी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों के वकील जनता की परेशानियों को देखते हुए हाई कोर्ट बेंच की मांग की । मुरादाबाद में भी मेरे बहुत सारे भाई और बहनें रहती हैं । जब यह खंडपीठ की मांग की गयी थी, तो उसके बहुत सारे कारण थे, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों के जो लोग हैं, वे इलाहाबाद जाते हैं और उनसे मनमाने ढंग से पैसे ठगे जाते हैं । वहां पर गलत परमानीफिकेशन भी होता है । अगर कोई राम कुमार वकील के पास जाना चाहता है, तो दूसरा वकील कहता है कि मैं राम कुमार वकील हूं । दूसरी बात यह है कि जो महिला बादकारी हैं, उनके लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट जाना ऐसा है कि बिलकुल असम्भव समझिये, यहां तक कि अपनी जमीन छोड़ देती हैं, अपने मुकदमों को नहीं लड़ती हैं और वे यह समझती हैं कि हम कैसे इलाहाबाद जायं, उनके पास न पैसा होता है और न साधन होता है । मान्यवर, मैं स्वयं वकील हूं । मैं भी इलाहाबाद की प्रोडक्ट हूं । यह न समझिये कि इलाहाबाद के लोग इलाहाबाद में ही वकील हैं, लेकिन इलाहाबाद के वकील जो यहां पर वकालत कर रहे हैं, वे केवल वेस्टर्न य0 पी0 के बल पर वकालत कर रहे हैं । इसलिए उनको आज बुरा लग रहा है कि वेस्टर्न य0 पी0 में बेंच की मांग क्यों करी जा रही है । जहां तक जस्टिस सिंह कमीशन की रिपोर्ट का सवाल उठता है वह रिपोर्ट जो आई है वह अभी तक मेरे सामने नहीं है लेकिन जैसा कि मुझे पता चला है कि इस कमीशन की रिपोर्ट में यह क्लीअर है कि इस बेंच को उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिले में खोला जाय । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन से कहना चाहती हूं कि हमारी सरकार की नीति विकेन्द्रीकरण की रही है और इसी विकेन्द्रीकरण के आधार पर हमारी जनता को सस्ता और सुलभ न्याय दिलाने के लिए पंचायत राज की स्थापना की गयी है । माननीय प्रधान मंत्री जी ने पंचायतराज की स्थापना करके यह साबित कर दिया है कि हमारी सरकार यह चाहती है कि हमारी ग्रामीण जनता को सबसे सुलभ न्याय मिले और सस्ता न्याय मिले और पास में मिले तो क्यों नहीं हाई कोर्ट के बेंच की स्थापना वेस्टर्न य0 पी0 में होगी । दूसरी बात यह कहना चाहती हूं कि मेरी यह मांग नहीं है कि किस जिले में बने लेकिन तर्क का यह विषय है कि जो भी डिस्ट्रिक्ट ऐसा हो जिससे सभी जिलों को फायदा पहुंचे जो भी सेन्टर में आता हो, 14-15 जिले हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उसमें सेन्टर में जो जिला हो उसमें खोल दिया जाय वैसे हमारी सरकार यह देखे कि किस तरह से हमारे यहां के वकीलों की हड़ताल के कारण, मुन्शी और स्टाम्प वेन्डर, और जनता के लोगों को दिक्कतें हो रही

हैं । जो क्रिमिनल हैं जो जेलों में पड़े हैं उनको कितने-कितने दिन जेलों में पड़े हो गये लेकिन अदालतों में ताले पड़े हुए हैं, हड़ताल चल रही है कोई भी ऐसा जवाब हमें नहीं मिल पा रहा है कि सरकार बेंच खोलेगी या नहीं खोलेगी । सारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के वकील बीच में लटके हुए हैं । मैं माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करती हूं कि वह कोई न कोई ऐसा उत्तर हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के वकीलों को दें जिससे उन्हें आश्वासन मिले कि बेंच खुलेगी अवश्य खुलेगी आज खुले या कल खुलेगी जरूर धन्यवाद ।

(कई माननीय सदस्यों द्वारा बोलने के लिए खड़े होने पर)

श्री विजय सिंह राणा—

मान्यवर, पूर्व में तो दो-दो खुली हुई हैं इलाहाबाद में और लखनऊ में । अब पश्चिम की ही बात है आप इनको ही सुनिये बदन सिंह जी को ।

श्री बदन सिंह—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पश्चिम उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद हाई कोर्ट के खंड-पीठ की मांग बहुत लम्बे अर्से से चली आ रही है । मान्यवर, इस मांग को देखते हुए केन्द्र सरकार को जसवन्त सिंह आयोग का गठन करना पड़ा और जसवन्त सिंह आयोग ने अपनी संस्तुति आगरा में खंडपीठ खोलने के लिए की है । इस आयोग ने यह संस्तुति बहुत सोच समझकर किया है क्योंकि आगरा में पहले हाई कोर्ट रहा है 1857 में जब गदर हुआ जिसको भारतवर्ष का प्रथम स्वतंत्रता युद्ध कहते हैं उसमें आगरा की जनता की महत्वपूर्ण भूमिका होने के कारण अंग्रेजों ने नाराज होकर हाई कोर्ट आदि वहां के कार्यालय हटा दिये और इलाहाबाद में उसकी स्थापना कर दी गयी । मान्यवर, इसी हाई कोर्ट के इतिहास को जसवन्त सिंह आयोग ने देखा कि हाई कोर्ट पहले आगरा में स्थापित हो चुका है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आगरा ही ऐसा स्थान है जहां से उसका निवारण हो सकता है । आगरा मण्डल, मेरठ मण्डल और गढ़वाल मण्डल के 18 जिलों के लिये आगरा सर्वाधिक उचित स्थान हाई कोर्ट की पीठ के लिये समझा गया और मान्यवर, केन्द्रीय सरकार उत्तर प्रदेश सरकार की राय पर यह छोड़े हुए है कि उत्तर प्रदेश सरकार अपनी राय दे कि कौन से स्थान पर खंडपीठ होनी चाहिये । यह सरकार मुख्य न्यायाधीश की राय की प्रतीक्षा में अब तक अनावश्यक समय खर्च कर रही है और इसमें अनावश्यक विलम्ब होने के कारण ही इलाहाबाद के वकीलों ने जो हड़ताल चला रखी है, वह जनता की भावनाओं के अनुकूल नहीं है । वह व्यक्तिगत स्वार्थसिद्धि के लिये काउन्टर हड़ताल चला रखी है । जनता की भावना के अनुकूल जो आन्दोलन हो रहा है, सत्याग्रह हो रहा है, वह आगरा की जनता कर रही है और आगरा में 4 माह से दीवानी, फौजदारी और कोई भी अदालत नहीं खुली है । जन-सभाएं हो रही हैं, रास्ते जाम हो रहे हैं, अदालतों में ताला पड़ा है और वादकारियों को उचित न्याय के लिये भारी कष्ट उठाना पड़ रहा है । यदि इस समय जनता की भावना को नहीं समझा गया तो आगरा के आस-पास की जनता अब तक जिस धैर्य को बांधे है उसका समुद्र टूट जायगा और किसी भी प्रकार की क्रांति करने के लिये जनता तैयार रहेगी । मैं आपके माध्यम से सरकार को बताना चाहता हूं कि सरकार ने जो टालमटोल की नीति अपनाई है, तो आपके पास कोई जवाब नहीं है । जसवन्त सिंह आयोग की साफ संस्तुति के बावजूद आगरा में हाई कोर्ट की बेंच की स्थापना होनी चाहिये । इस प्रकार के आन्दोलन आगरा की जनता तब तक करती रहेगी, जब तक हाई कोर्ट की आगरा में स्थापना नहीं हो जाती । वहां के लोग चुपचाप बैठने वाले नहीं हैं ।

*श्रम मंत्री (सैय्यद सईदुल हसन)—

मान्यवर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता, किसानों और वकीलों की बहुत अरसे से ख्वाहिश है कि उनको सस्ता न्याय मिले और एश्चिमी जिलों में हाई कोर्ट खोला जाय। सन् 80 के बाद जब श्रीमती इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बनीं, उन्होंने इस पर बहुत संजीदगी से गौर किया और जो वकीलों का डेपुटेशन उनसे मिला, उसके बाद उन्होंने कमीशन मुकर्रर किया। उसने गौर किया कि 6 डिवीजन हैं—गढ़वाल, कुमाऊं, मुरादाबाद, बरेली, आगरा और मेरठ। चूंकि अवध के लिये बार लखनऊ बेंच है, उन्होंने बहुत संजीदगी से विचार करने के बाद रिपोर्ट पेश की। पश्चिमी बार एसोसियेशन के वकील मुख्य मंत्री जी से मिले और बुलन्दशहर के वकील भी उनसे मिले। उन्होंने कहा कि बहुत संजीदगी से गौर कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि कोई माकूल जगह निकल जाय ताकि सभी छः डिवीजन एकोमोडेट किये जा सकें। बेंच कहीं भी बने लेकिन मुख्य मंत्री जी ने बताया कि इस पर बहुत संजीदगी से गौर कर रहे हैं और यह जरूर रही है कि एक बात अर्ज करूंगा कि पश्चिमी जिलों की जो भावना थी, बुलन्दशहर के जो चीफ मिनिस्टर थे, बनारसी दास जी, उस समय बहुत वकीलों ने कहा उस समय प्रधान मंत्री थे चौधरी चरण सिंह, उनसे भी कहा, लेकिन जनता पार्टी के जमाने में न उस समय मुख्य मंत्री बनारसी दास जी ने गौर किया न चौधरी चरण सिंह ने गौर किया। मुझे खुशी है कि नारायण दत्त तिवारी साहब, मुख्य मंत्री उत्तर प्रदेश और मा0 राजीव गांधी बहुत बड़े हमदर्द हैं कि कोई फैसला बहुत जल्दी होगा। मैं आपके माध्यम से दरख्वास्त करूंगा मैंने मुख्य मंत्री जी से भी अर्ज किया था कि इसका फैसला जल्दी हो। मुझे खुशी है कि मुख्य मंत्री जी ने बुलंदशहर के बार एसोसियेशन का चेम्बर बनवाने के लिये 25 लाख रु0 दिये ताकि अच्छे चेम्बर बन सके। और साथियों की इस राय से इतफाक करता हूं कि यह फैसला जल्दी हो और कोई बीच में सुटेबिल जगह मुकर्रर कर दी जाय।

श्री चन्द्र भान मौर्य—

मान्यवर, पिछले कुछ वर्षों से आगरा मण्डल में ही नहीं अपितु सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में वकीलों में और वहां की जनता में जो आक्रोश और असंतोष व्याप्त है और यह मसला पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता में विशेष रूप से आगरा की जनता में जो प्रतिष्ठा का सवाल बनकर रह गया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता ने पिछले 40 वर्षों में भारी से भारी तकलीफ बर्दाश्त करके पूर्वी उत्तर प्रदेश की खुशहाली को स्वीकार किया है लेकिन अब जनता की प्रतिष्ठा का साल बन गया है न्याय के मामले पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता अपनी बर्बादी बर्दाश्त किसी भी कीमत पर करने के लिये तैयार नहीं है। मान्यवर, मुझे एक छोटा सा शेर याद आ गया है जिसे मैं यहां पर कहना चाहता हूं।

"हम तो लुट गये मोहब्बत पर तुम्हारी

मगर तुमने यह भी न पूछा कि तमन्ना क्या थी ?"

40 वर्ष की आजादी के बाद चाहे जो विकास की समस्या रही हो उत्तर प्रदेश की सरकार ने हमेशा पश्चिमी उत्तर प्रदेश की घोर उपेक्षा की है। इस हाई कोर्ट बेंच की स्थापना का प्रश्न हमारे सम्पूर्ण आगरा में प्रतिष्ठा का मामला बन गया है जनता ने यह निर्णय लिया है कि जब तक आगरे में हाई कोर्ट की बेंच की स्थापना नहीं हो जाती, हम लोग संघर्ष करते रहेंगे। आगरा मण्डल ही नहीं सम्पूर्ण पश्चिम उत्तर प्रदेश की जनता भी यही चाहती है की इसकी स्थापना जल्दी हो ताकि सस्ता न्याय और शीघ्र न्याय सुलभ हो सके।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सरकार बहुत ढिंढोरा पिटती है कि हम सस्ता न्याय सुलभ करायेंगे लेकिन इस प्रश्न पर निर्णय लेकर वह अपने ही बात से पीछे हट रही है । मान्यवर, इसकी शीघ्र स्थापना, बेंच की, होनी चाहिये ।

श्री उपाध्यक्ष—

अब आप बैठें । मैंने विद्यार्थी जी को बुलवा लिया है ।

*श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी—

मान्यवर, हाई कोर्ट की बेंच की स्थापना के प्रश्न पर चल रही चर्चा में जो आपने मुझे भाग लेने का अवसर दिया उसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं । मान्यवर, इलाहाबाद का हाई कोर्ट राष्ट्रीय एकता और अखंडता का प्रतीक है और किसी भी राष्ट्रीय और ऐतिहासिक महत्व की चीज को मताधिकार या चुनाव चिन्ह आदि द्वारा उसमें परिवर्तन लाने की बात सोचना हमारे देश और प्रदेश के हित में नहीं है । मैं जानता हूं कि इसमें 75 प्रतिशत लोग ऐसे हैं जो लोग बेचारे सोच रहे हैं कि पीश्चम के वकील लोग अगर मेरे क्षेत्र में चुनाव हुआ तो किसका समर्थन करेंगे अगर उनके क्षेत्र में चुनाव हुआ तो किसका समर्थन करेंगे केवल मात्र इसकी बात है । मान्यवर, हाई कोर्ट की बेंच का जो मामला है, आगरा के ताजमहल ने जैसे अपना अस्तित्व कायम किया है उसी तरह से हाई कोर्ट का मामला है । मान्यवर, इलाहाबाद को कुछ नहीं मिला, इलाहाबाद ने देश के लिये बहुत कुछ दिया, इलाहाबाद ने राष्ट्रीय लड़ाइयां लड़ी है, संघर्ष किया है । स्व0 प्रधान मंत्री जवाहर लाल नेहरू और स्व0 श्रीमती इंदिरा गांधी इलाहाबाद की देन हैं । मान्यवर, मैं इतना कहना चाहूंगा कि अगर ताजमहल को आगरा के अलावा कहीं और भी स्थापित कर दिया जाय तो क्या उसका वही महत्व होगा ? बद्री नाथ केदार नाथ के दर्शन के लिये लोग दूर-दूर से वहां जाते हैं अगर बद्री नाथ और केदार नाथ जी को उठाकर उनके पास कर दिया जाय तो क्या उसका वह महत्व होगा ? मान्यवर, पीश्चमी क्षेत्र से 50 प्रतिशत वकील इलाहाबाद में है । अगर उन वकीलों से पूछा जाय तो वह इलाहाबाद में ही रहना पसंद करेंगे । मैं सोचता हूं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट को तोड़ना इस प्रदेश को तोड़ने के समान होगा, इसलिये किसी भी खंडपीठ को स्थापित किये जाने की कोई आवश्यकता नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष—

विद्यार्थी जी अब समाप्त करें, आपका कुछ नहीं लिखा जायगा, मैंने पाण्डेय जी को बुला लिया है ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे हाई कोर्ट बेंच के विषय में अपने विचार व्यक्त करने का मौका दिया, और चूंकि यह नवीं विधान सभा का अन्तिम सत्र है, इसलिये मैं आपका आभार प्रकट करता हूं । मान्यवर, एक कल्याणकारी राज्य में यह कल्पना की जाती है कि न्याय सुलभ और सस्ता हो तथा शीघ्र मिले, इसको ध्यान में रखकर न्यायालयों की स्थापना होनी चाहिये । मेरे आगरे के भाई लोग काफी दिनों से रियाज मार रहे थे कि उनके यहां खंडपीठ बने, मैं उसका विरोधी नहीं हूं । आगरे में वारेन हेस्टिंग्ज के टाइम में अंग्रेजों ने जब न्याय प्रक्रिया स्थापित की थी, तो वहां उनका न्यायालय था । अगर मुझे याद होगा, तो माननीय पंडित जवाहर लाल नेहरू के पिता जी ने भी कुछ दिन आगरे में वकालत

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

की थी, बाद में जब बेंच इलाहाबाद चली आयी, तो वह इलाहाबाद आ गये । मैं आगरे का विरोधी नहीं हूं, लेकिन आपके माध्यम से इस सरकार को सुझाव देना चाहता हूं कि एक तरफ तो आप नारा लगाते हैं कि "न्याय द्वार पर" और इसके लिये आप दरवाजे-दरवाजे लोक अदालतें लगाते हैं । मैं कहना चाहता हूं कि हाई कोर्ट की बेंच केन्द्रित करने से न्याय सुलभ नहीं होगा, बल्कि न्याय महंगा होगा । मेरा सुझाव है कि हाई कोर्ट की बेंच को विकेन्द्रित कीरये और प्रत्येक मंडलों में मंडल स्तर पर बेंच स्थापित करिये, जिसमें यह व्यवस्था कर दी जाय, कि क्रिमिनल और सिविल के मुकदमे रिवीजन के रूप में वह देखेंगे तथा संवैधानिक मामलों को इलाहाबाद बेंच के सामने रखा जाय, जिसमें संवैधानिक प्रश्न उपस्थित हों । एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की कल्पना जो हमारे संविधान निर्माताओं ने की थी, तभी वह अपने आप में फलीभूत होगी, अन्यथा खण्डपीठ के लखनऊ या मेरठ में बनने से न्याय सुलभ और सस्ता नहीं होगा । इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

श्री प्रदीप माथुर—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि यह जो हमारे विपक्ष के भाई मांग कर रहे हैं, उसके संबंध में हमारे प्रधान मंत्री जी बहुत पहले ही कह चुके हैं और हमारी सरकार की यह साफ मंशा है कि गरीबों को सस्ता न्याय प्रदान हो सके । हमारी मरहूम नेता श्रीमती इन्दिरा गांधी जी की अनुमति से हाई कोर्ट बेंच के संबंध में जसवन्त सिंह आयोग बिठाया गया था और उस आयोग ने यह संस्तुति की कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहीं खंडपीठ की स्थापना हो । हमारे श्रम मंत्री जी ने भी अभी यह कहा कि चाहे मेरठ में खंडपीठ स्थापित हो, चाहे आगरे में हो, या मुरादाबाद में हो, लेकिन खंड-पीठ की स्थापना जरूर होगी । मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि खंडपीठ की स्थापना आगरे में ही करवाने की केन्द्र सरकार से वह संस्तुति करें, जिससे उत्तर प्रदेश के लोगों को सस्ता और सुलभ न्याय मिल सके ।

*श्री प्रवीण कुमार शर्मा—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे इस विषय पर बोलने का अवसर दिया । बहुत मुक्तसर तौर पर मैं केवल तीन बातें रखना चाहता हूं । एक बात तो यह कि न्याय को सुलभ होना चाहिये और साथ ही साथ सस्ता भी होना चाहिये । दूसरे हाई कोर्ट की बेंच एक ही जगह होने से वहां मुकदमों की तादाद इतनी बढ़ गयी है कि वहां पर लाखों की संख्या में मुकदमें हो गये हैं, जैसा कि मुझे बतलाया गया है कि इतने अधिक मुकदमें लम्बित पड़े हुये हैं, जिन पर सुनवाई नहीं हो पा रही है । काम बहुत ज्यादा है, इस दिशा में मैं दो सुझाव देना चाहता हूं ताकि काम का बोझा कम हो सके और सस्ता व सुलभ न्याय मिल सके । पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जैसे कि मांग है कि वहां पर खंड-पीठ की स्थापना होनी चाहिए ताकि न्याय सस्ता व सुलभ हो सके, इसलिए मैं भी चाहता हूं कि वहां पर होनी चाहिए । दूसरा बोझा कम करने के लिए हाई कोर्ट में जजों के जो स्थान रिक्त पड़े हुए हैं, उनको भरा जाना चाहिए । धन्यवाद ।

*श्री महमूदूल हसन अन्सारी—

माननीय उपाध्यक्ष जी, आपने मुझे हाई कोर्ट बेंच की स्थापना के बारे में बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं । हाई कोर्ट बेंच की सहूलियात

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

को देखते हुए और इन्साफ को देखते हुए, मैं इलाहाबाद की मुखालिफत नहीं करता हूं मुजफ्फरनगर, सहारनपुर व बिजनौर के लोगों को इलाहाबाद जाना पड़ता है, जिससे वहां के वकील भी परेशान हो जाते हैं, हमारी सरकार ने यह यकीन दिलाया है कि इस संबंध में वह सोच रही है । हम इस पर गौर करेंगे कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खंडपीठ की स्थापना हो । स्व0 प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी हमारे मौजूदा प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी हमारे माननीय मुख्य मंत्री श्री नारायण दत्त तिवारी जी ने भी यह यकीन दिलाया है कि इस प्रदेश में हम खंडपीठ को कायम करगे । इलाहाबाद में बहुत ज्यादा वकील हैं, मैं कहता हूं कि हम उन वकीलों को अपने यहां बुला लेंगे । जहां पश्चिमी उत्तर प्रदेश में स्थापना की बात है, मैं कहना चाहता हूं कि इसे बिजनौर में स्थापित किया जाय, बिजनौर एक बहुत अच्छी जगह है । वहां पर इमारत बनी हुई है, इसलिए मैं पुनः कहना चाहता हूं कि बिजनौर में इसकी स्थापना होनी चाहिए ।

*श्री सतीश चन्द—

माननीय उपाध्यक्ष जी मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खंडपीठ की स्थापना जैसे महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया । जशवन्त सिंह आयोग ने पूरी तरह से इस पर विचार किया अब यदि इस आयोग की सिफारिशों व संस्तुतियों को नजरन्दाज किया जाता है तो बहुत ही अनुचित है । इस पर जशवन्त सिंह आयोग ने गम्भीरता से विचार किया है कि खण्डपीठ की स्थापना होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए । आज यह बात साफ हो गई है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सुलभ न्याय दिलवाना है तो उसके लिए एक खण्डपीठ की स्थापना होनी चाहिए । फिर रही स्थल चयन की बात तो वह आयोग विभिन्न स्थलों पर गया तो उसने खण्डपीठ की स्थापना के लिए सारी बुनियादी बातें देखी, इन्फ्रास्ट्रक्चर को देखा और उसकी लोकेशन इम्पार्टेन्स को देखा, इन सबको देखने के बाद उसने निर्णय लिया कि आगरा ही इसके लिए सबसे उचित स्थान है जहां इस खण्डपीठ की स्थापना होनी चाहिए । आज आवश्यक यह है कि जशवन्त सिंह आयोग की जो सिफारिशें हैं, उसको मूर्त रूप दें, उनका आदर करें और जल्दी से जल्दी उसे कार्यान्वित करें ।

*श्री लोकेन्द्र दत्त सकलानी—

मान्यवर, उच्च न्यायालय की खण्डपीठ की स्थापना के विषय पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया । मान्यवर, मैं पर्वतीय क्षेत्र का विधायक हूं । मैंने बहुत लम्बे समय तक वहां पर वकालत की है और कई मामलों को लेकर इलाहाबाद भी गया हूं । मैंने देखा है कि पर्वतीय क्षेत्र के जो गरीब लोग हैं, बेसहारा हैं, किस तरह से दलाल उनको लूटते हैं, ट्रेन में व रिक्शों पर उनको लूटते हैं । यह सही है कि इलाहाबाद की अपनी एक परम्परा है । हमारी स्व0 प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा जी ने जशवन्त सिंह आयोग की स्थापना की थी । यह आयोग हमारे पर्वतीय क्षेत्र में भी आया । वहां के तमाम वकीलों ने यह राय दी कि पर्वतीय क्षेत्र में हाई कोर्ट की एक बेंच देहरादून में स्थापित की जाय । मान्यवर, एक चीज मैं कहना चाहता हूं । बड़े अफसोस की बात है कि 42 साल हो गये आजादी मिले हुए, अभी भी पर्वतीय क्षेत्रों को न्याय के लिये इलाहाबाद से जोड़ा हुआ है । मेरी मांग है कि पर्वतीय क्षेत्रों को लखनऊ बेंच से जोड़ दिया जाय । इलाहाबाद जाने के लिये एक व्यक्ति को जो समय और पैसा बर्बाद करना पड़ता है, यदि लखनऊ से जोड़ दिया जाता तो उन लोगों को बहुत सुविधा हो जाती । जब तक पश्चिम क्षेत्र में खंडपीठ की स्थापना न हो तब तक पर्वतीय क्षेत्रों को लखनऊ बेंच से जोड़ दिया जाय ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

(समय 1 बजकर 10 मिनट)

*श्री फूल सिंह सौदाई—

जहां देश को स्वतंत्रता और गणतन्त्र की आवश्यकता है, वहीं उसे सस्ते और सुलभ न्याय की उससे भी ज्यादा आवश्यकता है । मैं वकील भी हूं । जो गरीब आदमी है, उसको इलाहाबाद से न्याय नहीं दिला सकता और गरीब आदमी अपने अधिकारों को प्राप्त नहीं कर सकता है बल्कि वह अन्याय को सहने पर मजबूर हो जाता है । गरीबों को सस्ता और सुलभ न्याय दिलाने के लिये मेरठ मण्डल में हाई कोर्ट की बेंच का खुलना न्यायिक और मानवता के दृष्टिकोण से बहुत जरूरी है ।

श्री हरदेव—

मान्यवर, जो चर्चा चल रही है । हम इस बात को जानते हैं माननीय सदस्यों ने एक निर्धारित रूप से कोई निर्णय अभी तक नहीं लिया है । कोई सहारनपुर में कहता है, कोई आगरा में कहता है, कोई बिजनौर में कहता है, कोई मेरठ में कहता है । यह तो तमाशा हो गया है कि एक ही राज्य उत्तर प्रदेश में अनेक स्थानों पर हाई कोर्ट नया या दूसरा कसे बनेगा ?

श्री उपाध्यक्ष—

बीलया कोई नहीं कह रहा है ।

(हंसी)

श्री हरदेव—

मैं बधाई दूंगा प्रधान मंत्री जी को कि वह जनता को न्याय दिलाने के लिये इंतजार 20 वर्षों तक अब नहीं करेंगे, वह इस ओर काम कर रहे हैं कि न्याय पीड़ित लोगों को सस्ता और समय से मिलें । न्यायालय या हाई कोर्ट अधिक बढ़ाने से कल्याण लोगों का होने वाला नहीं है । न्याय समय से मिले, सस्ता मिले, पेशा समझकर, बिजनेस समझकर न्यायालय में काम करने वाले सरकारी वकीलों से मुझे शिकायत है कि गरीबों का शोषण रोका जाय । समय बद्ध न्याय दिया जाय, हाई कोर्ट इलाहाबाद रिजर्व रखा जाय । जब तक इसका कोई विशेष समाधान न निकले, हाई कोर्ट हमारे प्रदेश का इलाहाबाद में भी रहेगा इलाहाबाद हमारे प्रदेश का एक उच्च सांस्कृतिक और सभ्यता और भारतीय संस्कृति के अनुकूल सुरक्षित महत्वपूर्ण स्थान है । मैं कहूंगा सरकारी वकील को नामित करने की आवश्यकता ही नहीं है । महिलाओं को न्यायाधीश बनाया जाय, उनको मौका दिया जाय । महिलाओं के उत्पीड़न के मामले में महिलायें ही न्यायाधीश व वकील हों । अपराध की किस्म के अनुसार समयबद्ध शीघ्र न्याय कर दिया जाय, मान्यवर, एक बात और कह कर बात समाप्त कर दूसरे कि न्याय पालिकाओं को धनी बनाया जाय । जजों की सुरक्षा सुविधा देकर गरीबों को सस्ती न्याय दिलाई जाय ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री उपाध्यक्ष—

हरदेव जी । यह कानूनी मामला है, जितनी राय आपने दे दी, उतनी ही बहुत है ।

(हंसी)

श्री काजी कलीमुर्रहमान—

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे समय दिया । ज्यादा समय नहीं है लेकिन मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करूंगा कि पूर्वांचल के लोग भी खण्डपीठ की स्थापना के लिये मांग करेंगे । यदि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खण्डपीठ की स्थापना की जाती है । पूर्वान्चल में आजमगढ़, बस्ती तथा गोरखपुर तथा अन्य जिलों की जनता द्वारा न्यायालय की स्थापना की मांग हो सकती है । एक बात की मुझे आशंका है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिये जसवन्त सिंह आयोग की रिपोर्ट के निर्णय के अनुसार उच्च न्यायालय की खण्डपीठ की तो स्थापना होगी ही लेकिन इसकी देखा-देखी पहाड़ के लोग और पूर्वान्चल के लोग भी इसकी मांग को रखेंगे कि उनको भी सस्ता और सुलभ न्याय मिलना चाहिये और इसके लिये उनके यहां भी खण्डपीठ की स्थापना की जानी चाहिये । अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय की खण्डपीठ की स्थापना होती है तो मुझे कोई एतराज नही है लेकिन इस आशंका को भी आप ध्यान में रखें कि निश्चित रूप से आजमगढ़ के लोग इस मांग को रखेंगे ।

*श्री राम सकल तिवारी—

माननीय उपाध्यक्ष जी, आपने मुझे एक मिनट का समय दिया है, आभारी हूं । अभी मैंने सब बातें सुनी, इसमें एक ही फायदे की बात है कि सस्ते और सुलभ न्याय की बात कही गयी है । यह सही है कि जसवन्त सिंह आयोग की रिपोर्ट के आधार पर आप जो कुछ करना चाहेंगे, करेंगे, लेकिन यह बात भी काबिले गौर है कि उच्च न्यायालय की खण्डपीठ पहले आगरा से हटाकर इलाहाबाद क्यों की गयी इसके पीछे भी कोई न कोई कारण रहा जरूर होगा । लेकिन अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खण्डपीठ की स्थापना की मांग की जा रही है । मैं कहना चाहता हूं कि प्रदेश के सबसे बड़ा मण्डल गोरखपुर मण्डल है जिसकी आबादी 1 करोड़ 75 लाख की है, वहां भी हाई कोर्ट की बेन्च की स्थापना की जानी चाहिये ताकि वहां के लोगों को भी सस्ता और सुलभ न्याय प्राप्त हो सके ।

*श्री यदुनाथ सिंह—

मान्यवर, इलाहाबाद में हमारा एक चुनाव याचिका रहा । मैं पहले मुगलसराय से लड़ा था वहां पर मैं 428 वोट से हार गया था । इलाहाबाद हाई कोर्ट में प्रदर्शन हुआ । यह कोई नयी बात नहीं है, जसवन्त सिंह आयोग की रिपोर्ट में है कि आगरा में हाई कोर्ट बने । जब जवाहर लाल नेहरू देश के प्रधान मंत्री हुए तो इलाहाबाद में हाई कोर्ट स्थापित हुआ । अगर हम प्रधान मंत्री हो जायं तो क्या इलाहाबाद से आगरा में उच्च न्यायालय कर देंगे ? मा0 माता प्रसाद पाण्डेय ने कहा कि पं0 मोती लाल नेहरू ने आगरा में प्रैक्टिस की और जवाहर लाल नेहरू ने इलाहाबाद में, यह सस्ता और सुलभ न्याय देने की बात है ? इस तरह से मैं निश्चित रूप से कहता हूं कि गोरखपुर में हाई कोर्ट बनाने की जरूरत है । पश्चिम में भी आगरा या मेरठ में भी हाई कोर्ट बनाने की जरूरत है इसलिये जसवन्त सिंह आयोग की रिपोर्ट की संस्तुति को लागू किया जाय ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री लाल प्रताप सिंह—

मान्यवर, मैं अपनी बात को एक मिनट में ही खत्म करूंगा मैं भी एक वकील हूं और सन् 54 से प्रैक्टिस कर रहा हूं और जहां तक मैं जानता हूं कि भाई किरनपाल सिंह जी भी एक वकील हैं, इसलिए इस मुद्दे पर मैं बड़ी गम्भीरतापूर्वक कहना चाहता हूं कि वकालत का ही एक ऐसा पेशा है, जिसमें हम भारतीयों को इन्डिपेंडेंटली अपनी प्रतिभा को दिखाने का अवसर मिलता है, पहले भी वकील थे, जिनके हम लोग जूनियर्स रहे हैं, वह इस पेशे में एक साक्षात्कार देवता थे, जिनके अण्डर में रहकर हम लोग शिक्षा ग्रहण करते थे और काम को सीखते थे । लेकिन मान्यवर अब यह पेशा कोलैप्स कर रहा है और इस वक्त के एक वकील की वकालत को देखकर सहज ही ऐसा लगता है कि अब यह पेशा वह पेशा नहीं रह गया है, इसका किरदार काफी गिरा है, दिन पर दिन इसका किरदार गिरता और मिटता ही जा रहा है । किसी भी वकील को स्ट्राईक करने की क्या आवश्यकता है क्या वह किसी सरकारी विभाग व मुलाजिम है, इम्पलाई है, आज छोटी-छोटी बातों पर भी हम क्या इंसाफ कर रहे हैं, 10 से 4 बजे तक आकर आज हम जनता की क्या सेवा कर रहे हैं, यह पेशा एक प्रोफेशन मात्र ही बनता जा रहा है और आज सारे भगड़े "इकनामिक" है इसके सिवाए और कुछ नहीं है । लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में है तो वहां पर आकर देश व प्रदेशों के सभी लोग इकट्ठे होते हैं और उससे एक नया कल्चर पैदा होता है . . . . . .।

श्री उपाध्यक्ष—

अब आप समाप्त करें ।

श्री लाल प्रताप सिंह—

इसलिए अंत में मेरा यही सुझाव है कि वकीलों के किरदार में जो दिन पर दिन कमी आती जा रही है, उसे खत्म करें और इस सेवा को और अधिक उपयोगी बनाएं . .

(शोर)

श्री विजय सिंह राणा—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय आपने मुझे इस विषय पर जो बोलने के लिए आमंत्रित किया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं, परन्तु आज मेरा गला कुछ खराब है, इसीलिए यदि कोई बात स्पष्ट सुनाई न दे तो उसके लिए क्षमा चाहूंगा ।

मान्यवर यह आगरा के हाई कोर्ट से संबंधित जो मामला मैंने उठाया है, इसके पीछे ऐसी कोई बात नहीं है कि इसमें मेरा कोई निजी स्वार्थ, या निजी लाभ निहित है, बल्कि यह एक जाएज मांग है और उन जाएज बातों पर मैं चाहता हूं कि शासन कम से कम इन पर गम्भीरता से विचार करे । सबसे बड़ी बात जो यहां है वह यह कि आज 4 माह से आगरा की पूरी कमिश्नरी बन्द है, न दिवानी न कलेक्ट्रेट कुछ भी खुल नहीं रहा है, तो जहां की जनता न्याय के लिए 4 माह से अपने-अपने घरों से दौड़-भाग कर किसी प्रकार से आती हो, और उसे वहां पर ताले लगे मिलते हों तो आप लोग स्वयं ही बताएं, यहां पर माननीय सिंचाई मंत्री जी, न्याय मंत्री तथा मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी सभी लोग बैठे हैं, जो बहुत ही बुद्धिमान लोग भी हैं, आप लोग स्वयं ही सोच-समझ कर बताएं कि क्या यह उचित है कि जिस स्थान के लोग न्याय प्राप्ति के लिए 4 माह से दौड़ रहे हों, और वह बगैर न्याय के वापस लौट रहे हों, उन पर क्या बीतती होगी, आप लोग स्वयं ही बताएं . .

श्री लाल प्रताप सिंह—

यह स्थिति आपके यहां की ही नहीं है, यह स्थिति तो पूरे प्रदेश की है, यही व्यवस्था आज हर जगह जारी है ।

श्री विजय सिंह राणा—

मान्यवर, माननीय लाल प्रताप सिंह जी ने तो हमारी ही बातों पर बल दिया है । सचमुच पूर प्रदेश का स्थिति यही है और आज मामला और मामला क्या है । और मामला क्या है । मामला यह है कि हाइ कोर्ट की आवश्यकता क्यो हुइ, इस पर विभिन्न वक्ताओं ने अपने तक प्रस्तुत किये है और उन तर्कों को मैं दुहराना नहीं चाहता हूं । मान्यवर, सरकार ने जब अपने आप को यह पाया कि पाश्चमी उत्तर प्रदेश में हाइ कोर्ट बेंच की आवश्यकता है, तो केन्द्र सरकार को लिखा और केन्द्र सरकार ने एक आयोग का गठन कर दिया । इसका मतलब है कि प्रदेश और केन्द्र की सरकारों ने इसको स्वीकार किया है । अब प्रश्न केवल यह है कि जब आयोग गाठत हो गया, तो जो उसकी सिफारिशे है, उनको सरकार क्यों नही लागू करती है । पूरे प्रदेश में स्थिति यह है कि उनको आज तक लागू क्यों नही किया गया है । मान्यवर, चाहे इलाहाबाद के वकील हड़ताल करते हों, यह और किसी जगह के वकील हड़ताल करते हों, वह तब तक करते रहेंगे जब तक उनको यह पता नहीं हो जायेगा कि हाई कोर्ट की बेंच की स्थापना हुई है या नहीं । सरकार के पास प्रबल तर्क है कि आयोग ने जो सिफारिश किया है, उसी के अनुसार कार्य कर रहे है, हम अपनी ओर से कोई निर्णय नहीं ले रहे है, तो यह तर्क सरकार के पास है । मान्यवर, जसवन्त सिंह आयोग ने उन सभी पहलुओं पर विचार कर चुका है, जिन पर हम आज तर्क दे रहे है । इन सभी बातों पर आयोग ने गहराई से विचार किया है । मैं आयोग की चार लाइने पढ़े दे रहा हूं, उससे ही सारी चीजें मालूम हो जायेगी कि आयोग ने कितनी गम्भीरता से विचार किया है और अपने तर्क रखें है ।

इन दी कोर्स आफ अवर स्टडी टूर, वी रिकार्डेड दी स्टेटमेन्ट्स आफ ए होस्ट आफ इनडीविजुअल्स इन्क्लुडिंग स्टेट मिनिस्टर एम0 पीज0 स्टेट लेजिसलेचर्स, जजेज जूरिस्ट, पब्लिक लीडर्स आपरेटिंग इन पोलिटिकल, सोसल एण्ड रीलिजियस फील्ड्स, रिप्रेजेन्टेटिक्स आफ वेरियस आर्गेनाइजेशन्स एण्ड एसोसिएसन्स, इमीनेन्ट लायर्स प्रामिनेन्ट सीटोजन्स, जर्नलिस्ट बिजनेसमैन एण्ड अदर्स बिलान्गिंग टू दी इन्टायर क्रास-सेक्शन आफ सोसाइटी । उन्होंने कोई एसी चीज नहीं छोड़ी जिसे डील म किया हो । आयोग ने कोई भी कहीं पर गुन्जाइश नहीं छोड़ी है, तो सरकार को उन सिफारिशों को मान लेना चाहिए । इसमें कोई हर्जा नहीं है । आयोग ने लिखा है कि इलाहाबाद में 50-60 जजों के कमरे है, वकील का उनमें आने जाने में बहुत सा समय नष्ट हो जाता है और वह अपने क्लाइन्ट का कार्य ठीक से नहीं कर पाता है । मान्यवर, इलाहाबाद में एक लाख से अधिक केसेस पेंडिंग है और जो चार साल से चल रहे है, उनमें 60 प्रतिशत मामले पश्चिमी उत्तर प्रदेश के है । न्याय के लिए 4 साल तक जनता हाई कोर्ट के दरवाजे खटखटाती है । इलाहाबाद पंडित जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी की पैदाइश है। यदि उनकी जन्मभूमि होने से इलाहाबाद में हाई कोर्ट हो सकती है तो उनके एक के पिताजी और दूसरे के दादाजी पं0 मोतीलाल नेहरू आगरा में पैदा हुये थे इसलिये वहां हाई कोर्ट होना चाहिये ।

श्री अफसर यू0 अहमद—

माननीय उपाध्यक्ष जी सदन में चल रही चर्चा पर बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं । सस्ता और सुलभ न्याय मिलना चाहिये इसका मैं पक्षधर हूं । लेकिन पश्चिम जिलों के विधायकों से गुंजाइश करूंगा कि यदि सस्ता और सुलभ न्याय शब्द एप्रोप्रियट है तो वह हमारे पूर्वांचल के लिये लागू होता है । पूर्वांचल में गरीबी है, लाचारी है, बेकारी है और पैसे की वहां कमी है, संसाधनों की कमी है, पश्चिमी जिले इसके बरअक्स हैं । वहां पर कल कारखाने हैं, अच्छी पैदावार है वहां की परकैपिटा इनकम ज्यादा है इसीलिये उनको इलाहाबाद से सस्ता और सुलभ न्याय मिल रहा है । पूर्वांचल के गोरखपुर और देवरिया की बात नहीं कर रहा हूं सारे पूर्वांचल में गरीबी है उनको सस्ता और सुलभ न्याय नहीं मिल रहा है ।

श्री उपाध्यक्ष—

नहीं मिल रहा है, ठीक है ।

श्री अफसर यू0 अहमद—

मुझे एक बात और कहनी है इलाहाबाद हाईकोर्ट की खण्डपीठ पश्चिम में होने के बाद निश्चित रूप से प्रदेश के बंटवारे की बात शुरू होगी ।

एक आखिरी बात और कहना चाहता हूं हमारे दश में बहुत से दो प्रदेशों की एक हाई कोर्ट है और हमारे यहां एक प्रदेश में क्या तीन-तीन हाई कोर्ट होना उचित नहीं है । यह बिलकुल गलत है ।

वित्त एवं न्याय राज्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश रिछारिया)—

श्रीमन्, अभी जो हाईकोर्ट की खण्डपीठ बनाये जाने की चर्चा माननीय सदस्यों ने की इसमें लोगों ने कहा उ0 प्र0 सरकार की नियत भिन्न लगती है तो ऐसा नहीं है । इसमें भारत सरकार का उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट एक्ट 1948 बाध्यता है उसमें संशोधन आवश्यक है । उत्तर प्रदेश में इस बात के लिये आन्दोलन और लम्बित बादों को देखते हुये दिसम्बर 76 में ही भारत सरकार को संस्तुति की गयी कि वह यहां हाईकोर्ट की बैंच के बारे में विचार करे । यही नहीं दिसम्बर 76 के बाद मार्च 78 में मंत्रिपरिषद् ने फिर संस्तुति की इसके पश्चात् मई 79 में फिर संस्तुति की फिर मार्च 81 में मंत्रिमंडल ने प्रस्ताव करके भारत सरकार से अनुरोध किया । तो इसके लिये हम निरन्तर प्रयासरत रहे हैं कि जहां पर भी हो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय की खण्डपीठ बने । इसके लिये जशवन्त सिंह आयोग का गठन हुआ उसकी 85 में रिपोर्ट भी सबमिट हुई है उस पर भारत सरकार ने मत मांगा और उसके लिये इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस और माननीय राज्यपाल से विचार-विमर्श करके अपना मत देना था । जसवन्त सिंह आयोग की रिपोर्ट सीधे ही हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और राज्यपाल महोदय को भेजी है । उसके लिये हम हाईकोर्ट के माननीय न्यायाधीश को रिमाइण्डर भी भेज चुके हैं । सबसे पहले 13-10-88 को पत्र लिखा गया कि वह अपना मत जाहिर करें उसके बाद 21-1-89 को पत्र भेजा है और इसके बाद 24-6 को श्रीमन्, उनको पुनः स्मरण-पत्र लिखा गया । आज भी उनकी राय प्रतीक्षित है और जैसे ही उनकी राय इसमें हमें प्राप्त होगी, निश्चित रूप से इसके ऊपर भारत सरकार को इसका मत भेज दिया जायेगा । एक हमारे मिस्टर चन्दन ने बड़ा अच्छा लिखा है, जो एक बड़े अच्छे लेखक और व्यंगकार हैं । उन्होंने एक कहानी लिखी है—जामुन का पेड़, उसमें लिखा है कि यह जो थ्रू प्रापर चैनल है, इंगलिश चैनेल से भी बढ़कर, इंगलिश चैनल को तो पार किया जा सकता है, किन्त

इसमें उससे भी ज्यादा समय लगता है । तो यह विषय भी उसी चैनल में फंसा हुआ है । जैसे ही प्राप्त हो जाएगा भारत सरकार को इसकी संस्तुति निश्चित रूप में भेज दी जायेगी और इसको स्थापना का प्रयास किया जायेगा ।

प्रदेश में नवसृजित जिले एवं तहसीलों से सम्बन्धित अधिसूचना की जानकारी

राजस्व मंत्री (श्री माता प्रसाद)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से सदन को कुछ सूचना देना चाहता हूं । दिनांक 30 सितम्बर, 1989 से गोरखपुर जिले को विभाजित कर प्रदेश में महराजगंज नामक नये जिले की अधिसूचना जारी की गई है यानी इस नये जिले का सृजन किया गया है । इसके साथ ही कुछ नई तहसीलें भी खोली गई हैं । उनकी सूची देना चाहता हूं—बाराबंकी में रामनगर और रूदौली, मिर्जापुर में लालगंज और मड़िहान, वाराणसी में सकलडीहा, खीरी में गोलागोकरननाथ, गोरखपुर में चौरी-चौरा, हरिद्वार में लक्सर, गाजियाबाद में मोदीनगर, मुरादाबाद में धनौरा, टेहरी गढ़वाल में नरेन्द्रनगर, सिद्धार्थनगर में इटवा, बस्ती में भानपुर (सोनहा), चमोली में रुद्रप्रयाग और थराली, पिथौरागढ़ में बेरीनाग (उप तहसील), पौड़ी गढ़वाल में थैलीसेन, नैनीताल में कोस्यां कुटौली (गरमपानी) मुख्यालय बैतालघाट उप तहसील, बरेली में मीरगंज, सहारनपुर में चिलकाना, और बलिया में बैरिया, यह तहसीलें आज से अधिसूचित कर दी गयी हैं ।

मान्यवर, मंत्रिमंडल ने दो तहसीलें और तय किया था—एक हरदोई में और एक वाराणसी में, लेकिन इन दोनों जगहों पर मुख्यालय का विवाद होने के कारण स्थगित कर दी गयी है ।

श्री विजय सिंह राणा—

स्पष्टीकरण एक चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष—

इसमें स्पष्टीकरण नहीं होता है ।

श्री विजय सिंह राणा—

फिरोजाबाद में टुंडला के अन्तर्गत एक मिनी तहसील खोल रखा है लेकिन रेकार्ड में कुछ नहीं है तो उसे आपको पूरी तहसील बनाने में क्या हर्ज है ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया ।)

श्री उपाध्यक्ष—

मद संख्या 39 श्री जयदीप सिंह बरार (सम्बन्धित सदस्य की अनपस्थिति के कारण मद संख्या 39 की चर्चा न हो सकी ।)

प्रदेश के काश्तकारों पर समस्त बकाया ऋणों तथा बिजली के बकाया बिलों के दयों की वसूली के सम्बन्ध में नियम 103 के अन्तर्गत प्रस्ताव

श्री रघुबर दयाल वर्मा—

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस सदन का सुविचारित मत है कि प्रदेश के काश्तकारों पर समस्त बकाया ऋणों तथा बिजली के बकाया बिलों के देयों की वसूली के संबंध में राज्य सरकार द्वारा लिया जाने वाला दस प्रतिशत का तहसील वसली व्यय समाप्त किया जाय ।

मान्यवर, किसानों पर जितना बकाया ऋण होता है, बिजली के बिलों का बकाया या बैंकों का बकाया जिसकी वसूली तहसील से होती है तो 100 रुपये कर्जे की वसूली का 10 प्रतिशत तहसील का व्यय किसानों से वसूल किया जाता है ।

राज्य सरकार तो वसूली करने की एक एजेन्सी है । जो संस्थायें रुपया वसूल करने के लिये इनके पास भेजता है यह 10 प्रतिशत व्यय उन संस्थाओं से लेना चाहिए, किसानों से नहीं । जैसे साहूकार का ऋण जब तहसील में वसूली के लिये आता है तो 10 प्रतिशत व्यय साहूकार से लिया जाता है । यदि काश्तकार को वारन्ट काटा जाय तो वारन्ट की फीस 4 रुपये साहूकार से ली जाती है, किसान से नहीं । इसी प्रकार बैंकों और बिजली बिलों के बकाये की वसूली पर 10 प्रतिशत बैंक और विद्युत परिषद् से व्यय लेना चाहिए, किसानों से नहीं । मान्यवर, होता है कि बिजली के बकाया वसूली का व्यय 10 प्रतिशत किसानों पर लगा दिया जाता है जिससे रोजाना उनकी कुर्की होती है और इस प्रकार सारा खर्च किसान से लिया जाता है जबकि ब्याज इसलिये लिया जाता है कि वसूली में जो व्यय हो वह ब्याज से खर्च हो न किसान से । इसलिये मांग है कि 10 प्रतिशत बैंक से व्यय लिया जाय चूंकि जब किश्तें टूटती हैं तो बैंक किश्तों पर दण्डनीय ब्याज लगा देता है । इस प्रकार दोहरी मार किसान पर पड़ती है । इसलिये 10 प्रतिशत वसली व्यय समाप्त किया जाये ताकि किसान कर्जे को देने में सक्षम हो सके । मान्यवर, ऐसा कहीं नहीं है कि जिस पर कर्ज है उसी से वसूली का व्यय वसूल किया जाये ।

राजस्व मंत्री (श्री माता प्रसाद)—

मान्यवर, वर्मा जी ने जो प्रस्ताव अभी रखा है कि 10 प्रतिशत जो वसूली ली जाती है उसको रोक दिया जाए । इसके संबंध में रवेन्यू रिकवरी संशोधित एक्ट जो सन् 65 का है, उसकी नियमावली 1988 में यह प्राविधान किया गया है कि ऐसे मामलों में जिनमें वास्तव में वसूली की गई हो, वसूली व्यय, यदि कोई हो, जब तक कि अन्यथा व्यवस्था न की गयी हो या सम्पूर्णतः या आंशिक रूप से छूट न दे दी गयी हो, इस निमित्त जारी किये गये सरकारी आदेशों के अधीन रहते हुए, प्रमाण-पत्र के अधीन वसूल की गयी धनराशि से काट लिया जायगा और बजट के संगत प्राप्ति शीर्षक के अन्तर्गत सरकारी कोषागार में जमा किया जायेगा । मान्यवर, फिर 30 अगस्त, 1974 के एक शासनादेश के अनुसार यह आदेश दिया गया है कि जो सरकारी देय हैं, जैसे मान्यवर भ-राजस्व, भूमि विकास कर, सिंचाई शुल्क, तकावी एक्ट 13, 19, कृषि तकाबी, जी0 एम0 एफ0, एन0 ई0 एस0, सीड स्टोर के देय, चकबन्दी शुल्क, बिक्रीकर, मोटरवाहन तथा आबकारी गन्ना क्रय कर और विकास देय आदि हैं, इसकी वसूली में मान्यवर, कोई भी 10 प्रतिशत वसूली शुल्क नहीं लिया जाता है । किन्तु जो विद्युत् देय, बैंक देय, निगम अर्द्ध सरकारी और अन्य सरकारों के देय हैं, इसकी जब वसूली करनी होती है तो इसकी वसूली सरकार लेती है । इसके लिए मान्यवर, 10 प्रतिशत की व्यवस्था की गयी है, यह जिनके नाम मैंने अभी बताए हैं । 10 परसेन्ट उनसे वसूली चार्ज लिया जाता है । जब वह वसूली के लिए भेजते हैं तो उसमें दो तरह की चीजें दी होती हैं । एक तो उसमें लिखते हैं कि इसकी वसूली किसान से ली जाए, तभी यह ली जाती है । और जब यह व्यवस्था होती है यानी जब यह लिखकर आता है कि वसूली किसान से न ली जाए तो उनकी वसूली में से ही सरकार यह 10 प्रतिशत काट लेती है । यदि यह उल्लेख नहीं होता है तो उनसे 10 प्रतिशत वसूला नहीं जाता है ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा—

मान्यवर, मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूं जो इनके पास बकाये वसूली के लिए आते हैं जो ट्रैक्टर, ट्राली या मोटर पम्प के हैं, उन सब पर 10 परसेन्ट लिया जाता है और जो एल0 डी0 बी0 बैंक हैं और सरकार के हैं, उसके भी देयों की वसूली पर 10 प्रतिशत लिया जाता है । व बिजली के बिलों पर भी लिया जाता है ।

श्री उपाध्यक्ष—

बिजली के बिलों पर तो वह खुद मान रहे हैं ।

श्री माता प्रसाद—

यदि संस्थायें कहती हैं तो लिया जाता है 10 प्रतिशत से कम इसलिए नहीं लिया जा सकता है मैं सूचना दे दूं 1984-85 में 14 हजार 744 लाख रुपये वसूल हुए लेकिन इसमें 15 प्रतिशत . . .

श्री उपाध्यक्ष—

यह नहीं पूछ रहे हैं वह यह पूछ रहे हैं कि 10 प्रतिशत लेते हैं या नहीं ?

(व्यवधान)

श्री माता प्रसाद—

10 प्रतिशत माफ नहीं करेंगे ।

श्री विजय सिंह राणा—

मान्यवर एक मिनट का समय दे दें ।

(व्यवधान)

श्री विजय सिंह राणा—

मान्यवर मेरा गला फंस रहा है मैं भी ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूं । कभी-कभी यह होता है कि बैंक ने किश्तों का हिसाब जोड़ने में गलती कर दी दो-तीन किश्तों का हिसाब छूट गया तो वह भी किसान से वसूल कर ली जाती है । बैंक की गलती किसान को भुगतनी पड़ती है वह किश्तों को ठीक नहीं करते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष—

आप अब खत्म करें ।

श्री विजय सिंह राणा—

कभी बाढ़ आ जाती है नुकसान हो जाता है लेकिन वसूली की जाती तो क्या यह दस प्रतिशत वसूली के व्यय को समाप्त करेंगे ।

(उत्तर के लिए माननीय मंत्री जी को नहीं पुकारा गया ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि इस सदन का सुविचारित मत है कि प्रदेश के काश्तकारों पर समस्त बकाया ऋणों तथा बिजली के बकाया बिलों के दामों की वसूली के संबंध में राज्य सरकार द्वारा लिया जाने वाला दस प्रतिशत का तहसील वसूली व्यय समाप्त किया जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय बरार नहीं हैं ।

(मद संख्या 41 सम्बन्धित सदस्य की अनुपस्थिति के कारण चर्चा न हो सकी)

सदन के अनिश्चित काल के लिए स्थगन का प्रस्ताव

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन अनिश्चित काल के लिए स्थगित किया जाए ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि यह सदन अनिश्चित काल के लिए स्थगित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष—

अब हम अनिश्चित काल के लिए उठते हैं ।

(इसके बाद सदन 9 बजकर 48 मिनट पर अनिश्चित काल के लिये स्थगित हो गया ।)

लखनऊ :

30 सितम्बर, 1989 ।

भाल चन्द्र शुक्ल,
भाल चन्द्र शुक्ल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

पी0 एस0 यू0 पी0—35 वि0 सभा—30-9-89—813 प्रतियां (लाइनो) ।